राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] बारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार;

16 जुलाई, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष: श्री केशर देव बाबर।

सीकर जिले की विद्युत लाइनों का रख-रखाव

16. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर में अनेक स्थानों पर विद्युत लाइनों के तार ढीले हैं जिनसे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है?

(2) क्या सरकार सीकर जिले का सम्पूर्ण विद्युत लाइनों का सर्वे करवा कर ढीले अथवा खुले तारों को व्यवस्थित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) सीकर जिले में 33 के.वी. की 1253 किलोमीटर, 11 के.वी. की 8932 किलोमीटर एवं एल.टी. की 19172 किलोमीटर लाइनों का नेटवर्क स्थित है जो आंधी, तूफान, बरसात आने, मिट्टी ढहने व अन्य कई कारणों से तार ढीले हो जाते हैं। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में ज्यों ही विद्युत निगम को सूचना प्राप्त होती है, तार व्यवस्थित कर दिये जाते हैं ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो।

(2) सीकर जिले में फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी लाइनों का सर्वे करवाया जा चुका है तथा ढीले तारों को व्यवस्थित किया जा रहा है। जिले में 11 के.वी. के लगभग 56 प्रतिशत फीडरों की 11 के.वी. लाइनें सही कर दी गई हैं तथा एल.टी. लाइनों के खुले तारों को इन्सुलेटेड केबलों से

(श्री गजेन्द्र सिंह)

बदलकर व्यवस्थित कर दिया गया है। शेष 11 के.वी. फीडरों की लाइनों को यथाशीघ्र व्यवस्थित कर दिया जाएगा।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि फीडर सुधार कार्यक्रम से वास्तव में गांवों में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। मैं एक जानकारी माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि सीकर जिले में कुल कितने गांव हैं और वर्तमान में 24 घंटे बिजली कितने गांवों को दी जा रही है? शेष वंचित गांव कितने हैं और उन गांवों को कब तक 24 घंटे बिजली मुहैया हो जाएगी?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में एफआरपी के कुल 645 फीडर हैं जिनमें से 365 फीडरों का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 986 गांवों में से 673 गांव हैं जिनके अन्दर 18 घंटे से अधिक बिजली मिल रही है। शेष बचे हुए जितने भी गांव हैं और फीडर हैं इनका लगभग 15 से 30 अगस्त के बीच में कार्य पूर्ण हो जाएगा।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो जमीन पर ट्रांसफार्मर हैं उनसे बरसात में दुर्घटनाएं होती हैं, तो उन ट्रांसफार्मर्स को जो जमीन पर रखे हुए हैं...

श्री अध्यक्ष: जो तार ढीले हैं उनको कसवाने की बात कह ही दी न, तो अब क्या बात रह गई?

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, इस बरसात में भी 20 प्रतिशत ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं और बरसात में उनमें करंट आता है। सीकर जिले में आज की तारीख में भी 20 प्रतिशत ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे हुए हैं क्योंकि एक बहुत छोटी-सी 3-4 हजार की चेनकूपी है वह सीकर जिले के किसी भी सब-डिवीजन में, सर्किल में एक में भी नहीं है और 300-300 रुपये किराया देकर रखने पड़ते हैं और काश्तकार को खुद लेकर जाना पड़ता है। इसलिए मंत्रीजी यह बताएं कि जमीन पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उनको कब तक ऊपर रखवाने की व्यवस्था कर देंगे।

इसके अलावा एक यह है कि एफआरपी में जितने भी सुपर ट्रांसफार्मर लगाये हैं उनकी जलने की रेट कितनी है?

श्री अध्यक्षः यह तो अलग प्रश्न है। जलने की रेट कितनी है यह अलग से प्रश्न है, बाकी नीचे कितने हैं वो बता दीजिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न ढीले तारों से सम्बन्धित है फिर भी यदि ट्रांसफार्मर से माननीय सदस्य को कोई समस्या आ रही है तो मुझे आप बताएं कि आपके कौन से एरिया में हैं।

श्री अमराराम (धोद): मेरे को क्या समस्या आ रही है? नीचे जो ट्रांसफार्मर हैं उनसे जानवरों का एक्सीडेंट होता है और उनसे आपकी छीजत भी बढ़ रही है। मेरा दावा है कि 20 प्रतिशत ट्रांसफार्मर नीचे हैं। मेरे को न आपको परेशानी है, पर जो भी जानवर है वह नहीं समझता है। बरसात में पानी भरता है जिससे करंट लगकर बहुत। से जानवरों की, बहुमूल्य जानवरों की, जो दुधारू पशु हैं उनकी मृत्यु हो रही है। इसलिए आप कब तक उनको ऊपर रखवा देंगे? उनको ऊपर रखने के लिए चेनकूपी की व्यवस्था कब तक कर देंगे? क्योंकि वहां पूछते हैं तो कहते हैं कि खरीद सेण्ट्रलाइज है और आज तक नहीं हुई। इसलिए मजबूरन काश्तकार को नीचे रखना पड़ता है, वो हाथ से ऊपर नहीं रखे जाते।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, यह तो है नहीं कि अचानक ही जानवर मरने लग गये, अचानक ही करंट लगने लग गया। जो फीडर सुधार कार्यक्रम 8500 फीडरों का है वह कार्यक्रम चल रहा है और अजमेर डिस्काम के अन्दर यह कार्यक्रम खतम हो जाएगा तो यह लगभग एक महीने के अन्दर आपके खतम हो जाएगा। अभी जो सुधार हो रहा है उसमें हर तरह से सुधार हो रहा है- पोल ज्यादा लग रहे हैं, जो लाइन ढीली थीं वो टाइट हो रही हैं, तो इससे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे।

श्री अध्यक्षः जो नीचे रखे हुए ट्रांसफार्मर हैं वो आप बता दें तो ऊंचा करवा देंगे।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि जो जमीन पर नीचे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उनको कब तक ऊपर रखवा दोगे और ये कह रहे हैं कि फीडर रिनोवेशन हो जाएगा।

श्री अध्यक्षः तो आप बता दो कि कितने रखे हैं, ये ऊपर रखवा देंगे।

श्री अमराराम (धोद): मैं तो कह रहा हूं कि 20 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आज की तारीख में नीचे पड़े हुए हैं, मंत्रीजी कह दें कि एक भी ट्रांसफार्मर नीचे नहीं है तो मैं नाम बता दूं।

श्री अध्यक्ष: तो आप नाम बता दो न ताकि वो उनको ऊपर रखवा दें गे। आप ही बता दीजिये न। नाम बता दीजिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, ये तो एक जनरलाइज कह रहे हैं। फीडर सुधार कार्यक्रम जहां खतम हो गया वहां ट्रांसफार्मर ऊपर रख दिये हैं और जो शेष बचे हुए हैं उनके लिए आपको बताया कि 30 अगस्त तक खतम हो जाएगा। 30 अगस्त के बाद भी कोई जमीन पर रखे हुए हैं तो मुझे आप बता देना पर कार्यक्रम तो खतम होने दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, जयपुर में भी बहुत सारे नंगे तार पड़े हुए हैं। जयपुर की विभिन्न कच्ची बस्तियों में नंगे तार हैं।

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है। श्री खुशवीर सिंह।

खारची विधान सभा क्षेत्र में विधायक स्थानीय विकास कोष की अवशेष राशि से स्वीकृत कार्य

17. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष 2004 से जून, 2008 तक कितनी राशि कार्य पूर्ण होने व पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद शेष बची?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 से जून, 2008 तक विधायक कोष की अवशेष राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवशेष राशि से विकास कार्य स्वीकृत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विधायक खारची द्वारा उक्त अवशेष राशि के विरुद्ध कार्य स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य स्वीकृत हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर): (1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष 2004 से जून, 2008 तक वर्षवार बचत राशि क्रमश: आगामी वित्तीय वर्ष

(श्री कालूलाल गुर्जर)

में सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां अनुशंसा के आधार पर जारी की गई हैं। इस प्रकार जून, 2008 तक 10.156 लाख रुपये की अनुशंसा प्राप्त की जानी शेष है।

(2) जी हां। वर्षवार अवशेष राशि आगामी वर्ष की आबंटित राशि में सम्मिलित कर आगामी वर्ष में कार्यों की स्वीकृति की गई है।

(3) जी हां। वर्षवार बचत राशि से कार्य सम्बन्धित आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(4) जी हां। रुपये 76.694 लाख की कार्यों की अनुशंसा माननीय विधायक खारची द्वारा प्राप्त हुई है जिनमें से 65.694 लाख राशि के कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष 11 लाख रुपये के एक कार्य की स्वीकृति विचाराधीन है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में मैंने यह पूछा था कि पिछले चार वर्षों में जितनी राशि कार्यों के लिए स्वीकृत की जा चुकी है उस राशि से कार्य कम्पलीट होने के पश्चात्, सी.सी. जारी होने के पश्चात् पिछले जून तक कितनी राशि शेष रही है। वह इसमें, माननीय मंत्री महोदय, नहीं दर्शाया गया है। दूसरा, विधायक कोष से इससे पूर्व समाज के नाम से सामुदायिक भवन की स्वीकृतियां जारी होती थीं लेकिन पिछले तीन वर्षों से समाज के नाम से ये सामुदायिक सभा भवन की स्वीकृतियां बन्द कर दी गई हैं, तो क्या आप विचार रखते हैं कि समाज के नाम से सामुदायिक सभा भवन की स्वीकृति के पुनः आदेश देंगे?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड एक का जो जवाब दिया है इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि 2004 से 2008 तक हर वर्ष जितना पैसा विधायक कोष से माननीय विधायक को खर्च करने हेतु आबंटित होता है उसमें जून, 2008 तक इन्होंने जितनी स्वीकृति दी उसमें 10.156 लाख रुपये की अनुशंसा का और बाकी रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह तो इनका विधायक कोष है तो इनको खुद ही मालूम होनी चाहिए सारी बात। यह क्या पूछ रहे हैं? खुद का ही प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): खुद को भी मालूम होना चाहिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, बार-बार लिखने के पश्चात् भी...

श्री अध्यक्ष: खुद का ही प्रश्न पूछ रहे हैं। और कोई सूचना मांगते तो समझ में आती है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनका पैसा कितना है, यह मैंने लिखा है। आप कह रहे हैं कि नहीं लिखा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं, अध्यक्ष महोदय, बार-बार लिखने के पश्चात् भी वहां यह स्वीकृति जारी नहीं होती है। आपने कैरी फारवर्ड का लिखा है जबकि बंद है, कैरी फारवर्ड नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जो शेष राशि है, उसकी तो मुझे जानकारी है, लेकिन वहां से जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है कि शेष राशि कितनी रही है। वह भी मिल जाए ताकि उस शेष राशि की स्वीकृति हम जारी कर दें। नहीं तो अगले महीने आचार-संहिता लगने के पश्चात् उसकी स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं यह जानना चाह रहा हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप विराजो। एक मिनट, मैं आपकी बात कह दूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, चुनाव का साल है, हमें आप बता दो कि कितनी राशि बकाया है जो खर्च कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो दीजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हो गई बात, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वह जवाब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो सभी सदस्यों को बता दो कि इतनी-इतनी राशि बकाया है आपकी। हमें न इन्फार्मेशन मिलती है, न और कोई बात होती है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप विराजें। अध्यक्ष महोदय, यह साफ कहा है कि...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, यह समस्या सभी विधायकों की है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...2004 -2005, 2005-2006 और 2006-2007 तक, 2006-2007 तक तो 60-60 लाख रुपये प्रत्येक विधायक को मिलते थे। जितनी अनुशंसा कर देते थे, वह होती थी और बकाया अगले साल कैरी फोरवर्ड हो जाती थी।

श्री अध्यक्ष: कैरी फारवर्ड होता था।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लेकिन इसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में यह घोषणा कर दी कि 2007-2008 के दिसम्बर 31 तक जो माननीय विधायक अनुशंसा नहीं करेंगे, वे पैसे लैप्स हो जाएंगे। मैंने इनके जवाब में स्पष्ट लिखा है कि जितने पैसे की इन्होंने अनुशंसा नहीं की, पहले वह कैरी फारवर्ड होता रहा। अभी 2007-2008 में जो आपने अनुशंसा की है, वह पूरी कर दी इसलिए उसमें पैसा नहीं बचा लेकिन काम करने के बाद कुछ काम निरस्त हो गये या किसी काम में पैसा कम लगा और बचत हो गई, उसको हम बराबर कैरी फारवर्ड कर रहे हैं आज दिन तक, till today, और उसके आधार पर हमारे यहां पर...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हमारे जिले में नहीं होते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सिर्फ 10 लाख और कुछ रुपये बचे हुए हैं आपके, आप अनुशंसा कर दीजिये, हम तुरन्त स्वीकृति जारी कर देंगे। आप क्यों इन्तजार कर रहे हैं कि आचार-संहिता लगे? विधायकों को तो जल्दी करना चाहिए।

एक आपने और पूछा, जातिगत सामुदायिक भवन...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दीजिये। जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिये पहले।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक आपने पूछा है कि जातिगत बस्तियों में कोई सामुदायिक भवन बनाने की अनुमति है? इस गाइडलाइन में नहीं है विधायक कोष से। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जातिगत छात्रावास या कोई सामुदायिक भवन बनता है, वह एक जाति विशेष के लोग ही काम में लेते हैं, वह सार्वजनिक नहीं रह पाता है इसलिए हम जाति के नाम से अनुमति नहीं करते हैं।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सार्वजनिक रूप से यदि कोई छात्रावास या कोई सामुदायिक भवन या धर्मशाला बनाना चाहे, उसके लिए अनुमति है और गाइड लाइन में स्पष्ट प्रावधान है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, पूर्व में दी जाती रही है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तो कहते हैं कि कैरी फारवर्ड करते हैं जो पैसा बचता है लेकिन माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इनके विधान सभा क्षेत्र में जो पैसा बचता है, वह कैरी फारवर्ड नहीं किया जा रहा है। ऐसे कौन अधिकारी हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, जरा यह तो बताएं?

श्री अध्यक्ष: 2007-2008 के बाद नहीं कर रहे हैं। 2007-2008 में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी थी, उसके बाद नहीं हुआ है एक साल का कैरी फारवर्ड, बाकी पहले के तो हुए हैं। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, जो टेण्डर होते हैं, जो बिलो चले जाते हैं...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं... (व्यवधान) वह भी कैरी फोरवर्ड नहीं हो रहे हैं। दूसरा, माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कार्यकारी एजेंसी सहकारी समितियों को बनाया है तो सहकारी समिति पंचायत की तरह ही एक सेमी-गवर्नमेंट एजेंसी है, उनसे 30 प्रतिशत की राशि मांगी जाती है, वह किस नियम के तहत मांगी जाती है? या तो आपको ग्राम सेवा सहकारी समिति को कार्यकारी एजेंसी नहीं बनाया जाना चाहिए था या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जो आटोनोमस बाडी है, उससे भी 30 प्रतिशत पैसा नहीं लिया जाए।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने ग्राम सेवा सहकारी समिति को टोटल राशि नहीं देकर काम लेने की बात कही है... (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, जो टेण्डर के द्वारा काम होते हैं एम.एल.ए. लैड के...

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न, श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रश्न संख्या 18.

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. लैड के काम जो टेण्डर प्रक्रिया के तहत होते हैं, टेण्डर जो बिलो चले जाते हैं, वह जो शेष राशि है...

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): इसमें से जो समिति स्कूलों में बनी हुई हैं, उनको कम से कम यह काम करने का भी आप इसमें करवाएं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अध्यक्ष महोदय, कैरी फारवर्ड की राशि और बकाया राशि की दो-दो साल तक यू.सी. समय पर जारी नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी सारी यू.सी.सी.सी. समाहित हो चुकी है, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं हुई है। सबसे ज्यादा भीलवाड़ा जिले की बाकी है, मंत्री महोदय।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर नहीं हुई है तो आप मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। बाकी हो तो मुझे बता देना। आप तो भीलवाड़ा जिले के हो।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): टेण्डर प्रीमियम का पैसा कैरी फारवर्ड नहीं हो रहा है, सर।

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप तो भीलवाड़ा जिले के हो, आप तो मुझे बता देना।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है। नैक्स्ट प्रश्न।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रश्न संख्या 18.

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है, अब आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है मंत्रीजी। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रश्न संख्या 18.

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय मंत्री महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, कभी तो पूछने दें आप।

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने अगला प्रश्न पुकारा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अब जाते-जाते तो पूछने दें प्रश्न। अब दिन तो दो रह गये हैं कुल मिलाकर आपकी हुकूमत के।

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय मंत्री महोदय, सहकारी समितियों के बारे में भी कोई निराकरण करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, अब आप नहीं बोलेंगे। अब आप कोई जवाब नहीं देंगे। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मंत्री महोदय, सहकारी समितियों के पक्ष में भी कोई कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब नहीं दें, मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया। (व्यवधान) मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

चाणोद-सुमेरपुर मार्ग पर निगम बस सेवा

18. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पाली-गुढ़ा प्रताप सिंह-चाणोद-सुमेरपुर मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलाने हेतु सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो कब व अब उक्त मार्ग पर निगम बसें कब तक चालू करवा दी जाएंगी?

(2) क्या यह भी सही है कि सर्वे में चाणोद (जिला पाली) निगम बस सम्पर्क से जुड़ा हुआ बताया गया है? यदि हां, तो वहां से निगम बसें संचालित नहीं करने के क्या कारण हैं?

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): (1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा पाली से सुमेरपुर वाया डेण्डा-बाला कूरना-पादरला-गुढा प्रतापसिंह-सालेश्वर महादेव-साकदड़ा फांटा-चाणोद-राजपुरा-खिवंदी-सुमेरपुर का सर्वे माह जनवरी, 2008 में करवाया गया है।

यह मार्ग अभी रिकार्ड में अधिसूचित नहीं है। मार्ग खोले जाने के पश्चात् ही निगम बस सेवा के संचालन पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उक्त मार्ग पर बसें चलाई जा सकती हैं? यदि हां, तो कब तक? और क्या यह भी सही है कि अब उक्त मार्ग पूरा डामरीकृत हो गया है, अनेक गांव लाभान्वित होने वाले हैं? यदि हां, तो उक्त मार्ग अधिसूचित क्यों नहीं किया जा सका है?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से सुमेरपुर नेशनल हाइवे सीधा भी है और वहां तो हमारी 5-6 बसें अभी वर्तमान में चल रही हैं, लेकिन सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पाली से वाया गुढा प्रतापसिंह के लिए बात कही है। उसका हमने सर्वे करवाया है, उसमें तीन रूट हमारे पास अभी खुलकर आये हैं। उसमें से चाली से चाणोद है, वह तो कच्चा रूट है और आगे साकदडा फांटा होते हुए जो हम जाते हैं, अभी सड़क बनी है। उसका सर्वे करवाया है और उसको अधिसूचित करके, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य से चर्चा करके निश्चित रूप से हम जल्दी ही इनकी मांग के अनुसार अधिसूचित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री रामरतन बैरवा।

शाहपुरा (भीलवाड़ा) विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में प्रस्तावित भवन निर्माण

19. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के अनेक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का अभाव है जिससे छात्र खुले में पढ़ते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वहां नये कक्षा-कक्ष निर्माण कराने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में विद्यालयों में नाबार्ड योजना के तहत निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले में कहां-कहां निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये व उन पर क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये तथा कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा-कक्ष/प्राथमिक शाला/अन्य निर्माण हेतु नाबार्ड में प्रस्ताव भिजवाये गये थे? यदि हां, तो कितने कार्य स्वीकृत हुए? यदि नहीं, तो स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामरतन बैरवा)

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के विद्यालयों हेतु नाबार्ड/अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से कक्षा-कक्ष एवं चारदीवारी एवं प्राथमिक शाला निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): (1) जी नहीं।

(2) जी हां। नाबार्ड पोषित RIDF-12 के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के विद्यालयों में आधारभूत सुविधा सृजित कराने हेतु छात्रों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए 14 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 12 पानी की टंकी, 20 शौचालय तथा 13 रैम्प्स, कुल 59 कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो गये हैं जिन पर 51.07 लाख रुपये व्यय हुआ। नाबार्ड पोषित RIDF-13 के अन्तर्गत 247 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 26 कम्प्यूटर लैब, 56 पानी की टंकी, 79 शौचालय तथा 70 रैम्प्स, कुल 478 कार्य स्वीकृत किये गये। 2007-2008 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए स्वीकृत कार्यों में से 92 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई जिनमें से 38 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 8 कम्प्यूटर लैब, 14 पानी की टंकी, 15 शौचालय एवं 14 रैम्प्स, कुल 89 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यों पर 163.29 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है। शेष कार्य वर्ष 2008-2009 में उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार पूर्ण कराये जाएंगे। कार्यवार प्रगति का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जी हां। नाबार्ड पोषित RIDF-12 के अन्तर्गत एक विद्यालय में 4 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, एक पानी की टंकी, एक शौचालय तथा एक रैम्प के प्रस्ताव भिजवाये गये थे जो स्वीकृत हुए एवं निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। नाबार्ड पोषित RIDF-13 के अन्तर्गत 20 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु 25 कक्षा-कक्ष, दो कम्प्यूटर लैब, 7 रैम्प्स, कुल 49 कार्यों के प्रस्ताव नाबार्ड को भिजवाये गये थे, जो स्वीकृत हो गये हैं।

(4) जी हां। नाबार्ड पोषित RIDF-13 के अन्तर्गत शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत 20 विद्यालयों में 25 कक्षा-कक्षों का वर्ष 2008-2009 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृत करना प्रक्रियाधीन है तथा सर्व शिक्षा अभियान परियोजनान्तर्गत वर्ष 2008-2009 में 21 कक्षा-कक्ष एवं 11 विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, यह तो एब्रिविएशन है आरआईडीएफ, इसका फुल फार्म बता दो। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): सैकण्डरी स्कूल खोलने की जो घोषणा की थी..

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह है रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और गांवों में विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है। पूर्व में नाबार्ड योजना द्वारा कुछ पांच-छह लाख रुपये ही स्वीकृत हुए थे जब कि अन्य तहसीलों में ज्यादा स्वीकृत हुए थे। जो भी प्रस्ताव हैं इस वर्ष में, वे सभी पूर्ण होंगे या नहीं होंगे, यह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आरआईडीएफ-12 में भीलवाड़ा में टोटल खर्चा हुआ है 51.07 लाख का, उसमें से शाहपुरा में 10.39 लाख का खर्चा हुआ, यानि बीस प्रतिशत खर्चा आरआईडीएफ-12 में हुआ। इस बार 2008-09 में 49 वर्क शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हुए, 95 लाख रुपया इस पर खर्चा होगा, जो प्रस्तावित है।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से यह पूछो कि मार्च में कहा था स्कूल खोलेंगे, खोल दिये क्या जुलाई में?

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): स्कूल खोलने की घोषणा की थी... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): स्कूल खोलने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में कहा था कि केन्द्र से नहीं आएगा तो भी हमारे बलबूते पर खोलेंगे...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सरकार ने यह कहा था कि स्कूल खोलेंगे हर पंचायत...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके बलबूते पर ही कर दो, केन्द्र से नहीं आता है तो।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तो केन्द्र सरकार अपना जिम्मा तो निभाए। (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने एक पैसा दिया नहीं..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने लिखा था बजट भाषण में। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): घोषणा कराएं आप तो...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...कि पैसा नहीं आएगा तो अपने बलबूते पर खोलेंगे, तो आप अपने बलबूते पर खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): क्या खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, यही बता दो, नहीं खोलेंगे, बस। हम फिरते नहीं रहें कम से कम। सब इन्तजार कर रहे हैं कि कब तक खुलेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बोलो तो सही।

एक माननीय सदस्य : चाहे एक पैसा आज दिन तक...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सब माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो न तो मंत्रीजी...(व्यवधान) आप एक बार थोड़ा बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान) बात तो सुनिये आप आसन की। आप पहले एक बार विराजें। मैं कह रही हूं, एक-एक करके प्रश्न पूछें माननीय सदस्य, तो जवाब दे पाएंगे।, एक साथ आप बोलेंगे तो जवाब, ...(व्यवधान) न मैं सुन पा रही हूं, न वह सुन पा रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मेरा प्रश्न है, पहले मैं पूछूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर आप खड़े हो गये सब के सब। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या सरकार स्कूल खोलने की इच्छा रखती है?

श्री अध्यक्ष: वन एट ए टाइम। एक समय में एक ही सदस्य बोलें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या सरकार स्कूल खोलने की नये सैशन में इच्छा रखती है? अगर घोषणा की है तो उसकी पालना करना चाहती है, अगर नहीं करना चाहती है तो जवाब दे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम तो खोलने की इच्छा रखते हैं लेकिन केन्द्र सरकार से ही पूछ लो थोड़ा, केन्द्र सरकार सारा पैसा खा गई... (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): कब तक खोल देंगे, खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? बच्चों के एडमिशन नहीं हुए..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह प्रश्न थोड़े ही है, साहब।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केन्द्र सरकार स्कूलों के पैसे खा गई, केन्द्र सरकार से भी पूछ लो थोड़ा। केन्द्र सरकार से पूछ लो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, एक कौड़ी नहीं दी। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): नहीं, यह बताएं कि नहीं खुल रहे, गांव वाले बच्चों के एडमिशन और कहीं करवा देंगे। बच्चों का एडमिशन नहीं है इस चक्कर में। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि राजस्थान की सरकार हमें स्कूल खोलकर देगी और उसका बच्चा उसमें पढ़ेगा...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, इस वजह से जो ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उनको माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की बात आदरणीय मुख्य मंत्री साहिबा ने की, पर... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इसका मतलब हम खोलें नहीं, केन्द्र सरकार से पूछो...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): राजस्थान की जनता केन्द्र सरकार को जवाब देगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): केन्द्र सरकार ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पंचायत हैडक्वार्टर पर स्कूल खोलने का वादा सरकार ने किया था, आज दिन तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार जब जवाब दे, यह कोई तरीका है क्या... (व्यवधान) जवाब दे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ये आदेश किस तारीख को जारी हुए, बताइये। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर..(व्यवधान)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह से बात कर रहे हैं..(व्यवधान) यह किस तरह से बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब तक आराम से प्रश्नकाल चल रहा था, क्या हो गया इस प्रश्न में? एक साथ इतने लोग बोल रहे हैं। (व्यवधान) तो एक-एक करके तो बोलिए। (व्यवधान) एक समय में एक ही तो बोलिए। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): बोलें, हम कब मना कर रहे हैं आपको? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह कौन-सी स्कूल की बात कर रहे हैं...

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): 25-25 करोड़ रुपये, एक भी पैसा नहीं दे रहा केन्द्र।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): पच्चीस करोड़ रुपया प्रत्येक सांसद को।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): केन्द्र पैसा नहीं दे रहा है तब तो यहां पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आप उनको कहो। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मेरे दम पर स्कूल खोलूंगी, अब दम निकल गया क्या आपका? केन्द्र के पैसे से वाहवाही लूट रहे थे, आज बोलने का माद्दा रखते हैं या नहीं रखते हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केन्द्र सरकार ने बड़े लम्बे-चौड़े वादे किये थे कि हम पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब वह दम निकल गया।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): इन्होंने कहा, जगह-जगह घोषणा की.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आप अब एक-एक...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): एक भी स्कूल नहीं खोला, माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) प्रभारी मंत्री महोदय, आपका दम निकल गया क्या जो घोषणा की थी? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): हर पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा थी, मंत्रीजी बताएं कि यह घोषणा लागू होगी या केवल थोथी घोषणा थी? (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्षजी, कांग्रेस के महासचिव माननीय राहुल गांधीजी ने पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की बात कही थी और कांग्रेस ने भी पूरे देश में ढिंढोरा पीटा था कि पूरे देश में हर पंचायत हैडक्वार्टर पर माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण किया जाएगा। कांग्रेस के मेरे साथियों से मेरा निवेदन है कि वहां दिल्ली में जाकर इस बात की पैरवी करें। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): क्या बात करते हैं, एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) उन्होंने कहा था कि मैं अपने दम पर स्कूल खोलूंगी..(व्यवधान) भेदभाव हो रहा है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2007-2008 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी कि हम 1500 सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे, 2007 2008 के बजट में एक स्कूल, सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): दो-तीन विद्यालयों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी साफा पहन कर आ गये, हमारे प्रभारी मंत्री देवनानीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में घोषणा की कि यह स्कूल क्रमोन्नत हो चुका है। वहां जाकर माननीय देवनानीजी ने लोगों से साफे पहन लिये, लोगों से साथ में बधाई ले ली। वहां आज बच्चे बैठे हैं इनकी आस लगाए कि हमारा विद्यालय क्रमोन्नत होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो घोषणा करके आये हो, (व्यवधान) मुख्य मंत्री सम्बल अभियान में हर पंचायत मुख्यालय पर घोषणा करके आये हो...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इन्होंने घोषणा की कि स्कूल खोलेंगे.. (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक भी स्कूल नहीं है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो साफे ही साफे पहने...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रभारी मंत्री माननीय देवनानीजी ने घोषणा की विधान सभा क्षेत्र में उन गांव वालों से विद्यालय में जाकर साफा पहन कर आ गये कि यह विद्यालय क्रमोन्नत हो चुका है, या तो वे साफे, मंत्रीजी, आप वापस लौटाएं गांव वालों

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

को। आज मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि आपने जो साफे पहने हैं वह साफे वापस गांव वालों को लौटाये जाएं। (व्यवधान) मंत्रीजी, हमारे साफे वापस लौटाएं। मंत्रीजी, आपने...(व्यवधान) हमारे देवनानीजी, प्रभारी मंत्री...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण, आसन पांवों पर, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) एक बार आप स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम खोलेंगे, खोलेंगे। हम खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: उप नेता, प्रतिपक्ष, स्थान ग्रहण करें। एक बार स्थान ग्रहण करें। उप नेता प्रतिपक्ष, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अब काम नहीं देगा वह, वह काम नहीं देगा। (व्यवधान) जब तक आप यों करेंगे, काम नहीं देगा, आप स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी तैयार हैं, एक-एक प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन आप एक-एक करके बोलिये। एक समय में एक माननीय सदस्य बोले जब जवाब दे पाएंगे, नहीं तो कैसे जवाब देंगे? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सवाल यह उठता है, जब भारत सरकार ने आदेश दे रखा है आपको, भारत सरकार ने डेढ़ साल पहले आदेश दिया है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल खोलिये...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): फर्जी लगाये हैं शिलान्यास के भाटे। आज भी भाटे पड़े हैं, वे भाटे उठाये जाएं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अगर आपके पास पैसा नहीं है, राजस्थान सरकार दीवालिया हो गई, आप मांगिये पैसा। किस तारीख को आपने चिट्ठी लिखी?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके ललित किशोर चतुर्वेदी का भाटा नैनवां में पडा हुआ है दस साल से...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसका जवाब दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप एक-एक करके बोलिये तो जवाब देंगे मंत्रीजी। सब खड़े हो जायेंगे, न मैं सुन पाउंगी, न वह सुन पाते हैं, जवाब कहां से देंगे?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): यह तो जोश आ रहा है..

श्री अध्यक्ष: वन एट ए टाइम।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): जोश आ रहा है लोगों को।

श्री अध्यक्ष: एक समय में एक बोलें। हां। (व्यवधान) महत्वपूर्ण है तो जवाब देंगे वह, लेकिन एक-एक करके तो बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): यह, अध्यक्ष महोदय, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे राजस्थान की इसमें...

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): तो मैं जवाब दे रहा हूं, सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: वह जवाब देना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): जवाब दिलवाइये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं जवाब देना चाहता हूं, सुनिये तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप गुस्से में मत आओ, शांति से दो।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): जवाब देना चाहता हूं, सुनेंगे तभी देऊं न जवाब।

श्री अध्यक्ष: तो शांति से सुनें तो सही। (व्यवधान) आप शांति से सुनो तो सही। आप तो...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम अपने दम पर खोलेंगे, अब दम निकल गया क्या आपका निकल गया क्या? (व्यवधान) क्या हुआ आपके दम का, अब कहो न इस सदन में। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): खोलेंगे, पर आपके कहने से नहीं खोलेंगे। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आप हाथ ऊंचे कर दो, हम हमारे दम पर खोलेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बैठो, बैठो आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): भारत सरकार से पहले तो डीजल और पैट्रोल की कीमत बढ़ावा दी आपने ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान की जनता से धोखा करने वाला काम किया है, हर बजट में तालियां ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आपने पूरे देश की जनता के साथ धोखा किया है ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): धोखा आपने किया है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): पहले तो आप माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप हाथ खड़े कर दो ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): कांग्रेस ने पूरे देश की जनता के साथ धोखा किया था माध्यमिक शिक्षा सार्वजनीकरण के नाम पर ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): यह कहते हैं, केन्द्र सरकार का पैसा लिया, केन्द्र सरकार के पैसे इनके घर के है क्या? केन्द्र सरकार के पैसे भी जनता के हैं। राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं यह। (व्यवधान) केन्द्र सरकार के पैसे भी जनता के हैं अब आप ...(व्यवधान) व्यवहार कर रहे हो राजस्थान के साथ में ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पूरे राजस्थान की जनता के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, पहले डीजल और पैट्रोल के पैसे बढ़ाये ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): केन्द्र सरकार के पैसे आपके हैं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): राजस्थान के हितों को अनदेखा कर रहे हैं ...(व्यवधान) उसके लिए आप जिम्मेदार हैं ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सारे साफे वापस लौटाओ माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न है, माननीय हमारे प्रभारी मंत्रीजी ने वहां आकर घोषणा की थी, दस विद्यालयों की घोषणा की थी कि ये क्रमोन्नत कर दिए गए हैं और वहां जाकर प्रभारी मंत्रीजी साफे पहन कर आये। मंत्रीजी से अनुरोध है आपके माध्यम से मंत्रीजी, हमारे दस विद्यालयों के साफे वापस लौटाए जाएं उनको। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप हाथ खड़े कर दो ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): या फिर उनका आदेश दिया जाए ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रभारी मंत्री जिन विद्यालयों में साफे पहन कर आये मैं चाहूंगा कि हमारे साफे वापस लौटाये जाएं या फिर उनका क्रमोन्नत का आज ही आदेश दिया जाए। की आज आपने और स्थानीय प्रधान ने वहां जाकर साफे पहने मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, या तो क्रमोन्नति के आदेश दें अन्यथा हमारे साफे वापिस लौटाएं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बैठें, बैठें, सुनिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी, साफे लौटाओ वापस। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़े हैं, आप सुनना नहीं चाहते।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, विद्यालयों के साथ तीन विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की थी मुख्य मंत्री ने जिसमें शेखावाटी विश्वविद्यालय भी था तो मंत्रीजी विद्यालयों के साथ तीन विश्वविद्यालय कब खोलेंगे यह भी बता दें? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): जवाब तो सुनो, भाई।

श्री अध्यक्ष: आप विद्यालय की बात करें, विश्वविद्यालय पर चले गये, यह क्या बात हुई?

श्री अमराराम (धोद): उन्होंने बजट में घोषणा की थी, या तो कह दो, वे थोथी घोषणाएं थीं नहीं खोलेंगे विश्वविद्यालय, अलवर, भरतपुर और शेखावाटी में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह केवल आरआईडीएफ से संचालित जो काम हो रहे हैं उन पर प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह कहा था कि एक जुलाई से सत्र नए स्कूल का चालू हो जाएगा क्रमोन्नत होकर, आज 15 जुलाई हो गई है, एक भी क्रमोन्नत नहीं किया राजस्थान के अन्दर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, यह क्या तरीका हुआ? ये भारत सरकार के पाप को छुपाना चाहते हैं (व्यवधान) भारत सरकार ने जो नाइंसाफी की है वह छुपाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐसे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): जनता को बहकाने ...(व्यवधान) झूठी तालियां बजाने ...(व्यवधान) अपने दम पर स्कूल खोलेंगे अब हवा निकल गई ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हर बार झूठे वादे, हर बार झूठे वादे ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): हर बजट भाषण में झूठे वादे ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने केवल थपेड़े खाने का ढींढोरा पीटा था, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री साहिबा ने आम और अवाम में, गांव और ढ़ाणी में शिक्षा की व्यवस्था की है। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, सुनने का तो माद्दा रखो। दादागीरी से सदन नहीं चलेगा ....व्यवधान

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपने घोषणा की थी बजट में कि एक जुलाई से सभी विद्यालय क्रमोन्नत कर दिए जाएंगे लेकिन आज दिन तक बच्चे आपकी घोषणा के आधार पर इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से इतना ही अनुरोध है कि आप खड़े होकर इतना जरूर कह दें कि आज ही साफे वापस लौटा देंगे।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे पैसे खाकर केन्द्र की सरकार ...(व्यवधान) यह झूठे वादों से सदन नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय इस तरह से झूठे वादे करके ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, आपको यह मालूम नहीं है ...(व्यवधान) केवल विधान सभा में आपके हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): झूठी घोषणा कर दी आपने गांवों में जाकर, आपको यहां आकर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वह काम पूरा नहीं कर सकते हो तो ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): राजस्थान की जनता का ठेका आपने ले रखा है क्या? (व्यवधान) राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हो ....व्यवधान....

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): आप बिलकुल जनता को गुमराह कर रहे हो ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इनको बोलो दिल्ली वालों को ...(व्यवधान) कर रहे हैं क्या ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम तो करेंगे, आप कौन हैं? आप कौन हो ...(व्यवधान) आप केबिनेट मिनिस्टर हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं आप, जानते नहीं हैं। व्यवहार तो ठीक रखो। (व्यवधान) यह दादागिरी नहीं चलेगी ....व्यवधान यह दादागीरी चलने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, उलटा चोर कोतवाल को डांटे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सारे पैसे खाकर केन्द्र सरकार केन्द्र की सरकार को बचाने में लगा रहे हैं और आज हमारे प्रदेश के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। सारे पैसे को खाकर ये कांग्रेस की सरकार को बचाने में लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने 2007-08 के बजट में 1500 खोलने का वादा किया था, एक नहीं खोली। 2008-09 के बजट में फिर वादा किया और एक नहीं खोली (व्यवधान) बात कर रहे हो। 2007-08 के बजट में 1500 की घोषणा करके एक नहीं खोली, 2008-09 के बजट में यह कहते हुए कि ...(व्यवधान) खोलेंगे, एक स्कूल नहीं खोली और फिर भी शर्म नहीं है ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश का अधिकार है इस पैसे के लिए, आज उन सब पैसों को खाकर ये केन्द्र की सरकार को बचाने में लगे हुए हैं और हमारे प्रदेश की शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। सारे पैसे खा गये शिक्षा के, सारे पैसे खाकर केन्द्र की सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़े हैं, आप सुनना नहीं चाहते।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता सुनिये, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट मैं कह दूं बात, फिर आपको ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब सुनना नहीं चाहते। एक के बाद एक खड़े हो जाएं और उसके बाद हल्ला कर रहे हैं। एक बार इनका जवाब तो सुन लें। प्रतिपक्ष के नेता, इनकी बात कहना चाहते हैं, इनकी बात का हम उत्तर देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनना नहीं है उन्हें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनकी बात का उत्तर देना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब तो सुन लें। प्रतिपक्ष ने कई सवाल दागे हैं, इनका जवाब तो दें। (व्यवधान) भारत सरकार के पाप को छुपाना चाहते हैं। मंत्रीजी सही बात का खुलासा करेंगे ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने बात कही नहीं, उत्तर किसका दे रहे हैं? मेरे को बात कहने दें, फिर उत्तर दें। मैंने तो बात कहीं नहीं आप मुझे बात कहने दें, फिर उत्तर दे देना। मैं बात कह तो दूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि सैकण्डरी स्कूल की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के दौरान की है, हम हमारे वादे पर कायम हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तुम्हारी तो पुंगी बजेगी, पुंगी ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार 3108 सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है ...(व्यवधान) सभी स्कूलें खोल दी जाएंगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब तक क्यों नहीं खोलीं? एक जुलाई को खोलनी थीं, अब तक क्यों नहीं खोलीं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 3108 स्कूलें खोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब ध्यान रखना, आज तो टेबिल कूट रहे हो यहां पर। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अब बोलो, केन्द्र सरकार से पैसा कितने दिन और रोके रखोगे? अपने दम पर खोलने की बात कह दी, अपने दम पर खोलने की बात सरकार ने साबित कर दी। अब बताओ, राजस्थान का हिस्सा कब दिलवाओगे? कितने दिन तक रोके रखोगे? चांदी का ताज पहने आपके केन्द्रीय मंत्री ने ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कांग्रेस तो मरणासन्न है ...(व्यवधान) केन्द्र की सरकार का अंतिम दिन 22 तारीख है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने राजस्थान के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है माध्यमिक शिक्षा के मामले में, इधर तो साफे की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार करके राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया, मैं सर्व शिक्षा अभियान का पैसा रोका इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष की 1500 स्कूलें रह गई हैं। इस वर्ष भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने राज्य स्तर के बजट

(श्री राकेश मेघवाल)

पर इनको खोलने की घोषणा की है। लेकिन आप पिछले साल का जो 1500 स्कूलों जो बजट है, वह लेकर आओ। आपकी चलती तो है नहीं। सोनिया गांधीजी मिलती नहीं हैं, मनमोहन सिंहजी मिलते नहीं हैं, एक पैसा भारत सरकार देती नहीं है और यहां स्कूलों की बात करते हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इनके पैसे सांसदों में खर्च हो गए केन्द्र सरकार के ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): थोड़ी बहुत तो शर्म करो ...(व्यवधान) वहां से, जो राजस्थान सरकार का और स्टेट का हिस्सा है वह तो कम से कम लाओ। नहीं तो चुनावों में जाओगे तो लोग पूछेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का पैसा केन्द्र सरकार ने क्यों नहीं दिया, आप क्या मुंह दिखाओगे? जनता में क्या मुंह दिखाओगे? यह आप सोच के जाओगे ...(व्यवधान) आपकी तो छुट्टी हो गई ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): विकास के लिए पैसा नहीं है (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपकी तो छुट्टी हो गई है ... (व्यवधान) आप कहीं टिक नहीं पाओगे, आपको जवाब देना पड़ेगा कि केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान का पैसा क्यों रोका, वो आपकी देन है या केन्द्र सरकार की देन है। आप लोगों ने कहा होगा।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय सदस्य, सांसदों पर खर्च हो गया पैसा केन्द्र सरकार का । सांसदों पर खर्च हो गया ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप पच्चीस-पच्चीस करोड़ रुपये सांसद खरीदने में लगा रहे हो और राजस्थान के बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए और सदन से बहिर्गमन करना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है न अब ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह सीन बड़ा अच्छा लग रहा है न +++ ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): महंगाई तो बढ़ा दी ...(व्यवधान) महंगाई बढ़ा दी, पैट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा दीं, आप लोगों ने किया क्या? आप जनता में क्या लेकर जाओगे ? एक भी कीमत को आपने सही नहीं किया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) आप +++ बने हुए हो ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): महंगाई बढ़ा दी हर चीज की और सांसद खरीद रहे हो पच्चीस-पच्चीस करोड़ रुपये में ...(व्यवधान) राजस्थान के ...(व्यवधान) उज्ज्वल भविष्य के साथ में आपने खिलवाड़ किया है । वो बच्चे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी आपके आड़े फिरेंगे और गांव में घुसने तक नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) जानबूझकर रोका गया है, एक निन्दा प्रस्ताव पास कर डालो राजस्थान की विधान सभा में।

श्री अध्यक्ष: ऑडर्र, ऑर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप क्या कहना चाहते हैं? आप मंत्रीजी का जवाब सुनना नहीं चाहते कोई भी ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री अध्यक्ष: बीच में दस आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या बोल रहे हो ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है, माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हैं ? आप क्यों खड़े हैं?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। मंत्रीजी, आपको कुछ कहना है वो कह दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मंत्री का जवाब तो सुनना नहीं चाहते।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मंत्री का जवाब तो सुनना ही नहीं चाहते। शोर-शराबे में मैं भी नहीं सुन पा रही हूं कि वो क्या कह रहे हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) अब आप मंत्रीजी को सुनिये। अब मंत्रीजी खड़े हैं। (व्यवधान) शांत रहें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14.7.2008, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा सत्र 2008-09 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 30 के अन्तर्गत 3108, सुन लेना, 3108 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति ...(व्यवधान) सुनो-सुनो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) 2008-09 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 30 के अन्तर्गत 3108, सुन लेना, 3108 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): वो भी होगी। वो भी होगी। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो घोषणा की, हमने तो हमारा वादा पूरा कर दिया, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभी तक स्वीकृति जारी नहीं की, अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया और आप लोग इसके लिए गुनहगार हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: जहां विद्यार्थी नहीं हों तो क्या करेंगे ये? विद्यार्थी नहीं हैं ...(व्यवधान) विद्यार्थी नहीं आएंगे तो क्या करेंगे ये? विद्यार्थी नहीं हों तो क्या करेंगे ये?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: विद्यार्थी नहीं आएंगे तो क्या करेंगे ये?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं देख रही हूं, बहुत देर से आप खड़े हैं। इतनी देर तक आप सब लोगों ने इतना जो कुछ बोला मेरे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं क्योंकि एक साथ लोग बोल रहे थे। मंत्रीजी ने कितनी बार, खड़े हुए जवाब देने के लिए, लेकिन आप लोगों ने जिसे

(श्री अध्यक्ष)

कहना चाहिये मौका ही नहीं दिया। वैसे तो आसन नीचे बैठे हुए किसी भी माननीय सदस्य की चाहे सत्तापक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, कोई भी सलाह, कोई भी उनका हुकम मानने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी चूंकि कहा गया है कि जो कुछ मंत्रीजी ने कहा, आप लोग ठीक से सुन नहीं पाये इसलिए मैं पढ़कर सुना देती हूं आपको, जो कुछ उन्होंने बोला। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा सत्र 2008-09 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 30 के अन्तर्गत 3108 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति जो हुई थी उसकी वित्तीय स्वीकृति 14.7.2008 के अनुसरण में जारी कर दी गई है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या? (व्यवधान) क्या बोले आप? (व्यवधान) साथ बोलेंगे तो नहीं सुन पाऊंगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण ...(व्यवधान) वित्तीय स्वीकृति..... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) अनुसरण में जारी की गई है । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री अध्यक्ष: वित्तीय स्वीकृति जारी करता है वित्त विभाग । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 20

मावली में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण

20. **श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु चिकित्सालय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): जी नहीं।

मावली विधान सभा क्षेत्र में 8 पशु चिकित्सालय हैं, जिनमें से पशु चिकित्सालय विरधौलिया, राजकीय भवन में तथा अन्य सभी पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये राजकीय भवन में संचालित हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैंने जानना चाहा है (व्यवधान) विधान सभा में कितने पशु चिकित्सालय ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मावली में 8 चिकित्सालय है विरधौलिया में राजकीय भवन में पंचायत द्वारा चलाया जा रहा है, मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह जानना चाहूंगा, मावली प्रापर में जो तहसील हैडक्वार्टर है, पंचायत समिति हैड क्वाटर भी है, वहां आप क्या भवन बनाने की मंशा रखते हैं ? एक भी अभी तक हमारे यहां सरकारी भवन नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दिखा देंगे। (व्यवधान) लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि आप बीच में आकर डिस्टर्ब करें कि दिखाओ। हम आपको दिखा देंगे। कहा, आपको दिखा देंगे, मना थोड़े ही करा है। यह कौनसा तरीका हुआ कि हर आदमी यहां आता है, कहता है लाओ दिखाओ? (व्यवधान) यह कौनसा तरीका है?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): मावली विधान सभा क्षेत्र में आठ पशु चिकित्सालय संचालित हैं। एक पशु चिकित्सालय वहां विरधौलिया राजकीय भवन में बाकी सात ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। यदि ग्राम पंचायत उस भूमि का पट्टा आबंटित

(श्री प्रभुलाल सैनी)
करती है या उसको विभाग को समर्पित करती है तो निश्चित रूप से प्राथमिकता से उस चिकित्सालय भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना कहना है कि मावली प्रोपर पंचायत हैडक्वार्टर भी है पंचायत समिति हैडक्वार्टर भी है, तहसील हैडक्वार्टर भी है उसमें भवन हमने पंचायत से देकर बना रखा है, वह जर्जर अवस्था में है, हम उसके पट्टे दे देंगे तो आप बनाने की अनुमति दे देंगे क्या ?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यदि ग्राम पंचायत उस भवन को पशु पालन विभाग को समर्पित करती है तो निश्चित रूप से उसकी मरम्मत की कार्यवाही शीघ्र कर दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): प्रश्न संख्या 21

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इतने बड़े नेता को एक भवन की मांग विधान सभा में करनी पड़ रही है, क्या राजकीय हालत है यह! (व्यवधान)

(समय : 12.00 बजे)

स्वयं सेवी/शिक्षण/औद्योगिक संस्थानों हेतु आबंटित भूमि

21. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2007 से अब तक बी.डी. की बैठकें कब-कब आयोजित की गई, उनमें प्रत्येक बैठकों में कौन-कौन उपस्थित थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2007 से अब तक किन-किन उद्योगों, संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं के लिये किस-किस दर पर, कितनी-कितनी भूमि, कहां-कहां, किन-किन शर्तों के साथ आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थानों, उद्योगों को किन-किन उद्देश्यों के लिये भूमि आबंटित की गई और इसमें कितने व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ? इनमें से जिन-जिन संस्थाओं, उद्योगों को भूमि आबंटित की गई है, उनमें से किन-किन संस्थाओं, उद्योगों का, कितना-कितना कार्य पूर्ण हो चुका? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कहां है जवाब? प्रश्न संख्या 21 का जवाब कहां है?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): यह क्वेश्चन ट्रांसफर कर दिया गया है, उद्योग विभाग से सम्बन्धित था। विधान सभा सचिवालय जिस दिन उद्योग विभाग के प्रश्न लगेंगे, उस दिन इस प्रश्न को एड कर लिया गया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बी.डी. की बैठकों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: यह स्थगित हो गया, प्रश्न स्थगित हो गया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कितनी जमीन अलाट हुई है? मान्यवर, कल भी मेरा प्रश्न स्थगित हुआ। बी.डी. ने कितनी जमीन किन-किन को अलाट की, किन-किन शर्तों के साथ की। इस प्रश्न को आज भी स्थगित करवा रहे हैं। चार दिन का अधिवेशन है, कल का प्रश्न स्थगित, आज का प्रश्न स्थगित। मैं यह जानना चाहता हूं इस सरकार से कि बी.डी. ने इस समय में किन-किन उद्योगों को और किन-किन शिक्षण संस्थाओं को, किन-किन शर्तों के साथ जमीन अलाट की और क्या उनका उपयोग हुआ और क्या उसमें घालमेल हुआ, क्या उसमें करप्शन हुआ और किस-किस प्रकार का हुआ? इस प्रश्न का जवाब आज भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कल हुआ, कल जवाब नहीं। एक प्रश्न आज भी, उसका जवाब नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह तो संयोग की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्न काल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब अध्यक्ष व्यवस्था दे रहे हों, तब कोई खड़ा नहीं होता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): एक मिनट आप विराजो। एक मिनट आप विराजो, साहब।

श्री अध्यक्ष: जब अध्यक्ष व्यवस्था दे रहे हों तो कोई खड़ा नहीं होता, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह सदस्य हो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मेरी इज्जत का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: चाहे मंत्री हो, चाहे सदस्य हो। मेरी व्यवस्था के बाद खड़े हों, आपको बोलने का मौका दूंगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मुझे आपसे संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रही हूं। मैं व्यवस्था दे रही हूं। मेरी व्यवस्था देने के बाद में। आप स्थान ग्रहण कर लें। मेरी व्यवस्था के बाद मौका दूंगी, तब कह देना आप। (व्यवधान) आप मुझे नहीं सुन रहे हैं और आप उधर ही इशारे कर रहे हैं। (व्यवधान) वन मंत्री, मैं कह रही हूं कि मैं आपको मौका दूंगी। लेकिन जब अध्यक्षीय व्यवस्था हो रही हो तो बीच में नहीं खड़ा हुआ जाता है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी यही निवेदन किया था कि मुझे संरक्षण देना आपका काम है।

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात। फिर वही बात। आप सुन नहीं रहे क्या मुझे? मैं आपसे क्या कह रही हूं? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सदस्यों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज स्थान ग्रहण करें।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री हरिमोहन शर्मा एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम सेवक संघ से राज्य सरकार का दिनांक 26.3.2008 को हुए समझौते को लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से धौलपुर में दलितों पर हुए अत्याचार एवं हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश की सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में।
4. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से 900 से अधिक पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों की सेवाओं को नियमित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री श्रवण कुमार एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से नगरपालिका चिड़ावा के अध्यक्ष को रंगे हाथ पकड़े जाने के उपरान्त सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में।

6. श्री मांगीलाल गरासिया एवं 7 अन्य सदस्यों की और से तहसील सयरा एवं एस.डी.एम. कार्यालय गोगुन्दा की स्वीकृति जारी कर कार्य आरम्भ कराने के सम्बन्ध में।

7. श्री रामचन्द्र जारोड़ा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से मेड़ता सिटी स्थित तिलम संघ की मिल बन्द कर देने एवं इसकी जमीन को बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री रणवीर सिंह गुढा एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से तहसील खेतड़ी, सिंघाना, बुहाना के सैकड़ों गांवों में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने एवं कॉपर प्लाण्ट की दूषित गैस से जनजीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में।

9. श्री जुबेर खान एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य की राजधानी जयपुर में 13 मई, 2008 को हुए बम्ब ब्लास्ट के वास्तविक दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

10. श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य की ओर से राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विभिन्न सम्भागीय मुख्यालयों की कच्ची बस्तियों एवं विभिन्न मदों हेतु प्रावधित राशि को व्यय नहीं किये जाने एवं अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, सिरोही के द्वितीय वर्ष (वाणिज्य) के समस्त छात्रों के व्यावसायिक प्रशासन विषय में अनुत्तीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

    उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

12. श्री प्रहलाद गुंजल, सदस्य की ओर से राज्य विधान सभा के दो सदस्यों को 34 दिनों तक असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर बन्द रखे जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

13. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की पंचायत समिति विराटनगर के ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आन्दोलनकारियों द्वारा आग लगा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

14. श्री मोहम्मद माहिर आजाद एवं 40 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में पिछड़े मुसलमान अल्पसंख्यकों को भी विशेष तौर से आरक्षण देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुभाष चन्द्र शर्मा एवं श्री मोहम्मद माहिर आजाद को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन के मामले में हाईकोर्ट से स्टे होने के बावजूद मोहम्मद माहिर आजाद को बोलने की अनुमति दी और मेरा जो चेयरमैन का मामला है उसको आपका संरक्षण मिलेगा, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं तो।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: (1) श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से जिला सीकर की तहसील श्रीमाधोपुर की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मुझे इस बात की पीड़ा थी कि 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया चेयरमैन, बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि बी.जे.पी. के बड़े नेता इनसे हाथ लगाकर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: ग्राम जसवन्तपुरा ढाणी ठाकुर सिंह के खसरा नम्बर 536/1 की चरागाह भूमि का अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाश त्रिवेदी, सदस्य की ओर से बी.पी.एल. में चयनित विद्युत कनेक्शन व राजीव गांधी विद्युतीकृत योजना में स्वीकृत गांव/मजरे एवं ढाणियों में अनियमितता के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों के कब्जे नियमित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ के 124 गांवों में वन भूमि पर गत 20-30 वर्षों से काबिज व्यक्तियों के आवासों को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(5) डा. समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में 18-20 वर्षों से कार्यरत कार्मिकों को नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से जिला चूरू के राजगढ़ में अवैध वाहनों के संचालन को रोकने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, सदस्य की ओर से सोजत सिटी में एडिशनल एस.पी. का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(8) श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में बजरी एवं खंडा सप्लाई करने वाले व्यक्तियों को वन संरक्षक, भू-संरक्षण, करौली द्वारा भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती स्नेहलता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग की पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में।

(10) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य की ओर से राज्य में चिकित्सा विभाग की एड-पोस्टों को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से ग्राम रम्भा पीपलू एवं निवाई तहसील को जोड़ने हेतु पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची में कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत बनी पक्की सड़कों की खस्ता हालत के सम्बन्ध में।

चूंकि आज आरक्षण विधेयक पर विचार एवं पारण होगा और उसमें समय लगना स्वाभाविक है, अत: माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(पढ़े हुए माने गये नियम 295 के प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री प्रहलाद गुंजल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 मई को जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ। हम तो समझते थे कि गृह मंत्रीजी स्वयं वक्तव्य देंगे इसके ऊपर। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चूंकि दोषियों का पता नहीं लगा है ... (व्यवधान) चूंकि दोषियों का पता नहीं लगा है अभी तक। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं तो बताएं तो सही। इतना बड़ा हादसा हो जाए और सदन को आप वक्तव्य नहीं दें ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें दोषियों का पता नहीं लगा, क्या वक्तव्य देंगे आप? (व्यवधान) दोषियों का पता लगेगा तो पकड़ ही लेंगे। पकड़ ही लेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गृह मंत्रीजी, आपको स्वयं वक्तव्य देना चाहिए इस बम ब्लास्ट के ऊपर। जो इतना जघन्य अपराध जयपुर में हुआ, सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सैकड़ों जख्मी हो गये और कुछ कहना नहीं चाहती सरकार। क्या सदन में इस बात को नहीं उठाना चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप निर्देशित करिये मंत्रीजी को कि वक्तव्य दें इसके ऊपर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं मान रहे हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था को आप तीनों चुनौती दे रहे हैं, यही मतलब कि अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं? यही माना जाए? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मान रहे हैं। कैसे कह दिया आपने इनको? (व्यवधान) हाई कोर्ट का स्टे था? मेरे पर कोई हाई कोर्ट का स्टे नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका आदर करते हैं, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बम ब्लास्ट के ऊपर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जनता आज भी आतंकित है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मुझे इस बात की पीड़ा है। मैं इस बात के लिए कभी भी अपने आपको ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इतनी तो कह दी आपने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, चालीस हजार रुपये की रिश्वत लेता हुआ चेयरमैन पकड़ा गया। जेल भी रहा। उसके बाद में आप लोगों की ... (व्यवधान) संरक्षण है इस बात की कि वह सस्पैण्ड नहीं हो। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जिस चेयरमैन ने लाखों रुपये रिश्वत के लिए, वह अपने आपको सरे आम कहता है शीशराम ओला के लिए कि मेरा बाबा बैठा है। जयपुर में मेरी मम्मी सुमित्रा सिंह बैठी हैं। मेरा चाचा बैठा है। मायावती की रसीद कटवाकर वह बी.एस.पी. में चला गया। वह अपने आपकी, उसको बहिन बोलता है। ऐसे चोरों की अगर आप संरक्षण करते हो तो मुझे इस बात का खेद है। मुझे इस बात का दु:ख है कि चालीस हजार की रिश्वत, वह चेयरमैन पकड़ा गया और जेल में रहकर आया है और उसको सस्पैण्ड नहीं किया गया है। (व्यवधान) हां, बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब कौन समझाए इनको? यह कानून पढ़ें नहीं, नियम जाने नहीं, कौन समझाये? कौन समझाए इनको?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पिलानी से आते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप सीधा-सीधा आसन पर आक्षेप लगा रहे हैं, यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय इसको निकाल दिया जाए। आसन पर जो आक्षेप लगे हैं इनको। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं जो कह रहा हूं वह सुनो। यह क्या है? माहिर आजाद को अगर बोलने के लिए टाइम दिया तो मेरे को क्यों नहीं दिया?

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्षः वह पाइंट आफ इन्फार्मेशन कह रहे हैं, रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप सुनना चाहते हैं बम ब्लास्ट का? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री खेमाराम मेघवाल (राज्य मंत्री, खनिज): ×××

श्री अध्यक्षः आर्डर। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य। आप बैठिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री अध्यक्षः मैं आपको निवेदन कर चुकी हूं कि आरक्षण के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण बिल है, सभी उस पर बोलना चाहेंगे अपने सुझाव देना चाहेंगे। मैंने व्यवस्था दे दी। अब प्रहलाद गुंजल को बोलने दें आप। आपको जो बात कहनी थी वह आप कह चुके। आपको जो कुछ कहना था आपने कह दिया। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। दुर्गाप्रसादजी, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। बाकी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें। गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री प्रहलाद गुंजल, आपकी तो आवाज बहुत तेज है, शुरू करियेगा। आप शुरू करिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: आप चैम्बर में नहीं मिल सकते, तो क्या इलाज है? (व्यवधान) इनको चैम्बर में नहीं मिलना होगा। (व्यवधान) मेरे पास ऐसे लोगों के लिये कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: जब यहां कह रहे हैं ट्रैप हो गया। जब ट्रैप हो गया तो चल रहा है मामला। अब आप उसमें क्या चाह रहे हो? (व्यवधान) क्या चाहते हो?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: ट्रैप वाले को तो सज़ा मिलेगी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) क्या कह रही हूं मैं। (व्यवधान)

(श्री श्रवण कुमार, सदस्य विधान सभा सदन कूप में धरने पर बैठे)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(श्री श्रवण कुमार, सदस्य का धरना समाप्त)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप अपने स्थान पर बैठे रहें। स्थान पर ही बैठे रहें। मैंने प्रहलाद गुंजल का नाम पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मेरी व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं। (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने व्यवस्था दे दी है, मेरी व्यवस्था के बाद मैं बिलकुल नहीं बोलने दूंगी। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। खड़े रहे, कई देर तक खड़े रहे गृह मंत्रीजी, लेकिन आप लोग शोर-शराबा मचाते रहे, फिर अन्त में हारकर बैठ गये। लेकिन, खैर, इस बारे में जो बात है, चूंकि मैंने प्रहलाद गुंजल का नाम पुकार लिया है, इसलिए उन्हें अपनी बात कह लेने दें। अब आप बैठ जाएं। मैंने कह दिया अब आप बैठ जाएं। ...(व्यवधान) मैंने कह दिया, स्थान ग्रहण करें। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई आभार की आवश्यकता नहीं है, आप तो बोलें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): कि मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष: बोलें, बोलें आप तो।

विधायकों की गिरफ्तारी

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आभार इसलिए व्यक्त किया है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस विषय पर बोलूं। कल प्रतिपक्ष के सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य इस विषय को सदन में रखना चाह रहे थे परसों जिस तरीके से सत्ता पक्ष कठघरे में आकर खड़ा हो गया था कल विधायक दल की बैठक में शायद ये तय करके आये थे कि कोई भी ऐसा कदम जो सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से कठघरे में खड़ा करने वाला हो या सरकार ने कोई ऐसा कृत्य किया हो जिससे राजस्थान में लोकतंत्र के मूल्यों का ह्रास हुआ हो और उसको कोई माननीय सदस्य सदन में उठाना चाहे तो शायद माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने अपने दल की+++ को ऐसा आदेश दिया था कि सदन में उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको समय दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत कुछ बोलें। यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आई एम आन ए पांइट आफ क्लैरिफिकेशन। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको कोई बात कहनी है, कह दीजिये आप। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात को कहते हुए मेरी तरफ इंगित करते हुए आरोप लगाया है कि विधायक दल के अन्दर +++ को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे इंगित किया है। अध्यक्ष महोदय, यह सभी माननीय सदस्य हैं, जिस तरह ये लोग चुनकर आये हैं, वैसे ही ये सब भी चुनकर आये हैं। राजस्थान की विधान सभा में जनता ने इनको चुनकर भेजा है। अब माननीय सदस्यों को +++ कहना गम्भीर बात है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करूंगा। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ऐसे मंत्री जिन्होंने +++ बना रखी है ... (व्यवधान)...

एम माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको लताड़िये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को एक्सपंज कराएं, माननीय अध्यक्ष महोदय। एक्सपंज कराएं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): राजेन्द्रजी राठौड़ आ कर कह गये, बोलने मत दो उनको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कम से कम गरिमा रखिये, आप खुद +++ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम तो हमारे दायित्व की पालना कर रहे हैं ...(व्यवधान) +++कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): यह तीन बार आकर मंत्रीजी कह कर गये हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको आप कहिये, यह +++ में सम्मिलित हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री होकर कल आपने नारे लगवाये हैं, आपने सदन की गरिमा को ...(व्यवधान) यह पहली बार इस सदन में हुआ है।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): तीन बार जाकर कहा है, तीन बार। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री नारे लगवा रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलने दें उनको। बोलने दें माननीय सदस्य को। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप जाकर देखिये ...(व्यवधान) बयाना से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने +++ को इशारे किये हैं।

श्री अध्यक्ष: आप इनको बोलने दें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह सीधा आरोप आपकी पार्टी के आदमी लगा रहे हैं, आप किस मुंह से बात करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. के ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आपके आरोप लगाने से सिद्ध नहीं होता है। आप कल भी कह दोगे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो मंत्री हो कर सदन को चलने नहीं दे रहे ...(व्यवधान) आपको शर्म आने की बात है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सीधे आरोप लगाये जा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): 19 महीने तक इस देश में इमरजेंसी लगाने वाली सरकार ने 19 महीने तक लोगों को जेल में रखा, ऐसा कृत्य, इमरजेंसी लगा कर जो देश में राज करना चाहती थी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आन्दोलन करवाये हैं ...(व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं। भडाना साहब, आप भी बैठ जाएं। राठौड़ साहब, आप भी विराजमान हो जाएं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बोलने दें उन्हें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप भी ऐसी बात नहीं कहें कि खामख्वाह में उधर से कोई उठ कर बीच में प्रतिवाद करे। आप अपनी बात कहें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सीधी ही मूल बात पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने प्रशंसा करने के लिए नहीं कहा है, माननीय सदस्य, मैंने कहा है ऐसी बात आप भी न करें कि यह खामख्वाह में प्रतिवाद करें। यह कहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको अपनी जो बात कहनी है, जो कुछ हुआ है आपके साथ, आप कहिये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजो अब आप।

हां, नाऊ, अब लिखो, भाई।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 23 मई की घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 23 मई को प्रदेश में एक बड़ा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था और उस आन्दोलन में पुलिस की गोलियों से 16 लोगों की मौत हो गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना की जानकारी के बाद मैं अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे से जयपुर की ओर आ रहा था, जयपुर में प्रवेश करते समय मेरे साथ बयाना से आने वाले माननीय विधायक अतर सिंहजी भड़ाना और दो अन्य लोगों को गलता गेट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद सीधा गवर्नमेंट पुलिस लाइन ले जाकर बैठा दिया। किन कारणों से गिरफ्तार किया, इसकी भी जानकारी नहीं दी, न हमारे परिवार वालों को जो नियमों में प्रावधान है उसके अनुसार सूचित किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष: अनलिमिटेड टाइम नहीं है, पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलने दूंगी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मेरी अपनी बात कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय से हट कर एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। (व्यवधान) विषय से हट कर एक बात भी नहीं कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को ग्रामीण पुलिस लाइन के अन्दर एस.डी.एम., सांगानेर आते हैं और उनके सामने पेश करने के बाद जमानत पेश करने का अवसर दिये बगैर सीधा जेल भेज दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एस.डी.एम. के सामने इस बात का आग्रह किया कि 107, 151 सी.आर.पी.सी. में काबिल जमानत अपराध है और इसके लिए जरूरी नहीं है कि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को भी सी.आर.पी.सी. इस बात का अधिकार देती है कि व्यक्ति को 151, 107, 116 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार करके जमानत पेश करने पर तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और सी.आर.पी.सी. के प्रावधान107, 151 में गिरफ्तारी के बाद जो हम प्रिविलेज देते थे, गिरफ्तार करने वाले थाने के अधिकारी ने और थाने के अधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने के बाद जो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, आमेर थे उन्होंने हमारे अधिकारों का क्षरण करते हुए अकारण जेल भेज दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे भी बड़ी बात, जब अगले दिन हमारे अधिवक्ता काबिल जमानत लेकर एस.डी.एम. की कोर्ट में जाते हैं तब एस.डी.एम. हमारे वकील और हमारे जमानती से इस प्रकार का बर्ताव करते हैं कि राज्य सरकार का निर्देश है, मैं इन दोनों विधायकों की जमानत के सम्बन्ध में कोई कागज स्वीकार नहीं कर सकता। जब वकील बार कौंसिल का एक शिष्टमण्डल लेकर एस.डी.एम. के पास जाते हैं तो एस.डी.एम. यह कह कर कार्यालय से गायब हो जाते हैं कि राज्य सरकार के निर्देश के बगैर मैं जमानत मुचलके एक्सैप्ट नहीं करूंगा। 7-7, 8-8, 10-10 दिन तक कार्यालय से गैर हाजिर। तब जयपुर बार कौंसिल का एक शिष्ट मण्डल जाता है, कलक्टर, जयपुर से बात करता है। फिर 6 दिन तक कलक्टर के टालने के बाद बार कौंसिल, जयपुर इस बात की चेतावनी देती है कि यह केवल जेल में बंद व्यक्ति के अधिकारों का क्षरण नहीं है, यह सरेआम कानून का उल्लंघन है। यह बार की तौहीन है, वकालत के पेशे का अपमान है। कलक्टर महोदय, अगर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आपका सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट जमानत नहीं लेना चाहता है, अगर इस सरकार में लो लाज नहीं बची और यह सरकार कानून और संविधान से अपने आपको ऊपर मानने लगी है तो आप हमारे प्रार्थना पत्र को रिजैक्ट कर दीजिए। इतना दबाव बार कौंसिल के बनाने के बाद 20 तारीख को जयपुर के जिला कलक्टर ने हमारी जमानत का आदेश किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को जमानत का आदेश हो गया, 21 तारीख को काबिल जमानत हमने पेश कर दी, लेकिन उसके बाद भी एस.डी.एम. ने 25 तारीख तक हमारी रिहाई के बारे में कोई निर्णय नहीं किया। क्या कारण था, माननीय अध्यक्ष महोदय? मजबूरन हमको 25 तारीख को जयपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में हमारी गुहार लेकर जाना पड़ा, रिवीजन लेकर जाना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 तारीख को जब विधान सभा प्रारम्भ हुई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का फैसला आया। उन्होंने यह कहा मैं यह बताना चाहूंगा कि इस मामले में जो तथ्य परिवाद में बताये गये हैं यदि उन्हें यथावत् मान भी लिया जाए तो मेरे मत में प्रार्थीगण को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं बनता। उन्होंने यह भी कहा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जो अपेक्षित आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतः असंवैधानिक है और इस मामले में सद्भावनापूर्ण और विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की गयी है अतः मेरे मत में अधीनस्थ न्यायालय का अपेक्षित आदेश अपास्त करने योग्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय का यह आदेश, मैं यह बात सदन में इसलिए आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि न्यायपालिका किसी को न्याय नहीं दिलाए और सरकार की मर्जी से, जहां सरकार अपने आपको कानून और संविधान से ऊपर समझने लग जाए, अगर राजस्थान की मुख्य मंत्री की मर्जी से लोग गिरफ्तार होने लग जाएं, राजस्थान की मुख्य मंत्री की मर्जी से लोग जमानत पर छूटें तो राजस्थान का लोकतंत्र हाशिये पर आ जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे विनती करना चाहता हूं, राजस्थान की माननीय विधान सभा का सदस्य हूं और इसलिए आज मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका मिला है। मैं आज, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आपके माध्यम से इस सदन से सवाल करना चाहता हूं, मैं विधान सभा का सदस्य नहीं होता, मैं इस राजस्थान का सामान्य नागरिक होता, लोकतंत्र में मुझे अत्याचार का विरोध करने का अधिकार प्राप्त है, इस फैसले में माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि विधि सम्मत तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई आन्दोलन करना, सरकार का विरोध करना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में है और केवल इस कारण से उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। अगर वो कोई अपराध करता है, 144 सी.आर.पी.सी. का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी सी.आर.पी.सी. में अन्य प्रावधान मौजूद हैं जिसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। वो कोई मूवमेंट करके कानून हाथ में लेता है तो उसके लिए भी प्रावधान मौजूद हैं। वह कोई चक्काजाम करता है तो उसके लिए भी प्रावधान मौजूद हैं, केवल आप आशंकाओं के आधार पर, तुष्टि-पुष्टि के लिए, अहम् की पुष्टि के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर के जेल में नहीं डाल दो। यह कोर्ट ने कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सवाल कर रहा हूं, मैं विधायक हूं, इतना बड़ा असंवैधानिक कार्य हो गया, 34-34 दिन तक हमको जेल में डाल दिया, कामां के विधायक को घर से उठाकर पच्चीस दिन तक जेल में डाल दिया, मैं अगर राजस्थान का सामान्य नागरिक होता और मेरे साथ इस प्रकार का बर्ताव होता, क्या यह मेरे मौलिक अधिकारों का क्षरण नहीं है? और मैं आज इस सदन से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या सरकार राजस्थान के आम नागरिक के साथ इस प्रकार का बर्ताव करे, किसी भी आदमी के संवैधानिक अधिकारों का क्षरण करे तो क्या उसके अधिकारों का प्रोटेक्शन करना इस सदन की जिम्मेदारी में नहीं आता?

इसलिए आज मैं बहुत विनम्रतापूर्वक, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, कल 28 साल पुरानी पीड़ा मैंने गृह मंत्रीजी के चेहरे पर देखी। जब सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हमारी गिरफ्तारी के बारे में सवाल करने लगे तो माननीय गृह मंत्रीजी खड़े होकर कह रहे थे आपने 19–19 महीने लोगों को जेल में रखा। 28 साल पुरानी गिरफ्तारी की पीड़ा आज भी उनको विधि सम्मत नजर नहीं आयी तो राजस्थान के गृह मंत्रीजी के चेहरे से तीस- बत्तीस साल पुरानी पीड़ा दिखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय गृह मंत्रीजी यह कहना चाहते हैं कि 32 साल पहले उनको मेंटिनेशन आफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया, आज 32 साल बाद भी उनको इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आदेश में अपना डिटेंशन इल्लीगल लग रहा है? तो क्या राजस्थान के गृह मंत्री नैतिकता के नाम पर अदालत के इस फैसले के बाद इस सदन में कहना चाहेंगे, क्या इस सदन से सरकार क्षमा याचना करनी चाहिए कि गिरफ्तारी को माननीय न्यायालय ने अवैध ठहरा दिया। मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि 32 साल पहले जो आपकी गिरफ्तारी हुई थी, माननीय गृह मंत्रीजी आपको इल्लीगल लग रही थी और जब .....

श्री अध्यक्ष: हो गयी, हो गयी बात अब आपकी। अब आप कनक्लूड करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मौलिक बात कर रहा हूं ...(व्यवधान) विषय से हटकर बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये परम्पराएं पड़ीं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आधा घंटा हो गया।

श्री अध्यक्ष: कनक्लूड तो करना ही पड़ेगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह परम्पराएं पड़ने लग गयीं कि सरकार संविधान और कानून से ऊपर उठकर अपने हित को पोषित करने के लिए कानून का इस्तेमाल, शासन तंत्र तथा प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल और सदन में बहुमत का इस्तेमाल अपने अहम को पोषित करने के लिए लेंगे तो कल कोई नहीं बचेगा1 माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी विधान सभा में भी लोगों पर गोली चलाई जा सकती है, प्रतिपक्ष के नेता को लोगों पर गोली चलाने के विरोध में बोलना पड़ सकता है और अगर बोलने वालों के साथ सरकारी नजरिया यह रहा कि उनको उठाकर जेल में डाल दो और जेल में डालने के बाद उनकी जमानत के प्रावधानों के बाद उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव करो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र हाशिये पर चला जाएगा। कल आप भी नहीं बोल पायेंगे और प्रतिपक्ष भी नहीं बोल पाएगा। यह कल्पना सबके मन में होनी चाहिए। इस तरीके का बर्ताव, माननीय गृह मंत्रीजी जब आप कह रहे थे हमारी गिरफ्तारी, ऐसा तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिराजी ने इमरजेंसी लगाकर मान लो किया था, उस समय राजस्थान की जनता ने उनको दण्ड दिया था लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी तैयारी कर लो, इमरजेंसी के बाद आपकी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गिरफ्तारी पर हिन्दुस्तान की जनता ने फैसला सुनाया था और आपके कुकृत्य पर, आपके असंवैधानिक काम पर राजस्थान की जनता चार महीने बाद अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। आप भी इस सदन से बाहर जाने की तैयारी कर लो। आपके अत्याचार पर इस राजस्थान की जनता मोहर नहीं लगा सकती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हंस रहे हो आप ...(व्यवधान) हंस रहे हो आप ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): जिसने अन्याय किया ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप जैसे संवेदनशील आदमी का हंसना ...(व्यवधान) जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। आपके रहते हुए इस प्रकार की ज्यादतियां हो जाएं राजस्थान में, आप ही के लोगों के साथ हो जाएं और आप मूक दर्शक बनकर बैठे रहें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या हो गया ...(व्यवधान) आपको क्या तकलीफ है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इससे बड़ा कोई गम्भीर मसला नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई अत्याचार नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इससे बड़ा कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्षजी, इस विषय पर राजस्थान के माननीय गृह मंत्रीजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ में अधिकारी जिसने गलतियां की हैं, उनको निलम्बित किया जाए। आज यह प्रस्ताव पारित किया जाए सदन से।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, एक मिनट में कनक्लूड कर दें आप। आपने सारी बात कह दी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे अधिकारों का ...(व्यवधान) मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 34 दिन जेल में रहे हैं, 34 मिनट तो बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: क्या मतलब हुआ इस बात का? बात सारी आ गयी, और क्या है? बात तो सारी आ गयी ना? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): गैर कानूनी। इंदिरा गांधी ने तो विरोधियों को जेल में डाला था, लेकिन आपने तो अपने आदमियों को ही जेल में डाल दिया।

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरी नहीं है। हर बात में आपका बोलना आवश्यक नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अध्यक्ष हैं और आपके होते हुए विधायक के साथ ऐसा व्यवहार हो जाए तो मूक दर्शक बनकर बैठे रहने से तो बढ़िया है कि अपन सब घर चले चलें । आपके सामने विधायक के साथ ऐसा व्यवहार हो जाए, गैर कानूनी कृत्य हो जाए, सरकार उसको दमन के रास्ते पर ले जाए और फिर आप और हम सब मूक दर्शक बनकर बैठे रहें तो इससे लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): इमरजेंसी आपने लगाई देश में, कितने लोगों को बंद आपने किया। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान) उसका तो कह चुके हो आप इमरजेंसी लगाई उसका तो ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): इमरजेंसी आपने लगाई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य को कनक्लूड करने दें।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य। धोद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों खड़े हो गये?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूं कि माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद भी अगर आप मानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी वैध थी, सरकार ने संवैधानिक तरीके से काम किया है...

श्री अध्यक्ष: विधान सभा अध्यक्ष की अपनी ड्यूटी, अपना जितना अधिकार है, सब जानती हूं मैं ।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकारों का संरक्षण चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधान सभा चलती और आपको रखते तो मैं आपके बीच में आती और आपको लाती यहां पर। विधान सभा अध्यक्ष जानता है, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, मैं सब जानती हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 272 में जो बोलने वाले पालनीय नियम हैं उसके तहत तो किसी भी ऐसा तथ्य विषय निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो। हालांकि आप किसी कोर्ट के फैसले को, किसी और को उद्धृत नहीं कर सकते। आपने सहृदयता से इनको मंजूरी दे दी ...(व्यवधान) इतना इस तरह से थोड़े ही ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम विधायक चुनकर आये, आपने हमारे लिए एक प्रबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया था। जिसमें लोक सभा के अध्यक्ष भी आये थे। आपकी अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ था। स्वयं यहां विधि मंत्रीजी ने यह बात कही थी कि विधायकों को विशेषाधिकार मिला हुआ है। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए राजा ने पुलिस कर्मी भेजे थे, स्पीकर ने कहा कि मेरे रहते आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, राजा ने कहा कि पहले स्पीकर को

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दण्डित करो। स्पीकर के, आपने ही सुनाया था, हाथ काट दिये, गर्दन काट दी लेकिन उसने अपने सदस्य को गिरफ्तार होने नहीं दिया। आपके अध्यक्ष रहते तीन-तीन सदस्य गिरफ्तार हुए, या तो वो ओरिएन्टेशन गलत था या इनके साथ गलत काम हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरा अधिकार, स्पीकर का जो अधिकार है यहां पर कोई माननीय सदस्य बोले और वह बोलने के ऊपर यदि किसी को दण्डित किया जाए तो स्पीकर बीच में आता है और तब स्पीकर अपनी ड्यूटी निभाता है। उस स्पीकर ने तो इतना ही नहीं, यह भी कहा था, "I have no ears to hear, I have no eyes to see, I have no tongue to speak except what this August House commands." ये शब्द कहे थे। तो यह तो आगस्ट हाउस है which commands me. इसलिए मैं आपसे कह रही हूं आप यहां पर बोलें, आपने कुछ भी कहा और ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब समझ में आता है, जनता समझा देगी। सब समझ में आता है ,जनता समझा देगी। (व्यवधान) आपके अध्यक्ष रहते खुद इनके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप यहां बोलें, आपको हाई कोर्ट ने नोटिस दिये, क्या मैंने कुछ होने दिया आपका? कुछ होने दिया मैंने? आप यहां जो कुछ बोलेंगे, उस बोलने पर कोई कुछ नहीं कर सकता, यह जिम्मेदारी तो मेरी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको आगस्ट हाउस का मतलब मालूम है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो, आप बैठ जाइये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप ठीक कर लीजिये ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाणित कर रहा हूं ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 1980 में एक केस हुआ था जिसमें हमारे माननीय सदस्य महादेव सिंहजी के ऊपर पुलिस ने एक केस बनाया था। घनश्यामजी तिवाड़ी आज हाउस में बैठे हुए हैं, भैरोंसिंहजी शेखावत इस हाउस के सदस्य थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, मुख्य मंत्री शिवचरणजी

(डा. सी.पी. जोशी)

माथुर थे। चार घण्टे तक डिबेट हुई है इस बात पर कि महादेव सिंहजी के साथ यह काम नहीं होना चाहिये था। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, आज राजेन्द्रजी राठौड़ जिस भैरोंसिंहजी की लीगेसी की बात करते हैं, वह सदन में खड़े होकर, एक माननीय सदस्य के साथ इस तरह की घटना हो और मन आपका कचोटे नहीं, मैं समझता हूं कि सदस्य की इज्जत का सवाल नहीं है, पार्टी का सवाल नहीं है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह इस तरह का गैर कानूनी काम करे। यह सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। हम विधायक हैं, कानून बनाते हैं और कानून का पालन करने वाला सरकार का अधिकारी यदि कानून बनाने वाले के साथ यह काम करे और हम मूक दर्शक बनकर केवल मात्र अपनी लायल्टी बताना चाहें, यह सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस सदन की गरिमामयी परम्परा रही है, यह परम्परा खतम नहीं होनी चाहिये। विरोध भी होगा, प्रदर्शन भी होंगे, आन्दोलन भी होंगे, लोग नेतृत्व भी करेंगे लेकिन सरकारी अधिकारी की यह हिम्मत हो जाए कि उसको गैर कानूनी ढंग से बंद कर दे और हम मूक दर्शक बनकर यहां बैठ जाएं तो कटारियाजी, आपकी आत्मा प्रिक होनी चाहिये। आप तो हमें कह रहे थे, हमने जेल में बंद करवा दिया। आप गृह मंत्री हैं, आपकी आत्मा प्रिक नहीं कर रही है? आपका साथी जो 25 साल तक आपके साथ रहा होगा, आपके संग हर जगह खड़ा रहा होगा, उसको यदि बंद कर दें और आप भले ही दर्शक बनकर बैठे रहें, मुख्य मंत्री तो आएंगे और जाएंगे, यह जो संस्कारों की बात हो रही है वे संस्कार खतम हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपको जानने की आवश्यकता है, आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किसी भी विधायक के साथ किसी भी पार्टी का आदमी हो, यदि गैर कानूनी काम होगा तो यह विधान सभा उसका प्रोटेक्शन करने के लिये आगे आयेगी। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बाहर का मामला नहीं है, यदि सदन में नियम बनाने वालों के साथ यह काम होता है तो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी साधारण आदमी के साथ काम करेगी, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इनडायरेक्ट में इमरजेंसी की बातों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कटारियाजी, मुझे कुछ नहीं कहना, धन्यवाद आपको। हमने आपको 19 महीने बंद किया, आपने एक इतिहास बनाया है। 151, 127 में इतने समय तक राजस्थान में कोई भी आदमी बंद नहीं रहा होगा। यही

(डा. सी.पी. जोशी)

परम्परा बनाना चाहते हैं तो आने वाले समय में लोकतंत्र की बात मत करना। लोकतंत्र के नाम पर दुआ लेकर वोट मांगने मत आना। मीसा में बंद हो गये, एम एल ए बन गये, मंत्री बन गये, आज आपकी आत्मा खतम हो गयी। वह कानून आपका गैर-कानूनी था, उस कानून को इस ढंग से रोकेंगे, आप भावना में आकर कह देते हमें। मैं समझता हूं कटारियाजी, माननीय मुख्य मंत्री से आत्मा आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी आत्मा मर जाएगी तो आपके संस्कार भी मर जाएंगे और संस्कार मर जाएंगे तो लोकतंत्र में किसी का अधिकार नहीं रहेगा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हैं? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कृपया मेहरबानी करें संस्कारों को नहीं मारें और आगे आकर यह कहें कि लोकतंत्र में राजशाही नहीं चलेगी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस अब आपने कह दिया ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यस। कहो।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय गृह मंत्रीजी के जवाब से पहले मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): जब मैंने मेरे क्षेत्र में मंजू बाल्मीकि के साथ बलात्कार व हत्या का मामला उठाया था। शिवचरणजी माथुर की सरकार में आप लोग सत्ता पक्ष में बैठे थे ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं कनक्लूड करना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, एक मिनट, मैं कनक्लूड करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सिर्फ मेरी अभिव्यक्ति के कारण आप प्रस्ताव ले आये थे कि इसकी सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए। ऐसा गलत कृत्य आपने किया था इसी हाउस के अन्दर पूरे ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम भी थे हाउस के अन्दर। तथ्य यहां पर पेश किये थे ... (व्यवधान) आधी बात मत करो। तथ्य लगाकर बोले, अन्यथा इस प्रकार नहीं बोले थे। इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। आपकी

(डा. सी.पी. जोशी)

याददाश्त कमजोर होगी, हमारी नहीं है। हम भी विधान सभा के अन्दर थे। आप तथ्य लगाकर बोलें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मेरे विधान सभा क्षेत्र की मंजू नाम की लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ और हत्या का मामला दर्ज है ... (व्यवधान) आप लोग ब्रूटल मैजोरिटी के आधार पर वह प्रस्ताव लाये थे ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इन्होंने क्या-क्या काले कारनामे किये हैं जाकर उनकी तरफ देखो तो सही ... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ब्रूटल मैजोरिटी के आधार पर वह प्रस्ताव लाये थे कि इसकी सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने क्या-क्या कर दिया और माननीय सदस्य यहां किस पर बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप इसमें ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): समाप्त कर दो। समाप्त कर दो, देवी सिंहजी भाटी साहब, वैमनस्यता समाप्त कर दो। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सामाजिक न्याय से बी जे पी में आ गये हो, बी जे पी ... (व्यवधान) निकाल दो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कटारियाजी की आत्मा को मारने ... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ब्रूटल मैजोरिटी के आधार पर वह प्रस्ताव लाये थे, अब मैं वह प्रस्ताव ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज बल के आधार पर अपने साथी को जेल में बंद कर खुशी मनाना चाहते हैं! आपके साथी हैं वह ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आज आप उनका फायदा उठाना चाहते हो ... (व्यवधान) आप तो बताओ, आप क्या लाभ लेना चाहते हो उकसा करके? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम यह करना चाहते हैं, जो अन्याय इनके साथ, मदन लालजी ... (व्यवधान) यह विधान सभा के अन्दर कहां लाये हो ... (व्यवधान) जब खुद के साथ होगा जब पता पड़ेगा कि सदस्य क्या होता है, कार्यवाही क्या होती है। यह बात है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन आप क्या लाभ लेना चाहते हैं इसमें? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम लाभ लेना चाहते हैं आप जैसे आदमी को जो संस्कार के नाम पर यहां बैठा हुआ है, उसकी आत्मा मर जानी चाहिये और आज जय जयकार करनी चाहिये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Conclude please.

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सदन के माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब हो गया आपका। बंद कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): एक मिनट में कनक्लूड करना चाहता हूं। गृह मंत्रीजी बोलें ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपने सारी बात तो कह दी। अब इन्हें बोलने दीजिये ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): एक मिनट में मैं कनक्लूड कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, एक मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलो।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य इस सदन की परम्पराओं का जिक्र कर रहे थे कि माननीय भैरोंसिंहजी प्रतिपक्ष के नेता थे और सदन के एक सदस्य के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने मिलकर कैसा आचरण किया। यह पहला उदाहरण नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह समाज की परम्पराएं हैं,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान की परम्परा है विरोध को सलाह के रूप में और विरोधी को सहयोगी मानकर चलने की। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत और माननीय सुखाड़ियाजी के समय के सकारात्मक आलोचना और सकारात्मक विरोध के उदाहरण इस राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र पर पेश किये जाते हैं, आज भी इस सदन में उनकी मिसाल दी जाती है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार परम्पराएं तोड़ रही है। विरोधियों के साथ इस प्रकार का सलूक करना, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर और भीरू लोग जिनके अंतस में राजनीतिक विरोध को सहने की क्षमता नहीं होती वे इस प्रकार का आचरण करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से कमजोर लोग अगर बहुमत के आधार पर, बहुमत के डंडे के आधार पर कानून और संविधान को हांकने लगेंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल परम्पराएं ही नहीं टूटेंगी, सरकारी अराजकता कायम हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हो गयी ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): और इसलिये मैं अध्यक्षजी से व्यवस्था की मांग करते हुए यह अनुरोध करूंगा कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बस हो गया।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): बस आखिरी शब्द कह रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः तो आपने जो बात कह दी, सारी बात तो कह दी। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अगर बहुमत ही कानून को डंडे से चलाएगा, संविधान के ऊपर होगा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आचरण पर प्रतिबंध नहीं लगा, झारखंड की सरकार को बचाने के लिये जो मंत्रियों पर आरोप लगे उनको बहुमत के आधार पर बचाने के लिये सरकारी आचरण भी हमने देखा, और एक सदस्य के संवैधानिक अधिकारों का क्षय होते हुए अगर यह सदन मौन रह जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन तय कर दे कि मेरी गिरफ्तारी संवैधानिक थी तो मैं आज ही इस सदन के बीच में इस विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बाहर जाने के लिये तैयार हूं। लेकिन आज अगर इस सदन के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना चाहते हों तो सरकार के इस गैर संवैधानिक काम को जो अदालत ने तय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

किया है, मैं, अध्यक्ष महोदय, इस पर एक परमानेंट व्यवस्था की मांग करता हूं, और सरकार इस पर जवाब दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः ठीक। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्षः नहीं, अब कुछ नहीं। नो-नो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नेताओं ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने, कि गिरफ्तार करना चाहिये था यह उसके सबूत हैं। इनके नेताओं ने कहा कि बैंसला को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिये था। इनको पहले ... (व्यवधान) इनके नेताओं के वक्तव्य हैं यह ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह सदन नेताओं से बड़ा है। यह पवित्र सदन नेताओं से बड़ा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह कह रहा हूं आप किस मुंह से बोल रहे हो। आपने मांग की थी कि इनको गिरफ्तार करना चाहिये था। आज आप दूध के धुले हुए बनना चाहते हो ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय। एक मिनट। यह मामला ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुन लेंगे ... (व्यवधान) सुनने दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, कटारियाजी। आज जिस किस्म ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पर बीच में बोल रहे हैं अब आप ... (व्यवधान) प्लीज कौन बोल रहे हैं यह? यह कौन बोल रहे हैं इतना जोर से?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज के अखबारों में जो कोर्ट के आब्जर्वेशंस हैं, बड़ा गम्भीर मसला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहता हूं लेकिन आज जो कोर्ट ने आब्जर्व किया, डिस्चार्ज किया है कि 151 या ब्रीच आफ पीस, आई पी सी की जमानत नहीं हुई। सब्सटेंटिव आफेंस होता, कोई 307 होता, 302 होता, डेकाइटी होता तो वहां तक समझ में आता था। लेकिन आप 34 दिन तक जमानत नहीं दो 151 में और क्या? एप्रीहेंशन आफ ब्रीच आफ पीस? आज कोर्ट के बड़े डेरोगेटरी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रिमार्क हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एक मैम्बर का मामला है आपको इसमें चिंतन करना चाहिये। आज तो यह थे, कल कोई भी हो सकता है। आप किसी भी सरकार को इस प्रकार का लेबरेज नहीं दे सकते। किसी भी पार्टी की सरकार हो। कल कांग्रेस वाले आए तो बी जे पी वालों को बंद कर देंगे उठा करके क्या। आप हमें बंद कर देंगे, हम आपका विरोध करेंगे, आपके खिलाफ आन्दोलन करेंगे। और 34-34 दिन, मुझे मिस्टर गुंजल से कोई मतलब नहीं है, भड़ाना से कोई मतलब नहीं, I am talking of the principle. यह बड़ा गम्भीर मसला है, इसके ऊपर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को खास तौर से बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उपाध्यक्ष तो मत बनाओ मुझे। तो आप उपाध्यक्ष तो मत बनाओ मुझे। उपाध्यक्ष तो मत बनाओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्षमा चाहता हूं। स्लिप आफ टंग। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मसला है इसमें बहुत चिन्तन सरकार को करना चाहिये। आखिर अब आप देखो, आज कोर्ट ने क्या आब्जर्व किया है। मैंने आज पढ़ा तो मैं खुद ताज्जुब में रह गया। I was under impression कि कोई सब्सटेंटिव आफेंस है आई पी सी के तहत जिससे कि इनकी जमानत नहीं हो रही है। लेकिन आपने 151 ब्रीच आफ पीस के अन्दर गिरफ्तार करके 34 दिन डाल दिया, this is very unfortunate. बहुत अनफार्चुनेट है। इसके ऊपर सरकार की और प्रशासन की जितनी भत्सर्ना की जाए, उतनी ही थोड़ी है, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(समय : 13.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जितना विषय को गम्भीर बनाने का प्रयास किया गया है, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, अगर इसकी सच्चाई में आप जाएंगे और मेरी बात कहने के बाद आपको अगर और कुछ कहने को बाकी बच जाए तो आप जरूर कहें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम केवल एक तरफ की बात सुनकर ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बहुत बड़ा अन्याय हो गया। न्यायालय ने कुछ कर दिया। जो कुछ न्यायालय ने कहा है वह शिरोधार्य है। उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति 23 मई के दिन बनी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

और गोली चलने के कारण से 16 लोगों की मृत्यु हुई, उस समय दोनों माननीय सदस्य अलवर में एक आम सभा कर रहे थे और उसके बाद उनका टी.वी. पर यह कहना था कि हम लोग अपना आंदोलन यहीं स्थगित, क्योंकि यह 29 तारीख की तैयारी कर रहे थे, श्रद्वांजलि सभा की, झगड़ा श्रद्वांजलि सभा और 23 तारीख के आंदोलन के बीच में हो गया था, इनकी तैयारी 29 तारीख की चल रही थी। 23 तारीख में रेल रोको आंदोलन बीच में आ गया और उस दिन जो अप्रिय घटना हुई, दु:खद हुई, लोग मरे, इनका सबको अफसोस है। लेकिन उसके साथ ही इनका वहां जो स्टेटमेंट था ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): बैठें, बैठें, सुनें आप। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बैठें, बैठें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या बीच में खड़े हो जाते हैं, मर्जी आए जैसे। (व्यवधान) बीच में क्यों खड़े होते हो आप? नो ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): रेल की पटरियां उखाड़ी हैं, जिसका जुल्म किया मि. बैसला उसका क्या किया?

श्री अध्यक्ष: प्लीज सिट डाउन, आई से सिट डाउन।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): इन व्यक्तियों ने कुछ नहीं किया फिर भी इनको अन्दर टिका दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) बीच में मत टोकें आप ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि मैं वही बात बोलूंगा जो तथ्यों के साथ है, सही है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करें। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। सदस्य का सम्मान होना चाहिए, उसमें मेरा, आपका, सबका एक अभिमत है। किसी के साथ इस प्रकार की कोई बात होती है तो सदन के सारे माननीय सदस्यों को भी उसका दु:ख है और हम सब लोग मिलकर के उसको ठीक करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इनका स्टेटमेंट था कि यह पीलू का पुरा जायेंगे तो मेरी पुलिस के सामने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और मेरे सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि इनको मैं 107, 151 में रास्ते में गिरफ्तार करूं। मैंने इनको रास्ते में गिरफ्तार किया, 23 तारीख को ...(व्यवधान) मेरी आप बात को सुन लें, उसके बाद आपको जहां लगे कि इसमें यहां कमी रही वहां आप मुझे इंडिकेट करें और उसमें अगर सुधार की आपको जरूरत लगती है तो जरूर आप मुझे बताएं। मैं उसके लिए तैयार हूं। भावावेश में बैठकर दुनिया भर के अनर्गल आरोप लगाकर यह सोचें कि लोकतंत्र के रक्षक तो आप ही हो, लोकतंत्र के बारे में चिंतित आप ही हैं, लोगों के अधिकारों के बारे में चिंतित आप ही हैं विधायकों के अधिकार क्या हैं इसकी चिंता आपको ही है, बाकी सब लोगों को नहीं है तो ऐसा नहीं है।

23 तारीख को हमने गिरफ्तार किया, 24 तारीख को इनको हमने एसडीओ के सामने पेश किया। उसने डेढ़ लाख रुपये के स्वयं के मुचलके और डेढ़ लाख रुपये की जमानते के आदेश दिये। अब ये माननीय सदस्य खड़े होकर बता दें कि इनके और इनके किसी व्यक्ति ने ये मुचलके और जमानत कब दी। आपकी गिरफ्तारी 23 मई की है, एक सैकिण्ड ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं बीच में इंटरप्ट कर देता आपको ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको कहना चाहता हूं कि केवल हल्ला करने से नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गृह मंत्रीजी की बात सुनना नहीं चाहते, यह क्या तरीका हुआ? बात सुनना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): राजस्थान के गृह मंत्री कटारिया जी जैसे व्यक्ति इस सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बात सुनना नहीं चाहते हैं, यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान) यह जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आपको ही बोलने का अधिकार है ...(व्यवधान) जहां मर्जी खड़े हो जाते हो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कटारियाजी ने ही कहा है सदस्य बता दें, सदस्य बता रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मंत्री महोदय, या तो आप इस्तीफा दे दें या आज मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा। गृह मंत्री महोदय, सदन को गुमराह करने की कोशिश मत करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान) यदि मान लो, गिरफ्तार कराये ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): आप जैसे व्यक्ति इस तरीके से ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आप यह चाहते थे कि आपका एजेंट किरोड़ी सिंह बैसला केवल अकेला ही नेतृत्व करता रहे और ये लोग वहां नहीं पहुंच जाएं, यह काम किया आपने। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी जैसे व्यक्ति से इस तरीके से मिथ्या बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपका सरकारी रिकार्ड पर सब तैयार है, मैं कोई घर से नहीं लाया हूं ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में संविधान की शपथ लेकर कह सकता हूं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपका तो कोई रिकार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लें, मंत्रीजी अपनी बात कहें, फिर उनको कुछ कहना है तो कह दें वह। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): सदन को गुमराह कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मंत्रीजी के जवाब के बाद कह दें वह। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरी बात सुनें, उसके बाद कहें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप कह देना उसके बाद ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): गृह मंत्री महोदय, सच्चाई को स्वीकार करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा भावावेश में नहीं चलेगा ...(व्यवधान) ऐसा नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब आप बोल रहे थे तो मंत्रीजी सब सुन रह थे ...(व्यवधान) अब मंत्रीजी बोल रहे हैं तो आप चुपचाप सुनें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): समझौता हो गया, तब जमानत कराने के लिए आये, तब तो स्वयं जेल में रहना चाहते थे। (व्यवधान) 18 तारीख को समझौता हुआ उसके बाद 21 तारीख के दिन आपने अपनी जमानत के लिए कागज मूव किये हैं। कौनसी 21, 21 जून को। आपकी 23 में गिरफ्तारी हुई, 24 को आपके ये आदेश हुए कि आप डेढ़ लाख के तो मुचलके और डेढ़ लाख की जमानते दें। उस पर आपने नहीं दिये और नहीं देने के कारण आपको एक पेशी और दी, 7 तारीख की। पेशी दी, उस 7 जून के दिन आप फिर कोर्ट में पेश हुए, आपकी किसी भी व्यक्ति ने कोई जमानत नहीं दी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 7 तारीख को भी आप कोर्ट में नहीं लाये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें, आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 21 को भी नहीं लाये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): सरकार की मंशा केवल बंद रखने की थी, 7 को पेशी पर नहीं लाये, 21 को पेशी पर नहीं लाये ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इनकी पत्नियों तक को मिलने नहीं दे रहे थे, जमानत किसकी लाते? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): आपको जो कुछ कहना हो, मंत्रीजी के जवाब के बाद कहें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने तो ऐसे जेल में बंद कर दिया जैसे किसी आतंकवादी को करते हो ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कानून की पालना आपको भी करनी होगी और कानून की पालना मुझे भी करनी होगी। कानून से न तो आप ऊपर हो, न मैं ऊपर हूं। (व्यवधान) कानून की पालना न करें और भावावेश में भाषण ठोक देवें, ऐसा नहीं हो सकता है। (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको जमानत लेनी थी ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): एक लाख के जमानत मुचलके ऐसा कौनसा प्रोविजन है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको 7 जून की पेशी दी थी ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, इन कटारिया साहब ने इतना बड़ा दंगा करा दिया ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 7 जून पर आपको फिर आमंत्रित किया था कि आप अपना मुचलका ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): 55 आदमियों के साथ मारपीट हुई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको क्या हो रहा है, आप बीच में खड़े हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): डिप्टी एस.पी. और थानेदारों के साथ मारपीट में और कटारिया साहब ने उन मुकदमों में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या बात हुई, बैठाएं इनको ...(व्यवधान) यह क्या बात हुई, जवाब ही नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) जवाब सुनना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): खुद तो सुनें नहीं। बीच में बोल रहे हैं। बात सुनें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जवाब तो सुनना पड़ेगा ...(व्यवधान) यह क्या बात हुई ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अमराराम (धोद): सुन तो लो आप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें, बैठें, सुन तो लें आप। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप कभी बंगाल में गये, बंगाल में? (व्यवधान) गृह मंत्री सब सही तथ्य दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): वह तथ्य दे रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बाद में बोल देना। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप वैस्ट बंगाल में गये कि गृह मंत्री कैसे बोलते हैं, सुना कभी? (व्यवधान) वहां से तो सौ प्रतिशत ठीक है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी को सुन लें। आप मंत्रीजी को सुन लीजिये। और उधर से जो आप बार-बार खड़े होते हैं यह ठीक नहीं है। यह कहां से आते हैं? बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, बीच-बीच में न खड़े हों। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 7 तारीख को फिर पेशी पड़ी थी उसमें फिर इनको जमानत और मुचलके पेश करने थे, इन्होंने पेश नहीं किये। 18 तारीख के दिन जब गुर्जरों के इस आंदोलन का समझौता हो गया, आंदोलन वापिस विद्ड्रा हो गया, उसके बाद 21 तारीख के दिन कोर्ट में अपनी जमानत, मुचलकों के लिए आपने दरख्वास्त लगायी, जिसको कोर्ट ने वैरीफाई करने के लिए भेजा तहसीलदार के पास क्योंकि डेढ़ लाख के मुचलके थे, डेढ़ लाख की जमानत थी, वे कागज अपने प्रोसीजर में चल रहे थे। यह तो दो माननीय सदस्यों का था, दूसरा एक और माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सिंघल, सिंघल, मदन मोहन सिंघल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): भड़नाजी और यह दोनों तो एक साथ और एक इनका ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मदन मोहन सिंघल, मदन मोहन सिंघल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मदन मोहनजी सिंघल थे, उनकी भी इसी प्रकार से एक तारीख को गिरफ्तारी हुई, 2 तारीख को उनको भी जमानत देने के लिए कहा और उसमें यह कहा कि 20 हजार के मुचलके और 20 हजार की जमानत भरो। उन्होंने भी कोई जमानत, मुचलका नहीं भरा। जब आंदोलन विद्ड्रा हो गया, उसके बाद 20 तारीख के दिन तक मदन मोहनजी का जमानत, मुचलका पेश करने के लिए दिया था, वह इन्होंने जमानत, मुचलके जिसके भरे हैं, मुझे अब इतना कहना नहीं चाहिये लेकिन उसका एड्रेस वैरीफाई करने के लिए गये थे, मदन मोहनजी को जिन लोगों की जमानत मिली, वह एड्रेस ही सही नहीं मिला। यह रिकार्ड पर है। जिनके नाम इन्होंने भरे, उनकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रिकार्ड पर जगह ही आइडेंटिफाई नहीं हुई। जो लोग इनकी जमानत दे रहे हैं उनका निवास तो है कहां। वह तो है 20 तारीख का। 21 तारीख को तीनों माननीय सदस्यों ने जमानत का प्रार्थना-पत्र भरा, कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि जिस प्रकार का केस था वह जयपुर सैकिण्ड के पास था और इन दोनों माननीय सदस्यों का जो केस था वह आमेर के एसडीओ के पास था, आमेर के एसडीओ ने भी इस जमानत को तस्दीक करने के लिए, अब इसमें भले ही आप यह समझ लें, डिले करने का मानस या कुछ भी हो, जो सामान्यत: सरकारी प्रोसीजर में चलता है, उसके लिए तहसीलदार को वैरीफाई करने के लिए भेजा था, यह 21 तारीख की घटना थी। 24 तारीख को, वह जो 21 तारीख का फैसला था या जो उन्होंने जमानत के बारे में लिखा था उसको ही इन्होंने निगरानी के अन्दर सैशन कोर्ट में दिया। सैशन कोर्ट में सेम डे 25 तारीख को इनकी निगरानी निर्णीत हुई। यह कहा कि इनको इस सैक्शन में इतने दिन तक गिरफ्तार रखने का कोई औचित्य नहीं है, इनको मुक्त किया जाए और उसी दिन शाम को जेल से इनकी रिहाई हुई।

(समय : 13.09 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह जो कुछ भी कोर्ट ने कहा या कोर्ट ने जो कुछ भी कल अपना फैसला लिखा, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। पर इस बात को यूं घुमाकर कहें कि 34 दिन रखा। ये 34 दिन अपने मन से रहे। इन्होंने जमानत मुचलके भरना उचित नहीं समझा। इसमें हमारा क्या दोष है? हमारा अगर दोष कहीं है तो 21 तारीख और 24 तारीख के बीच में तीन दिन का ही है, जो हमने वैरीफाई करने के लिए भेजा था।

क्योंकि पहले मदनमोहनजी जिन्होंने जमानत दी, उनका एड्रेस सही जगह नहीं मिलने के कारण से। स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है, आप और हम लोगों ने भी कई बार जमानतें कराई होंगी। कभी-कभी जमानत को वैरीफाई करने के लिए तहसीलदार के पास भेजते हैं, तहसीलदार समय पर जब वैरीफाई नहीं करके भेजता है तब तक उसका नहीं..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तहसीलदार ने कितना वक्त लगाया है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कह रहा हूं न, यह तहसीलदार को 21 तारीख को...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप देखिए, यह मत कहो, यह मत कहो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको कोई चीज नहीं छिपा रहा हूं। (व्यवधान) मैंने यह स्वीकार किया है कि 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच का जो समय है, तीन दिन का वह समय आप डिले मान लें या वेरीफिकेशन में लगने वाला समय मान लें, दोनों में से ही है। 21 तारीख को इन्होंने जो जमानतें पेश कीं और वैरीफिकेशन के लिए तहसीलदार के पास गयीं, वह जो तीन दिन जो 24 तारीख तक का बीच में डिले है, इसको आप डिले मान लो या और, किसी भी तरह से मैं इसको कोई छिपाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): यह स्वीकार कर रहे हैं, साहब, कि यह डिले था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह जो तीन दिन का समय था, मैं सोचता हूं कि आप इस प्रकार का आंदोलन भी करें, जिस आंदोलन में इस प्रकार की हिंसा हो जाए उस समय आपके प्रोटेक्शन के लिए भी और आंदोलन आगे नहीं भड़के, इसके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है, गिरफ्तारी करनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। अगर हमारी मंशा सही नहीं होती ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जिसने मरवाया उसको तो आप तमगे दे रहे हो, जिसने मरवाया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर हमारी मंशा गलत होती, अगर हमारी मंशा खराब होती तो नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट में ठोकते ताकि आपकी कोई जमानत भी नहीं होती। पर हमने वह नहीं किया, हमने साधारण सैक्शन लगाकर आपको जमानत का अवसर दिया, जमानत के अवसर के बाद भी ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): हमें आपके इस रहम की जरूरत नहीं थी। जो आंदोलन किया उसके खिलाफ भी अदालत में जाते। आपके रहम की कोई जरूरत नहीं थी जो आपने मेहरबानी कर दी और रासुका नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप यह कहना चाहते हो कि हमें क्यों गिरफ्तार किया, अगर आंदोलन करते हो तो गिरफ्तार होने का भी दम और माद्दा रखें। लड़ो तो कानून से लड़ो, इस तरह के हथियार से मत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लड़ो। (व्यवधान) आप यह कहते हो कि 34 दिन तक हमको जेल में रखा, हमें कानून का ईमानदारी से पालन करना पड़ेगा, जमानत की जो कानूनी जरूरतें हैं वे पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें जो डिले है वह हमने माना है। (व्यवधान) जो बात जजों ने कही है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारा डिले अगर है तो वह 21 तारीख और 24 तारीख के बीच का है, इस वेरीफिकेशन के बीच की देर मान ली, इसके अलावा कहीं नहीं है। जो भी गिरफ्तार किया, जो कुछ हुआ है वह कानून के तहत हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह इस तरह से बहस से नहीं होगा। यह सारा का सारा आपने कह दिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): यह धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनने की शक्ति रखें, आप बीच में धैर्य क्यों खो रहे हैं? सुनिए आप अच्छी तरह से।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं बैठ जाऊंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: जब आपकी बात सब हाउस ने सुनी है तो गृह मंत्रीजी का जवाब सुनिए पूरा, बीच में नहीं। (व्यवधान) श्री सुभाषचन्द्र शर्मा। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने मिथ्या बयान देकर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया पूरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): गृह मंत्रीजी मिथ्या बयान दे रहे हैं। इस तरह के मिथ्या बयान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शर्म आनी चाहिए सरकार को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देते, हमें इस सरकार की मेहरबानी की जरूरत नहीं थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठ जाइए आप। आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा। आपको समय दिया था, आपने अपनी बात कह दी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी मंशा किसी भी माननीय सदस्य को ...(व्यवधान) की नहीं थी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह विषय नहीं है। (व्यवधान) इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य का कुछ भी अंकित नहीं होगा। आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, आप सदन का समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं करेंगे किसी का। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: गुंजल साहब, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके कहने से नहीं है। मैंने जो बात कही है रिकार्ड से कही है, कि उन्होंने किस तारीख के दिन, 24 तारीख को जमानत देने के लिए कहा, 7 तारीख को पेशी पड़ी ...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) द्वारा सदन कूप में धरना)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपके वहां जाने से क्या होगा? आप सारे खड़े हो जाओ तो भी नहीं झुकूंगा। आप एक घंटे क्या चार घंटे भी बैठ जाओ, मैं दबाव के आगे नहीं झुकता हूं कभी।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार को जो जवाब देना था वह दे दिया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात पर पूरी चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य, अब इसमें कोई बात नहीं है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुभाषचन्द्र शर्मा। (व्यवधान) माननीय सदस्य। मैं कह रहा हूं, मैं कोई अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई इंक्वायरी नहीं होगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: उनको बोलने का समय दिया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं अलाऊ नहीं करूंगा, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है ..(व्यवधान)..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। इसका निर्णय अभी नहीं कर सकते। इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। ..(व्यवधान)..

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुभाषचन्द्र शर्मा।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई भी चीज आपको बोलने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। (व्यवधान) मैंने दूसरे सदस्य का नाम पुकार लिया है, उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, .. (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी यह बता दें कि 107, 151 में 34 दिन तक कितने लोग जेल में रहे? मेरे खयाल से यह पहला ही मामला होगा जो 34 दिन तक जेल में रहे।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आप बोलने ही नहीं दोगे? बोलने ही नहीं देते। आप कह देना। आप हमें बोलने नहीं देते हो। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको रोको तो सही।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह ऐसे हाउस नहीं चलेगा। इस तरह से हाउस नहीं चल सकता। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसके बाद ये नहीं बोलने दें,

(श्री हेमाराम चौधरी)

इसका मतलब सत्तापक्ष बहुमत के आधार पर किसी को बोलने नहीं देगा। अब यह तय हो चुका है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: हां, आप बोलो।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जब यह तय नहीं है तो आप मुझे बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष: इनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। आप बोलिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बोल दूंगा उससे क्या होगा? उससे कौनसी यह सरकार गिरने वाली है? यह तो अभी चार महीने नहीं जाने वाले हैं, उसके बाद में जाने वाले हैं। समय अभी बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, 34 दिन तक 107, 151 में जेल में रखा। ये कह रहे हैं मर्जी से। मर्जी से कोई जेल में जाता है क्या? मर्जी से कोई जेल में रहता है क्या? क्या जेल ही सबसे अच्छी जगह है जो इन विधायकों को पसंद आयी?

श्री उपाध्यक्ष: मर्जी से तो आंदोलन करके ही लोग जाते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी वकील रहा हूं, मुझे भी मालूम है, जबर्दस्ती किसी को जेल में डालने के लिए 107, 151 का उपयोग इन्होंने किया है। वह इसलिए किया है, आज 107, 151 में जमानती की हैसियत प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार को कितने मामलों में भेजते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा नहीं है ..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): भेजते हो?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने यह नहीं कहा, भेजते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: भेजते तो हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भेजते हैं, लेकिन कब भेजते हैं जब यह लगे कि यह आदमी इस प्रकार का है कि इसकी कौन जमानत देगा और इसकी जमानत देने वाले आदमी की हैसियत है या नहीं। एक विधायक की जमानत देने वाले व्यक्ति की भी हैसियत नहीं हो सकती?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष ..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह स्पष्ट है कि तहसीलदार को उसकी आर्थिक स्थिति की जांच के लिए भेजने का मतलब ही यही है कि जांच में समय लगेगा, इतने दिन तक तो जेल में ठोके रखो, पकड़े रखो।

श्री उपाध्यक्ष: उस आदमी का एड्रेस वगैरह का पता नहीं था।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें जांच करा लो आप। कमेटी बना दो विधान सभा के सदस्यों की। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार को इसमें कहां तकलीफ है?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सरकार कभी भी कोई भी जांच करवाने की हां भरती ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह किस प्रकार की बात कह रहे हैं? कह रहे हैं आपने अपराध किया। मैंने अपराध किया इसलिए अब मैं यहां नहीं बोल सकता। मैंने अपराध किया, मैंने मेरे जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, उससे इनको मतलब नहीं है। मैं जो यह घटना है ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: रहने दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इस घटना के बारे में निवेदन कर रहा हूं। सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी बना दें, जांच करवा लें, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार को यह डर है, अगर सदस्यों की कमेटी बना दी, जांच हो गई तो ये कठघरे में खड़े हो जाएंगे। इनकी बात सही साबित हो जाएगी। अब इनकी बात सही साबित हो जाएगी, इस डर से तो ये कमेटी के लिए हां नहीं भर रहे हैं, बाकी इनको हां भरने में कौनसा आसमान गिर रहा है। हां भर दें तो सीधी-सी बात है। ये कभी भी कोई भी बात के लिए हाँ नहीं भरते जांच करवाने के लिए। हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं, उसमें सिवाय अड़ने के, कोई इनके पास रास्ता ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, एक बार फसल बीमा का गलत फैसला हो गया था। प्रभुलालजी सैनी ने जांच की हां भरी थी। जांच करवायी तो वह गलती पकड़ में आ गई। हजारों किसानों को क्लेम मिला, नहीं तो वे क्लेम से वंचित थे। एक ही मामले में इन्होंने हां भरी पूरे पांच साल में। दूसरी बार फिर मामला हुआ। दूसरी बार इन्होंने विधान सभा में हां भरी, मुख्य मंत्री स्वयं यहां

(श्री हेमाराम चौधरी)

विराजीं थीं, लेकिन उसके आज दिन तक जांच के आदेश नहीं हुए, जांच नहीं हुई। अब वे कागज दबाकर बैठ गये। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है और कटारियाजी जैसे मंत्री हैं, मुझे तो आप पर भरोसा है, इसमें आपको किस बात का डर है? आप सदस्यों की एक कमेटी बना दें और जांच करा लें। बात तो इतनी है। इससे ज्यादा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। शांत हो जाएगा मामला। अब आपकी मर्जी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए। विराजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आपने 5 साल तक सिवाय इसके कुछ नहीं किया। 5 साल आपने क्या किया?

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने क्या किया, क्या नहीं किया, अब आपके पांच साल का हिसाब जनता पूछेगी। आज विधान सभा के अन्दर यह बात कहें, इन्होंने तो उलटा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कह दी। इन माननीय सदस्यों ने अपनी पीड़ा जतायी, इनको यह कहा कि यह तो गनीमत समझो, मैं गुलाबचंद कटारिया था इसलिए आपके ऊपर मीसा का उपयोग नहीं किया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू नहीं किया। अगर इनकी जगह दूसरा गृह मंत्री होता तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अन्दर आप बंद हो जाते।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो खैर आपकी भलमनसाहत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस सरकार को डुबोने में सबसे अहम भूमिका किसी की होगी तो वह राजेन्द्रजी राठौड़ की होगी। चुनाव के बाद आप इस बात को याद रख लेना, इतना ही कह सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह आंदोलन की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह जो 23 तारीख का आंदोलन है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह 23 तारीख का आंदोलन तो इन्होंने करवाया, इनका आंदोलन तो 29 को शुरू हुआ था ...(व्यवधान) इनका आंदोलन तो 29 को शुरू हुआ था, इससे पहले ही इनको जेल में डाल दिया। 23 तारीख का आंदोलन तो इनका आंदोलन था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) समर्पण का सवाल नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी ने सारी बात कही थी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए आप। आप दूसरे सदस्यों का समय जाया कर रहे हैं, बैठ जाइए आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपका नाम लेकर पुकार दूंगा। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने परमिशन नहीं दी है आपको बोलने की। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हो गई चर्चा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको मैंने कोई बोलने की परमिशन नहीं दी है। कुछ भी अंकित नहीं होगा। बैठिये आप। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप हाउस नहीं चलाना चाहते हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, बहुत कुछ डिटेल में कह दिया, अब कुछ नहीं है, अब कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको परमिशन नहीं दी है। आपको कोई बोलने की परमिशन नहीं दी है। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान) चर्चा नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप। स्थान ग्रहण कर लीजिये। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसने अलाउ कर दिया? (व्यवधान) नहीं, अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य श्री सुभाषचन्द्रजी शर्मा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठ जाइये माननीय सदस्य।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। मैं फिर आपको नाम से पुकारूंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य अतर सिंहजी, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सुन तो लो इनको। बैठिये। सुनना कहां चाहते हो आप? नहीं चाहते आप सुनना। (व्यवधान) फिर कोई खड़ा हो जाता है। माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

गुंजल साहब, बैठ जाइये। गृह मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं, आप बैठ जाइये। आपकी बात खतम हो गई। (व्यवधान) बीच में नहीं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आपको बहुत समय दे दिया गया था। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह आ गई आपकी बात। आप बैठिये। (व्यवधान) बैठिये आप। आ गई आपकी बात। (व्यवधान) क्या बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह कोई प्रक्रिया नहीं है। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: भड़ानाजी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप सुनो पहले। आप एक घंटा तो बोल लिये और फिर एक मिनट। नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बहुत कह दिया आपने। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सुनें बात।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप बैठो तो सही। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अगर आप नहीं बैठते तो मैं आपका नाम पुकार कर कह रहा हूं कि आप बैठिये। (व्यवधान) यह क्या बात हुई? आप हाउस नहीं चलने दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने यह कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही थी, वह यह कही थी कि...

श्री उपाध्यक्ष: हाउस नहीं चलने दे रहे हैं क्या? बात-बात में खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: (व्यवधान) आप बीच में खड़े हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने जो बात कही थी, वह यह थी कि सरकार की...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि सरकार की नीयत अगर खराब होती तो रासुका लगाती। मैंने रासुका नहीं लगाया है इन पर। 107-151 लगाया है। अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं रासुका में भी गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने 107 151 में रखा। जो रिकार्ड मेरे पास आया है, 1.50 लाख रुपये की जमानत और मुचलका, दोनों...

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): दोनों व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत, यह रिकार्ड...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपने गृह मंत्रीजी का जवाब सुना या नहीं, ये जो कह रहे हैं अतरसिंहजी, उसी से काम नहीं चल सकता है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सुभाष चन्द्र शर्मा। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह क्या बात है? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बात को सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप, माननीय सदस्य। (व्यवधान) एक घंटे से आप बिजनस नहीं चलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाइये। मैं आपको नाम से पुकारता हूं, आप चले जाइये बाहर हाउस से। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यूं हल्ला करने से सस्पैंड करेंगे? आज करें न कल करें, बोलो क्या करना है? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान) आप एक घंटे से हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): काहे की बात पर सस्पैण्ड करेंगे? आपके कहने से सस्पैण्ड कर देंगे? अगर कोई मैंने गलत बयानी की है तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करो, मैं उसकी सज़ा भुगतूंगा न। आप डरते क्यों हो। आपको अधिकार प्राप्त है न, आप प्रिविलेज मूव करो, मैं सज़ा भुगतूंगा न। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय लोढ़ा साहब। माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: (व्यवधान) श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वही शुरू कर रहे हैं। बोलिये बोलिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: गुंजल साहब, अब बीच में नहीं। बहुत कह दिया आपने, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। बैठिये आप, बैठ जाइये आप। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने बहुत समय जाया कर दिया। बहुत कह दिया आपने।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अच्छे वक्ता हैं। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

(समय : 14.00 बजे)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण करिये।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप हमें मजबूर मत कीजिये, माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अतर सिंहजी, मैं आपको फिर नाम से पुकार रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आपका कुछ अंकित नहीं हो रहा है। अतर सिंहजी, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अतर सिंहजी। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अभी नहीं, थोड़ा बैठें। अभी नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा ठहर जाइये। थोड़ा-सा धैर्य रखें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुभाषचन्द्र शर्मा। (व्यवधान) बैठिये, माननीय सदस्य, बैठिये अभी। यह कह दिया आपने। बोल रहे हैं वह।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बोल रहे हैं वह। वह सदस्य बोल रहे हैं अभी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप आगे चलने दीजिये हाउस को।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह आ जाएंगे, मैं नहीं रोकूंगा। चैम्बर में कोई आएगा तो मैं कोई रोकता थोड़े ही हूं। (व्यवधान) बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) बैठिये आप। माननीय सुभाषचन्द्र शर्मा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। बैठिये, राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, अब मैंने सुभाषचन्द्रजी का, नाम पुकार लिया माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बीच में, आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा। बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। श्री सुभाषचन्द्र शर्मा।

विराटनगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आग से नष्ट रिकार्ड

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की पंचायत समिति विराट नगर में गत वर्ष गुर्जर आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने वहां की पंचायत समिति और ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को जला दिया था। मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है कि उस अग्नि काण्ड में, जो कर्मचारी थे सैकड़ों और अध्यापक थे सैकड़ों, उनकी सब की सर्विस बुक और सारा रिकार्ड जला दिया गया। रिकार्ड जला दिये जाने से वहां के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी शिक्षक हैं उनके, सैकड़ों कर्मचारियों के लाखों रुपयों के मेडिकल तथा टी.ए. बिल आग में जल गये। अंशदायी पेंशन योजना में काटी गई रसीद, चालान द्वारा जमा की गई या नहीं की गई, यह कर्मचारियों

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

को अभी तक कोई पता नहीं है। शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं तथा अन्य रिकार्ड जल जाने के कारण समस्त कर्मचारी बड़े पीड़ित हैं। राज्य सरकार के समक्ष भी कई बार यह बात ध्यान में लाई गई। महत्वपूर्ण सेवा रिकार्ड, सेवा पुस्तिकाएं एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों के जल जाने के कारण इनके पेंशन प्रकरण, वेतन वृद्धियां, अवकाश प्रकरण तथा समर्पित अवकाश आदि का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। नये जो अध्यापक लगे हैं उनको भी जो सुविधाएं मिली चाहिए थीं, रिकार्ड के अभाव में नहीं मिल पा रही हैं, सारा रिकार्ड जला दिया गया। सारा रिकार्ड दोबारा बनना है। राज्य सरकार के समक्ष कई बार यह मामला उठाया गया है, शिक्षक संघ द्वारा, कर्मचारियों द्वारा। पंचायत समिति विराट नगर में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह बात बार-बार लाई गई कि अग्निकाण्ड में जला दिये गये रिकार्ड को पुनः बनवाया जाए जिससे उन कर्मचारियों को लाभ मिल सके। जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, जब तक उसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन जारी करके पुनः सारा रिकार्ड बनाये जाने के निर्देश सरकार नहीं देगी, तब तक वह पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्विस रिकार्ड इनकी सेवा पुस्तिकाएं और व्यक्तिगत पत्रावलियां, टी.ए. बिल, इनकी सैकड़ों अंशदायी योजना की काटी गई रसीदें, मेडिकल बिल या जो कुछ जल गया, उसके लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी करके पुनः उस रिकार्ड को दुरूस्त करने के लिए शीघ्र से शीघ्र आदेश प्रदान करने का कष्ट करे, यह मेरी आपके माध्यम से मांग है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से और पंचायती राज मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस संबंध में क्या अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, क्या सरकार करने जा रही है, उसके बारे में वह अवगत कराएंगे। हजारों कर्मचारी हैं जो प्रभावित हैं इस बात से, जिनकी बड़ी परेशानियां हैं। लम्बे समय से वे अपनी बातें सरकार तक पहुंचा चुके, लेकिन उस बात पर अभी तक कोई अमल नहीं हो पाया है मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि सरकार को आप निर्देश दें। माननीय शिक्षा मंत्रीजी और पंचायती राज मिनिस्टर इस बात के लिए निर्देशित करें और नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए जो मंशा है सरकार की, वह बताएं कि सरकार इनकी समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार से कर रही है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय शिक्षा मंत्रीजी से तो कहलवा दो, साहब, सैकड़ों कर्मचारियों का मामला है, शिक्षकों का मामला है। वे बड़े परेशान हैं, पीड़ित हैं। उनके कोई भी काम निस्तारण नहीं हो रहे हैं। सर्विस बुक के अभाव में उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसके लिए आप तो निर्देश दें, साहब, शिक्षा मंत्रीजी को कि वह जवाब दें बहुत महत्वपूर्ण मामला है यह, सैकड़ों कर्मचारी पीड़ित हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ जाएगा, इस पर जवाब आ जाएगा।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: नोट कर लिया है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में ही अगर जवाब नहीं मिलेगा और माननीय मंत्रीजी भी जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर स्थिति क्या होगी? एक साल से भी ज्यादा, तेरह महीने, चौदह महीने बीत गये वह अग्नि काण्ड हुए, चौदह महीने में अभी तक कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण सरकार ने नहीं किया। आज सदन में जब यह बात आ चुकी है स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, तो भी शिक्षा मंत्री अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं समझता हूं, फिर आने वाले समय में कब इनकी सेवा पुस्तिकाएं पूरी होंगी और कब इनको लाभ मिल पाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है, आपसे निवेदन है कि सरकार को यह निर्देश दें कि मंत्रीजी जवाब दें और मंत्रीजी इस बात के लिए आश्वस्त करें कि कितने दिन के अन्दर सेवा पुस्तिकाएं और इनका रिकार्ड तैयार करवाने के लिए सरकार निर्देश दे रही है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): शिक्षा मंत्रीजी ट्रांसफर के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल।

श्री उपाध्यक्ष: सुनो, सुनो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर देंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): जल्दी से जल्दी, कितना समय लगेगा? डेढ़ साल हो गया, साहब।

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): अभी-अभी आया है, पूरा मामला जानकारी में आया है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय मंत्रीजी, आप समय सीमा

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

निर्धारित करके बताएं, जल्दी से जल्दी का कोई समय नहीं है। एक महीने बाद आपके आचार संहिता लग जाएगी, कितने दिन में आप करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: कर देंगे।

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): सरकार के थोड़ा जानकारी में आया है, निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आप पहले समय सीमा निर्धारित करके बताएं इसके लिए। एक महीने बाद तो आपके आचार संहिता लग जाएगी। कब सर्विस रिकार्ड पूरा होगा इन कर्मचारियों का, कर्मचारी परेशान हैं सवा साल से।

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड ठीक करने में आचार संहिता कहीं बाधक नहीं होती।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, आचार संहिता की बाध्यता नहीं है तो क्या डेढ़ साल से इन्तजार करते हुए उन कर्मचारियों को और ज्यादा पीड़ित करने की मंशा है?

श्री उपाध्यक्ष: जल्दी से जल्दी, यह कह दिया, जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): तो यह कोई जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: करेंगे, करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): ...(व्यवधान) उपलब्ध करानी चाहिए सदन के माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी इसमें आप जल्दी कीजिए और जल्दी रिकॉर्ड पूरा कराइए। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय मंत्रीजी स्थानान्तरणों में तो जो कुछ चल रहा है उसकी तो बात अलग करिए। यह कर्मचारियों का मामला है, सैकड़ों कर्मचारियों का मामला है, उनकी सारी पीड़ा है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। आप इसकी समय सीमा निर्धारित करके बताएं कि कितना जल्दी, कितने दिन में करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए आप, टाइम बता दिया आपको, जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारित करने के लिए आप माननीय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समय सीमा कभी निर्धारित नहीं होती है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, डेढ़ साल से तो कुछ हो नहीं पाया और डेढ़ साल से जो चीज नहीं हो रही है उसको कह देंगे, कर लेंगे यह तो कोई जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात का जवाब बिलकुल आ चुका है कि जल्दी से जल्दी कर लेंगे और आसन की तरफ से भी कह दिया है कि इसमें और जल्दी करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी सैकड़ों कर्मचारियों का मामला है, पूरी पंचायत समिति हंग हुई पड़ी है, कोई काम वहां पर नहीं हो पा रहा है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोई काम नहीं हो पा रहा है उस रिकार्ड के अभाव में। जब तक वह रिकार्ड दुरुस्त नहीं होगा, आगे की कार्यवाही कुछ नहीं हो सकती। सरकार इतनी सोती रहेगी और अगर जवाब स्पष्ट नहीं देगी, समय सीमा निर्धारित नहीं करेगी तो कितना समय लगेगा इसमें?

श्री उपाध्यक्ष: देखिए, आंदोलनकारियों द्वारा किया हुआ है इसलिए थोड़ा रिकॉर्ड वगैरह तैयार करेंगे, इसमें ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उसके निर्देश ही नहीं दिये अभी तक तो, तैयार कहां से करेंगे? अभी तक सरकार ने निर्देश ही नहीं दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जल्दी से जल्दी का मतलब अब आप समझ जाए।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, जल्दी से जल्दी का तो कोई मायना ही नहीं होता है। सरकार तय करे इस बात के लिए। माननीय मंत्री जी सक्षम नहीं हैं क्या? कितना समय तय करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: सक्षम हैं, कार्यवाही कर रहे हैं। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार अगर शिक्षा मंत्री सदन के अन्दर यह जवाब देने में अक्षम हैं तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा विकट स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। सरकार को जवाब देना चाहिए इस बात के लिए। इतना महत्वपूर्ण मामला है, जिसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए यहां। बताना चाहिए कि समय सीमा निर्धारित करके कि उन कर्मचारियों का भला कब तक कर पाएंगे यह?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दिया आपको, आपको आश्वासन दे दिया है इसमें, अभी कोई फिक्स नहीं किया जा सकता।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, यह तो जवाब सरकार का कुछ भी जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी भी एकदम जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): न तो शिक्षा मंत्रीजी गम्भीरता से ले रहे हैं और न शिक्षा राज्य मंत्रीजी इस बात के लिए कोई जवाब दे पा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको दो मिनट का समय दिया गया था ध्यानाकर्षण के करने के लिए (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मेरे दो मिनट के समय में ही मैंने मेरी बात कह दी, बहुत लम्बी बात मैंने नहीं कही है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि समय सीमा निर्धारित करे सरकार।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार की तरफ से भी इसका कोग्निजेंस ले लिया गया है, जल्दी करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारित कराएं, आप निर्देश दें मंत्रीजी को।

श्री उपाध्यक्ष: तारीख फिक्स नहीं हुआ करती है, माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): यह तो कोई बात नहीं हुई। सैकड़ों कर्मचारियों का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया, जल्दी से जल्दी का, और क्या मतलब होगा?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, सैकड़ों कर्मचारियों का मामला है, डेढ़ साल से पीड़ित हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सैकड़ों कर्मचारियों का मामला है, यह कोई ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): डेढ़ साल से पीड़ित हैं, सैकड़ों कर्मचारियों का मामला है, उनकी हालत खराब है, उनकी सेवा पुस्तिकाएं नहीं मिल रही हैं, उनके टीए बिल नहीं बन पा रहे हैं, उनके मेडिकल बिल जला दिए गए हैं उनका कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है, उनकी हालत खराब है, सरकार अभी तक कोई दिशा-निर्देश नहीं दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष: कह दी बात आपने, सब नोटिस में ले लिया है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस बात के लिए समय सीमा निर्धारित करे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपको दो मिनट का समय दिया गया था, उसके अन्दर मिनिस्टर चाहे तो उसका जवाब दे दे, चाहे तो नहीं देवे और आपको जवाब दे दिया गया है। इसकी नई परम्परा मत डालिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार है कहां यहां? किससे मांग कर रहे हो?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को समय सीमा निर्धारित करने के लिए आपको बाध्य करना चाहिए। समय सीमा निर्धारित नहीं करेगी, सरकार कब तक करेगी, यह क्या मानें इसको?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या चल रहा है, क्या माने इस बात को? क्या शिक्षा मंत्रीजी इस बात के लिए कह नहीं सकते? क्या सक्षम नहीं हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया है, शिक्षा मंत्रीजी ने कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): कहां कह दिया है शिक्षा मंत्रीजी कह रहे हैं, कर देंगे। डेढ़ साल से तो कह रहे हैं कर देंगे, आज तक तो हो नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष: देखिए, आंदोलनकारियों के मामले कोई आसान बात है क्या? (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आंदोलनकारियों का मामला जो कुछ था, वह उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई, या नहीं हुई वह सैपरेट मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया है ...(व्यवधान) कई जगह सटिस्फाई करना पड़ेगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उस आंदोलन की आग में हज़ारों कर्मचारियों का रिकार्ड जल गया, हज़ारों कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं खतम हो गई, हजारों कर्मचारियों का मेडिकल बिल और टीए बिल खतम हो गए, उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, उनको आगे लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार सोकर अगर बैठी है तो कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है, ठीक है आप बैठिए।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): इनको जवाब देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: दे दिया जवाब।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, समय सीमा निर्धारित...

श्री उपाध्यक्ष: पैसा कभी बाधित नहीं होता है, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, बहुत गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: मामला गम्भीर है यह मानकर चल रहे हैं, किसने कहा गम्भीर नहीं है?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): सरकार चुप होकर बैठ जाए, और माननीय मंत्रीजी इसका जवाब नहीं दें, इससे बड़ी विचित्र बात कोई और हो नहीं सकती।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्यामजी, सुभाषजी तो आपके साथ विशिष्ट अतिथि बनकर जाते हैं कार्यक्रमों में, इनका जवाब तो दे दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए आप।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, यह कर्मचारियों का मामला है, सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दिया है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उनके परिवार की हालत क्या है उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिल पा रहा है, दाने नहीं मिल पा रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनको

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

भुगतान नहीं मिल पा रहा है। सैकड़ों कर्मचारियों का मामला है। पंचायत समिति विराटनगर और प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रिकार्ड दुरुस्त कराने के लिए सरकार निर्देश नहीं देती है तो हज़ारों कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी? एक सीधा-सा मामला है। सरकार को क्या करना है? नोटिफिकेशन जारी करके दूसरा रिकार्ड तैयार करवा दे, और करना क्या है? लेकिन उसमें भी अगर मंत्रीजी समय सीमा नहीं बता पा रहे हैं और निर्धारित समय नहीं दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें आगे स्थिति क्या होगी? डेढ़ साल से यह मामला लम्बित चल रहा है, डेढ़ साल से सरकार के पास है। अब विभिन्न संगठनों ने अपनी बातें उठाई हैं, बातें पहुंचाई हैं। उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए सदन के बीच मुझे आपके समक्ष, आपके संरक्षण में सरकार के सामने आना पड़ा है कि सरकार इसकी कार्यवाही करे। लेकिन सरकार समय सीमा निर्धारित नहीं कर रही है। उन कर्मचारियों का क्या होगा जिन कर्मचारियों के घर में तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, जिनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, जिनका प्रमोशन क्लीयर नहीं हो पा रहा है, जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ पा रही है, जिनके टीए बिल खतम कर दिये, मेडिकल बिल खतम कर दिये, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, उन कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी?

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहम्मद माहिर आजाद। माननीय सदस्य, सरकार के नोटिस में आ चुका है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, आप समय सीमा निर्धारित करवा दें सरकार को निर्देश देकर।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार के नोटिस में आ चुका है, वह जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आप समय सीमा निर्धारित करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की तरफ से भी यही कहा गया है कि जल्दी कीजिए आप।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आप समय सीमा निर्धारित करवा दें, मेरा आपसे आग्रह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): शीघ्रातिशीघ्र करवाएंगे इसको।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): शीघ्रातिशीघ्र कितने दिन में करवाएंगे, मंत्रीजी?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको किसने परमिशन दी है?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अहम मसला है, लाठी गोली चलने के बाद में सुनेंगे क्या मेरी बात?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। आप बीच में, आपको किसने परमिशन दी है? आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन का समय बरबाद मत कीजिए, माननीय सदस्य। आप कायदे से, नियमों के अनुसार अपनी बात कहें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आप सदन का समय फालतू में खराब कर रहे हो। माननीय सदस्य, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा यहां पर।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने सदस्य का नाम पुकार लिया है, श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: गम्भीर मामला है तो नोटिस में लाकर पहले ...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में ...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव पर टाइम दिया है आपको, कह दीजिए इसको। मोहम्मद माहिर आजाद के बोलने के बाद आप अपनी बात कहें ...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं, मैंने परमिशन नहीं दी है किसी को।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार समय सीमा निर्धारित करे और समय सीमा निर्धारित नहीं करती है तो मैं धरने पर बैठ रहा हूं इस बात के लिए।

(माननीय सदस्य श्री सुभाष चन्द्र शर्मा सदन कूप में धरने पर बैठे)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सुभाषजी, कर रहे हैं, मंत्रीजी जल्दी कार्यवाही करेंगे।

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जल्दी से जल्दी, अतिशीघ्र होगा, कह दिया, आसन की तरफ से भी कह दिया।

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): मामला मेरी जानकारी में है, मैंने आपसे निवेदन किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस कार्यवाही को करवाएंगे, रिकॉर्ड ठीक करेंगे। यह विशेष लम्बा कार्यक्रम है, इसमें रिकॉर्ड ठीक करने में समय लगता है, रिकॉर्ड तैयार करने में समय लगता है। रिकॉर्ड पूरा करना पड़ेगा, मैंने आपको निवेदन किया है।

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के बाद कह देना।

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में शिक्षा विभाग का दलित कर्मचारी तीन दिन से आमरण अनशन पर है। शिक्षा मंत्रीजी के ऑर्डर के बाद, मुख्य मंत्रीजी के आर्डर के बाद भी उस कर्मचारी को अब तक जॉइन नहीं करवाया है और तीन दिन से वह आमरण अनशन पर है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, वर्माजी मैं चाहूंगा कि इस पर व्यवस्था दें अपनी। वो कर्मचारी मरने की स्थिति में है। यूडीसी शिक्षा विभाग का, आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

रही है। मुख्य मंत्रीजी के ध्यान के बाद, शिक्षा मंत्रीजी के ध्यान के बाद ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका पाइंट आफ इन्फार्मेशन ...

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ये भी जरूरी है, साहब, एक मिनट कह रहा हूं आपको। आधा टाइम वैसे ही मिलता है आपको तो इसमें उस कर्मचारी ...

श्री उपाध्यक्ष: आपने पाइंट आफ इन्फार्मेशन कह दिया, अब बैठ जाइये आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): तो शिक्षा मंत्रीजी बताइये इसके ऊपर आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने बहस करना शुरू कर दी। आ गया नोटिस में देख लेंगे।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): शिक्षा मंत्रीजी को बताने दीजिये। शिक्षा मंत्रीजी इसके ऊपर आप...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

अन्य पिछडा वर्ग में दलित मुसलमानों को आरक्षण

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ओ हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ओ हो करने की जरूरत नहीं है। सुन लो। सुन लीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के संविधान में आरक्षण की ...

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कदापि नहीं हो सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपसे तो उम्मीद ही नहीं है। अब सुन लें आप पहले। सुनी नहीं बात और कदापि ...

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं कड़वी बात नहीं सुन सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो आप इनको शांत कर दें, नहीं मेरे को कहें मैं करूं फिर ।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। टोकाटाकी नहीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ...(व्यवधान) आप कैसे करेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं जोर से बोलूंगा इनसे। इनसे जोर से बोलूंगा। (व्यवधान) क्या बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष: टोकाटाकी नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सुनें आप, यह तरीका तो बाद में बताएंगे। आदमी कार्डस् पहले ओपन नहीं करता है। मेरे तो दिक्कत यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे पर आसन तो मेहरबान है जो समय दे देता है लेकिन मेरे खड़े होते ही कुछ लोग ऐसे हैं इनके पेट में मरोड़े उठने लग जाते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माहिर भाई, यह तो बताइये कि महावीर प्रसादजी और मदन दिलावरजी के क्यों पतंगें लगते हैं जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरे खास आदमी हैं ये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ...(व्यवधान) ये भी पता कर लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसा है, हमारे इनके समझौता है इनको वापस भी लाना है और नेता इन्हीं को रखना है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है, ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिए आपका तो निपटारा करना है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): चलिये मेहरबानी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि हमारे देश के संविधान में वीकर सैक्शन को, शोषित वर्ग के लोगों को आरक्षण के जरिये अपलिफ्ट करके आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया गया इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था जो लागू की गई ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) देने का भी प्रावधान है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब ये मंत्रियों का स्तर देख लें आप ...(व्यवधान) बहुत अच्छा स्तर है इनका।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बहुत अच्छा है। हां, स्तर बहुत अच्छा है। मेरा स्तर क्या देखते हो? स्तर देख रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह आपका काम है, मेरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, माननीय मंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं, मुझे प्रोटेक्ट आप करेंगे। हाउस में फ्लोर पर मेरा पजेशन है, या तो मुझसे रिक्वैस्ट करके खड़े हों या नियमों में आपसे आज्ञा लेकर खड़े हों।

श्री उपाध्यक्ष: हां, ठीक है। चलिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई वो लोगों के पेशे के हिसाब से की गई। अब हमारे नाम आप जानते हैं कि अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग धर्मों में अलग होते हैं। राजेन्द्रजी राठौड़ का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कि और विषय पर तो बिना कहें ही खड़े होते हैं, आज देखेंगे कि कितना छबील लगाते हैं मोहर्रम पर, अभी पता पड़ेगी इनके मन की बात। तो मैं निवेदन यह कर रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष: आप नाम लेंगे तो ये बीच में खड़े होंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कपड़ा बुनने का काम करता है उसको हिन्दू धर्म में है तो महावर और कोली कहते हैं या बुनकर कहते हैं और अगर वो मुस्लिम है तो उसको अंसारी या जुलाहा कहते हैं। जूते बनाने का काम करने वाला है अगर वो हिन्दू धर्म को मानता है तो उसको रैगर कहेंगे। मुस्लिम धर्म में है तो उसको मोची कहेंगे। इसी तरीके से जो जानवरों के वध करने का काम करता है अगर हिन्दू धर्म को मानता है तो उसको खटीक कहते हैं और मुस्लिम धर्म को मानता है तो उसको कसाई कहते हैं। इसी तरीके से पेश से ये वर्ग बने हुए हैं। लेकिन जब आरक्षण दिया गया तो उसमें एक वर्ग के लोगों को दे दिया गया, दूसरे वर्ग के लोगों को वंचित कर दिया गया। इसमें भी देश में अलग-अलग जगह अलग व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दलित मुस्लिम भी शिड्यूल्ड कास्ट में आते हैं । मेरी बात रिकार्ड पर आ रही है, अगर गलत हो तो आप बता दें।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यहां तो कभी भी नहीं आएंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सीपी साहब, आप जरा इनको तो ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ये कैसे आ जाएंगे? ये कैसे आ सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप सुनिये पहले।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ऐसी बात नहीं सुन सकते।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप जब जवाब दें तो अपने जवाब में यह बात कह देना, बीच में क्यों खड़े होते हो?

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को किसी भी कीमत पर अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण नहीं मिलने देंगे, नहीं मिलने देंगे, नहीं मिलने देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो आप अपने जवाब में कह देना यह बात। पूरा देश आपकी मानसिकता से ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मेरी मानसिकता और आपकी मानसिकता ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य की बात पर आपत्ति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति यह है कि मैं जात से मोची हूं, मोची हिन्दू धर्म में भी हैं और मुसलमान धर्म में घोषित कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है? मैं खुद मोची हूं और हिन्दू धर्म अपनाता हूं ।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इनको मुस्लिम बता रहे हैं।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): हिन्दू धर्म है और इन्होंने मोची को मुसलमान धर्म में घोषित किया है, यह गलत कह रहे हैं । रिकार्ड में से हटाया जाए इस बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मोचियों की छबील है, मोचियों का मोहल्ला है, बहुत बड़ी तादाद है, आप सुन लें। आपका वर्ग है दोनों में।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): नहीं तो आप मोची को मुस्लिम शब्द से कैसे जोड़ रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दोनों में है, दोनों में।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): गलत जोड़ रहे हैं न आप। मुझे आपत्ति है इस बात पर। यह रिकार्ड से हटाया जाना चाहिए?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अल्पसंख्यक रहना चाहते हैं या शिड्यूल्ड कास्ट रहना चाहते हैं।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा): ये मोचियों से निकले हुए होंगे इसलिए ये मोची समझते हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): हिन्दुओं को मुसलमान बना रहे हो आप, यह बात रिकार्ड से हटायी जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह व्यक्तिगत निवेदन है आपसे ...(व्यवधान)...

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय जी, ये मोचियों से निकले हुए होंगे, धर्म परिवर्तन किया, इसलिए ये मुसलमान हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं ये बताइये कि आप ...।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, चार महीने बाद पूछना जब मैं वहां बैठूं तब ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ये तो एससी में जाएंगे, ओबीसी में रहेंगे, अल्पसंख्यक भी बनेंगे, हमारे माथे पर बैठोगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपकी छाती पर मूंग दलेंगे।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): किसी भी कीमत पर नहीं दल सकते।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब तक नहीं मरेंगे तब तक आपकी छाती पर मूंग दलेंगे।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): किसी भी कीमत पर नहीं दल सकते। यह पाकिस्तान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, आप इस चीज को हंस कर नहीं टाल सकते।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह

(श्री मदन दिलावर)

हिन्दुस्तान है, संविधान में प्रावधान नहीं है धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): इस तरह से आप कंडक्ट करेंगे हाउस को? आप हंस कर टाल देंगे ? कोई इस तरह की बात करेगा और आप उसको हंस कर टाल देंगे, इस तरह से आप कंडक्ट करेंगे हाउस को ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, ये किस तरह से बोलते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...(व्यवधान) उचित नहीं है, असंसदीय है। मंत्रीजी को व्यवधान नहीं करना चाहिए। और फिर अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तेवर से बोल रहे हैं,यह सदन का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष: अशिष्ट तो कोई किया होगा तो निकाल देंगे।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): इनको तो शांति बनाये रखनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य बोले और मंत्री बीच में इस तरह से खड़े होकर व्यवधान पैदा करे, उसमें मंत्री की कोई गरिमा है ही नहीं क्या? इनकी कोई गरिमा है ही नहीं? कल गरिमा की दुहाई दे रहे थे राठौड़ साहब, इनको भी तो थोड़ा बहुत बताओ, गरिमा का पाठ पढ़ाओ न।

श्री उपाध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद साहब, बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शालीनता से बोल रहा हूं। निवेदन यह कर रहा था कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में दलित मुसलिम शिड्यूल्ड कास्ट में हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बहराइच जिले की एक विधान सभा सीट है चरदा, सुरक्षित सीट है उससे चार बार से समाजवादी पार्टी के टिकट पर शब्बीर अहमद चुनाव जीत रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट से। पश्चिम बंगाल में हमारे कॉमरेड चले गये एक सुनील खान सुरक्षित सीट से एमपी बन रहे हैं तीन बार से। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले में भी एक सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और ये राजस्थान की बात कर रहे हैं तो मैं राजस्थान का

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उदाहरण आपको दे सकता हूं। खैरथल से आने वाले सदस्य से पूछ लीजिये, ये अलवर से आने वाले बैठे हैं, इदूका मदारी ने खैरथल सुरक्षित सीट से 1993 से चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? (व्यवधान) चुनाव लड़ा था, वोट आये हैं ... (व्यवधान) चुनाव लड़ा था न, खतम बात। फागी निर्वाचन क्षेत्र से डा. शौकत चुनाव लड़े।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं कि मुसलमानों में ही है, हिन्दू जातियों को भी जिनको आरक्षण मिला हुआ है, राजस्थान में मीणा एसटी में आते हैं, मध्यप्रदेश में ओबीसी में आते हैं। सारे देश के अन्दर गुर्जर ओबीसी में आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में गुर्जर एसटी में आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो बता दो, अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो। तो मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि इसमें काफी विसंगतियां हैं। कि अब हमारे यहां जो व्यवस्था है, 21 प्रतिशत रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है । राजस्थान में जो 82 बिरादरियां ओबीसी में सलैक्ट की हैं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने, उसमें मुसलमानों की 41 बिरादरियां हैं और उन 41 बिरादरियों में से केवल चार बिरादरियां शेख, सैयद, मुगल और पठान इनको छोड़ कर बाकी सारी बिरादरियां उसमें आती हैं। जितनी बड़ी-बड़ी बिरादरियां हैं चाहे वो कायमखानी हैं, चाहे मेव हैं, चाहे सिंधी मुसलमान हैं, चाहे कसाई हैं, चाहे तेली हैं, चाहे मणिहार हैं, सब अन्य पिछड़ा वर्ग में आती हैं। उनका जो पोरशन बनता है वो आठ प्रतिशत बनता है 21 प्रतिशत में से। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के 21 प्रतिशत आरक्षण में से पिछड़े मुसलमान अल्पसंख्यकों को भी विशेष तौर पर अलग से आरक्षण दिया जाए क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 21 प्रतिशत में मुसलमानों की लगभग 41 बिरादरियां आती हैं जिनमें कायमखानी, मेव, सिंधी मुसलमान, कुरैशी, तेली, पिंजारे, रंगरेज, नीलगर, छीपे, चोबदार, चेजारा, बंजारा, मनिहार, लुहार, खेलदार, भिश्ती, अंसारी, जुलाह, भडभूजा, कोठात, चीता, मेहरात, घोसी, सिलावट, फकीर, मदारी, बाजीगर, मिरासी, नाई, धोबी, फारूखी, भटियारा, नागौरी, कुंजदा, राई, चूनगर, मुल्तानी, देशवाली आदि प्रमुख हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय देश के अन्य राज्यों में कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरल, बिहार और तमिलनाडु में मुस्लिम बैकवर्ड के नाम से अलग से आरक्षण दे रखा है। इसलिए जब आप ओबीसी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो मेरी भी यह मांग है कि शैक्षणिक तौर पर मैं मानता हूं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक पिछडापन है अगर इसे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अपलिफ्ट करके आगे लाना चाहते हो, इसको अगर बढाना चाहते हो मोटरसाइकिल के दो पहिये हैं, एक में हवा 20 पौण्ड है और एक में 5 पौण्ड है तो मोटरसाइकिल नहीं चल सकती । जब तक अल्पसंख्यकों का वर्ग आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश भी तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ओबीसी के 21 प्रतिशत आरक्षण में से मुसलमों को भी अलग श्रेणी मानकर उनका वर्गीकरण कर 8 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिम बैकवर्ड के नाम से देने का कष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी तो अल्पसंख्यक शब्द को ही नहीं मानते, इसका मतलब तो यह हुआ कि बीजेपी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चे का सम्मेलन किया या नहीं किया? अभी तीन दिन पहले बीजेपी मुसलमान महिलाओं का सम्मेलन आडवाणीजी की उपस्थिति में किया गया और उसमें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या संबंध है प्रसंग के साथ?(व्यवधान) बीजेपी ने कौनसा सम्मेलन कहां किया, यहां क्या प्रासंगिक है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सुन लीजिए, आपके मतलब की बात है। वहां चूरू में तो मोहर्रम पर छबील लगाते हैं आप तो। सीधी बात है कि मुसलमानों को ऊंचा उठाने के लिए शैक्षणिक तौर पर आप उनको आरक्षण देने के पक्ष में हो कि नहीं, आप मुझे यह बता दो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): नहीं, पक्ष में नहीं हैं। नहीं, नहीं, आरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज देश के अन्दर मुसलमानों की जो हालत बनी है, सच्चर कमीशन के अन्दर सारी चीज साफ साफ आ गई, सच्चर कमीशन ने पूरी तस्वीर खोलकर सामने रख दी। आप किसको दोषी मानते हैं, क्या उस पार्टी को मानते हो जिसने आज तक...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब तो सुधार करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जिसने आज तक नाइंसाफी की मुसलमानों के साथ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब तो सुधार कीजिए। आप तो यह बताइये...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपकी दिल्ली की सरकार में, दिल्ली वालों से बात करें सीधी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कुछ नहीं होगा, आप दिल्ली में बात कीजिए। (व्यवधान) भारत सरकार से कहिये, आपकी पार्टी का राज है, मुसलमानों के लिए क्या किया? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इंडियन कांस्टीटयूशन की धारा 38 में स्टेट को पावर है कि वो किसी वर्ग को (व्यवधान) आरक्षण दे सकता है ...

श्री सांवर लाल (कपासन) : (व्यवधान) स्टेट को पावर है इसलिए अपने आप देखेगा। आपकी दिल्ली में सरकार है वहां करवाइये आप, उनसे कहिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप राजस्थान के पक्ष में हो नहीं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हिम्मत नहीं होती वहां पर सही बात कहने की। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं एमपी नहीं हूं, एमपी बनूंगा जब दिल्ली में ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एमपी बने हुए घठो ही हैं कांग्रेस पार्टी...(व्यवधान) वहां जाकर बात करिये आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह सिंचाई की बहस थोड़े ही है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): दुम हिलाते हो वहां...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपके जाटों का आरक्षण का आंदोलन चला, हमने समर्थन किया, कभी विरोध किया ...(व्यवधान) गुर्जर को आरक्षण...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): तब कांग्रेस ने (व्यवधान) आज तक उनका समर्थन करके हुकूमत करा रहे हो, उनको..(व्यवधान) क्या किया करने के लिए उन्होंने? उनसे तो कहा नहीं, कर रहे हो चौधराहट...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसको बड़ी बीमारी है, यह बड़ा विद्वान आ गया। आक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, चौमूं जानता नहीं, कहां है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपको बताऊं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अलगाववादी बातें करके पहले हिन्दुस्तान ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मुसलमान भी ...(व्यवधान) क्या जानते हो कि राजस्थान में फालतू दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर आपके मन में कुछ कराने की है तो कांग्रेस से बात करिये। (व्यवधान) आप दिल्ली में राज कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह अलगाववादी बातें करके और जिन्नावादी ताकते हैं, जिस तरह की बात करते हैं ...(व्यवधान) दिल्ली में राज कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हिन्दुस्तान में पैदा हुये हैं , हिन्दुस्तान की आजादी के लिये अशफाक उल्ला खां ने कुर्बानी दी है समझ में आई बात। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपकी पार्टी क्यों नहीं समझती है कि आपने कुर्बानी दी है, आपके लिए कुछ करना चाहिये ।

(समय: 14.35 बजे)

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

उनको याद दिलाइये, यह ...(व्यवधान) यहां क्यों कर रहो हो बात, वहां जाओ दिल्ली में। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अशफाक उल्ला खां ने कुर्बानी नहीं दी क्या ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं यही कह रहा हूं, दिल्ली वालो का कहो यह चीज।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब्दुल हमीम ने टैंक ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उनको पता नहीं है क्या कुर्बानी दी है, दिल्ली में राज कर रहे हैं

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुसलमान देशभक्त हैं। (व्यवधान) तुम्हारे जैसे भी लोग अलगाववादी हैं जो हिन्दुओं के...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को शुद्ध करना चाहता हूं इनको जानकारी नहीं है, मैं इन्हें शुद्ध कर लूं गंगाजल से। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बैठिये ज्यादा ज्ञानी नहीं हो, अभी अख़बार दिखा रहे थे ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): (व्यवधान) कई बार जीतकर आ गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दुबारा पार्षद नहीं बनेगा, बात कर रहे हैं। सभापति महोदय...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, इनको जानकारी नहीं है, यह मुझे श्राप दे रहे हैं इनको लग रहा है। (व्यवधान) यह देखिये, 63 नम्बर पर लिखा है, जुलाह, हिन्दू और मुसलमान, आप पढ़ते तो हो नहीं। +++ जा रहे हो, बोले जा रहे हो। यह क्या तुक है, थोड़ा पढ़ लो। (व्यवधान) और आपने जिस...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): समझ तो सही...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक मिनट सुनो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने यह कहा है...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप समझते तो हो नहीं। (व्यवधान) 53 नम्बर पर लिखा है मोची और ब्रैकिट में लिखा है मुस्लिम। अब इनको तो ध्यान में आता नहीं, यूं ही बोले जा रहे हैं। (व्यवधान) आप पढ़ो, ओबीसी में इनको लिया गया है, यह आपको मालूम तो होना चाहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं ओबीसी की नहीं कह रहा, अक्लमंद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक बात समझने की कोशिश करो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपके +++ नहीं है। मशीन नहीं लगाई, भगवान मशीन लगाना भूल गया, छींक आ गई थी। छींक आ गई थी उस वक्त। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मोची जिसका लिखा है, वह भी पढ़ लो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, आप मुझे सुन रहे हैं कि उनको सुन रहे हैं?

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): किसमें आना चाहते हैं एससी में आना चाहते हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): शिड्यूल्ड कास्ट में घुसना चाहते हैं, एसटी में घुसना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मांफी मंगवाइये, माननीय सदस्य से माफी मंगवाइये, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज मांगू न कल मांगू। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य ने क्या बोला?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, आपने इनको अलाउ किया है और बार-बार मंत्रीजी खडे हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जो बात आप यहां कह रहे हैं, अपनी पार्टी में तय करवाइये पहले। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): तू तू करे ...(व्यवधान) फिर दुहाई देते हैं सदन की, उसकी मर्यादा की, विधायकों के ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह कहां से टपक कर आया माहिर आजाद, माहिर आजाद कहां से टपक कर आया? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बोलने का हक है क्या इसको? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, मुझे पूरा हक है। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): कम से कम भाषा तो सुधारो, माहिर आजादजी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसको तो सदन में आने का भी हक नहीं है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): मदन सिंह राठौड़ आप एससी में हो, ओबीसी में हो ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, आप बताओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप खुद का ...(व्यवधान) पता कर लो।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, नहीं, आप बताएं, आप एससी में आते हैं? ओबीसी में आते हैं? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप हिन्दू हो या मुसलमान? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): एससी में हो, ओबीसी में हो? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह मोहम्मद माहिर आजाद क्या है? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, यह भरतपुर नगर ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे दिया, बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, गलत बात है, सभापति महोदय, इन्होंने गलत बोला है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अलगाववादी बातें करने की...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया है, इनसे मांफी मंगवाइये। (व्यवधान) ऐसे व्यक्ति को तो सदन में आने का भी अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी राय पर मैं विचार कर रहा हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनको रोकिये, इनका व्यवहार...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह भरतपुर नगर के जो सदस्य हैं... (व्यवधान) इनको सदन में आने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह +++ है, आपको मालूम होगा और +++ और इसने, खुद कहा, हमारी कमेटी...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह बात आप तीसरी बार कह रहे हैं, इसको बार-बार रिपीट नहीं करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप कुछ तो व्यवस्था कर दो कि ऐसा व्यक्ति सदन में रह सकता है कि नहीं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इन्हें तो आगरा भिजवाओ दो चार को।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी कहा और इस बार फिर कह रहा हूं ..(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): सभापतिजी, यह आगरा....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ऐसा महान व्यक्ति सदन का सदस्य रह सकता है कि नहीं, यह व्यवस्था तो आप कृपया दीजिए। (व्यवधान) जो व्यक्ति ऐसा +++ हो वह सदन का सदस्य कैसे रह सकता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : और यह कल गांधीजी के भक्त होने का बता रहे थे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जो भी माननीय सदस्य आसन की अनुमति के बिना बोल रहे हैं आप अं कित नहीं करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: बैठिये बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: आप मेरे को निर्देश नहीं दें, मैं मेरे विवेक से निर्णय ले लूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: बैठिये बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: आप आसन पर कृपा करें, बैठिये। आज इतना महत्वपूर्ण आरक्षण पर बिल आने वाला है, आप काहे को समय खराब कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: आपकी बात सुन ली, बैठिये आप। बैठिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: आप अपनी बात पूरी कीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: बैठिये। एक मिनट में समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, यह जो उपदेश मुझे दे रहे थे, मेरे पास भी लिस्ट है।

श्री सभापति: आप तो अपना मूल विषय बता दें एक मिनट के अन्दर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मूल विषय ही बता रहा हूं। मैंने कहा यह था कि रैगर एस.सी. में शामिल हैं और मोची ओ.बी.सी. में, कोली एस.सी. में शामिल हैं और जुलाहा ओ.बी.सी. में शामिल हैं। यह इन्होंने नहीं सुना। मुझे दिखा रहे हैं, उसमें लिख रहा है हिन्दू और मुसलमान। इनको तमीज ही नहीं है। यह मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: देखिये, आप बार-बार खड़े नहीं होंगे आसन की अनुमति के बिना। आसन की अनुमति के बिना खड़े नहीं होंगे आप।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: एक बात को कितनी बार कहेंगे आप। बैठिये आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): ×××

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये, एक मिनट में समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो साहब, हाउस को तो आर्डर में लाओ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): ×××

श्री सभापति: आप तो अपना विषय रखिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: बैठिये। बोलिये, फटाफट बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मुस्लिम मोची ओ.बी.सी. में हैं। मैं हिन्दू मोची की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री सभापति: अगला विषय मैं पर्ची का ले रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी बात तो पूरी होने दें, माननीय सभापति महोदय। तो मैं निवेदन यह कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बोलना ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बोल रहा हूं न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह कोई किसी के प्रति कुछ कहें, उससे फर्क नहीं पड़ता।

श्री सभापति: आप तो एक मिनट में अपना मूल विषय रख दें, जो आप चाहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा मूल विषय यह है कि राजस्थान सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 26 प्रतिशत आरक्षण में से अल्पसंख्यकों की जो 41 बिरादरियां आती हैं जिनका पोर्शन 8 प्रतिशत बनता है, उनको देश के अन्य राज्यों- केरल, कर्नाटक, आन्ध्र-प्रदेश और बिहार की तरह मुस्लिम बैकवर्ड के नाम से अलग से 8 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करे। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद। पर्ची पर...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, लिखा देंगे, 50 एम.एल.ए. ने दस्तख्त कर दिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका विषय आ गया पूरा। आपने रख दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो जवाब तो दे सरकार। जवाब नहीं देगी क्या सरकार?

श्री सभापति: आपकी बात सुन ली। अब सरकार जवाब दे देगी अपने आप। सरकार जवाब दे देगी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, जवाब चाहिए सरकार का। सरकार का जवाब चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, आरक्षण पर आज चर्चा होगी। इस सम्बन्ध में इन्होंने जो बात की है, मैंने सुन ली है, मैं इस सम्बन्ध में जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह अलग है। इसका मतलब स्पीकर मुझे अलाउ ही नहीं करतीं, कहतीं, आप तभी बोल देना। उसमें तो केवल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपने 5 प्रतिशत लोगों के लिये लिया है। मैं तो मुसलमानों के लिये अलग से आरक्षण की बात कर रहा हूं, आपसे उनके बारे में। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये आप।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): होगा, होगा, होगा, 4 महीने बाद होगा। कैसे नहीं होगा? आप नहीं आओगे, 4 महीने बाद आप नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये। आपका विषय आ गया। पर्ची पर माननीय प्रकाशजी चौधरी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार या तो सही घोषणा करे वर्ना मैं मेरी इस मांग के समर्थन में इस सदन में धरना दे रहा हूं।

श्री सभापति: ठीक है। पर्ची पर श्री प्रकाशजी चौधरी।

(माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद व डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा सदन-कूप में धरना)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप जवाब दे रहे हैं न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, मैंने कह दिया कि आरक्षण पर आज चर्चा है उस समय अपनी बात कह दूंगा, बस।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आरक्षण का जो बिल आ रहा है वह मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के लिये नहीं है। यह कह रहे हैं, मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के लिये आप आरक्षण दे नहीं रहे हैं। उसमें आपकी देने की, सरकार की क्या मंशा है, आप अपनी मंशा बताइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने दूसरा विषय पुकार लिया है, समाप्त करें। श्री प्रकाशजी चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, अच्छा होता जो प्रतिपक्ष अपनी मंशा बता देता कि क्या कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है। हिम्मत हो तो जोर से बोले कि क्या कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया जाए। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी मानती है क्या? नहीं तो अब ये उठेंगे नहीं। इन्होंने प्रण कर लिया, ये उठेंगे नहीं। यह तो बात सही है। क्या कांग्रेस पार्टी इस हिन्दुस्तान में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात मानती है? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: यह विषय समाप्त हो चुका है। इसको लम्बा न करें। मैंने पर्ची का विषय पुकार लिया, बैठिये आप। श्री प्रकाशजी चौधरी।

(माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद व डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा धरना समाप्त)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: अब इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। बैठिये। माननीय मोहनलालजी गुप्ता। बैठिये आप।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री महीपाल यादव: मैंने दूसरा विषय पुकारा है, आप जिद न करें। माननीय मोहनलालजी गुप्ता।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं खड़ा हूं, मुझे आज्ञा दी है। आप कृपया बैठिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे कहना यही है कि पिछले 3 दिन से मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर, कालेज के विद्यार्थी, सैकड़ों की तादाद में एस.डी.एम. कोर्ट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। भूखे-प्यासे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनमें से पचासों लड़कों की हालत खराब हो गई है। उनसे जनता जुड़ती जा रही है। उनका कहना यह है कि आज से करीब 2 साल पहले हमने आन्दोलन किया था तो शिक्षा मंत्रीजी ने कुछ अधिकारियों को वहां पर भेजा था। उन अधिकारियों के नाम मैं बताना चाहता हूं, शिक्षा संकुल, जयपुर के तत्कालीन संयुक्त निदेशक, कालेज शिक्षा श्री जी.आर. फलसवाल वहां पर गये थे।

(समय : 14.48 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री दुर्गाप्रसाद राठौड़)

उनके साथ में सहायक निदेशक, कॉलेज शिखा दिलीप गोयल वहां पर गये थे और उन्होंने बच्चों को यह आश्वासन दिया था कि आप आन्दोलन को वापस लीजिएगा, आपके यहां पी.जी. कालेज नये सत्र में, अगले सत्र में खोल देंगे। दो साल का समय भी निकल गया। शिक्षा मंत्रीजी कृपया ध्यान देवें, दो साल का समय निकल गया, बच्चों के लिये जो वहां पर कॉलेज था उसको क्रमोन्नत किया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपको किसने बोलने को कहा?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय ने।

श्री अध्यक्ष: नहीं। आसन की जो व्यवस्था है उसे बदलने का किसी भी सभापति को कोई अधिकार नहीं है। आसन व्यवस्था दे चुका था।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): जब उन्होंने मुझे अधिकार दिया था तो मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आसन ने केवल तीन स्थगन प्रस्तावों के ऊपर 3-3 मिनट बोलने का समय दिया था। अब आप कृपया बैठ जाएं। अंकित नहीं हो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन पर नहीं बोला जाता इतना। यह पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन नहीं होता है। आप तो पुराने सदस्य हैं। पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन पर सदन को कोई इन्फार्मेशन दी जाती है। दे दी उन्होंने इन्फार्मेशन। वह दे दी उन्होंने।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या मतलब हुआ, ऐसे कैसे कह दें? अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। अब आप बैठिये। इस तरह से हाउस नहीं चलता है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मर्जी आए जो बोलने खड़ा हो जाए और मर्जी आए जो बोलने लग जाए, ऐसे सदन नहीं चलेगा। ऐसे सदन नहीं चलेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूं कि आप मुझे को-आपरेट करें। आप सहयोग करें। आप आसन को सहयोग करें। आसन आपसे सहयोग चाहता है। आसन

(श्री अध्यक्ष)

सहयोग चाहता है आपसे। अंकित तो हो नहीं रहा है। आप बोलें चाहे से। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित हो नहीं रहा है। अंकित नहीं हो रहा है तो ... (व्यवधान) सरकार क्या करेगी उसमें? जब अंकित ही नहीं होगा तो सरकार क्या कर लेगी? ... (व्यवधान) आप अब मुझे मजबूर कर रहे हैं। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, आपको क्या हो गया? आपका नाम तो नहीं पुकारा मैंने।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा नाम पुकार लिया था।

श्री अध्यक्ष: हां, तो आपका नाम पुकारूंगी। जब यह बैठेंगे तब पुकारूंगी न। आप एक बार बैठें तो सही। अब आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। (व्यवधान) गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण कर लीजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। कोई भी सदस्य खड़ा होकर बोलने लग जाएगा, ऐसे काम नहीं चलता। नहीं, बिलकुल नहीं चलेगा। अब आप स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बैठिये आप, मेरा नम्बर है।

श्री अध्यक्ष: आप सहयोग करें। आसन का सहयोग करें। आसन आपसे सहयोग मांग रहा है। आसन सहयोग मांग रहा है, आसन से सहयोग करें। श्री प्रकाश चौधरी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा नाम पुकार लिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया था सभापति महोदय ने।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री से यह बम ब्लास्ट के ऊपर इतना बड़ा हादसा हो गया आप जवाब की तो बात कहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठिये आप। डिस्टर्ब न करें। आपका बाद में आएगा न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, पहले इनका नाम बोला गया था, यह बोले नहीं थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका बाद में आएगा न। कोई इनसे पहले थोड़े ही आ जाएगा। आपका तो सैकिण्ड है।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कोई बात नहीं, सैकण्ड नम्बर पर बोल लेंगे, हमारा क्या है। (व्यवधान)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चित्तौड़गढ़ नगरपालिका में कार्यवाहक अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका चित्त्तौड़गढ़ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण राज्य सरकार ने श्री सुरेश झंवर, पार्षद को एक महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नोमिनेट किया है। लेकिन एक महीना जब पूरा नहीं हुआ, उसी बीच में दिनांक 16 को अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका चित्तौड़गढ़ ने नोटिस जारी करके 19 तारीख को नगरपालिका मण्डल के सदस्यों की विशिष्ट बैठक आमंत्रित की। उस बैठक में सुरेश झंवर कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे लेकिन जब तक वह महीना पूरा नहीं होता तब तक वह उनका समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपना समर्थन उस दिन प्राप्त किया। अपना बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद सुरेन्द्र योगी एक पार्षद न्यायालय में उस मैटर को ले जाकर स्टे ले आया। इनके खिलाफ स्टे ले आया और उस फैसले को बिलकुल सही माना कि नगरपालिका मण्डल ने जो निर्णय लिया है वह गलत लिया है। इस बात को लेकर नगरपालिका ने वापस अपील करी ए.डी.जे. कोर्ट में, वह फैसला फिर से सुरेन्द्र योगी के पक्ष में निकल गया कि गलत तरीके से इनका चयन किया गया है। तो मेरा इस मौके पर आपसे निवेदन है कि आज नगरपालिका चित्त्तौड़गढ़ के सभी पार्षदगण कम से कम 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, एक मीटिंग बुलायी जाए। अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, और जिस कार्यवाहक अध्यक्ष का समय एक महीने का था, वह भी पूरा हो चुका है। हो चुका क्या, उसने गलत तरीके से जो काम किया है, उसको कोर्ट ने गलत ठहराया है। इस बात को लेकर मेरा आपसे यह

(श्री प्रकाश चौधरी)

निवेदन है, अनुरोध है कि आप एक मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग में स्पष्ट बहुमत के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय मंत्रीजी से और आपसे मैं यह आशा करूंगा कि आप इसका जवाब दें कि यह काम कब तक हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: स्वायत्त शासन मंत्रीजी देख लेंगे। इसको देख लेंगे।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): यह मीटिंग कब तक हो जाएगी, क्योंकि नगरपालिका चित्तौड़गढ़ की सारी व्यवस्था चौपट हो रही है?

श्री अध्यक्ष: हो गयी आपकी बात।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): बारिश भी होने के कारण से नालों में पानी भरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता । अब आप विराजो तो सही।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ नगरपालिका के सम्बन्ध में जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की जा चुकी है और उच्च न्यायालय में मैटर सबजुडिस है, इसलिए जब तक उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता ... (व्यवधान) मेरी बात तो सुनो पूरी। मेरी बात तो सुनो पूरी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): नहीं हुआ, नहीं हुआ, याचिका तो दर्ज हुई है लेकिन ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में खड़े हो जाते हैं चाहे जब, क्या बात है यह? बात तो सुनिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): वैसे नगरपालिका का ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): वैसे नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी मीटिंग बुलाने के लिए अधिकृत है और वह मीटिंग बुला सकता है, उसको निर्देश दे दिये गये हैं कि आप मीटिंग बुलाएं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप समय सीमा तय कर दो उसकी कि दस दिन में बुलाये, आठ दिन में बुलाए, समय सीमा तय कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): डाइरेक्टर ने यहां से आदेश दे दिया उसके बाद भी अधिशासी अधिकारी उसकी तामील नहीं करता है। उसकी क्या जवाबदारी है? उसके बाद आप जिम्मेदार हो। सरकार जिम्मेदार है कि आखिर अधिशासी अधिकारी आपके आदेशों की पालना क्यों नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता। श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो समय सीमा तय कर दो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात हो गयी, हर मामले में ही ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): समय सीमा तय कर दो न, साहब।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चिड़ावा के मामले में भी ऐसे ही कर दिया। (व्यवधान) ऐसे ही कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपने बात कह दी। पर्ची में बात कह दी आपने।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 23.6.2008 के बाद ... (व्यवधान) सारा इल्लीगल काम हो रहा है। अगर उसकी समय सीमा ही एक महीने थी तो एक महीने में दूसरा काम हो रहा था, वह ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): समय सीमा तय कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठो। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर पर्ची पर मंत्री जवाब दें। कोई आवश्यक नहीं है कि हर पर्ची पर मंत्री जवाब दें। फिर भी आपको जवाब दे दिया। श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): एक मीटिंग बुला लें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप टाइम बता दो कि कब तक बुला लेंगे मीटिंग? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मीटिंग बुला लीजिए आप। (व्यवधान) आप टाइम बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अधिकारी ने

(श्री संयम लोढ़ा)

अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मीटिंग बुलायी है पहले, अब हाउस में आ गया, उसके बाद मंत्रीजी बता दें कि कितने दिन में मीटिंग होगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, नहीं, आप टाइम तय कर दीजिए। आपने यह निर्देश दे दिये कि मीटिंग बुला लें तो कब तक बुला लेगा? ही तो प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): (व्यवधान) आप बताएं कि दो दिन में होगी, चार दिन में होगी, 10 दिन में होगी, तारीख बता दें, आप बता दो। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अधिशासी अधिकारी आपका आदेश नहीं माने, यह कैसे सम्भव है?

एक माननीय सदस्य : नहीं बुलाएंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक मंत्री कह रहे हैं कि कहा गया है और दूसरे मंत्रीजी कह रहे हैं कि नहीं बुलाएंगे। वह तो कह रहे हैं, बुलाएंगे। एक मंत्रीजी तो कह रहे हैं बुलाएंगे और दूसरे मंत्रीजी कह रहे हैं कि नहीं बुलाएंगे। यह दूसरे मंत्रीजी किस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं बुलाएंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस मामले में जिस मंत्री के पास विभाग है, जिसके पास विभाग है उनकी बात आथेंटिक है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इस तरह से यह कह रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक केबिनेट का मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं बुलाएंगे। आप इस बात का फैसला ही नहीं करवा रहे हैं, केबिनेट के मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं बुलाएंगे और आप कह रहे हैं, बुलाएंगे।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): क्या यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री कौन है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): स्वायत्त शासन मंत्री कह रहे हैं, बुलाएंगे और दूसरे मंत्री कह रहे हैं नहीं बुलाएंगे। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वह तो करने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक केबिनेट मंत्री कह रहा है कि नहीं बुलाएंगे और दूसरे राज्य मंत्री कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे और इस कारण से ही राजनीतिक प्रपंच में उस नगरपालिका का सर्वनाश किया जा रहा है। न यहां पर अध्यक्ष है, न यहां पर उपाध्यक्ष है और गैर कानूनी ढंग से ... (व्यवधान) माननीय भाटी साहब, आपको इतनी जल्दी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। महीने दो महीने की बात है, इतने उतावले आप मत हो। आपका कोई लेना-देना नहीं है। आप इतने उतावले मत हो। मुख्य मंत्रीजी के ... (व्यवधान) इतने ज्यादा उतावले होकर काम मत करो। दे रहे हैं मंत्री जवाब।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): जो हुआ, कह दिया सो कह दिया। (व्यवधान) राज करेगा ख़ालसा । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राज करेगा खालसा, आएंगे चार महीने में तब पता लग जाएगा कि क्या होगा? चार महीने में राज क्या करेगा। जो बाद में मंत्री बना है न, उसका भविष्य हमेशा राजनीतिक इतिहास में अंधकार में रहा है, आज तक का ... (व्यवधान) हां, हां, मेरा भी रहा है। मेरा भी रहा है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): लिखा लाया हूं। हस्तरेखा में जीत ही जीत लिखाकर लाया हूं। आप नीचे से ऊपर तक पूरा जोर लगा लेना, हस्तरेखा में सिर्फ जीत लिखाकर लाया हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐसा है, मैं इस विवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता लेकिन अनावश्यक रूप से स्वामी भक्ति की परीक्षा मत दो। न जाने कब आपके विचार बदल जाएं और कब आप फ्लोर बदल कर इधर से उधर हो जाओ। आपका स्थायित्व नहीं है राजनीति की ओर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह नीचे वाला जोर कौनसा होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊपर का जोर समझ में आता है, नीचे वाला जोर कौनसा होता है, यह स्पष्ट करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): आपकी तरह कोई बारी नहीं बांध रखी कि एक बार ठण्ड पी जाते हो और कभी धूप में आ जाते हो। अब तो राज करेगा खालसा ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अस्थिर राजनीतिक निश्चित ही ...

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(व्यवधान) राजस्थान की राजनीतिक का सत्यानाश का रहा है। जिसमें स्थिरता नहीं है, जिसमें सोच नहीं है, जिसमें विवेक नहीं है। राजनैतिक सोच के हिसाब से, अपने व्यक्तिगत सोच के हिसाब से जो फैसला लेता है, यह सोच ही राजस्थान की राजनीति का सर्वनाश कर रही है।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटिंग की समय सीमा तय की जाए। चित्तौड़गढ़ नगरपालिका की मीटिंग की समय सीमा तय की जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो मैं यह चाहूंगा माननीय स्वायत शासन मंत्री घोषणा करें कि कब तक मीटिंग बुला लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता, प्रारम्भ करें आप। आप प्रारम्भ करें। इनको बोलने दें। आप प्रारम्भ करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यह अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): समय सीमा तो तय करो हमारी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप मीटिंग बुलाने की,... (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): समय सीमा तय की जाए हमारी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने दो-दो मंत्री कह रहे हैं, तीन-तीन कह रहे हैं और आप चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी हो। केबिनेट मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं बुलाएंगे और राज्य मंत्री कह रहा है, बुलाएंगे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): समय सीमा तय की जाए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह इतना शत-प्रतिशत पक्षपातपूर्ण रवैया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह पक्षपातपूर्ण रवैया है। आप सरकार को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं।

(समय : 15.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस वाजिब बात पर वह कह रहे हैं, दिलाएंगे तो तारीख बताइये कि आप कब बुलाएंगे। आपने कहा है कि मीटिंग बुलाएंगे तो कब बुलाएंगे? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका माइक बन्द करवाइये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इतना पक्षपात हो रहा है और आप इसमें सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि हां, यह ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा .. (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप समय सीमा तय नहीं करवाती हैं तो मैं धरने पर बैठता हूं।

(श्री प्रकाश चौधरी सदस्य द्वारा सदन-कूप में धरना)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 26 तारीख के बाद में सारा इल्लीगल काम हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या बात हुई यह? आप टाइम फिक्स नहीं कर रहे, आप टाइम फिक्स करो। क्या बात हुई यह? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण विचाराधीन है। सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उच्च न्यायालय का इस पर कोई स्टे नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): स्टे वेकेट नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार कोई पार्टी नहीं बन सकती। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हाई कोर्ट का स्टे है क्या उस पर? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तय कराने में क्या आपत्ति है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): समय सीमा तय कराओ न, उसमें क्या आपत्ति हो गयी? (व्यवधान) समय सीमा तय करवाइये आप उसकी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो डायरेक्शन दे सकते हैं । समय सीमा तय करवाइये। समय सीमा तो तय होनी चाहिये। कब बुलाएंगे मीटिंग? कितने दिन से गड़बड़ कर रखी है। (व्यवधान) चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन नहीं, एक पार्षद को चार्ज दे रखा है। यहां क्यों नहीं दे देते, मुख्य मंत्री का चार्ज किसी और को क्यों नहीं दे देते? यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष भी नहीं हो, उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो नगरपालिका का काम कैसे चलेगा? अगर जल्दी से चुनाव करा दें तो उसमें कौनसी आपत्ति है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने साफ तौर पर कह दिया कि मामला सबजुडिस है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने साफ कह दिया कि मामला सबजुडिस है। मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है। जब कोई मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है और राजस्थान की सरकार उसमें पार्टी नहीं है तो मंत्रीजी क्या कर सकते हैं? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है और उसमें राजस्थान की सरकार पार्टी भी नहीं है। जब मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है तो मंत्रीजी क्या कर सकते हैं? (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा कूप में प्रवेश एवं नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण विधेयक विचारार्थ आने वाला है, सब लोग अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं। अब अगला नाम पुकारो आप, अध्यक्ष महोदय, फिर हमारा बिजनस लो। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में प्रवेश एवं नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा हो जाएगी। पर्ची के माध्यम से कोई मामला उठाकर वैल में आ जाना, यह कहां की परम्परा है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): लोकतंत्र क्या है, डेफिनिशन जानते हो क्या आप? लोकतंत्र का मतलब उच्च न्यायालय में लम्बित मामले के ऊपर, यहां पर दादागीरी कर रहे हो, यह होता है लोकतंत्र? गुण्डागर्दी करना किसी भी नाम से ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ..(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हो गया, हो गया। प्रकाशजी, आपका हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने कह तो दिया। मंत्रीजी ने खड़े होकर आदेश दे दिये और मंत्रीजी ने कहा कि मीटिंग बुला देंगे। अब यह अननैसेसरी मान ही नहीं रहे उस बात को। (व्यवधान) कह तो दिया उन्होंने कि मीटिंग बुलायेंगे। मंत्रीजी ने कह दिया था। (व्यवधान) देखिये, वह कुछ कहने के लिये खड़े हुए तो आपके तीन-तीन सदस्य खड़े हो गये। (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिये। यहां से खड़े-खड़े बात कर रहे हैं आप। मैं तो यह कह रही हूं कि मैं सुन नहीं पाई कि उन्होंने क्या कहा। मैं तो सुन ही नहीं पाई कि उन्होंने क्या कहा। (व्यवधान) हां, अब आप फर्माएं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे निवेदन किया कि जो 19 तारीख को बोर्ड की मीटिंग रखी गयी थी, उस मीटिंग के विषय में कांग्रेस के माननीय सदस्य ने जाकर सिविल न्यायाधीश को दरख्वास्त दी। सिविल न्यायाधीश ने उस 19 तारीख की मीटिंग को स्टे कर दिया कि आगे जो प्रस्ताव लिये हैं वे प्रस्ताव स्थगित किये जाते हैं, कोई कार्यवाही न करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: होगी गलत वह, न्यायालय के सामने यह क्या कर सकते हैं? (व्यवधान) फिर वही बात। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरी बात तो सुनो आप। 19 तारीख की मीटिंग को स्टे कर दिया उसके खिलाफ अपोजिट पार्टी सैशन न्यायालय में गयी। सैशन न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया। उस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। तो जब तक उच्च न्यायालय में प्रकरण है, इस प्रकरण की शुक्रवार को पेशी है। (व्यवधान) शुक्रवार को जब तक डिसाइड नहीं होता है। ..(व्यवधान) आप सुनें, शुक्रवार को यह पेशी रखी गयी है और अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इस केस में पार्टी नहीं बनाया गया है। यह आपस में दोनों पार्टियां उलझ रही हैं और अधिशासी अधिकारी अपने आप में सक्षम हैं, वह बुला सकते हैं मीटिंग। राज्य सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है मीटिंग बुलाने के लिये, कि मीटिंग नहीं बुलानी। अब यह कह रहे हो कि आप तारीख दो। तारीख इस स्टेज पर हम नहीं दे सकते, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में सबजुडिस है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मैटर हाई-कोर्ट में सबजुडिस है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको कोई बात कहनी है..(व्यवधान) नहीं, वैल में खड़े होकर किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, नो-नो, जब तक आप यहां खड़े होकर बात करेंगे ..(व्यवधान) नहीं, बिलकुल सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कांग्रेस की तरफ से सवाल किये जा रहे हैं वैल में खड़े होकर और सरकार से उत्तर मांग रहे हैं यह। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य जवाब मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपने स्थान पर जाकर बात करिये। (व्यवधान) आपको कुछ कहना है तो अपने स्थान पर जाकर कहो। (व्यवधान) वैल में खड़े होकर बात नहीं करने दूंगी मैं। (व्यवधान) वहां जाकर कहो आप। आप जाओ। (व्यवधान) आप वहां पर जाकर करिये अपनी बात। बिलकुल आप वैल में खड़े होकर नहीं कर सकते। (भारी व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक) यह नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): धमकाने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन को सीधा धमका रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह आसन के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जोशीजी की दादागीरी नहीं चलेगी। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आसन को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन की गरिमा को गिराने में जो कुछ कृत्य किया, राजस्थान की सारी जनता देख रही है। आज इतना महत्वपूर्ण बिल है और उसके अन्दर सब भाग लेना चाहते हैं, सब माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान) यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा कूप में नारेबाजी)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): हत्यारे आप हो लोकतंत्र के। .. (व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने हाउस को मिसलीड किया है। मीटिंग पर कोई स्टे नहीं, रिजोल्यूशन को स्टे किया है। जानकारी होनी चाहिये इनको। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की तरफ से जो हो रहा है, यह हम सबके लिये चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह सबजुडिस है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन के साथ इस तरह का व्यवहार शर्मनाक है। (व्यवधान) आज इस सदन के अन्दर एक माननीय सदस्य कहते हैं ..(व्यवधान) इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हाउस को यह मिसलीड कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहे हैं और आसन को प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आसन के साथ यह व्यवहार, मैं समझता हूं, शोभनीय नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हो रहा है जबकि प्रतिपक्ष के लोग वैल में खड़े होकर सरकार से सवाल का जवाब चाहते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज ......

लगातार प्रतिपक्ष की इच्छा नहीं है। एक महत्वपूर्ण बिल आ रहा है, और एक ऐतिहासिक बिल आ रहा है उसमें भाग लेने की इच्छा नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। आप कार्यवाही को आगे बढ़ाएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, कार्यवाही को आगे बढ़ाएं आप।

एक माननीय सदस्य : पांच-सात आदमी रहे हैं, वो ही भाग जाएंगे (व्यवधान) 22 के बाद कोई नजर नहीं आएगा। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा कूप में धरना)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया। इतना महत्वपूर्ण बिल आ रहा है और इस प्रकार से सदन में यह हो-हल्ला कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कांग्रेस इस बिल के खिलाफ है क्या? (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): यह बिल कील ठोकेगा आपके। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनस को आगे चलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है आपसे, आसन से प्रार्थना है, माननीय सदस्य बात कहना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बिल पर बहस करना चाहते हैं, आप बिजनस को आगे चलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका पर टिप्पणी यहां हो रही है, आसन पर टिप्पणी यहां हो रही है, मैं समझता हूं प्रतिपक्ष का अशोभनीय व्यवहार शर्मनाक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कभी भी शून्य नहीं रहता है, इस समय सदन में शून्य की स्थिति बनी हुई है, शून्य की स्थिति तोड़िये और काम को आगे बढ़ाइये। सदन में कभी शून्य रहता नहीं है, सदन में कार्यवाही लगातार चालू रहती है या कार्यवाही स्थगित रहती है इसलिए इसको चालू कराइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पर्ची के माध्यम से हाउस में करते हैं ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इन्होंने कहा है कि मैटर सबजुडिस है, इन्होंने गलत नहीं कहा है, सही कहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो एक अवसर दे रही हैं बोलने का ...(व्यवधान) आसन बोलने का अवसर देता है लेकिन इस प्रकार की ज्यादती, यह सदन के साथ ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह आपके दबाव में कुछ भी कहने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कि हमने मीटिंग बुलाने के आदेश जारी कर दिये हैं, वो मीटिंग बुला लेंगे। अगर यह वहां चल रहा था तो आपने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया कि हमने मीटिंग बुलाने के आदेश दे दिये हैं? और जब आपने कहा कि मीटिंग बुलाने के आदेश दे दिये हैं तो फिर समय तय करो। फिर आप समय तय करने से क्यों मुकर रहे हैं? (व्यवधान) आपने कहा, मीटिंग बुलाने के आदेश दे दिये हैं। जब मीटिंग बुलाने के आदेश दे दिये हैं तो समय सीमा तय करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपने खुद कहा है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर आसन ने केवल इसलिए कृपापूर्वक अनुमति दी है कि दो मिनट के लिए बोल लें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सप्लीमैंट्री डिमाण्ड भी हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक आरक्षण जैसा बिल है, पूरा राजस्थान देख रहा है टकटकी लगाए कि राजस्थान की विधान सभा में किस तरह के विचार व्यक्त करेंगे माननीय सदस्य। पूरा राजस्थान देख रहा है ...(व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सारे सदन की कार्यवाही ...(व्यवधान) आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप प्रोसिडिंग उठा कर देख लीजिए, मंत्रीजी ने कहा है कि हमने मीटिंग बुलाने के निर्देश दे दिये हैं ...(व्यवधान)... यह सक्षम हैं, वहां मीटिंग बुला लेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह किताब ले-लेकर खड़े हो जाना ...(व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा कूप में धरना)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब मीटिंग बुला ही नहीं सकते कानूनी तो आपने निर्देश काहे को दिये फिर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन को तो आगे बढ़ाओ न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): व्यवधान डाल कर चर्चा को रोकना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई से आम आदमी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नयी परम्परा स्थापित नहीं करें ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनस को आगे बढ़ाएं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं बोलना चाहता हूं ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार जिस प्रकार से महंगाई ...(व्यवधान) जिस प्रकार से आम आदमी का जीवन त्रस्त हो गया ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी-अभी प्रतिपक्ष ने मुझे कुछ पेपर्स दिये हैं इसमें, मैं उन्हें देख लेती हूं और देखने के बाद कल इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दूंगी। आपसे अब निवेदन है कि अपने-अपने स्थान पर जाकर आप बैठिये।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप से धरना समाप्त)

देखिये, चूंकि कल वादा था कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, मैं आपको तीन मिनट, तीन मिनट से मैं चौथा मिनट नहीं दूंगी, तीन मिनट में आप अपनी बात रखिये।

देश में व्याप्त महंगाई

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई के विषय में बोलना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से महंगाई इस देश में हो रही है और यू.पी.ए. की सरकार ने जिस प्रकार से आम आदमी का जीना दूभर कर दिया, मैं कहना चाहूंगा ...(व्यवधान) कांग्रेस का हाथ जो आम आदमी के साथ था, आज वो कांग्रेस का हाथ आम आदमी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया सुनें आप उन्हें। सुनिये तो सही।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह बोल रहे थे तब बोल रहे थे, हम भी बोलेंगे। (व्यवधान) अगर यह बोलेंगे, यह यू.पी.ए. की सरकार का क्यों कहते हैं? (व्यवधान) यह अपनी बात कहें। इन्होंने महंगाई में मार दिया ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): हर चीज में आपकी दादागीरी चलेगी क्या? आपको नहीं सुनना तो आप बाहर चले जाइये न। आप बोलने नहीं दे रहे किसी को, यह कौनसी बात हुई? हर बात पर ही खड़े हो जाते हो। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 28 परसेंट पैट्रोल पर टैक्स लगा रखा है, 21 परसेंट डीजल पर टैक्स लगा रखा है, इससे महंगाई बढ़ती जा रही है ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कांग्रेस पार्टी महंगाई का नाम लेते ही भाग गयी ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सुनिये, आपने महंगाई रोकने के ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आज कमर तोड़ महंगाई में राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस महंगाई ने सब की कमर तोड़ी है। (व्यवधान) यह सोनिया गांधी और मनमोहन सिंहजी ने ...(व्यवधान) पहली बार इतनी महंगाई की है जिससे आम आदमी दुःखी है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको सड़कों का पैसा दे दिया, आपको बिजली का पैसा दे दिया ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कांग्रेस ने क्या किया, जनता के साथ धोखा किया, महंगाई बढ़ायी और बात करते हो सदन में। वहां जाकर सोनिया गांधी से बात करो कि महंगाई कम करो। हर आदमी परेशान है महंगाई से। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी सरकार ने क्या किया, यह तो बता दो। आपकी सरकार ने क्या किया? (व्यवधान) सोनिया गांधी देश की नेता हैं ...(व्यवधान) आपके अटल बिहारीजी 12 दिन के लिये प्रधानमंत्री बन (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको क्या दर्द हो रहा है? यह समझ में नहीं आया। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह इनको क्या दर्द हो रहा है, यह समझ में नहीं आया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके अटल बिहारीजी 12 दिन के लिये ...(व्यवधान) तेरहवें दिन उनका +++ हो गया। और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। कहां, किस त्याग, तपस्या की बात करते हो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। ...(व्यवधान)...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आम आदमी का जीना दूभर हो गया। आम आदमी, किसान, मजदूर तबका कांग्रेस के शासन में दुःखी है, त्रस्त है, वो गालियां दे रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हमारी एन.डी.ए. की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तब महंगाई का क्या स्तर था, यह मैं बताना चाहता हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यह बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। आखिर हम भी कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आये हैं, कोई इनकी मर्जी पर नहीं आये हैं। (व्यवधान) अगर यह बोलेंगे और हमारी पार्टी के खिलाफ हो तो हम को मजबूरन बोलना पड़ेगा। आप इनको रोकिये, हम नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और यह बोलेंगे जो नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय की परमिशन से बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): महंगाई राजस्थान सरकार के कारण से बढ़ी है कि केन्द्र के कारण? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कहां सोनिया गांधी और कहां आपकी पार्टी!

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया है। कांग्रेस सरकार के जमाने में जिस प्रकार से महंगाई हो रही है ... (व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सैस लगा कर राजस्थान के गरीब लोगों का गला घोट दिया है ...(व्यवधान) यह क्यों बोलते हैं? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप बैठिये, आप सुनिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप गरीब की बात कह कर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): केन्द्र सरकार पैसा नहीं देती तो आपकी नैया डूब जाती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप वहां खड़े हो कर कह रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनको कहिये, यह कांग्रेस का नाम नहीं लें, यह अपनी बात कहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सौ बार नाम लेंगे ...(व्यवधान) बी.जे.पी. का लेते नहीं हैं? (व्यवधान) यह क्या बात हुई?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप उनको कहिये, अगर यह कांग्रेस का नाम लेंगे तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपको भी अधिकार है बी.जे.पी. का नाम लेने का, उनको भी अधिकार है कांग्रेस का नाम लेने का। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस इतनी बुरी हो गयी है कि नाम भी नहीं लें?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई पर कंट्रोल करना केन्द्र सरकार का काम है, यह मेरे जैसा भोलाभाला व्यक्ति भी जानता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महंगाई पर रोक लगाने का काम केन्द्र सरकार का ही नहीं राज्य सरकार का भी है और जिला प्रशासन का भी है। इस जिम्मेदारी से राजस्थान की सरकार बच नहीं सकती।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आज आम आदमी की जेब में जिस प्रकार से डाका डाला, दूध, फल, सब्जी, दाल, सीमेंट, तेल, घी, शक्कर सब महंगा हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब नहीं। (व्यवधान) बीच में नहीं टोकें, बीच में नहीं बोलें। यह जो बीच में बोलते हैं इनकी बात को अंकित नहीं करो आप। बस।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि एन.डी.ए. की सरकार जब थी तो आटा सात रुपये किलो था ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। यह इन्होंने फैसला कर लिया है, प्रतिपक्ष ने फैसला कर लिया है कि सुनेंगे नहीं तो अब मैं ...(व्यवधान) मैं आपसे चाहती हूं, आपका नाम लिया मैंने, आपने उठा दिया, महत्वपूर्ण बिल है इसलिए मैं आगे कार्यवाही पर आती हूं और पर्चियों पर मैंने मान लिया कि आपने अपनी बात उठा दी और बोल दिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। आटा साढ़े सात रुपये किलो था, आज 14 रुपये, 16 रुपये किलो हो गया। चावल हमारी सरकार के समय साढ़े सात, आठ रुपये किलो था, वह 17 रुपये, 18 रुपये किलो हो गया। सरसों का तेल ...(व्यवधान) 60 रुपये किलो हो गया।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

उपनिवेशन विभाग

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, श्री रामनारायण डूडी, राजस्व मंत्री उपनिवेशन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय सदस्य, सब अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। हां।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या एफ.4(16)कोल/99 दिनांक 29.02.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है,

(2) अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल/2005 दिनांक 07.03.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है, एवं

(3) अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल/2005 दिनांक 12.06.2008

(श्री रामनारायण)

जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्षः श्री शांतिलाल चपलोत। श्री देवीसिंह भाटी।

अब कुछ नहीं। मैंने कहा, स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी।

आबकारी विभाग

श्री देवीसिंह भाटी (आबकारी विभाग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/ईएक्स/2008-पार्ट दिनांक 31.3.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(62)एफडी/ईएक्स/96 दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना दिनांक 22.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(7)एफडी/ईएक्स/2005 दिनांक 5.5.2008 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(7)एफडी/ईएक्स/2005-पार्ट दिनांक 22.5.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(37)एफडी/ईएक्स/98 दिनांक 29.7.1998 को निष्प्रभावी किया गया है ; एवं

5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(17)एफडी/ईएक्स/2004-पार्ट-5 दिनांक 31.5.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(62)एफडी/ईएक्स/96 दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूण, तेल, घी, मिर्च और गैस ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रोकते क्यों नहीं इनको? (व्यवधान) क्या करते हो ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) पीसो खाकर कीमत घणी बढ़ाई सा, आटो दाल मंहगो कर दियो घर नै कइयां चलावां सा, घर नै कइयां चलावां सा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह आसन को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान) आसन को चुनौती दे रहे हैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (क्र.सं. 84 से 93)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 का 84वां प्रतिवेदन ।
2. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 का 85वां प्रतिवेदन ।
3. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 का 86वां प्रतिवेदन ।
4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2005-06 के 35वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 का 87वां प्रतिवेदन ।
5. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2006-07 के 45वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा

(श्री शांतिलाल चपलोत)

की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 का 88वां प्रतिवेदन ।

6. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-97 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-05 के 5वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09का 89वां प्रतिवेदन ।

7. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-95 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2005-06 के 36वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 का 90वां प्रतिवेदन ।

8. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2006-07 के 56वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 का 91वां प्रतिवेदन ।

9. राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2006-07 के 58वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 का 92वां प्रतिवेदन ।

10. राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-04 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-08 के 71वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2008-09 का 93वां प्रतिवेदन।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कांग्रेस के लोग दो मिनट का उनको समय दिया था, बीस-बीस मिनट खराब करते हैं। आज आम आदमी मंहगाई से त्रस्त है, मुझे बोलने का क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा भी अधिकार है ...(व्यवधान) मैंने भी पर्ची दे रखी है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप लोगों ने मंहगाई को बढ़ाया है।

श्री अध्यक्ष: श्री सांवरलाल। (व्यवधान)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान भू-जल विकास और प्रबंध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-जल विकास और प्रबंध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उप स्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री रामनारायण डूडी।

राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

पुर:स्थापित करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2008-2009 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2008-2009 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है, क्योंकि यह तय हो गया था बी ए सी में कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा इसलिए मुख बंद का प्रयोग करके आपसे स्वीकार करवा रही हूं इन मांगों को।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या–5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,17,000/- (तीन लाख सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–9

बीच में बैठे बैठे नहीं बोलें, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे निवेदन कर रही हूं। क्योंकि जब आसन पांवों पर भी हो, जब आपसे मांग स्वीकार करवा रहा हो, उस वक्त आप बोलते हैं ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9-वन के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19- लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/- (सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27- पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 69,00,00,000/- (उनहत्तर करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 50,00,000/- (पचास लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,00,00,000/- (चौंतीस करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,40,01,000/- (एक अरब तीन करोड़ चालीस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,01,000/- (पांच करोड़ एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सहकारिता मंत्री, आप तो हां भी नहीं बोले।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,40,00,00,000/- (तीन अरब चालीस करोड़) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-51

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,00,00,000/- (इक्यावन करोड़) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वित्त मंत्रीजी की तलाश हो रही है, वित्त मंत्रीजी कहां हैं?

श्री अध्यक्ष: देखिये जिस समय मुख बंद होता है, मुख बंद का कायदा यह होता है कि न कोई खड़ा हो सकता है, न कोई बोल सकता है, न कोई सदन छोड़ सकता है। आप विराज जाएं। आप विराज लें।

मांग हो गयी पूरी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वित्त मंत्रीजी की तलाश है।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। पुर:स्थापित भी करें मंत्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप विचारार्थ के लिये भी करें।

विधेयक पर विचार

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह पहला अवसर है जब बिना वित्त मंत्री के सब कार्यवाहियां चल रही हैं। न स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर कोई, न वित्त मंत्री कोई और बिना वित्त मंत्री के सब कार्यवाहियां चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय?'

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को तो बुलाओ, यह पैसा दे किसको रही हो आप?

खण्डश: विचार

खण्ड-2 व 3- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- स्वीकार किये जाएं?'

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- स्वीकार किये गये।

अब आप पारित करने के लिये कहें।

विधेयक का पारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस पर मैं बोलना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मुख बंद है ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पारित ... (व्यवधान) मुख बंद में मांग पर होता है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी सुन लीजिये पहले ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड पार्ट के ऊपर हम बोलने का राइट रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप मेरी सुन लीजिये पहले, फिर बोल लें। फिर कहियेगा। बी ए सी की मीटिंग में यह निर्णय हो गया था, तय हो गया था कि इसके ऊपर कोई विचार नहीं होगा। प्रस्ताव करते ही यह पास हो जाएगा। It was decided in the meeting.

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): कल्लाजी की तो बैक डोर वाली आदत है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो तय नहीं हुआ था कि बिना वित्त मंत्री के भी पास हो जाएगा। वित्त मंत्री को तो होना चाहिये यहां। आज तक इस विधान सभा में ऐसा नहीं हुआ। यह सदन का अपमान है। बजट सप्लीमेंटरी, बिल पास कराओ, यह तो आपकी सदाशयता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी सदाशयता है, वर्ना वित्त मंत्री को तो होना चाहिये यहां।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008

आप प्रस्ताव करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: चूंकि ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के इतिहास में बहुत लम्बे अंतराल के बाद पहला ऐसा समय आया है जिसमें एक बिल के प्रति पक्ष और विपक्ष दोनों का एक ही नजरिया है। जिस तरह प्रतिपक्ष ने सहृदयता दिखाकर यह निर्णय लिया कि वह इस बिल के समर्थन में अपनी बात कहेगा तो मैं समझता हूं कि अब इस बार इस बिल पर जब हम विचार-विमर्श करेंगे तब भी हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा तो राजस्थान के वे लोग जो वर्षों से इन्तजार कर रहे थे, पिछड़े लोग जिनको इंतजार था कि कभी उनकी भी कोई सुनेगा, उस तरफ यह ऐतिहासिक शुरूआत हो रही है, इसके लिये मैं प्रतिपक्ष के नेता सहित सबको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी सहृदयता दिखायी कि सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्यामजी, अब स्थिति यह हो गयी कि आपके बाद भी इनको बोलने की जरूरत पड़ रही है।

श्री अध्यक्ष: वैसे तो प्रथम वक्ता संयम लोढ़ा हैं लेकिन चूंकि प्रतिपक्ष के नेता की ओर से मेरे पास यह रिक्वैस्ट आयी है कि उन्हें सबसे पहले बोलने का मौका दिया जाए इसलिये मैं परम्परा को तोड़ते हुए प्रतिपक्ष के नेता को पुकार रही हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, पुकारो।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): लास्ट में बोलते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने कहा है कि आप पहले बोल लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जनमत जानने का है ... (व्यवधान) आप बोलो तो। जब आसन ने व्यवस्था दे दी तो आप बोलिये। आप उनकी बात का जवाब क्यों दे रहे हैं?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह राठौड़ साहब का कहना मानते हैं।

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब का कहना मानते हैं कि आसन का मानते हैं? पहले फैसला करिये, आसन का मानते हैं कि राठौड़ साहब का मानते हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मानना ही पड़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह अन्दर की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने इजाजत दे दी इसकी।

श्री अध्यक्ष: इजाजत तो दे दी। वह कहना मानने पर बात आ गयी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो आउट आफ दी हाउस की बात है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आउट आफ दी हाउस है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 जो इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वह आवश्यकता इसलिये नहीं थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग इनको पहले से आरक्षण प्राप्त है जिसका ये वर्ग लाभ पहले से उठा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को 16 परसेण्ट और 12 परसेण्ट संविधान के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग को 21 परसेण्ट का लाभ पहले से मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण का लाभ दिया गया वह राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित करके दिया है। तो क्या विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग को नोटिफिकेशन के जरिये गजट में प्रकाशित करके दिया जा सकता था या नहीं दिया जा सकता था? मैं समझता हूं, जब पिछड़ा वर्ग को नोटिफिकेशन के द्वारा गजट में प्रकाशित करके 21 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है तो इनको भी 5 प्रतिशत और 14 प्रतिशत आरक्षण नोटिफिकेशन के द्वारा गजट में छाप करके दिया जा सकता था। परन्तु इस बिल को सदन में ला करके सरकार अपना राजनीतिक उद्देश्य हल करना चाहती है। यह राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये यहां पर लायी है। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आरक्षण जो दे रहे हैं, वह सारे विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग दो को ही आप पांच प्रतिशत और चौदह प्रतिशत दे रहे हैं, आप एस.सी., एस.टी. और पिछड़ा वर्ग को तो कुछ नहीं दे रहे हैं। जो पहले से प्राप्त है उसी को आपने इसमें मेंशन किया है, इसमें जोड़ा है, क्या जरूरत पड़ी है इसको उसमें जोड़ने की? जब उनको पहले से लाभ मिल रहा है फिर उनको इनके साथ घसीटने की क्या आवश्यकता पड़ी है। क्यों घसीटा जा रहा है? अनावश्यक इसके साथ में? वह इसलिए कि पूरे प्रदेश में भ्रम फैलाया जाये लोगों में, लोगों में इस तरह से भ्रांति फैलाएं, आपस में एक-दूसरे के प्रति भ्रम फैलाया जाए और एक जाति की दूसरी जाति के प्रति, एक

(श्री हेमाराम चौधरी)

वर्ग की दूसरे वर्ग के प्रति कटुता पैदा हो। यह सरकार की मंशा है। सरकार ने गुर्जरों को पिछली विधान सभा के चुनाव में यह आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार बनी तो हम अनुसूचित जनजाति की सूची में आपको शामिल कर लेंगे, जो कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला ही नहीं है। जो राज्य सरकार कर ही नहीं सकती फिर भी आश्वासन दें तो इससे ज्यादा और कोई...

श्री अध्यक्ष: ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं था, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी कई बार कह चुकी हैं कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अगर इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो पांच सालों में इस सरकार से गुर्जरों के प्रतिनिधि कितनी बार मिले, मुख्य मंत्रीजी से मिले, उन्होंने इसके लिए ज्ञापन दिये और जब इस प्रकार का आश्वासन दिया नहीं तो गुर्जरों ने जो आंदोलन शुरू किया वह मैं समझता हूं कि इनके आश्वासन के आधार पर ही किया। पहले गुर्जरों ने 29 मई, 2007 को आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी, सरकार ने उस चेतावनी को गम्भीरता से नहीं लिया। मुख्य मंत्रीजी स्वयं उस समय राजस्थान में मौजूद नहीं थीं जबकि मुख्य मंत्री को राजस्थान में उस समय होना चाहिए था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुख्य मंत्रीजी ने और राजस्थान की मौजूदा सरकार ने इसको बिलकुल ही गम्भीरता से नहीं लिया। करते हैं, मांग हमेशा करते हैं, लोग यही करते हैं, करते रहते हैं, उन्होंने उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उनसे कोई वार्ता करके, बैठाकर कोई रास्ता निकालते तो निकल सकता था। अब आपने रास्ता निकाला है तो यह रास्ता तो 29 मई, 2007 से पहले भी निकल सकता था। 29 मई को 26 लोगों को पुलिस की गोली से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कर देते। 26 लोगों की मौत हो जाने, शहीद हो जाने के बाद भी आप यह रास्ता निकाल लेते जो आप आज कह रहे हैं कि हम रास्ता निकालकर लाये हैं। बहुत जोर-जोर से मेजें थपथपा रहे हो। उस समय यह सदन में ले आते, सदन में लाने की जरूरत नहीं थी, नोटिफिकेशन से भी हो सकता था। लेकिन न आप सदन में लाये, न आपने नोटिफिकेशन जारी किया। जब 29 मई, 2007 को सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच में समझौते हुए, क्या समझौता हुआ, उस समझौते की भी जानकारी आपको सदन को देनी चाहिए थी। लेकिन आपने उस समझौते की भी कोई जानकारी सदन को नहीं दी।

(श्री हेमाराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, आपने एक हाई पावर कमेटी रिटायर्ड जस्टिस जसराज चौपड़ा की अध्यक्षता में गठित की, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 15 दिसम्बर, 2007 को राज्य सरकार को सौंप दी। राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को बिना पढ़े, बिना एग्जामिन किये और बिना कोई रिकमंडेशन के एज इट इज फारवर्डिंग लैटर के साथ भारत सरकार को भेज दिया। अपने ऊपर से बला टालने के लिए भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने भी उस कमेटी की रिपोर्ट पर 23 जनवरी, 2008 को मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा। अब आप कहें तो पत्र पढ़कर सुनाऊं, नहीं तो मैं लास्ट ऑपरेटिंग पैरा पढ़कर सुना दूं, यह 23 जनवरी, 2008 का है "In view of the above, it is requested that the report of the High Powered Committee may kindly be examined and specific recommendation with justification be sent, if the inclusion of the Gurjar community in the list of ST of Rajasthan in the State as a whole or area specific manner is required to be considered by this Ministry." क्या आपने इस पत्र को आज दिन तक कभी भारत सरकार को नहीं भेजा? अगर भेजा तो उसके भी पत्र की कॉपी सदन में आपको रखनी चाहिए, जानकारी माननीय सदस्यों को दी जानी चाहिए, परंतु मैं समझता हूं कि आपने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। आप हर बात गोलमाल में रखना चाहते थे, क्योंकि आप निर्णय लेना नहीं चाहते। इसलिए आपने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। 29 मई, 2007 के बाद में जब काफी समय गुजर गया, चौपड़ा कमेटी की रिपोर्ट भी आ गयी, जो 4 जून को इनका समझौता हुआ, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 29 मई को गुर्जर समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने, कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि हम जो शहीद हो गये हैं 26 लोग, उनके शहीद दिवस को भी मनाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमें यह लाभ आरक्षण का दिया जाए। 29 मई का श्रेय लेने वाले कुछ और लोग थे, वे श्रेय नहीं ले पाए, इसलिए सरकार ने कुछ लोगों को तैयार करके 23 मई को ही इसको पहले ही शुरू करवा दिया। 23 मई को हुआ उसकी भी चेतावनी दी गयी थी सरकार को। नहीं तो सरकार को यह तो कहा होगा कि 23 मई से हम आंदोलन कर रहे हैं, रेल रोकेंगे। रेल रोकने की सरकार को कोई सूचना थी कि नहीं थी? आप जवाब में बता दें, अगर आपको यह बताया गया पूर्व में गुर्जर प्रतिनिधियों द्वारा कि हम रेल रोकेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। तो फिर सरकार को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो व्यवस्था बाद में सरकार ने की वह व्यवस्था अगर आप पहले से ही पुलिस, आरएसी का माकूल इन्तजाम कर देते तो मैं

(श्री हेमाराम चौधरी)

समझता हूं कि इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होती। कोई जान-माल का नुकसान नहीं होता, कोई हानि नहीं होती। सरकार की इसके पीछे मंशा क्या थी, यह तो अब मुख्य मंत्रीजी ही बताएं, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने इसमें बहुत ढिलाई बरती या सरकार की मंशा साफ नहीं थी जिसकी वजह से दुबारा जो आंदोलन 23 मई, 2008 को शुरू हुआ और 39 लोग मारे गये, सैकड़ों लोग गम्भीर रूप से घायल हुए, अरबों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ। लोगों को भारी असुविधा हुई। सरकार ने इस बात को कतई गम्भीरता से नहीं लिया, परन्तु सरकार यह बिल लाकर वाहवाही लेना चाहती है कि हमने इनको स्पेशल बैकवर्ड क्लास में आरक्षण दे दिया है। तो यह आरक्षण तो पहले से ही दे देते। पहले साल जब से मांग हुई तभी आप दे देते तो इतना खून-खराबा नहीं होता।

और यह जो खून खराबा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। ...(व्यवधान)... क्या कर रहे हैं यूं? अध्यक्ष महोदय, मैं आत्मा से ही बोल रहा हूं, आत्मा से ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: थोड़ी गति तो बढ़ा लो अपनी, बहुत धीमी गति से चल रहे हो। (व्यवधान) गति बढ़ाओ। (व्यवधान) जनमत जानने पर 22 सदस्य और बोलने वाले हैं आपके अतिरिक्त, देख लो, कितना समय लगेगा। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि यह जो बिल आप लाए हो इन लोगों के लिए...

श्री अध्यक्ष: आपकी सहमति तो है न, आपकी तो सहमति है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सहमति इसमें है, इनको यह आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो बाद में पता लगेगा।

श्री अध्यक्ष: मैं लाभ की नहीं, मैं तो कह रही हूं कि आपकी तो सहमति है न? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके सवाल से प्रतिपक्ष के नेता थोड़ा शर्मा गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपकी और उनकी तो एक ही बात है। अब वह आपका ही कहना मानते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें शर्माने की कोई बात नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इतने लोगों की जान-माल का नुकसान हुआ, अगर इस तरह से उनको इस कैटेगरी में से आरक्षण देना था तो यह पहले ही दे सकते थे। इतने लोगों की जन-हानि के बाद में यह बिल लाए हैं तो यह बिल तो यह पहले ही ला सकते थे इसलिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, जनमत का मतलब तो यह होता है कि जनमत जाने बिना इसको लागू नहीं किया जाए। जनमत का मतलब तो यही होता है, इसका मतलब आप तो अभी पोजिटिव हो ही नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कौन?

श्री अध्यक्ष: आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जनमत जानने के लिए इसमें और सुधार की गुंजाइश है इसलिए भेजा जाए। आरक्षण तो देना चाहते हैं ...(व्यवधान) इसलिए और दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जनमत का मतलब यही होता है। (व्यवधान) नो, नो, नो, जनमत का मतलब यह है कि जनता यदि चाहती है तो लाना। जनता नहीं चाहती है तो मत लाना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मूल विचार तो आए ही नहीं, सी.पी. जोशीजी, आपकी पार्टी के।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Let him speak. You do not worry.

श्री अध्यक्ष: हां, शुरू करें। करें, प्रारम्भ करें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो अध्यक्ष महोदय, अगर इसको ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गति बढ़ाओ न थोड़ी। बात की गति बने बिना आनंद नहीं आता है सुनने वालों को। सुनने वालों को भी तो आनंद आना चाहिए न? (व्यवधान) मैं और किसी का नाम पुकारूं? आपने अपना समापन कर दिया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पहले आधा घण्टे अध्ययन का मौका दे दें, फिर बुलवा लेना इनसे।

श्री अध्यक्ष: मैं दूसरे का नाम पुकारूं या आप कंटीन्यू कर रहे हैं? आप कंटीन्यू कर रहे हैं या मैं दूसरा नाम पुकारूं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कभी संसदीय कार्य मंत्रीजी व्यवधान करें, कभी कोई व्यवधान कर रहा है, यह तो उचित नहीं है। (व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह कल्ला साहब पीछे से खींच रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): कल्ला साहब, पहले यह बता दो कि समर्थन करना है कि नहीं, समर्थन है, यह बता दो।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें, बीच में नहीं बोलें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): समर्थन करते हैं, समर्थन करने के लिए आए हैं, समर्थन करेंगे, हमारी बात सुन लें, चिंता क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हम आपकी तरह लॉलीपोप नहीं देंगे, आप लॉलीपोप दे रहे हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कांग्रेस पार्टी तो पहले ही करना चाहती थी लेकिन आपने परिवर्तन यात्रा में एस टी का झांसा दे दिया उनको, इसलिए गड़बड़ हो गई।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं दूसरा नाम पुकारूं क्या? मैं दूसरा नाम पुकारूं? दूसरे व्यक्ति का नाम पुकारूं?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राज्य सरकार को जब इस प्रकार का आरक्षण देना था तो यह...

श्री अध्यक्ष: वह पहले ही दे देना था। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चक्कर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या हुआ?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): फिर भावुक हो गए, समर्थन दे दिया।

श्री अध्यक्ष: यह बहुत गलत बात है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से हमारे सी एल पी लीडर की जगह Let me permit to intervene.

श्री अध्यक्ष: नहीं। (व्यवधान) मिस्टर जुबेर खान। (व्यवधान) नो, नो, जुबेर खान। (व्यवधान) श्री जुबेरखान। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम प्रतिपक्ष के नेता के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विचार सुनना चाहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता के विचार हम सभी सुनना चाहते हैं, पूरा सदन सुनना चाहता है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता बोलने में सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, यह गलत परम्परा होगी। आप बोल रहे हो और आपके स्थान पर यह कहते कि अब मैं बोलता हूं तो समझ में आता है, ठीक बात, लेकिन अब...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं उनकी परमीशन से हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के नेता को इनकॉम्पीटेंट करना चाहते हैं, इनकी इनकॉम्पीटेंट साबित करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका जब नाम आएगा तो आप बोल देना। मैं जब आपको पुकारूंगी और आपका नाम आए तो आप बोल देना।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इससे पहले तो संयम लोढ़ा का नाम है।

श्री अध्यक्ष: हां, संयम लोढ़ा का। (व्यवधान) हां, संयम लोढ़ा का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि यह पी सी सी का दफ्तर नहीं है जहां जब यह चाहे इनको, प्रतिपक्ष के नेता को बैठा दें, जब चाहे खड़ा कर दें। यह सदन जानना चाहता है, इनके विचार यह सदन सुनना चाहता है और यह इनको रोकना चाहते हैं। आप बोलिए, प्रतिपक्ष के नेता, हम प्रतिपक्ष के नेता को सुनना चाहते हैं, इनके मौलिक विचार हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): प्रतिपक्ष के नेता सक्षम हैं, बोल सकते हैं। आप बहुत सक्षम हैं, हम आपके मौलिक विचार सुनना चाहते हैं, आप अपने मौलिक विचारों से सदन को अवगत कराएं। आपको पूरा राजस्थान सुनना चाहता है। आपके मौलिक विचार राजस्थान सुनना चाहता है, राजस्थान की जनता सुनना चाहती है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): हेमारामजी, दबो मत, आप तो बोलो।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): उन्हें समझाओ, यह प्रतिपक्ष के नेता का सीधा-सीधा अपमान है। इनके मौलिक विचार हैं। कांग्रेस के लोग प्रतिपक्ष के नेता का अपमान करने पर तुले हुए हैं। यह बोलने में सक्षम हैं, फिर भी प्रतिपक्ष के नेता का अपमान किया जा रहा है। प्रतिपक्ष के नेता उठो, प्रतिपक्ष के नेता जागो, अपनी बात कहो, आप सक्षम हो, सक्षम हो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इनके मौलिक विचार हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो संयम लोढ़ा का नाम पुकारो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप बोलो, आप बोलो, आप शुरू करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू करें संयम लोढ़ा को।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय प्रतिपक्ष के नेता सक्षम हैं, प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से निवेदन है कि इनको बोलने दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने संयम लोढ़ा का नाम पुकार लिया। नाम पुकार लिया मैंने संयम लोढ़ा का।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप बोलो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्लीज, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, समझ ही नहीं रहे हो क्या? उनको चक्कर आ रहे हैं, आप जबर्दस्ती कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? उनको चक्कर आ रहे हैं, आप इसको समझ ही नहीं रहे हो, अजीब आदमी हो बिलकुल। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता की तबीयत ठीक नहीं है तो न बोलें। कांग्रेस पार्टी अपने क्रम से बोलती है तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो सुन लेंगे, इसमें क्या बात है?

श्री अध्यक्ष: लेकिन इसमें एक बात है कि उनका जब नम्बर आएगा तब बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन कभी-कभी अपने नियम के हिसाब से, नियम से तो यद्यपि क्रम से पढ़े जाते हैं लेकिन विशेष आग्रह होता है तो आसन बदल कर, क्रम बदल सकता है, उनका नाम है बोलने वालों की सूची में।

(16.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद): विधि मंत्रीजी, संशोधन देते हैं उनके नाम होते हैं, उनकी लिस्ट आती है।

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया संयम लोढ़ा का।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह हमारी पार्टी का मामला है, हम आपसे रिक्वैस्ट कर रहे हैं, You don't want to understand it, you want to impose it. Then why do you allow it? Why do you allow it?

श्री अध्यक्ष: पार्टी का जहां तक मामला है नेता प्रतिपक्ष हैं, उप नेता प्रतिपक्ष रामनारायण मीणा हैं वे बोलें, आप क्यों?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): He is not feeling well. यह अजीब बात है। आप चाहते ही नहीं हैं हमारी पार्टी का व्यू आए। You don't want the support. You don't want our support. Don't take it. Do it. हमें क्या तकलीफ है?

श्री अध्यक्ष: आप क्यों? उप नेता प्रतिपक्ष रामनारायण मीणा हैं वे बोलेंगे। क्या हुआ पार्टी का मतलब? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप मुझे बुलाएंगे तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उप नेता बोल दें। उप नेता बोल दो, हमें क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मान ली बात। हम कहां ना कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कांग्रेस पार्टी व्हिप से बंधी हुई है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह राजस्थान की विधान सभा है, चाहे इधर बैठें, चाहे उधर बैठें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम पार्टी में कौन बोलें, यह काम हम करेंगे या आप करोगे?

श्री अध्यक्ष: संयम लोढा का नाम पुकार लिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बिलकुल ही अजीब स्थिति है। पास कर दो, हम तो बाहर जा रहे हैं। पास करो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आ गया आपकी पार्टी का व्यू।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पास करो आप, हमें क्या? हम तो बाहर जा रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके विधायक दल के जो नेता हैं वही बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप इतने +++ हो सकते हैं? He is not feeling well. आप डॉक्टर को बुलाते। समझ में नहीं आ रहा है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाएं। यह काम तो कर नहीं रहे हैं and +++ आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप पिछड़ी जाति के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आपका नम्बर है। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो। नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलना चाहते तो नैक्स्ट नाम पुकारें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पिछड़ी जाति के नेता को दबा रहे हैं, उप नेता एसटी के हैं उनको नहीं बोलने दे रहे हैं आप। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पास करिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। संयम लोढ़ा बोलेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप 5 मिनट हाउस को एडजर्न कर लें, उनसे मिल लें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज हमारी ड्यूटी है, हमारे लीडर की तबीयत ठीक नहीं है, 5 मिनट हाउस एडजर्न कर लें, डॉक्टर को दिखा लें। फिर आकर बोलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा आपसे सब्मिशन है कि आप हाउस को एडजर्न कर लें 5 मिनट। तबीयत ठीक नहीं है। कम से कम आप इतना तो काम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम नहीं

(डा. सी.पी. जोशी)

बोलेंगे, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है बोलने का। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का शौक नहीं है, पर हमारे नेता की तबीयत ठीक नहीं है, हाउस में ठीक नहीं है। हमारा कम से कम इतना तो धर्म बनता है कि उनका मेडिकल चैक करवा लें, उसके बाद उनसे बुलवा दें। इतना-सा काम नहीं करना चाहते। आप बिलकुल ही अजीब कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिलकुल सहमत हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता की वास्तव में तबीयत ठीक नहीं है, अभी मुख्य मंत्रीजी ने मुझे कहा भी है चिट भेजकर कि जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को भी बुलाएंगे, चैक भी कराएंगे और अगर ये कहें 5-10 मिनट के लिए हाउस एडजर्न करें तो उसके लिए भी कोई एतराज नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, बिलकुल ठीक है, फिर वे बोल लेंगे, क्या तकलीफ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मानवीय संवेदना सब में है। अध्यक्ष महोदय, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 10 मिनट कर दो।

श्री अध्यक्ष: 4.30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.03 बजे 16.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(16.30 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

विधेयक पर विचार

श्री सभापति: श्री संयमजी लोढ़ा। मैं एक मिनट आपसे निवेदन करना चाहूंगा, as there is a long list of members, can you limit your speeches to a

(श्री सभापति)

specific period of time? शुरू से ही अगर कर दें इसको हम सीमित, अवसर तो सब को है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हम लगाएं यह तो यह कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती।

श्री सभापति: There is no limitation on the number of members wishing to speak but …

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो बोलें वह, एक एक्ट है, एक्ट में अपने विचार रखेंगे।

श्री सभापति: Just a moment, let me complete myself. I will prefer that everyone gets a chance to speak. But if we can limit our speeches to a certain time limit, then probably everyone will get a chance to speak.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन की आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री सभापति: Thank you.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा के मुताबिक बेहद संक्षेप में ही मैं अपनी बात कहूंगा। हमारे यहां आरक्षण की व्यवस्था, माननीय सभापति महोदय, आजादी से भी पहले की है। उस दौर में भी नौकरियों में और राजनीतिक आरक्षण रहा है लेकिन विधिवत् आरक्षण की शुरूआत मुल्क के आजाद होने के बाद ही हुई। भारतीय प्रजातंत्र के 60 से भी अधिक सालों के इतिहास में दलित, आदिवासी, कमजोर, पिछड़े इन सभी वर्गों के उन्नयन के लिए कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत में रहते हुए अनेकानेक फैसले किये जिसमें आरक्षण से संबंधित निर्णय भी शामिल हैं। आज राजस्थान की सरकार जिस कानून को लेकर आई है, माननीय सभापति महोदय, उस कानून की भावना का तो हम समर्थन करते हैं और हम इस बात का भी आदर करते हैं और इस बात को भी सोचते हैं कि इन सभी वर्गों के लिए जिनके लिए प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया गया है, उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नयन का काम होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की इसमें पूरी सहमति है और कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी ताकत से अपना योगदान करना चाहती है, लेकिन इस कानून तक पहुंचने का रास्ता बहुत कष्टप्रद रहा है, बहुत पीड़ा का रहा है, बहुत दुःखद रहा है। मुझे राजस्थान की मुख्य मंत्री का टीवी पर दिया हुआ वह वक्तव्य याद आता है, गुंडा तत्व हों, डाकू तत्व हों, यह सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। यह उसी आंदोलन के संदर्भ में कहा जा

(श्री संयम लोढ़ा)

रहा था। राजस्थान के गृह मंत्री कह रहे थे, दो घंटे के अन्दर ये पटरियां खाली करा दूंगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सभापति महोदय, 2006 का वह दौर जब हिण्डौली के अन्दर आंदोलन हुआ था, क्या सरकार की भूमिका थी? मैं याद दिलाना चाहूंगा 2007 का वह दृश्य जब राजस्थान की मुख्य मंत्री विदेश गई हुई थी और राजस्थान में यह आंदोलन अपने उफान पर था, आकर दिल्ली बैठ गई थीं, वहां से लौट कर यहां पर आने की जहमत नहीं उठाई थी और पाटोली के अन्दर .....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह बिल के कौन से हिस्से में लिखा हुआ है, यह किस जगह लिखा हुआ है ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह इस बिल का इतिहास है।

श्री सभापित : आप विराजें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह इस बिल का इतिहास है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह पहला बिल है, तीन दशक के बाद पहला बिल है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं, पहला बिल है तीन दशक के बाद। बिना मतलब ही इस तरह का वातावरण करने से क्या मतलब की बात है ? बिल की विषय वस्तु पर बोलें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 61 लोगों का नरसंहार कर दिया आपने। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अपनी बात तो कहेंगे। यह कोई तरीका है? बार-बार व्यवधान करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पाटोली में 29 मई, 2007 को 13 लोग मरे, बूंदी जिले में, और 29 मई से 2 जून के मध्य 26 लोग मरे और माननीय सभापति महोदय, इस साल 29 मई को श्रद्धांजलि सभा के आयोजन का एलान किया गया था पाटोली में ही। पिछले एक साल में जिस ढंग से गुर्जर जाति का समुदाय इस आरक्षण के लिए आंदोलित हुआ तो अलग अलग तरह का नेतृत्व भी उभर कर आया और उसमें राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे को निपटने के लिए कई गम्भीर चुनौतियां दिखाई देने लगीं, उसी की वजह थी कि 29 मई को जिस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था उससे पहले अचानक 23 मई को पीलूपुरा के अन्दर आंदोलन का एलान हो गया। मैं आज इस सदन के अन्दर ....

श्री सभापति: मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक मिनट विराज जाएं आप। Let us make it very clear. Do we want to discuss a Bill which has been tabled or do we want to discuss the agitation which took place in the previous days? I mean, let us be very clear about it. The deliberations ….

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री सभापति: I will give you a chance, hon'ble member, to clarify. I will give you a chance but let me finish.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कि पूरा राजस्थान त्रस्त था।

श्री सभापति: We are deliberating on a Bill. Let us be very specific. Let us go to the merits of the Bill. Let us not create a scenario which may be very glamorous and scintillating but be away from the truth. Let us remain truthful to the spirit and contents of the Bill. Thank you very much.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, आपकी बात से हम सहमत हैं। क्या आप ट्रैजरी बेंच के आदमियों को भी कह देंगे कि ये इतिहास में नहीं जाएंगे?

श्री सभापति: Absolutely, Sir. Absolutely, Sir.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और इस तरह की बातें नहीं करेंगे?

श्री सभापति: If you find me as the person sitting on this Chair, I will try and do that. The Chair, of course, will try to remain impartial and protect the sanctity of this House. Thank you very much.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, सभापति महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ कर एक अपील करना चाहता हूं कि आप सदन की सर्वोपरि सीट पर हैं लेकिन आप कृपया बोलें तो, सदन इससे भी सर्वोपरि है, आप खड़े होकर बोलें।

श्री सभापति: Sorry. In case I have unknowingly done something which is not in tune with the precedence of this House, I tender my apologies unconditionally.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थैंक यू।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह, सभापति महोदय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 61 लोगों का नरसंहार इस सरकार ने किया और उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो, जबकि उस नरसंहार के नतीजे के रूप में ही यह बिल आया है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): उस पर नहीं जाएगा तो उससे बड़ी दुःख की बात और कुछ नहीं हो सकती।

श्री सभापतिः I will again request that if somebody is already holding the floor of this House, then nobody has a right to disturb him.

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं। जिस बिल के कारण ही ऐसी स्थिति पैदा हुई। (व्यवधान)...

श्री सभापतिः कृपा करके आप विराज जाएं, मैंने पहले ही आपसे यह निवेदन किया था कि समय का ध्यान रखते हुए ...(व्यवधान) जो सम्माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): उस चर्चा से नहीं रोका जा सकता जो बिल की बुनियाद के कारण बने। माननीय सभापति महोदय, यह चर्चा उस तरह की है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः यह किसी सम्माननीय सदस्य के व्यक्तिगत कथन के नियमों से नहीं चलेगा, यह सदन अपनी प्रक्रिया और नियमों से चलेगा। (व्यवधान) आपको कहीं किसी चीज का अधिकार नहीं है। जब आसन पांवों पर है तब आप विराज जाइए (व्यवधान) जिस प्रशासन और जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर कोई भी माननीय सदस्य बगैर आसन की अनुमति से बोलता है तो अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, गोली से घायल लोगों को इलाज उपलब्ध नहीं कराया गया, वहां पर उन्होंने इलाज के बिना दम तोड़ दिया। आप चाहते हो उनकी भी चर्चा नहीं हो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: आप फर्माएं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर आज इस बात की चर्चा है कि वे कौन से कारण हैं कि 29 तारीख के उस श्रद्धांजलि आंदोलन को विफल करने के लिए राज्य सरकार ने प्रेरित करके 23 मई को आंदोलन का ऐलान करवा दिया। वह सरकार-प्रायोजित आंदोलन जब पुलिसकर्मियों की एफिशिएंसी से बाहर चला गया तो वहां 40 से अधिक 42 लोगों का कत्ले-आम हुआ।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसकी तो सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए

(श्री संयम लोढ़ा)

कि 29 मई का आंदोलन का ऐलान था वो 23 मई को आंदोलन शुरू क्यों किया। अगर आप में हिम्मत है तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो से उसकी जांच करवा लें।

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन करूंगा that your time is running out. I will be very specific about time.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह महानुभाव जो कोटा से पधारते हैं, इनको भी कुछ फर्माइये आप।

श्री सभापति: मेरा आपसे भी निवेदन है, आदरणीय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ठीक है, सभापति महोदय, अगर अब आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार एक कानून लेकर आई है जिसमें आर्टिकल 38 और 46 का हवाला दिया है। बहुत अच्छा होता कि संविधान के जिस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाने में सक्षम है, आप उन अनुच्छेद का उपयोग करके कानून लेकर आते। यह कानून, इसकी भावना और वोट बैंक की राजनीति बहुत अलग-अलग है। अगर लोगों के उन्नयन के लिए आप कानून लाते, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कानून लाते तो एक ऐसा कानून लाते जो विधिक दृष्टि से सही होता। पर आप एक ऐसा कानून लेकर आये हैं जो कुछ दिन के अन्दर डस्टबिन में चला जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल 14, 15 और 16 के अन्तर्गत आप कानून लेकर आते, इन्दिरा साहनी के फैसले के बाद, जिस पर आज भी संविधान की बड़ी पीठ के अन्दर सुनवाई चल रही है। 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण करने के लिए अगर हमारी नीयत साफ थी तो हमें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए थी कि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण करने जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो ये गुर्जर समुदाय और दूसरे वोट बैक हैं। आपको तो यह कहना है कि हमने तो कर दिया, अब कोर्ट ने क्वैश कर दिया तो हम क्या करें। आज पूरे राजस्थान में आपके इस कानून के ऊपर, आपके बिल पर कोई भरोसा नहीं करता कि इससे लोगों को कुछ मिलने वाला है। 2003 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने भी.... (व्यवधान) हम उस भावना का समर्थन कर रहे हैं कि लोगों के उन्नयन के लिए काम होना चाहिए, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। इसके लिए हम समर्थन कर रहे हैं। कानून की धज्जियां उड़ाकर, संविधान का मखौल.....

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री सभापति: मैं आपसे पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर आदरणीय सदस्य कोई बात बोल रहे हैं तो you have a very intellectual minister, he will answer these questions. I mean, why are we worried about it?

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सभापति: उनके कथन की सत्यता कितनी सही है या कितनी गलत है, let the public of Rajasthan decide that.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने भी उस वक्त कैबिनेट रिजोल्यूशन लेकर गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भेजा था। आज जो हमारे बीच में मुख्य मंत्री के रूप में विराजमान हैं, उस सरकार का राज्य मंत्री के रूप में हिस्सा हुआ करती थीं, मैं पूछ सकता हूं कि आपकी एन.डी.ए. सरकार ने राजस्थान सरकार के उस प्रस्ताव का क्या हश्र किया? अब फिर चूंकि चुनाव का वक्त आ रहा है, साढ़े चार साल तो हमने उन वादों पर कोई काम किया नहीं जो परिवर्तन यात्रा के वक्त लोगों से किये थे और अब सरकार के जब जाने का वक्त आ रहा है तो फिर एक झुनझुना पकड़ा रहे हैं कि 14 प्रतिशत गरीब सवर्णों को आरक्षण देंगे। कौनसी व्यवस्था से देंगे? क्या संविधान के अन्दर प्रावधान है गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का? जब तक संविधान के अन्दर संशोधन नहीं हो जाता 2/3 बहुमत से, तब तक वो आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के अन्दर सरकार ने सिर्फ अपनी बला टालने का काम किया है। उधर वो लोग जो आंदोलन में बैठे हुए थे उनको भी यह लग रहा था कि 28 दिन हो गये आंदोलन के, अब कोई न कोई रास्ता निकालो, तो मांग कुछ कर रहे थे और ले कुछ पड़े। तो यह सब अपनी-अपनी बला टालने का काम हुआ है। राजस्थान की जनता भली-भांति इस बात को समझती है और जो मखौल कानून बनाने की विधायिका की शक्ति का इस सरकार ने बनाया है, लोगों के मन में आकांक्षाएं जगाई हैं, बाद में वो आकांक्षाएं जिस रूप में दम तोड़ेंगी, उसकी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को करारी कीमत चुकानी पड़ेगी और समाज का हर वर्ग इस पार्टी को खारिज कर देगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, जो एक बिल आज विचारार्थ है राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008, इसको जनमत जानने हेतु मैंने प्रस्ताव दिया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान में आर्टिकल 330 से लेकर 342 के बीच में एससी और एसटी के लिए पार्लियामेंट में, विधान सभा में, नौकरियों में जगह-जगह जिस तरह के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वह व्यवस्था लम्बे समय से चल रही है। ऐसा नहीं है कि इस बिल से पहले एससी, एसटी के लोगों को जहां-जहां आरक्षण कि मलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी जवाब दें, पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बिल की मूल भावना का समर्थन करती है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको आवश्यकता है आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। हम इस बिल की मूल भावना के पक्ष में हैं। एक आपने आर्टिकल 330 और 342 के बीच में प्रावधान हैं, उनको भी उस बिल में डाल दिया जो बिल आप लेकर के आ रहे हैं आर्टिकल 38 के अन्दर। 38 के अन्दर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत ही ला रहे हैं न लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें है कि जो पिछड़े वर्ग हैं इकोनोमिकली, सोशियली और एजुकेशनली, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कर सकते हैं। तो फिर जो संविधान में एक अलग दायरा है एससी, एसटी के लिए, आप उसको क्यों डाल रहे हैं? इन्दिरा साहनी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया.... (व्यवधान) इन्दिरा साहनी ही तो बोल रहा हूं। इन्दिरा साहनी बोला है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उसमें साफ दिया है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी, आपने ही पिछले दरवाजे से किसी संस्था को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भेज दिया और इस बिल के ऊपर कोई टिप्पणी आ गई, मान लो, महामहिम गवर्नर महोदय के से ही आ गई तो क्या आप एससी, एसटी का जो अधिकार है, उसको भी इसमें डालना चाहते हैं, यह कौनसा औचित्य था? मैं यह कह रहा हूं कि इसमें यह औचित्य नहीं था कि एससी, एसटी का डाला जाए। (व्यवधान) दूसरा, मैं

(श्री जुबेर खान)

निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार एससी, एसटी की बड़ी दुहाई देती है, आपके पास तो......

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह रास्ता है कि एससी, एसटी को इसमें नहीं डालना चाहिए था। एससी, एसटी को अगर डालना है और आप में हिम्मत है तो एससी की जनसंख्या राजस्थान में 17 प्रतिशत है और एसटी की 13 प्रतिशत है, आपको शर्म नहीं आई इसमें एससी के लिए 16 प्रतिशत और एसटी के लिए 12 प्रतिशत करते? आज डीलिमिटेशन के बाद में एससी, एसटी की असेम्बली की सीटें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं? तो आपका क्या यह धर्म नहीं बनता था कि एससी, एसटी की सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाई जाएं? मेरा एक तो आपसे यह निवेदन है कि आपको इसमें सोचना चाहिए कि जब एससी, एसटी.....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, नहीं, आप बढ़ा सकते हैं न। आप बिल के माध्यम से बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं? आप इस बिल के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको बढ़ाना चाहिए जो कि उनका हक है। उनकी पापुलेशन के रेशो में जो उनका हक है वह उनको मिलना चाहिए। एक तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि अभी भी समय है, आप एससी को 17 प्रतिशत और एसटी को 13 प्रतिशत का प्रावधान इसमें कीजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, जनसंख्या का अधिकार है। Mr. Minister, it is not your mercy.

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): It has been granted to SCs and STs in the Constitution of India. उनको संविधान के मुताबिक आपको आरक्षण देना पड़ेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, नहीं, आप एहसान कर रहे हो क्या एससी, एसटी को देकर? इससे पहले एससी, एसटी को आरक्षण नहीं है?

(श्री जुबेर खान)

आपको तो तब समझते जब आप इसको बढ़ाते कि आज 2001 के पापुलेशन के आंकड़ों के आधार पर एस.सी. की जनसंख्या 17 प्रतिशत होगी राजस्थान में, एस.टी. की 13 प्रतिशत होगी। अगर आप बढ़ाते तो आपको श्रेय जाता। इसमें आप क्या श्रेय ले रहे हैं?

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 68 प्रतिशत कर रखा है। 68 प्रतिशत कर रखा है न?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह बिल लाने के लिए भारत सरकार ने कहा है क्या? यह बिल लाने के लिए भारत सरकार ने आपको कहा है क्या? (व्यवधान) और यह बिल लाकर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यहां, एस.सी. एस.टी. के माननीय सदस्य बैठे हैं, अब तक परम्परा रही है कि सरकार अपने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से एस.सी. एस.टी. के बारे में आदेश निकालती रही है, इस बिल के बाद में यह 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत फिक्स हो जाएगा जो कि गजट नोटिफिकेशन से भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जब आप पार्लियामेंट और असेम्बली सीट में पापुलेशन के आधार पर बढ़ाते हैं तो इसमें भी बढ़ना चाहिए, एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तो ओ.बी.सी. की लिस्ट है, आपने ओ.बी.सी. को तो इसमें से हटा ही दिया है, ओ.बी.सी. तो इसमें है ही नहीं। इसमें तो बैकवर्ड और स्पेशल बैकवर्ड हो गये। जो केन्द्र की सूची है और जो कमीशन बना हुआ है, वह तो ओ.बी.सी. का बना हुआ है आज। और जगह जहां सैन्ट्रल की सूची है वह ओ.बी.सी. की है,

(श्री जुबेर खान)

तो यहां इसका क्या होगा? इसके बारे में सरकार क्या कहना चाहेगी, यह भी जरा स्पष्ट कर दें मंत्री महोदय अपने जवाब में।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, आपने यह तय कर लिया कि जो आदमी गोली खाएंगे, जो आंदोलन करेंगे, रास्ता रोकेंगे, सड़कें रोकेंगे, रेलवे लाइन को उखाड़ेंगे और जो अपने 68-68 लोगों को गोलियों से मरवाएंगे, उनको तो आप दे देंगे, क्या आज राजस्थान में ऐसे और लोग नहीं है, आज ऐसी अन्य जातियां नहीं हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा, सांवर लालजी, सुबह से तो आप उछल रहे थे, ओ.बी.सी. से तो लोग भागने लग गये, जाटों का वर्चस्व है इसलिए गुर्जर अलग से आरक्षण मांग रहे हैं, यह आप सब जानते हैं, इसलिए जो ओ.बी.सी. की लिस्ट है, ओ.बी.सी. के अन्दर....

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...लगभग 51 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक ओ.बी.सी. का राजस्थान में कोई लाभ नहीं मिल सका, वे आज अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं। मैं आपको गिनाना चाहूंगा...

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि... (व्यवधान) आज गुर्जर अलग क्यों जा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमारी सरकार ने किया था, हमारी सरकार ने दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम तो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का राइडर आपके ऊपर लागू नहीं होता है तो ओ.बी.सी. की जितनी राजस्थान में जनसंख्या है, इसमें इतना आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। आपने यह कह दिया कि 50 प्रतिशत का राइडर नहीं रहा तो जितनी जातियां ओ.बी.सी. की हैं, 80-81 जातियों का जितना प्रतिशत जनसंख्या में है, उतना बढ़ाया जाना चाहिए था। आज ओ.बी.सी. की 52 प्रतिशत की जनसंख्या है राजस्थान में और आपने दे रखा है उनको 21 प्रतिशत। उनका बढ़ा दो तब मानते कि आपने

(श्री जुबेर खान)

कोई हिम्मत का काम किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ओ.बी.सी. में कुछ और ऐसी अन्य जातियां हैं जिनको भी समाज में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अलवर जिले और गंगानगर जिले में ओड़ राजपूत समाज के आदमी रहते हैं। इसी समाज के लोग हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, मध्यप्रदेश में एस.सी. में हैं। आज वे कम्पीट कर पाएंगे क्या? दूसरी ओ.बी.सी. की जातियों में जो रायसिक्ख कम्युनिटी है, जो छोटी-छोटी जातियां हैं, ओड़ राजपूत हैं, ये कहीं कम्पीट कर पाएंगे क्या? भिश्ती कम्पीट कर पायेंगे क्या? ओ.बी.सी. में और अन्य जातियों में आज भिश्ती, गद्दी, छीपा, बुनकर, सिंधी मुसलमान, कायमखानी मुसलमान, इनके बराबर की तुलना में कम्पीट कर पाएंगे क्या? आपको इस बिल में ऐसी जातियों को भी जोड़ना चाहिए था, चाहे अलग से प्रावधान करते। जो जातियां ओ.बी.सी. में होते हुए इतनी पिछड़ी हुई हैं कि ओ.बी.सी. के अन्दर अपना स्थान बना नहीं पा रही हैं, उन जातियों के लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने सवर्ण पिछड़ा वर्ग को दे दिया है, उसमें भी आगे नहीं आ पाएंगी क्योंकि वे आलरेडी ओ.बी.सी. में लिस्टेड हैं। उनके लिए भी आपको घनश्याम तिवाड़ीजी, कुछ सोचना चाहिए था, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप दुहाई दे रहे हैं आरक्षण की, यह मेरा आरोप है सीधा-सादा कि 23 मई, 2008 को पीलूपुरा में जो रेलवे ट्रैक पर बैंसलाजी के नेतृत्व में आन्दोलन किया गया, यह राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार की साजिश के तहत किया गया था ताकि 29 तारीख के बरसी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया जा सके। वहां गोली चलने से जो मौतें हो गई थीं, तब तुम्हारा षड्यंत्र अलग हो गया, वर्ना यह सरकार का षड्यंत्र था। अगर सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह का षड्यंत्र करेंगे, दो जातियों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, लोगों को गोलियों से भुनवाने का काम करेंगे तो फिर आप नहीं मानते कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: (व्यवधान) एक मिनट विराजें। आप एक मिनट विराजें। आदरणीय संसदीय सचिव, आप एक मिनट विराजें। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, हम जिस बिल के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं, इस बिल की वास्तविक सैंक्टिटी और इस बिल के कंटेंट तक अगर हम सीमित रखें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, आदरणीय मंत्री महोदय, आप स्पष्ट कर दें, किसी भी इंसीडेंट के बारे में जिसमें कोई इन्क्वायरी कमीशन बैठी हुई है, प्रेस से कोई इन्क्वायरी हो रही है, तो कम से कम आप लोगों से भी यह निवेदन है कि उसके बारे में अपन यहां टिप्पणी नहीं करें, मेरे ख्याल से हम इस चीज का ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापति: (व्यवधान) एक मिनट आप विराजें। मैंने यह बात बिलकुल अंकित करवा रखी है कि कोई भी माननीय सदस्य बगैर आसन की अनुमति के बोल रहा है तो उसकी बात अंकित नहीं होगी, तो कृपा करके माननीय सदस्य, इस बात का ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापति: एक मिनट विराज जाइये। माननीय मुख्य सचेतकजी, कुछ कह रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय इस बिल के पास होने तक बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय इस बिल के पास होने तक बढ़ाया जाए, आप लोगों की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

आप कुछ फर्मा रहे हैं?

विधेयक पर विचार

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, आपके वर्दी आब्जर्वेशन के हम आभारी हैं लेकिन कोई माननीय सदस्य बोलेगा तो सीधा 'समर्थन करता हूं' या 'विरोध करता हूं,' 'यह कर दो, वह कर दो,' यह नहीं होगा। उसको भूमिका बनानी पड़ेगी, ग्राउण्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपनी बात कहेगा। अब आप हर कदम-कदम पर टोकने लग गये। आपको राइट है, आप कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे। लेकिन जो बोलेगा, वह अपनी भूमिका बनाएगा, भूमिका बनाकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। आप तो सीधा ही क ख ग घ ड़ पढ़ाने लग गये। ऐसा नहीं होगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप कुछ फर्मा चाहते हैं?

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 272 की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें बोलने के पालनीय नियम हैं, इसमें साफ लिखा गया है कि कोई भी ऐसे विषय पर यहां सदन में चर्चा नहीं हो सकती जो आज न्यायिक विनिश्चय के लिए लम्बित हो। सबको मालूम है, बंसल कमीशन बैठा हुआ है, बंसल कमीशन पूरे मामले की जांच कर रहा है। यहां हम इस तरह से बातें करके, उस घटना के बारे में चर्चा करके, उस कमीशन के कार्य को प्रभावित करना चाहते हैं क्या? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपने सही फर्माया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई काबिलियत दिखाने की बात नहीं है, सभापति महोदय। मैंने तो सिर्फ रूल्स कोट करके यह कहा है कि आगे आने वाले वक्ता उस इंसीडेंट के बारे में ज्यादा नहीं कहें, जो बंसल कमीशन की जांच के परव्यू में है। मेरी इतनी ही प्रार्थना है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): (व्यवधान) एक निवेदन और करना चाहूंगा सभापति महोदय। मैं किसी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं लेकिन एक बात जरूर है, 52 प्रतिशत जनसंख्या को तो आप आरक्षण दे रहे हैं 21 प्रतिशत और जो सवर्ण गरीबों को आरक्षण दे रहे हैं, आपको भी अच्छी तरह पता है कि मुश्किल से बीस प्रतिशत से ज्यादा पापुलेशन नहीं होगी, इनको आप दे रहे हैं चौदह प्रतिशत, यह भी न्यायसंगत नहीं लगता। यह मेरा मानना है कि न्यायसंगत नहीं है। आपको ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना चाहिए क्योंकि अगर एससी, एसटी और ओबीसी को निकाल दें तो मुश्किल से दस-बारह जातियां बचती हैं राजस्थान में, जो ओबीसी की कैटेगरी में नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं विरोध नहीं कर रहा।

मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितनी ओबीसी की पापुलेशन है उसके हिसाब से...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब आपने पचास प्रतिशत का राइडर हट गया तो उनका बढ़ना चाहिए था।

एक निवेदन और करना चाहूंगा, सभापति महोदय, हमारे यहां मेव जाति के लोग रहते हैं और मेवों के बारे में एक कहावत भी है राष्ट्रभक्ति के मामले में, चाहे राणा सांगाजी के टाइम से हो, चाहे अंग्रेजों के टाइम में हो, चाहे मुगलों के टाइम में हो, हमेशा मुगलों के खिलाफ रहे। हमारे यहां जो शूरवीर रहे महाराणा सांगा, उनके साथ मिलकर लड़े, चाहे मुगलों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। जब 1931 में सूची बन रही थी आदिम जातियों की, तो उसमें मेव सम्मिलित हैं आदिम जातियों में, 1931 में। आज मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सरकार से, मुख्य मंत्रीजी, मेवों को एसटी के दर्जे में आना चाहिए था, जब राजस्थान में एसटी की सूची बनी थी। लेकिन आज वे अगर एसटी में नहीं आ सकते तो कम से कम यह जो आप स्पेशल बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी बना रहे हैं, इसमें तो मेवों को डालना चाहिए। बहुत लम्बी कोई पापुलेशन नहीं है, सिर्फ अलवर और भरतपुर में हैं। उसका कारण यह है कि आज वहां बेरोजगारी होती जा रही है, जमीन कम होती जा रही है, शिक्षा है नहीं, क्राइम बढ़ता जा रहा है।

(श्री जुबेर खान)

यह आप स्वयं जानते हैं कि जिस तरह का क्राइम उस क्षेत्र में बढ़ रहा है, अगर मेव जाति के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई शैक्षिक संस्थानों में, नौकरियों में, तो वहां और ज्यादा क्राइम बढ़ने की आशंका है। इसलिए मेव जाति को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक बार अंत में, बिल की मूल धारणा के हम पक्ष में हैं, फिर भी क्योंकि इसमें ऐसी कुछ कमियां हैं कि और कम्प्रिहेंसिव बिल आ सकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय जानकर इसको दोबारा सदन में पेश किया जाए। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. बुलाकीदास कल्ला।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, इस प्रस्ताव पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत स्पष्ट डिसीजन आया हुआ है कि पचास प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अभी इंदिरा साहनी वर्सेज सरकार के मामले का मेरे कई लायक माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। यह बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम विशेष पिछड़ा वर्ग को जो पांच प्रतिशत आरक्षण दिया है और आर्थिक पिछड़ा वर्ग को जो चौदह प्रतिशत आरक्षण दिया है, इसके बिलकुल पक्ष में हैं। हमारी पार्टी ने भी यह निर्णय ले लिया है...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब सुन लो आप। पर उसके लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी न, आपने प्रक्रिया अपनाई है क्या? सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली है अथवा भारत सरकार से आपने बात करके यह कोई...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चेन्नई में एक 38(1) के अन्तर्गत, मैं आपकी तरह से लिखने-पढ़ने वाला आदमी हूं, मालूम है मुझे, उन्होंने जरूर एक जगह...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): पचास प्रतिशत से आरक्षण इस डिसीजन से पहले करवाया हुआ है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): पचास प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मनाही है इसलिए हम अपने विचार रख रहे हैं। हम इस बिल की मूल भावना का समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आना चाहिए था एटार्नी जनरल की राय लेकर। एडवोकेट जनरल जो हैं राजस्थान के, वह इनके जैसे कहेंगे, वैसी राय दे देंगे, लेकिन एटार्नी...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं, कहीं नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): एडवोकेट जनरल के ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं कर सकते? कहां लिखा हुआ है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वह कोई संविधान का हार्ट है क्या हमारा, क्या बात करते हो। हम गवर्नर के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, स्पीकर पर नहीं कर सकते। आपके एडवोकेट जनरल है उसके ऊपर क्यों नहीं टिप्पणी कर सकते?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, चीफ व्हिप इस सदन को चलाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए होता है लेकिन यह सबसे ज्यादा व्यवधान करने वाले चीफ व्हिप साबित हुए हैं। उनका काम ही यह है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): कि हैकल करना बोलने वाले को।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां, मेरे में तो अक्ल है या नहीं है, आप में कितनी अक्ल है, यह सदन और सदन के बाहर लोग निर्णय कर लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, सब जानते हैं, आपको भी जानते हैं, मेरे को भी जानते हैं। तो, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि एटार्नी जनरल...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): की राय लेकर उसके बाद कम्प्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए था।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस संबंध में जो निर्णय इन लोगों ने लिया था इसके संबंध में जस्टिव दवे, जस्टिस सुरेन्द्रनाथ भार्गव, जस्टिस इसरानीजी के अग्रलेख आये हैं, उनमें उन्होंने साफ कहा है कि राजस्थान की सरकार कांस्टीट्यूशन में अमैण्डमेंट किये बगैर यह आरक्षण दे नहीं सकती। फिर भी राज्य सरकार इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हुए जिस तरीके से यह बिल लेकर आई है, मैं समझता हूं कि इनकी इच्छा जैसे अपने यहां मारवाड़ी में कहते हैं, चूसणी, दिखाने की है, यह लालीपाप देने की बात है, इन जातियों को एक तरीके से दिखा कर कि, हमने तो यह कर दिया अब...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आगे क्या होगा, यह सुप्रीम कोर्ट जाने और कांस्टीट्यूशन का अमैण्डमेंट जाने। यह जो स्थिति है, मैं समझता हूं, ठीक नहीं है, जनता के साथ धोखा है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, यदि मंत्री लोग इस तरीके से करेंगे तो यह तो उचित नहीं है।

श्री सभापति: मैं, सम्माननीय मंत्री महोदय, सम्माननीय मंत्री महोदय...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री सभापति: मैंने पहले भी निवेदन किया है, आपके सम्माननीय मंत्रीजी इतने इंटेलीजेंट तो हैं कि एक-एक चीज का जवाब दे देंगे। I think so. You do owe joint responsibility but on the floor of the House, the hon'ble minister is capable enough to reply to whatever queries or questions he is posed with.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): टॉफी, टॉफी जो मुंह से चूसी जाती है उसको चूसणी कहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): ×××

श्री सभापति: आप विराजें। विराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, जिन लोगों को आरक्षण दे रखा है, आज उनकी क्या पोजीशन है? राजस्थान में एससी को सोलह प्रतिशत, एसटी को बारह प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। मैंने कई बार विधान सभा में इस मुद्दे को उठाया है कि जो लोग विशिष्ट स्कूलों में पढ़ते हैं एससी, एसटी के बच्चे, उनकी फीस, उनके वहां रहने की व्यवस्था, ट्यूशन फीस, सारी व्यवस्था, चाहे चार हजार, पांच हजार रुपये, कितना भी खर्चा हो, सारे का सारा राजस्थान की सरकार और केन्द्रीय सरकार पुनर्भरण करती है, लेकिन जब से यह सरकार आई है पिछले साढ़े चार साल से, विशिष्ट स्कूलों में जिसमें कान्वेंट स्कूल भी हैं, सेंट एंजिला, सोफिया स्कूल है, आपके एमजीडी स्कूल है, मेयो कालेज है अथवा विद्याश्रम स्कूल है, इन स्कूलों में एससी, एसटी के बच्चे जो भर्ती होते थे नये, उनके ऊपर बिलकुल रोक लगा दी गई। इसी प्रकार एससी, एसटी का जो बैकलाग है, उसके बारे में सरकार ने क्या किया? आज तक कोई कार्यवाही एससी, एसटी के बैकलाग को भरने के लिए नहीं की गई और इनका बैकलाग बढ़ता ही जा रहा है। हम एक-दो दिन में विश्वविद्यालयों के लिए अस्थायी अध्यापकों का नियमितीकरण करने जा रहे हैं, वहां पर जितना एससी, एसटी का बैकलाग बनेगा उसका...

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): भरा था, भरा था।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने भरा था, आपको मालूम नहीं है।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने तो पैराटीचर रखे थे उसमें भी एससी, एसटी का प्रावधान रखा था पहले से। आपको मालूम ही नहीं है।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्यगण, कृपा करके विराज जाएं।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री सभापति: आदरणीय, विराज जाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एससी, एसटी का बैकलॉग ..(व्यवधान)..

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वर्तमान सरकार ने तो सारे कर्मचारियों को पैरा स्टाफ कर दिया। आपको मालूम है? हमने तो पैराटीचर्स रखे थे, अब सारे लोग फिक्स पर हो गये- गजेटेड अफसर भी फिक्स पर, पुलिस भी फिक्स पर, आरएएस अफसर भी फिक्स पर। सारे पैरा हो गये, आपको मालूम नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अनपढ़ नहीं हैं, आप ज्ञानवान हैं, बहुत अनुभवी आदमी हैं इसलिए आपकी जानकारी में दे रहा हूं कि इस सरकार ने सारे गजेटेड अफसर, नॉन गजेटेड अफसर सभी को पैरा बना दिया है। सभापति महोदय, मैं एससी, एसटी के बैकलॉग के बारे में यह कहना चाह रहा था कि इसको भरा जाना चाहिए। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको कांग्रेस की सरकार ने 14 परसेंट आरक्षण देने का निर्णय किया था।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, एक तरफ तो आपने कहा कि कोई नहीं बोलेगा।

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, I will not allow it. आप विराज जाएं। यह पहले मैं स्पष्ट कर चुका हूं, कृपा करके, आदरणीय सदस्य, आप विराज जाएं। Let him conclude.

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री सभापति: मेरे खयाल से यह बात अंकित तो हो नहीं रही है। अब बात अंकित तो हो नहीं रही है, जब आपको समय मिले तो आप यह बात फर्मा देना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा):

श्री सभापति: अब आप विराज जाएं और मेरी एक बात भी सुन लें। I will not allow this. एक मिनट आप विराज जाएं। मेरी बात सुन लें, फिर आप बोलें। अगर कोई यह समझ ले कि आसन की तरफ से कोई इसमें रुकावट हम नहीं डाल रहे हैं तो आपका अधिकार नहीं हो जाता। एक बार हम स्पष्ट कर चुके हैं, जब तक आसन परमिशन नहीं दे, जिस माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी गई है उनको बोलने दिया जाए। अगर हर एक मिनट में, हर दो मिनट में इस तरह के व्यवधान आएंगे तो या तो आप यह निर्णय कर लें कि इसको अगली सुबह तक हमको चलाना है तो आप चलाएं, या फिर आसन को अपनी व्यवस्था देने दें। You will also have to decide this. I will now not allow this.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि मैं जब राजस्थान का शिक्षा मंत्री था और हमारी सरकार थी तो प्रतिवर्ष 1200 विद्यार्थियों को विशिष्ट स्कूलों में भर्ती करते थे और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करती थी। हम एससी, एसटी के विरोधी नहीं हैं, एससी, एसटी के विरोधी तो आपकी सरकार है। जब साढ़े चार साल में एक नये विद्यार्थी को एडमिशन नहीं दिया तो विरोधी ये हुए या हम हुए एससी, एसटी के?

इसी प्रकार आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको 14 परसेंट आरक्षण देने का कागज ..(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, why do you want to provoke them?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने प्रोवोक नहीं किया है।

श्री सभापति: If you start provoking them, then it will be counter-productive. I am sure about that.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह जो बिल आया है इसमें 16, 12, 21 परसेंट, 5 परसेंट, 14 परसेंट सबका जिक्र किया है तो इनकी दशाओं का तो वर्णन करना पड़ेगा। मैं बिलकुल रेलेवेंट बोल रहा हूं और टू दी पाइंट बोल रहा हूं। 14 परसेंट आरक्षण का कागज हमारे यहां से चला गया था उस समय वहां पर एनडीए की सरकार थी। उन्होंने एक कमीशन की नियुक्ति की और कमीशन निर्णय नहीं कर पाया।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अभी वर्तमान में, सभापति महोदय, जनरल शिनो की अध्यक्षता में दो सदस्यीय आयोग बैठा हुआ है जिसके मैम्बर सैक्रेटरी राजस्थान के भूतपूर्व गृह सचिव महेन्द्र सिंहजी हैं। उनकी रिपोर्ट आने को है। जब तक वह रिपोर्ट नहीं आएगी, कांस्टीट्यूशन का अमैण्डमैंट नहीं होगा तब तक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण नहीं मिल सकता। तो यह भी केवल मात्र दिखाने के लिए किया है कि हमने 14 परसेंट के आरक्षण का प्रावधान किया है। माननीय विधि मंत्रीजी, यह जनता को धोखा देने की बात है। आप दे नहीं सकते, आपके अख्तियार में नहीं है। जो कांस्टीट्यूशन का अमेण्डमैंट होकर आरक्षण दिया जाना है उसके लिए राजस्थान सरकार कैसे निर्णय कर सकती है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हम तो जनरल शिनो से दिलवाएंगे। क्या विरोध-विरोध कर रहे हो? आपके कहने से विरोध करेंगे? हमने तो यह मांग की थी कि 14 परसेंट आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मिलना चाहिए। यह जनरल शिनो की अध्यक्षता वाला आयोग देगा, आप नहीं दे सकते। आप तो केवल नाटक कर रहे हो चुनाव के लिए। इसलिए चुनाव से पहले आपने यह बिल लाकर होशियारी की है। हम 14 परसेंट आरक्षण दे रहे हैं। बिना कांस्टीट्यूशन अमैण्डमैंट के, विधि मंत्रीजी, आप दे सकते हो क्या? अपना रिप्लाई दें तब आप खुद ही बता देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं धोखा नहीं दिया था, मांग कर रहे थे।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक स्कूल्स में एससी, एसटी के बच्चों को निरन्तर एडमिशन दिया जा रहा है और सारा खर्चा शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नये विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सदन को गुमराह मत कीजिए। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नये लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आपको मालूम नहीं है। मैं बीकानेर में रहता हूं, वहां शिक्षा विभाग का मुख्यालय है। पूरी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप नये एडमिशन नहीं दे रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उसके अलावा हमने 12 आवासीय विद्यालय खोले हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आवासीय विद्यालय की बात मैंने की नहीं है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 5 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जिसमें पब्लिक स्कूल जैसी सुविधाएं हैं। क्या आपको यह पता है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ये आवासीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार के सहयोग से चल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सदन को गुमराह मत कीजिए, वास्तविकता बताइए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कल्ला साहब, आप ठीक कर लें, 2007-08 में 150 करोड़ रुपया पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के लिए एससी, एसटी के स्टूडेंट को राजस्थान ने दिया है जो आज तक कभी भी नहीं दिया गया। सर्वाधिक है। 3 लाख 25 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ हुआ है। इतना बड़ा काम हुआ है। कोई तो सच बोला करो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने विशिष्ट विद्यालयों की बात की और आप स्कालरशिप की बात पर आ गये। स्कालरशिप की बात करते हो तो आज ही समाचार-पत्रों में आया है, 63 करोड़ रुपये की राशि आपके पास पड़ी हुई है वह आप एससी, एसटी के लोगों को छात्रवृत्ति के रूप में नहीं दे सके। 63 करोड़ रुपये आज भी आपके पास आये हुए पड़े हैं, आप बांट ही नहीं सके। दिल्ली से आया हुआ पैसा पड़ा है, लेकिन आप उसके ऊपर सांप की तरह बैठे हो।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): गुमराह कर रहे हैं, मार्च में लास्ट वक्त में पैसा आता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ये एक-एक मिनट में व्यवधान करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लास्ट मार्च को पैसा आता है। इसको अभी इतनी जल्दी कैसे वितरित किया जा सकता है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मंत्री लोग भी इस तरह से व्यवहार करेंगे तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): गुमराह कर रहे हैं सदन को।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं विशिष्ट विद्यालयों के बारे में बोल रहा हूं, सैंट जेवियर, सैंट एंजिला स्कूल, विद्याश्रम, एमजीडी में कांग्रेस के राज में जिनको एडमिशन मिलते थे, नये विद्यार्थियों को वे एडमिशन आपने बंद कर दिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आज भी एडमिशन हो रहे हैं, उनका सारा खर्च उठाया जा रहा है, सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने पैसे बराबर भेजे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राजस्थान सरकार को पिछले साढ़े चार वर्षों में चार गुना पैसा मिला है। हमको मिलता था 2 हजार करोड़ और आपको मिला है 8 हजार करोड़ से ऊपर। क्या बात करते हो आप? आप इस बहस में मत जाओ।

श्री सभापति: मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा इतनी लम्बी लिस्ट है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं या तो हम सुनिश्चित कर लें अगली सुबह तक इसको पारित करना है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उस रफ्तार से तो यह ..(व्यवधान) एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि चाहे यहां कोई सच जाने या न जाने, लेकिन इस सदन के बाहर इस प्रदेश की जनता पूरे सच को जानती है। तो जितना ये झूठ बोल रहे हैं उसका जवाब तो जनता इनको दे देगी। आप विराज जाएं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, झूठ शब्द असंसदीय है।

श्री सभापति: असत्य अगर कोई बोल रहे हैं तो प्रदेश की जनता अपने आप में सक्षम है उस बात का जवाब देने में।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं वाल्लेयर को भी याद करना चाहूंगा, वाल्लेयर ने एक जगह कहा था, "आप किसी के विचार से सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई रोकता है तो वह तानाशाह होता है।" आप देख लीजिए, बीजेपी के मंत्री लोग और माननीय सदस्य किस प्रकार से विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक तरह से हेकल करने की चेष्टा करते हैं। तो मैं हैकल होने वाला नहीं हूं।

सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनरल शिनो की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, हम पिछले दिनों हमारे नेता से मिले और उनसे हमने यह मांग की है कि जनरल शिनो की अध्यक्षता में जो दो सदस्यीय आयोग है उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए और उसके आधार पर पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को चौदह प्रतिशत आरक्षण मिले। वो देंगे, वो कांस्टीट्यूशन में अमैंडमैंट करेंगे । आपने तो केवल मात्र धोखा देने की चेष्टा की है। राजस्थान की जनता इस धोखे में आने वाली नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप लोग बातें तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे, चौदह प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस पार्टी कृतसंकल्पित है। इसीलिए हमने आपसे पहले प्रस्ताव भेज दिया था। और आज विशेष पिछड़ा वर्ग को भी पांच प्रतिशत आरक्षण देने के हम पक्ष में हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले उनको कहा, आपने परिवर्तन यात्रा में उनको क्या वादा किया था? आप उनको किस जाति में सम्मिलित करने वाले थे? उस वायदे को क्या आपने पूरा किया? क्या आप अभी जो संशोधन करने जा रहे हैं, वो कांस्टीट्यूशन के अमैंडमैंट बिना सम्भव है? नहीं है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पूरे प्रकरण पर अटार्नी जनरल की राय लेकर एक कांप्रीहैंसिव बिल लेकर आएं, सुप्रीम कोर्ट से कोई परमीशन लेनी हो तो उससे परमीशन लेवें। भारत सरकार को कांफीडेंस में लेकर कांस्टिट्यूशन में अमैंडमैंट लाकर ही ये आप आरक्षण दे सकते हैं, इसके बिना आप दे नहीं सकते। इसलिए मेरी अपील है, इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और इस बीच अटार्नी जनरल की राय लेकर इसको कांप्रीहैंसिव बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद आपका अवसर देने के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान सरकार का और राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजेजी का जिन्होंने इस आरक्षण के मुद्दे को इतनी समझदारी से और सूझ-बूझ के साथ सुलझाया। जब आंदोलन चल रहा था, सारा देश सांस रोक कर बैठा था, दम साध कर बैठा था कि क्या समाधान निकलेगा, कैसे निकलेगा। कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। उस परिस्थिति में से राजस्थान को निकाल कर उस सारे विषय का इतना शानदार समाधान निकाल कर पेश किया है सरकार ने कि आज सब तरफ राजस्थान सरकार की वाहवाही हो रही है हमारी मुख्य मंत्रीजी की वाहवाही हो रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और उनके सारे सहयोगियों को जिन-जिन ने इस सारे काम को करने में अपनी भूमिका निभायी। विशेषकर राजस्थान का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय रामदासजी अग्रवाल साहब ने भी भूमिका इसमें निभाई और एक आईएएस अफसर के रूप में जहां ये जन्मे मारवाड़ के लाल थानवी साहब ने भी जो भूमिका निभाई, निश्चित रूप से मैं उसका उल्लेख किया बिना नहीं रह सकता। अन्य लोगों ने भी जिन-जिन ने इसमें सहयोग किया, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे उलझे हुए मसले को बहुत सफाई से सुलझाया और ऐसा एक समाधान पेश किया है जनता के सामने कि जिसका कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं है।

जहां तक प्रतिपक्ष का सवाल है, जब आंदोलन चल रहा था तब भी प्रतिपक्ष कंफ्यूजन में था, आज भी कंफ्यूजन में है। आंदोलन चल रहा था, हम कह रहे थे कि भारत सरकार को करना चाहिए था तब ये ही नेता लोग कह रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता, बहुत आदर के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, ये कह रहे थे कि भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, राजस्थान सरकार को सबको देखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। आज जब सब कुछ निपट गया, सब शांत हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तब कह रहे हैं आदरणीय बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कि भारत सरकार से राय करो। 'मीठा-मीठा गप, कड़वा-कड़वा थू' यह नहीं चलता है। जब जिम्मेदारी जनता ने आप पर डाली है तो फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने का हौसला भी होना चाहिए। आज वही कंफ्यूजन हाउस में नजर आ रहा है। विरोध कर नहीं सकते। विरोध करें तो मरे और समर्थन करें तो समर्थन के साथ में कहें कि यह तो लालीपाप है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

यदि यह बिल काम का नहीं है, उपयोगी नहीं है तो समर्थन क्यों कर रहे हैं? लालीपाप है तो समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन भी करेंगे और विरोध भी करेंगे यह दोहरी नीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। जनता बहुत समझदार है। जैसा अभी आसन से कहा गया, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करना जानती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा स्वभाव है, मैं विवादित विषय नहीं बोलता, इसलिए मैं विषय से हटकर कोई बात करना नहीं चाहूंगा। इस देश के इतिहास को देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आदरणीय वसुन्धरा राजे सिंधिया तक मराठाओं ने इस देश को हमेशा नयी दिशा दी है, हमेशा नया रास्ता दिखाया है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आरक्षण की व्यवस्था देश आजाद होने के पहले भी लागू थी। बिलकुल थी। 1903 में, 1903 के आस-पास ठीक से डेट मुझे याद नहीं है, पर कोल्हापुर के नरेश साहूजी महाराज ने इस देश में पहली बार आरक्षण लागू किया था। पचास प्रतिशत आरक्षण उन्होंने दिया था। एससी, एसटी, ओबीसी उसमें अलग से कोई वर्गीकरण ऐसा नहीं था, लेकिन पचास प्रतिशत अपर क्लास, पचास प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लोग, उनको आरक्षण सबसे पहले इस देश के इतिहास में यदि किसी ने दिया था तो एक मराठा सरदार ने दिया था 1903 के आसपास कोल्हापुर में लागू किया था साहूजी महाराज ने। पूना पैक्ट भी 1932 में आया था उसके 27 साल पहले उन्होंने लागू कर दिया था। तो एक नयी दिशा, एक नया इनोवेटिव स्टैप एक मराठा सरदार ने जो उस समय उठाया था, आज उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आदरणीय वसुन्धरा राजेजी के नेतृत्व में यह राजस्थान सरकार भी उठाने जा रही है और इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत साधुवाद करता हूं, अभिनन्दन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण संविधान में दिया हुआ है।

(17.26 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

संविधान का आर्टिकल 366, उसके सब आर्टिकल 24 और 25 एससी/एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं और इसलिए एससी और एसटी को जो आरक्षण मिला है वो संविधान प्रदत्त आरक्षण है। उसके बाद जो आरक्षण मिला है वो सरकारों के नोटिफिकेशन के आधार पर हुआ है। आज

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इस महत्वपूर्ण बिल पर बहस की शुरूआत में प्रतिपक्ष के नेता ने एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की कि एससी/एसटी का नाम इसमें क्यों डाला है। कल को मान लो, सुप्रीम कोर्ट में स्टे-विस्टे हो गया तो एससी/एसटी को भी आरक्षण स्टे हो जाएगा, तो? मैं कानूनविद तो नहीं हूं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना मैं भी समझता हूं कि संविधान में जो सुविधा दी गई है, संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट भी स्थगित नहीं कर सकती। उस संविधान में दी हुई सुविधा के आधार पर एक्ट बनना चाहिए। यह हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे से मैं पिछले 19 साल से जुड़ा हुआ हूं, लगातार हम लोग भारत सरकार से मांग करते रहे हैं कि इसके लिए एक्ट बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसको लागू करने की जो व्यवस्था आज की तारीख में चल रही है, वो केवल मात्र है गजट नोटिफिकेशन। अधिकारियों की जब मर्जी हो गजट नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जैसा चाहे निकाल सकते हैं। बदल भी सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। और ऐसा हुआ। ऐसा हुआ जब भारत सरकार में प्रधान मंत्री के पद पर देवेगौड़ाजी और गुजराल साहब थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनको बाहर से समर्थन दे रही थी, उनके समर्थन के आधार पर दोनों प्रधान मंत्री बने हुए थे। उस समय भारत सरकार के पांच ऑफिस मेमोरेंडम ऐसे निकले जिनके आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था खतम हो गयी। ऐसी बुरी खतम हुई, उसका ऐसा दुष्प्रभाव हुआ, एक छोटे से किसी हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर पूरे देश में उन्होंने आदेश निकाल दिया। उन आदेशों की पालना भारत के दूसरे किसी राज्य ने नहीं की। सबसे पहले वो पहल की राजस्थान सरकार ने माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में। और कैसे पहल की ...(व्यवधान) भैरोंसिंहजी की सरकार ...

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे क्या बोल रहे हैं आप?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ... में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो दस अफसर आरपीएस से आईपीएस बन गए थे, उनको रिवर्ट किया गया। जो एसपी के पद पर साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल, दो-दो साल काम कर चुके, उनको एडिशनल एसपी के पद पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। एक तरह से उनका जीना भी मुश्किल और मरना भी मुश्किल, ऐसी हालत उनकी कर दी। ऐसा कलंकित काम भी इस राजस्थान की धरती पर हुआ।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आईपीएस से लेकर सामान्य यूडीसी तक का रिवर्शन हुआ। जालौर कलेक्ट्रेट में 12 लोगों का रिवर्शन हुआ उन पांच ओएम के आधार पर...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जब आप डीवाईएसपी की यानी होम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, विगत साढ़े चार वर्षों में गृह विभाग ने जितनी डीपीसी की है, जितनी पदोन्नतियां की हैं उतनी तो आपके पिछले 20 सालों में नहीं हुई होंगी। कोई पद खाली नहीं छोड़ा इन्होंने, सारे के सारे प्रमोशन कर दिये। ऐतिहासिक प्रमोशन किये हैं और उसमें एससी, एसटी के लोगों को भी पूरा प्रतिनिधित्व मिला है। आप कह रहे हैं कमी रही है। ठीक कर लेंगे। जो काम करता है उससे गलती भी होती है और गलती सुधारने की हमारी मंशा है। यदि आपने कहा है कि कोई कमी है तो ठीक कर देंगे। पर आपकी तरह हमने आईपीएस को आरपीएस तो नहीं बनाया, हमने यूडीसी को एलडीसी नहीं बनाया। 12-12, 15-15 साल जिसने ओए के रूप में, ऑफिस असिसटेंट और ऑफिस सुपरिटेंडेन्ट के रूप में काम कर लिया, उसको निचले पद पर लाकर बिठाने का काम आपकी सरकार ने किया, था, वैसा कलंकित काम हमारी सरकार ने नहीं किया। जहां भी किया यश प्राप्त करने का काम किया है, अच्छा काम किया है हमने और उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में जो एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त है वह जनसंख्या के आधार पर है, आबादी में प्रतिशत के आधार पर है। 1950 में जब लागू हुआ था आरक्षण तो पूरे देश में 12 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध था एससी को, बाद में वह बढ़ते-बढ़ते 15 प्रतिशत तक गया। जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर 2001 की जनसंख्या के आधार पर वह 15 से बढ़कर साढ़े 16 कुछ हो गया है। भारत सरकार में साढ़े 16 ...(व्यवधान) 17 प्रतिशत वह राजस्थान के लिए है। आप जो बता रहे हैं वह कागज मेरे पास भी है, भारत सरकार में साढ़े 16 प्रतिशत लागू हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका नम्बर आएगा तब बोलिएगा, अभी बीच में नहीं बोलें आप। मि. गर्ग, अपना भाषण कनक्लूड करें। आंकड़े आप सही कर देना, वह गलत कर रहे हैं तो आप सही बता देना।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में 19-20 फर्क हो सकता है, आधा परसेंट, पाव परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर...

श्री अध्यक्ष: अब आप भी कनक्लूड करें क्योंकि अभी बहुत बोलने वाले हैं। बहुत सारे माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। 5.21 पर शुरू किया था, काफी समय हो गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर एससी और एसटी के आरक्षण का प्रतिशत भारत सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी बदलता रहा है, इसलिए 2001 की जनसंख्या के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उनके आधार पर यदि हम इस बिल में प्रावधान कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। पहले जब बिल नहीं था, यह कानून नहीं बना था, तब तो हम गजट नोटिफिकेशन के आधार पर कर लेते थे, अब यदि इसमें आपको परिवर्तन करना होगा तो फिर विधान सभा में आपको करना होगा। 2001 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, यदि आज नहीं करेंगे, छह महीने बाद अगले सत्र में हमको संशोधन करना पड़ेगा। करना जरूर पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हम। इसलिए यदि इस बिल में प्रावधान कर लिया गया होता, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जब उदार दिल होकर, हमारी मुख्य मंत्रीजी बहुत खुले हाथ से जब सबको कुछ-न-कुछ तोहफा दे रही हैं, यह तोहफा भी यदि एससी, एसटी को मिल गया होता एक-एक प्रतिशत बढ़ाने का तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा मैसेज हमारे लिए जाता।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं एक और कहना चाहता हूं। आज शून्यकाल में पर्ची पर बोलते हुए नगर से आने वाले माननीय विधायक ने एक बात कही थी कि जो मुस्लिम समुदाय में ऐसे लोग हैं जो मोची या कसाई और इस तरह के काम कर रहे हैं, उन लोगों को अनुसूचित जाति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पुरज़ोर विरोध करना चाहता हूं इस बात का। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिला है वह अस्पृश्यता के आधार पर मिला है, केवल मात्र एक आधार एसटी के लिए पांच आधार होंगे, अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए केवल मात्र एक आधार है छुआछूत। इस्लाम में छुआछूत है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): कहा है, मैंने सुना है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): फिर भी मान लीजिए, आप पीछे हट रहे हैं, कोई बात नहीं। पर बहुत सारे लोग हैं जो भारत में इस बात की मांग कर रहे हैं, दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयत का नया कान्सैप्ट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ईसाइयत में कहीं भी छुआछूत नहीं है, सब एक समान हैं। मुस्लिम समुदाय में कहीं भी छुआछूत नहीं है, सब एक समान हैं। छुआछूत हिन्दू समाज में थी और आज भी किसी हद तक है और उसी के आधार पर...

श्री अध्यक्ष: अब आप कनक्लूड करें। अब आप कनक्लूड कर लें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इस प्रदेश में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां बनीं कि उस छुआछूत से, उस भेदभाव से परेशान होकर बहुत सारे लोगों ने या तो...

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अब आप कनक्लूड करें प्लीज। एक मिनट में कनक्लूड कर दें। अब आप एक मिनट में कन्क्लूड कर दें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप लगातार बोलते रहे तो कैसे बोलूंगा मैं? मैं भी बीमार हो जाउंगा हेमारामजी की तरह।

श्री अध्यक्ष: बोलने वाले अभी कम से भी 18 माननीय सदस्य और हैं, कब तक बैठेंगे?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं यह कहना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय कि वह जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, इस भेदभाव के कारण हिन्दू समाज में अनुसूचित जाति दलित वर्ग के, अछूत वर्ग के बहुत सारे लोगों ने ईसायत ग्रहण कर ली और इस्लाम ग्रहण कर लिया कि हमको वहां समानत मिलेगी, हमारे साथ वहां भेदभाव नहीं होगा, एक तरफ आप समानता वहन कर रहे हैं, समानता का आनंद ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप आरक्षण का भी लाभ लेना चाहता हैं, दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती, दोनों में से एक चीज मिलेगी या तो वापिस हिन्दुत्व में आइए और फिर आरक्षण की मांग करिए या फिर वहां की समानता का आनंद लीजिए, आरक्षण की मांग मत करिए।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

संविधान के आर्टिकल 341 का पार्ट-2 का पार्ट 3 एण्ड 4 को मैं कोट करना चाह रहा हूं। इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करुंगा – " ... but in order to belong to a Scheduled Castes under this order, a person must profess to be either a Hindu or a Sikh." एससी में वहीं आ सकते हैं जो या तो हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं या सिख धर्म के अनुयायी हैं, अन्य नहीं आ सकते।

श्री अध्यक्ष: एससी, एसटी का तो कोई झगड़ा ही नहीं है न, अब वह हो गया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आया है, आज हाउस में आया है इसलिए मैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल एसटी का है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इन्होंने उदाहरण दिये थे, नगर से आने वाले माननीय विधायक ने, कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में और बंगाल में एससी की सीट पर इस्लाम धर्म को मानने वाले कुछ लोग इलैक्ट हो गए। उस बारे में बहुत क्लीयर लिखा है संविधान में, "A person can not be elected to a Scheduled Castes constituency, if before he files nomination paper, he has been converted to either religion; say Christianity." नामिनेशन फाइल करने से पहले यदि उसने अपना रिलीजन बदल दिया है तो...

श्री अध्यक्ष: इर्रिलिवेंट है। कोई मतलब नहीं है इस चीज का।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): तो वह नामिनेशन फाइल ही नहीं कर सकता है। नहीं हो सकता है। यदि हुआ है बिहार में, यदि हुआ है उत्तर प्रदेश में, यदि हुआ है बंगाल में तो संविधान की हत्या करके हुआ है, संविधान का उल्लंघन करके हुआ है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अब आप, मैंने कहा कनक्लूड कीजिए। अभी 15-16 माननीय सदस्य और बोलने बाकी हैं, ऐसे समय लेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तिम बात मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने 05.21 पर बोलना शुरू किया था और आपको 20-22 मिनट पूरे हो गये हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इस बिल के माध्यम से जो माहौल बना है, राजस्थान की धरती पर सामाजिक समरसता का माहौल, वह माहौल बहुत

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सुन्दर बना है और उसकी अगवानी की जानी चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उसके स्वागत में मैंने भी एक गजल लिखी है।

श्री अध्यक्षः दो पंक्तियां लिखी हैं, सुना दें। आप तो सुना ही दें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): चार पंक्तियां सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

वह अगवानी करें हमारी, हम उनकी मनुहार करें।

ऐसा वातावरण प्यार का आओ हम तैयार करें।

जो आपस में लड़वा देती है भाई को भाई से, ऐसी राजनीति का यारों सब मिलकर धिक्कार करें।

प्यार मिले बदले में, यारों में, प्यार मुहब्बत उल्फत की, एक अनूठा ऐसा सौदा, ऐसा एक व्यापार करें।

ऐसा गणित सिखा दें जिसमें एक-एक मिल ग्यारह हो।

जब भी जोड़ें दो को दो से, सीधे-सीधे चार करें।

आखिरी शेर, अध्यक्ष महोदय,

नियम कायदे कमजोरों को मदद करे, मजबूत करें।

हम ऐसा संशोधन लाएं, आप उसे स्वीकार करें।

इसी के साथ धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः वाह-वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। अब देखिये, मैं माननीय सदस्यों को केवल पांच मिनट का समय दूंगी क्योंकि लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। यदि अधिक समय लेंगे तो पार पड़ेगी नहीं। फिर आखिर कब तक बैठेंगे अपन?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ठीक है, तीन मिनट में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ठीक है। अब बीच में नहीं बोलें। बैठें, नहीं बोलें आप।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग का यह बिल आया है जिसके माध्यम से राजस्थान के इतिहास में सामाजिक समरसता के लिये एक कानून तैयार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में दो महापुरुष हुए जिन्होंने, वास्तव में जो देश विश्व गुरु, जगत गुरु था और

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

विदेशी आक्रांताओं से उलझ गया उसकी सही नब्ज को पकड़ा। जो वर्गों के अन्दर बहुत ज्यादा भेद हो गया था, डाक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार और भीमराव अम्बेडकर, दोनों ने ऐसी नस को पकड़ा और, दोनों ने सामाजिक समरसता के लिए लेकर इस देश में सारे समाज को एक करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में एस.सी. और एस.टी., अनुसूचित जाति, जनजाति इस देश की मुख्य धारा से अलग होने के कगार पर थीं और डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रिजर्वेशन के तहत उनको फिर से मान-सम्मान और आत्म-सम्मान का जज्बा देने के नाते इस देश की मुख्य धारा, हिन्दू समाज की मुख्य धारा में जोड़े हुए रखा। यह एक बहुत बड़ा सम्मान का काम किया। और दूसरे महापुरुष ने सामाजिक समरसता के साथ पूरे समाज, हिन्दू समाज को एक रखा। राजस्थान की इस धरती पर चाहे वह एस.सी., एस.टी. हो, चाहे आर्थिक पिछड़ा वर्ग हो, या पिछड़ा वर्ग हो, वास्तव में कमजोर से कमजोर तबका दबा हुआ है, गांव में दबा हुआ है और दबता हुआ जाता है और दबे हुए तबके का स्वाभिमान लौटाया है अगर किसी राजसता ने उन दो महापुरुषों के बाद सामाजिक समरसता का सन्देश अगर राजस्थान के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान में किसी ने दिया है तो वह राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने दिया है। इस बिल के माध्यम से उन्होंने वास्तव में एक इतिहास कायम किया है। जब राजस्थान के अन्दर कांग्रेस और कामरेड इस तरह की आग लगा रहे थे कि केन्द्र का विषय है और केन्द्र यह बोलता कि राजस्थान का विषय है.. (व्यवधान) सुनते रहिये, सुनते रहिये। हम यह कह रहे हैं, सुनते रहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इतिहास में पहली बार इतने आदमियों को गोली से भूना गया है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): किसने कह दिया? आपके शासन में कितने हुए हैं? सिक्खों की खुली हत्याएं इस देश के अन्दर किसने करवाईं?

श्री अध्यक्षः कितनी बार दोहराएंगे आप यह बात। कितनी बार दोहराएंगे।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): चार-चार हजार लोगो को जिन्दा जला दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब तक इतिहास में ये बातें लिखी रहेंगी, हम सुनाते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सिक्खों का कत्ले-आम दिल्ली में किसने किया?

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कांग्रेस का भी इतिहास पढ़कर देखो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप पढ़ाना। हमने मना किया है क्या आपको?

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में, आपस में बातचीत न करें। इन्हें बोलने दें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य राजस्थान से पंजाब में पहुंच जाते हैं, और कभी कहां पहुंच जाते हैं, आप राजस्थान की बात करिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मीणाजी, हां, राजस्थान का कह रहा हूं, सुनो तो सही। सुनने की हिम्मत तो रखो। मैंने यह कहा है कि यह देश विश्व गुरु, जगत गुरु रहने वाला देश, दो सन्तों ने, दो महापुरुषों ने काम किया, तो हिन्दुस्तान की राजनीति में तंदूर की भट्टी में नारियों को जिन्दा किसने जलाया। (व्यवधान) यह कांग्रेस के लोगों ने जिंदा जलाया।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, विषय पर बोलें। हम कोई एक ऐसी बात बोलेंगे तो कहेंगे, बाहर नहीं जाएं, अन्दर ही बोलो। और यहां तंदूर और विदेश, न जाने क्या-क्या कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विषय पर बोलें, विषय पर।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): वही तो कह रहा हूं मैं। सामाजिक समरसता का विषय आया है।

श्री अध्यक्ष: आप विषय तक सीमित रहें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट हो गये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): अध्यक्ष महोदय, यह मैंने इसलिये कहा है कि हकीकत में यह विषय गम्भीर विषय था। एस.सी. और

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

एस.टी. को निश्चित रूप से, जैसा अभी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, अधिसूचना द्वारा किया लेकिन इस सरकार ने कानून बनाकर उसे मजबूती देने का काम किया है। एक बहुत बड़ा सपना संजोया है। इसके साथ-साथ पिछड़ा वर्ग और आर्थिक दृष्टि से जो वास्तव में कमजोर तबका है, आज उसकी चिन्ता की है। कई बार ऐसा होता है, चाहे वह गूजर हों, रैबारी हों, अब रैबारियों की स्थिति, ले भेड़-बकरियों को चराने के लिये अपने बच्चों को राम-भरोसे छोड़कर चले जाते हैं, यहां तक कि उनकी शिक्षा के लिये व्यवस्था की है। आज हर गांव के अन्दर ब्राह्मण एक कमजोर तबका है। एक गरीब ब्राह्मण कहलाता है, उसकी भी चिन्ता की है। कृष्ण के जमाने में कृष्ण ने वास्तव में सुदामा की चिन्ता की। आज अगर सुदामा की चिन्ता, गांव के गरीब ब्राह्मण की चिन्ता किसी ने की है तो वसुन्धराजी ने की है। इसलिये आर्थिक दृष्टि से दबे हुए तबके को उनका मान-सम्मान लौटाकर, उनको एक आत्म-सम्मान से जीने का रास्ता बताने के लिये सरकार जो यह बिल लाई है उसका बहुत-बहुत सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। यह बिल ऐसा राजस्थान के इतिहास में एक गौरवान्वित विषय है। राजस्थान के एक-एक तबके के अपने आत्म-सम्मान से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता कायम की है। पूरे देश में यह सन्देश जाएगा कि आर्थिक आधार पर अगर कोई आरक्षण हो, अगर किसी ने तैयार किया हो, किसी ने शुरूआत की हो तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने की है। बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं इस बिल का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माहिर साहब, सुबह बोल लिये थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं अब बिल पर बोल रहा हूं। वैसे भी मेरा गला खराब है, कल नारे लगवा दिये आपने।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): स्पीकर साहब की खास मेहरबानी है माहिर आजाद साहब पर। इसलिये हर बार मौका मिलता है।

श्री अध्यक्ष: सुबह भी आप इस पर बोल तो चुके हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): स्पीकर महोदय की मेरे पर मेहरबानी है तो आपको ईर्ष्या हो रही है क्या?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): खुशी है कि किसी पर तो मेहरबानी है, हम लोगों में से।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, जब पांच मिनट का समय दिया है तो आपको भी पांच मिनट दिये हैं। पांच मिनट में आप भी बोल लें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल आप लाये, मुझे समझ में नहीं आता कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस समय तो यह मुख्य मंत्री के रूप में कर रहे हैं। अभी तो पायलट कर रहे हैं इसलिए मुख्य मंत्री के रूप में हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य मंत्री तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि विधि की जानकारी हमें भी है और आपको भी है, आप यह बिल लाये। इस बिल में राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यह लिखने की आवश्यकता कहां थी?

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं थी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सर पदमपत विश्वविद्यालय लाये, सिंघानिया का ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जनजाति की तो थी लेकिन अनुसूचित जाति की नहीं थी। जनजाति की तो थी फिर भी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्यों थी? वह भी नहीं थी। वह भी नहीं थी। मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विशेष जनजाति बनायी है न।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तो विशेष पिछड़ा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आप सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय का बिल लाये तो आप लिखेंगे क्या कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय और फिर लिखेंगे सर पदमपत विश्वविद्यालय? जो पहले आ चुका, हो चुका, वह हो गया। आप बिल ला रहे हैं पिछड़े वर्ग का, आर्थिक पिछड़े वर्ग का, विशेष पिछड़े वर्ग का, इसमें आपको यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी विधिक तौर पर। यह आप अपना जवाब दें तब सोच लें। (व्यवधान) मैं आप जितना विद्वान नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: आपसे सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं इनको। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे तो अध्यक्षजी का सर्टिफिकेट मिल रहा है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि एस.सी., एस.टी. को तो आरक्षण मिला हुआ है संविधान से और बहुत पहले से। आप जिनको दे रहे थे, आपको तो इनका ही मेंशन करना चाहिए था। इसमें लिख देने से आपको कोई वाहवाही मिलने वाली नहीं थी। हम इस बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? हमारी पार्टी ने यह लाइन क्यों ली? क्योंकि कांग्रेस की मूल भावना यह थी कि जो आरक्षित वर्ग है, एस.सी. और एस.टी., उसके आरक्षण से छेड़छाड़ किये बगैर आप गुर्जरों को या रैबारियों को या जो भी किसी को आप जो आरक्षण दें, हमको इसमें कोई एतराज नहीं है। आपने वह बात मान ली इसलिए हम आपके इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। क्रीमी लेयर की बात जब हमने कही, मुद्दा उठाया तब जाकर आज इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना संशोधन सरकार की तरफ से रखा है। नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें भी सैक्शन-4 में भी आपको केवल वही लिखना चाहिए था। शिड्यूल्ड कॉस्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं लिखते, आप इसमें लिखते बैकवर्ड क्लासेज, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज और इकोनोमिक बैकवर्ड क्लासेज और इसके एक्सप्लेनेशन में लिख देते "Nothingstanding anything contained in sub-section (1) and sub-section (2), persons belonging to creamy layer shall not be eligible for consideration against the reserved quota in the appointments and posts under the State." यह दो नहीं लिखना चाहिए थीं। वह आप डिलीट कर रहे हैं। ठीक है। देर आए दुरुस्त आए। हमने कहा, आप कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के आर्टिकल-38 में जो स्टेट को एम्पावर किया गया है, मैं जरा आप कहें तो इसको एक मिनट में पढ़ कर बता देता हूं। "38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people. The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life." मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह भारतीय संविधान आज तो नहीं बना। धारा-38 में स्टेट को जो एम्पावरमेंट दिया गया है यह आज तो नहीं दिया गया। फिर आपने यह तय क्यों कर रखा था? अभी बीकानेर का आप खुद कह रहे थे कि ब्राह्मणों को आरक्षण दीजिए। हाथ खड़े करके फोटो छपी थी, हमारे पास भी है। आपने जब ब्राह्मणों ने जयपुर में आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगने के लिए रैली निकाली तो आपने उन पर लाठियां बरसायीं कि नहीं बरसायी थीं? घनश्यामजी, बड़ा मजा आया होगा ब्राह्मणों को पिटवाने में। ओम बिड़लाजी यहां पर बैठे हैं, राजस्थान भर के

(मोहम्मद माहिर आजाद)
वैश्य समाज के लोग, बनिया समाज के लोग जयपुर में स्टेच्यू सर्किल पर आये। आपने उनके लाठियां मारीं। आधे चप्पल-जूते छोड़कर भाग गये। अशोक नगर थाने में ले जाकर बंद कर दिया। कल्ला साहब, संयम लोढ़ा और हम वहां पर गये। आपसे जो भी आरक्षण मांगने आया, हमने तो नहीं कहा था, करणी सेना के लोगों को कि आपको राजपूतों को ओ.बी.सी. में शामिल कर देंगे। यह चिट्ठी लिखकर वसुन्धराजी ने दी थी, मुख्य मंत्रीजी ने। हमने तो नहीं दी। क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल गलत है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई चिट्ठी लिखकर नहीं दी थी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं जो कह रहा हूं वह सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है कि सदन में इस तरह की बात कहें जो सदन के बाहर जब जाए तो उसके कई अर्थ निकाले जाएं। कोई इस तरह की चिट्ठी मुख्य मंत्रीजी ने कभी लिखकर नहीं दी कि राजपूत समाज को ओ.बी.सी. में शामिल किया जाएगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अख़बार में छपी है। लोकेन्द्र सिंहजी कालवी ने दिखायी है। बतायी गयी है उसको। आप तो कह दोगे कि गुर्जरों को भी एस.टी. में शामिल करने का आपने आश्वासन नहीं दिया था। नहीं दिया था? फिर क्यों हुआ इतना बड़ा मामला? ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप इनके पक्षधर हो क्या? गुर्जरों को एस.टी. में शामिल कराने के आप पक्षधर हो तो बोलो न जोर से।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसके? करो न शामिल। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप पक्ष में हो क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): करो न, करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहलाओ अपने नेता से। कहलाओ अपने नेता से, अगर आप पक्षधर हो तो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): काहे की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कराओ पार्टी में फैसला।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वादे करो आप, वोट लेओ आप और जो है नकेल दिखाओ दूसरे को, यह थोड़े ही चलेगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम से पूछकर वादा किया था क्या एस.टी. में शामिल करने का उनको? तो अब क्यों पूछ रहे हो? आप उस समय पूछते जब उनसे वादा किया था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब तो समधन के नाम से, जब हम थे क्या वहां? बात कर रहे हो। जब चुनरी ओढा रहे थे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): महारानी पद्‌मिनी देवी से मिलने जाएं राजस्थान की मुख्य मंत्री और राजपूतों से आन्दोलन कराओ कि हम आरक्षण देंगे, इतना घटिया स्तर कभी किसी सरकार में नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चुनरी तो राजेन्द्रजी, पीछे-पीछे आप ही पकड़ रहे थे, और कोई पकड़ रहा था क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): पल्ला पकड़ रहे थे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में जातिवाद का जहर भारतीय जनता पार्टी ने घोला। जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आपको तनसिंहजी याद आ रहे हैं। तनसिंहजी आज हुए हैं क्या पैदा? आज से चार सौ साल पहले पैदा हुए। महाराजा सूरजमल याद आ रहे हैं। आपको ब्राह्मण और आर्थिक आधार पर आरक्षण नजर आ रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सबको पिटवाया। ब्राह्मणों को पीटा। बनियों को पीटा। गुर्जरों को तो आपने हद ही कर दी। खैर, मैं उस आन्दोलन की मैरिट में नहीं जाना चाहता। एक तरफ तो आप राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे हो और दूसरी तरफ हैलिकॉप्टर से बुलाकर मुख्य मंत्रीजी के पास बैठाकर बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: कृपया कनक्लूड करें। कनक्लूड करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं उसकी मैरिट में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ... (व्यवधान) हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के टुकड़े किसने किये हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उस जिन्ना ने किये हैं जिसको आडवाणीजी ने धर्मनिरपेक्ष बताया। बोलिये, बोलिये। बोलो, जवाब दो। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि 5 परसेंट का जो आरक्षण लाये हैं, हम इसका समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ बिरादरियां ऐसी भी हैं जो बहुत छोटी हैं और वह इसमें से रह गयी है- कालबेलिया रह गये, दमामी रह गये, लंगा रह गये हैं, इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आप अमैंडमेंट देते न। यह तो जनमत में क्या कह रहे हो? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दिया है। दिया है इसमें, तो आप दुबारा भी, दुबारा बोलने का मौका देंगी क्या मुझे? आप यह बताइये कि मैंने अमैंडमेंट दिया हुआ है, जब बोलने का फिर मौका देंगी क्या? बताइये आप। आप कहें तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: अमैंडमेंट दिया है तो लेगा, इसमें क्या बात हुई। अमैंडमेंट दिया हुआ है उस पर तो कोई बोलेगा वह बोलेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा, ठीक है। चलिये, ठीक है। मैं एक निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह करना चाहता हूं, माननीय विधि मंत्रीजी, आपने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अमैंडमेंट में निश्चित होता है लेकिन आपको पांच मिनट दिये थे, आपने दस मिनट ले लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सही है लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस भी कर दिया। तीन मिनट संसदीय कार्य मंत्रीजी ने ले लिये पांच में से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या बात कर रहे हो, इन्होंने तो एक सैकण्ड की बात की थी और फिर चुपचाप बैठ गये थे। आपकी तो मिली कुश्ती है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, 14 परसेंट आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दे रहे हैं, मेरे को बताइये कि यह आर्थिक आधार का असैसमेंट कैसे होगा? इसका असैसमेंट ऐसे ही होगा जैसे बी.पी.एल. का हुआ है। जो सरकारी कर्मचारी है उसकी तो अपनी तनख्वाह फिक्स है उसको तो मालूम है कि इतनी दे रहा हूं इनकम टैक्स, तो वह तो क्रीमीलेयर में आ गया। बाहर का

(मोहम्मद माहिर आजाद)

व्यापारी चाहे उसकी इनकम कितनी ही हो वह अपना असेसमैंट खुद बताएगा कि साहब, मेरी इतनी नहीं है तो वह इसमें शामिल हो जाएगा। आप कैसे करेंगे इसका असैसमेंट? इसमें पक्षपात होगा, निष्पक्षता नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने, जब दिल्ली में एन.डी.ए. की सरकार थी तो 14 परसैंट आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का पत्र भेजा।

तब एन.डी.ए. की सरकार ने उसको रिजैक्ट कर दिया। माननीय विधि मंत्रीजी, आपने अटलजी, आडवाणीजी और राजनाथ सिंहजी से स्वीकृति ले ली कि नहीं? क्योंकि तब उन्होंने इसका विरोध किया था, आज क्या वे इस पर सहमत हो गये? उनका मन बदल गया है क्या? अगर उनसे स्वीकृति नहीं ली है तो वे या तो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे या इस बिल के खिलाफ एक्शन लेंगे। कम से कम सदन को आप अवगत तो कराएं कि मामला क्या है ?

(18.00 बजे)

अन्त में एक बात मैं और कहूंगा। जोगेश्वरजी गर्ग, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही वह राजस्थान के हित में अच्छी नहीं है। यहां गृह मंत्रीजी भी बैठे हैं। उन्होंने यह कहा कि दलित और..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कोई सबका जवाब दोगे क्या? आपका तो जनमत जानने के लिये है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी बात तो कहूं। बस लास्ट है, खतम कर रहा हूं। मैडम, राजस्थान के हित में अच्छी बात नहीं है यह। उन्होंने यह कहा कि ईसाई, दलित और मुसलमान ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह जनमत जानने के लिये अपनी बात कह रहे हैं या कोई मांग कर रहे हैं? संशोधन दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) जोगेश्वरजी गर्ग ने जो कहा उसका जवाब दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले अपनी बात कहूंगा तब ही तो कहूंगा, क्यों मांग रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्यों मांग रहे हो? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, वही तो बता रहा हूं, सुनो। सुनिये, उन्होंने कहा ईसाई, दलित व मुस्लिम से समानता का व्यवहार होता है इसलिए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी क्या राजस्थान में और हिन्दू धर्म में ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह भी इर्रिलेवेंट बात कह गये और अब आप भी इर्रिलेवेंट बातों का जवाब दे रहे हो। (व्यवधान) इनका कोई मतलब नहीं। (व्यवधान) हो गयी थी उनकी बात। वह तो इर्रिलेवेंट बात थी, उसका जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इर्रिलेवेंट नहीं, मैं सुधार कर रहा हूं। मैं सुधार कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं, आज देश आजाद है..(व्यवधान) आप सुन तो लो मैं क्या कहना चाहता हूं। हां, सुन लीजिये। (व्यवधान) इच्छा होगी जो कहूंगा। मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते आप।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं और जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कि आज भी दलितों के साथ यहां पर छुआछूत और अस्पृश्यता का व्यवहार हो रहा है, इसलिए आरक्षण मिल रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इसको कार्यवाही से निकालें। राजस्थान में आज समानता का व्यवहार है, दलित और सवर्ण में कोई भेदभाव नहीं है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। डा. सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं ऐतिहासिक बिल पर ऐतिहासिक डिबेट में भाग लेने के लिये खड़ा हुआ हूं ...

श्री अध्यक्ष: वैरी गुड।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक विधायक के रूप में, एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर भारत में राजस्थान पहला प्रदेश है जिस प्रदेश ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 38 और 46 में एक प्रयत्न किया, बैकवर्ड क्लास, इकोनोमी बैकवर्ड क्लास, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब, इन सबके रिजर्वेशन का जो कन्सेप्ट अभी तक कांस्टीट्यूशन के फण्डामेंटल राइट के आर्टिकल 15 और 16 में था, उससे हटकर पहली बार आर्टिकल 38 और 46 के रेफरेंस के संबंध में उन्होंने निर्णय किया, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में मैं, मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी सभी सदस्य कह रहे थे कि माननीय मुख्य

(डा. सी.पी. जोशी)

मंत्रीजी ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। हां, राजस्थान के संदर्भ में ऐतिहासिक फैसला लिया। पर राजस्थान की जनता को यह भी बताना आवश्यक है कि 2006 में तमिलनाडु में यह बिल पेश हुआ था। तमिलनाडु के बिल की ऐसी की ऐसी नकल यहां पर की गयी। तमिलनाडु का जो बिल है, उसके मैं क्लॉज नहीं पढ़ना चाहता, पर जो प्रिएम्बल लिया गया है वह सारा प्रिएम्बल वही हे जो तमिलनाडु लेजिस्लेचर ने 2006 में लिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने के प्रयत्न के लिये कहा, उसके पीछे मेरी मंशा यह है, यह पहली बार होगा कि कांस्टीट्यूशन का बैलेंस है, चैप्टर थर्ड में फण्डामेंटल राइट्स, चैप्टर फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो आर्टिकल हैं, उनको सुपरसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? लेकिन एक ऐतिहासिक पहल आपने की है, उस ऐतिहासिक पहल के संबंध में निश्चित तौर पर उन सब चीजों के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। यदि हम चर्चा नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय, तो जो हम कानून बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उस जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे और पोस्टरिटी यह कहेगी कि हमने इस तरह का बिल बनाया, जिस बिल के प्रति हम गम्भीर नहीं थे। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आई.आर.कोयलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस है, उस केस के जजमेंट के संबंध में नाइंथ बैंच जो कांस्टीट्यूशन बैंच थी, उसने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, उसने लिखा कि “Granville Austin has been extensively quoted and relied on in Minerva Mills. Chandrachud, C.J. observed that to destroy the guarantees given by Part IIIrd in order to purportedly achieve the goals of Part IVth is plainly to subvert the Constitution by destroying its basic structure. Fundamental rights occupy a unique place in the lives of civilized societies and have been described in judgments as ‘transcendental’, ‘inalienable’ and ‘primordial’. They constitute the ark of the Constitution.” केशवानन्द भारती केस का रेफरेंस दिया। यह पहली बार कांस्टीट्यूशन के जजमेंट में फैसला किया गया कि प्रिएम्बल को इसका पार्ट माना जाये। गोपालनाथ के केस के संबंध में, केशवानन्द भारती के केस में यह पहली बार किया गया कि प्रिएम्बल को इसमें माना जाए। अध्यक्ष महोदय, यह बात आपने कही, पर इसको करने के बाद जो चीजे हमें करनी हैं, वह भी हमें समझने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह डिबेट जो पार्लियामेंट में एक कांस्टीट्यूशन बैंच के सम्बन्ध में हुई, उसको भी मैंने कहा, शायद आप भी रेफर करेंगे। पिछड़े वर्ग के संबंध में के.एल. मुंशी ने जो कहा, वह भी यहां

(डा. सी.पी. जोशी)

कोट करना ज्यादा आवश्यक है। पिछड़ा वर्ग मात्र अनुसूचित जाति और जनजाति ही नहीं, अपितु जो आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, समझे जाएंगे। इस कारण हम पिछड़े शब्द के दायरे को न तो संकुचित करना चाहते हैं और न ही किसी वर्ग विशेष से परिभाषित करना चाहते हैं, क्योंकि जो कोई भी भविष्य में पिछड़ेगा, वह इसमें समाहित होता जाएगा। मैं सोचता हूं कि आप सभी के मन में शंका न्यायोचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब ने जो बात कही, वह भी यहां कोट करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से जो कोई भी इस प्रारूप की भाषा को पढ़ेगा तो वह स्वयं ही इसका अर्थ खोज लेगा कि हमने इसका निर्धारण प्रत्येक स्थानीय सरकार पर छोड़ दिया है। पिछड़ा समुदाय वह है जो सरकार की राय में पिछड़ा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउण्ड में फण्डामेंटल राइट्स के आर्टिकल 15 और 16 के कंटैक्स्ट में जो आपने परिभाषा दी, उसको समझने की आवश्यकता है। आपने एस.टी. की परिभाषा भी नई दे दी। एस.टी. की परिभाषा नई दे दी। अध्यक्ष महोदय, आपने यह कह दिया, बड़ी विचित्र स्थिति है। कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में आज दिन तक ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने यह कह दिया कि बैकवर्ड क्लासेज मींस "The classes declared as such by the State Government by notification in the Official Gazette for the purpose of this Act." मुझे यह बताएं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जब हमने कोट किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर फण्डामेंटल राइट का चैप्टर प्रिवेल करता है, तब हमें यहां रैफर करना पड़ेगा आर्टिकल 15(4) और 16(4), चाहे इंस्टीट्यूशन के एडमिशन के संबंध में हो, चाहे रिक्रूटमेंट के संबंध में हो। मुझे पता है, अध्यक्ष महोदय, कि बैकवर्ड क्लास को Merely by a notification, you will say that this community is backward, merely by saying this that this community is economically backward without any scientific base, without any criteria. Then you have to go to 15(4) and 16(4). Without going to 15(4) and 16(4)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप क्षमा करें, इसमे जो डेफिनेशन है वह है "Scheduled Castes means the Scheduled Castes as defined in clause (24) of Article 366 of the Constitution of India."

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, आप ऊंचा सुनते हैं क्या आजकल? मैं बैकवर्ड है, उसको कोट कर रहा हूं। (व्यवधान) आप एक ही बात सुना करो सी.एम; सी.एम., बाकी मत सुना करो। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें

(डा. सी.पी. जोशी)

इसलिए कहा कि बैकवर्ड क्लास और इकोनोमी बैकवर्ड क्लास के संबंध में इंदिरा साहनी के केस में जो जजमेंट हुआ, उस जजमेंट को भी समझने की आवश्यकता है। उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि यह करना आवश्यक है कि आप जिस तरह का क्लीरिफिकेशन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उसमें उन्होंने लिखा है ''We are of the considerate view that there ought to be a permanent body in the nature of Commission or Tribunal to which complaint of wrong inclusion or non-inclusion of groups, classes and sections in the list of Other Backward Classes, can be made and such body must be empowered to examine the complaint of the said nature pass appropriate orders. Its advice/ opinion should ordinarily be binding upon the Government where, however, the govt. does not agree with its recommendations, it must record in reasons therefor. Even if any new classes/group is proposed to be included among the Other Backward Classes such matter must also be referred to the said body in the first instance and action taken on the basis of these recommendation, the body must be composed by expert in the field, both of officially or non-officially and must be vested with the necessary powers to make proper and effective in-equity. It is equally desirable that each State constitutes such a body with the step would go a long way in the redressing genuine grievances such a body can be created under clause IV of Article 16 itself or under Article 16(4) read with Article 340 as a con-competent of the power to identify and specify Backward Classes of citizens in whose favor the reservations are to be provided." अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आर्टिकल 15 और 16, कांस्टीट्यूशन में है, फण्डामेन्टल राइट है तो आर्टिकल 15 के अन्तर्गत एडमिशन के सम्बन्ध में आप यह प्रोवजीन कर सकते हैं, 16 के अन्दर आप रिक्रूटमेंट में कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कि आप 15 और 16 को रैफर नहीं करना चाहते? डारेक्टिव प्रिंसिपल का 38 और 40, 46 को हमने रैफर किया तो मुझे, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बताए कि यह बैकवर्ड क्लास और इकोनोमिक बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया आपने? कहीं एक्सपर्ट ग्रुप बनाया क्या आपने? Merely by a notification रेबारी और उनको इनक्लूड कर दिया। This can not be on the sweet will of the political persons. आपको यदि करना है, कांस्टीट्यूशन बनाना है, संविधान बनाना है तो आपको यह निर्णय करना पड़ेगा। ओ.बी.सी. कमीशन के अन्तर्गत जो बैकवर्ड क्लासेज डिक्लेयर हो गयी है, जो बैकवर्ड क्लास के अन्दर हैं, जब तक उसको आप इन्क्लूजन और बाहर निकालने का काम नहीं करें, उसको नीयरली एक आर्डर से निकाल कर आप दे दें कि हमने इकोनोमिक बैकवर्ड क्लास में जोड़ दिया, यह संवैधानिक अधिकार, मान्यवर, आपको नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हिस्टोरिकल आप यह बिल

(डा. सी.पी. जोशी)

लाये हैं और कांग्रेस पार्टी की हैसियत से मैं हीस्टोरिकल बिल को सपोर्ट इसलिए करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, मेरी पार्टी की भी मान्यता है। मान्यता इसलिए है कि मेरी पार्टी के भूतपूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने एक पत्र लिख कर भेजा था। पत्र लिख कर भेजा है भारत सरकार को, उसमें ये सब मुद्दे उठाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन मुद्दों को भी मैं यहां रैफर करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पत्र की जो भाषा है, इस पत्र का जो कन्टेन है, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयीजी को लिखा है, उस लैटर को भी पढ़ने की आवश्यकता है जिससे यह हम समझ सकें कि जो प्रयास हम कर रहे हैं वो हमने भी एनविसेज किये थे कि 14 परसेंट का रिजर्वेशन कैसे दिया जाएं, लेकिन इस बात की हमें जानकारी थी कि आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 46 क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं कि इन आइसोलेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 38 और 46 में आप फैसला नहीं कर सकते, आपको फैसला करना है तो फण्डामेण्टल राइट के 15 और 16 के अन्दर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाये हैं, मैं, मंत्रीजी, आपसे विनम्रता से जानना चाहता हूं, पोलिटिकली एक्सपीडेंसी होनी चाहिए और मैं आपको समर्थन भी करता हूं, वोट का राज है, लोकतंत्र में वोट की व्यवस्था होनी चाहिए तो पोलिटिकल एक्सपीडेंसी बुरी भी नहीं मानता, मैं पर कानून और संविधान बनाते समय, मैं जानना चाहता हूं विधायक के रूप में, यह जनता को आपको पूछने का अधिकार है, आप मुझे बताएं कि यह 15 और 16 का आपका रेफरेंस नहीं है तो आप यह जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस क्लासिफिकेशन की जब जुडीशियरी स्क्रूटनी करने जाएगी तो किस फूट पर खड़ी रहेगी? इसका मतलब यह है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हो गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन जजमेंट के खिलाफ कोई निर्णय हो सके, विधि मंत्रीजी, मैं आपको साधुवाद दूंगा, सरकार को साधुवाद दूंगा कि ये जो मैं बातें कह रहा हूं, यदि सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों के विपरीत में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के 38 और 46 के अन्तर्गत एक भी एग्जाम्पल सैट कर दें, आजादी के बाद आज दिन तक जितने जजमेंट हुए हैं उसमें एक भी जजमेंट आप सैट कर दें। तमिलनाडु का 2006 का एक्ट है उस एक्ट के अन्दर भी सुप्रीम कोर्ट ने रिक्रूटमेंट के अन्दर अलाउ नहीं किया। माननीय

(डा. सी.पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, वह मैटर आज भी सुप्रीम कोर्ट की बैंच के ऊपर लम्बित है। केवल मात्र एडमिशन के सम्बन्ध में उन्होंने परमिशन दी है। पर आपने तो शिड्यूल 9 की बात भी नहीं की है। यहां पर आप मुझे बताएं कि शिड्यूल 9 की आप बात नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्दर इकोनोमिक बैकवर्डनैस के इकोनोमिक आधार पर फैसले किये हुए हैं, तमिलनाडु का जो 2006 का बिल है, जिसकी आपने नकल की है, उस 2006 के बिल का फेट आज सुप्रीम कोर्ट के अन्दर पडा हुआ है, तो राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि हम बिल बना कर क्या पोलिटिकल एक्सपीडेंसी को पूरा करना चाहते हैं या कानून बना कर, संविधान बना कर हम एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिस व्यवस्था के अन्तर्गत गर्व से कह सकें कि हम जो कानून बनाने वाले आदमी हैं वो कानून बनाते समय हमने सब चीजों का ध्यान रखा है और ध्यान रखने के बाद हमने कानून बनाया है? तो मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत जल्दी जल्दी में इन चीजों का ध्यान नहीं रखा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी रैफर करना चाहता हूं कि आर्टिकल 14, 15 और 16 में जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट में 50 परसेंट से ऊपर के सम्बन्ध में इन्दिरा साहनी के केस में क्या कहा गया है। It is discrimination. एक्सैप्शनल केस में कर सकते हैं आप। आपने रेफरेंस भी दिया है कि राजस्थान में एक्सैप्शनल स्थिति थी। में मना भी नहीं करता कि स्थिति नहीं थी, पर 50 परसेंट से 68 परसेंट जाना एक्सैप्शनल नहीं है। एक्सैप्शनल होता तो उसमें 50 परसेंट से 68 परसेंट जाने की जरूरत नहीं थी। यह भी वहां का जजमेंट आया हुआ है। माननीय, मुझे यह बतायें आप कि यह जो सीलिंग आपने बनायी है 50 परसेंट की सीलिंग से ऊपर एक्सैप्शनल जो केस हैं वह एक्सैप्शनल गूजर के लिए आप जाकर बात करेंगे, इकोनोमिक बैकवर्ड के लिए जाकर बात करेंगे, आप रैबारी के लिए जाकर बात करेंगे, किन के लिए जाकर बात करेंगे? आपको इकोनोमिक या आपको जो एक्सैप्शनल करना था तो, कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है कि ग्रुप के लिए कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, तो आपको यह आधार बनाना चाहिए था कि हम एक तरह के आदमियों को एक तरह का ग्रुप मानते हैं, वे बैकवर्ड क्लास में हैं। आज जो नौकरी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, आपने फैसला किया, आपने अक्सपेंडिक्स लगाया है कि राजस्थान में इतनी जातियां

(डा. सी.पी. जोशी)

हैं, कितनी जाति के लोग नौकरी में हैं, कितना उनका स्टेटस है? यह जानकारी आपने इसमें दी है? आप प्ली तो यह ले रहे हैं 38 और 46 के अन्तर्गत कि उन लोगों का रिप्रजेन्टेशन नहीं है पापुलेशन के आधार पर सर्विसेज में इसके लिए हम लेकर आ रहे हैं। 38 में कह तो दिया आपने। आपने अक्सपेंडिक्स लगाये, बताया आपने कि आपके नौकरी में कितने आदमी हैं? कितने आदमी नौकरी में हैं? जिन समाज के लोगों का रिप्रजेन्टेशन नहीं है, ऐसी बहुत-सी जातियां हैं। मेरी कांस्टीट्युएंसी में जाति होंगी, अलवर में भी जातियां होंगी, खरबर चंदणा जाति हो सकती है, डांगी जाति हो सकती है, मांगडिया जाति हो सकती है, जोगी हो सकती है, कितनी जातियां राजस्थान में हैं उनके लोग नौकरी में नहीं हैं, न तो वो नान-आफिशियल में हैं न आफिशियल गजट में, क्या उनका अधिकार नहीं बनता था? आपने एक फैसला कर दिया, रैबारी और सब का क्यों फैसला कर दिया? यदि आपको करने की नीयत थी तो आपके पास फर्स्ट दिन इन्फार्मेशन होनी चाहिए थी कि राजस्थान में बैकवर्ड क्लास में जो हैं, जो बैकवर्ड कमीशन बनाया, उसमें ये-ये कास्ट हैं, इन-इन कास्ट की इतनी सरकारी नौकरियों में ये स्थितियां हैं, इन नौकरियों को पूर्ण करने की आवश्यकता है। यह काम हमने नहीं किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो केवल मात्र ये बातें यहां पर लिख दीं और हम कहना चाहते हैं कि हम उस काम को पूरा कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में ये भी बातें कही गयी हैं, मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी यह लिखा गया है, "And whereas in the opinion of the State Government, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the Special Backward Classes and the Economically Backward Classes, who constitute the majority of the total population.." आपने सब को इनक्लूड कर दिया क्योंकि नोटिफिकेशन कर लेंगे। आपको मालूम है, कौन-कौनसी जातियां हैं? सब मालूम है आपको? "...of the State are not adequately represented in the service.." How do you know this? आप यह लिख रहे हैं, मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं आपके पास यह जानकारी है वे कौन कौनसी कास्ट हैं जो एडीक्वेट रिप्रजेण्ट नहीं है? एडीक्वेट का क्राइटेरिया क्या है? What is the yardsticks? कितने परसेंट को एडीक्वेट मानेंगे, कितने परसेंट को एडीक्वेट नहीं मानेंगे? क्या आपको यह सूचना उपलब्ध है? आपने लिख दिया "...represented in the services under the State in proportion to their population in the State of Rajasthan." मतलब, आप यहां लिख रहे हैं प्रिएम्बल

(डा. सी.पी. जोंशी)

में कि आपके पास यह जानकारी है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका रिप्रजेण्टेशन है कि नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, राजस्थान की आज दिन तक की विधान सभा में उनका आपके पास एक भी आंकड़ा हो तो बता दें मुझे। राजस्थान में यह बैकवर्ड क्लास पहली बार काम नहीं कर रहा है। इन्दिरा साहनी के केस का जजमेंट पहले आ गया, ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन पहले हो गया। क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी सरकार की कि ओ.बी.सी. के कमीशन के आधार पर सूचना लेते कि जिन-जिन समाज के लोगों को हमने ओ.बी.सी. पर इनक्लूड किया है उन ओ.बी.सी. के समाज के लोगों की सर्विस सैक्टर में क्या स्थिति है? यह जानकारी हम लेते। यह आन्दोलन पहली बार तो शुरू नहीं हुआ था। यह आन्दोलन चलते हुए चार साल हो गये थे, चार साल तक हमें जानकारी नहीं थी। 2006 का तमिलनाडु का बिल था, उसकी जानकारी नहीं थी। कैलाश नाथ भट्ट की एक रिकमण्डेशन है, जनवरी महीने की, उसकी जानकारी नहीं थी? क्या जानकारी आपके पास नहीं थी जिस जानकारी के आधार पर यह व्यवस्था नहीं कर सकते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल जो घटनाक्रम है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। सरकारें अपने हिसाब से पोलिटिकल रिजोल्यूशन को फेस करती हैं। पर कानून बनाते समय यह जानकारी लेना आवश्यक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कानून हम पोलिटिकल एक्सपीडेंसी के आधार पर बनाएं गया, कानून बनाएंगे संविधान के अन्तर्गत, कानून बनाने के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन लोगों को भरोसा दिलाएं हम? आन्दोलन भविष्य में नहीं हो, उसको रोकने के सम्बन्ध में जिम्मेदारी नहीं बनती है? कल यदि कोर्ट इसको स्ट्रक कर देगा तो यह दोबारा आन्दोलन खड़ा नहीं होगा?

आपने पहले भी भरोसा दिलाया था, पहले भी ये बातें कही थीं। कल यदि यह स्थिति बनेगी तो आन्दोलन खड़ा नहीं होगा? क्या आन्दोलन को डील करने के लिए जो आपने एक इंसेंटीव दिया है, बिहेवियर को रीइन्फोर्स किया है, क्या दूसरे समाज उससे प्रेरित नहीं होंगे कि हमें भी आन्दोलन करना चाहिए, हमें भी लॉ एण्ड आर्डर करना चाहिए तब आप इनक्लूड करोगे हमें कि आफिशियल गजट में इन-इन समाज को भी दिया जाता है?

मैं समझता हूं कि यह करने से पहले आवश्यक था कि हम क्राइटेरिया बनाते, एक आधार बनाते जिस आधार पर लोगों को मालूम होता कि राजस्थान सरकार यह अच्छा काम करना चाहती है, इस सरकार की इस

(डा. सी.पी. जोंशी)

आधार पर जो-जो भी समाज आएगा उस समाज को नौकरी के अन्दर रिजर्वेशन मिलेगा। इस आधार पर जो बच्चे कालेज में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, मेडिकल में नहीं जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कालेजों में नहीं जा रहे हैं आप उनके लिए कहते। 50 साल हो गये हैं आजादी के इन समाजों के लड़के एक भी मेडिकल कालेज में नहीं हैं, एक भी इंजीनियरिंग कालेज में नहीं है, उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन का काम करते तो आपको धन्यवाद देता। पर मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी वैज्ञानिक आधार हमने नहीं बनाया। वैज्ञानिक आधार नहीं बना कर हम कोई निर्णय करें तो मैं समझता हूं कि वो निर्णय ठीक ढंग से नहीं आएगा।

मैंने कहा है, मैं सोच-समझकर कह रहा हूं। मैंने इन्दिरा साहनी के केस को भी पढ़ा है, मैं वो कोट करना चाहता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्दिरा साहनी के केस में भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एब्सोल्यूट फैसला नहीं हुआ है। मैं तो उसके लास्ट पार्ट में भी यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका जो लास्ट पार्ट है, समरी में लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इकोनोमिक क्राइटेरिया के सम्बन्ध में रिकमण्डेशन की, वो भी यहां मैं कोट करना चाहता हूं। जो उन्होंने आब्जर्वेशन दिये हैं 695 में, उसमें एक आब्जर्वेशन सात नम्बर पर दे रखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, "Economic backwardness may give jurisdiction to state to reserve provided it can find out the mechanism to ascertain inadequacy of representation of such class but such group or collectivity does not fall under Article 16(1)" 16(1) के अन्दर, यदि नहीं है, आप एक ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिस तरीके से इकोनोमिक आदमियों को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, इन्दिरा साहनी के जजमेंट में यह पार्ट लिखा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं समर्थन में खड़ा हुआ तो उसमें जो कांस्टीट्यूशनल इण्टरप्रिटेशन में जो जज हैं सामन्त जुडिशियरी के, उनका जो है उसको भी कोट करना चाहता हूं, जो हमें प्रेरित करता है कि हमने जो निर्णय लिया है वो निर्णय ठीक है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो बहुत कन्जर्वेटिव और डोगमेटिक हों कि हम भी साहनी के केस से आगे नहीं निकल सकते हैं।

मैं उसको यहां पर कोट करना चाहता हूं जो हमें गाइड कर सके। "Constitution of India. Art. 16(4)- Reservation in State employment- Interpre-

(डा. सी.पी. जोशी)

tation of constitutional provisions relating to – Should be done by treating Constitution as vibrant document alive to social situation. Interpretation of statutes – Constitutional provisions.'' सामन्त जज का मैं कोट कर रहा हूं आपकी परमिशन से, ''The reservation in State employment is not a phenomenon unknown to this country. It is traceable to a deliberate policy of affirmative action or positive discrimination adopted in some parts of the country as early as in the beginning of this century. It is equally known to the employment under the Central Government where reservations in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been in existence for a considerable time now. The reasons why the issue has assumed agitational proportion on account of the present reservations, may be varied. While it is true that the Court is concerned with the interpretation of the provisions of the Constitution on the subject and not either with the causes of the turmoil or the consequence of the interpretation of the law, it is equally true that the Constitution being essentially a political document, has to be interpreted to meet the "felt necessities of the time..." मैं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कोट कर रहा हूं. I am of the firm opinion,"felt necessities of the time, ignoring the social, political, economic and cultural realities, is to interpret it not as a vibrant document alive to the social situations but as an immutable cold letter of law unconcerned with the realities. Our Constitution, unlike many others, incorporates in it the framework of the social change that is desired to be brought about. The change has to be ushered in as expeditiously as possible but at the same time with the least friction and dislocation in national life. The duty to bring about the smooth changeover is cast on all institutions including the judiciary. A deep knowledge of social life with its multitudinous facets and their interactions is necessary to decide social issues like the one in question i.e. a superficial approach will be counter productive." I am quoting it because. सामन्त साहब ने जो बातें कही यह जो हम बिल पास कर रहे हैं उसके बाद सुपर फीशियल जो एप्रोच ला रहे हैं, यह हमारी शांति को भंग नहीं कर दे। हम अच्छा काम करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा काम करने के साथ-साथ यदि हमने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूं जिस अच्छे उद्देश्य के लिए हमने यह काम किया है उस अच्छे उद्देश्य को तो हम पूरा कर नहीं पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, केशवानंद भारती के केस में प्रिएम्बल को पार्ट माना है। अध्यक्ष महोदय, यह पहला बिल होगा हिस्टोरिकल बिल, आप भी असेम्बली में बहुत लम्बे समय से पार्लियामेंटेरियन हैं, कितने हैं, इसमें देखा आपने? Have you seen the preamble? इसमें आप, अध्यक्ष महोदय, देखें, प्रिएम्बल में स्टार्ट में 1, 2, 3, में इतनी बातें लिखी हैं। यह स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट जो हम बाद में लिखते हैं उसमें समझ में आता है लेकिन इन्होंने

(डा. सी.पी. जोशी)

यहां यह लिख दिया, और इस सम्बन्ध में भी अध्यक्ष महोदय, फैसला है। मैं समझता हूं, माननीय मंत्रीजी, नागराज का केस भी आपको मालूम होगा। मालूम होना चाहिए। नागराज के केस में क्या कहा है, नागराज के केस में जो आपने प्रिएम्बल में लिखा है उस सम्बन्ध में लिखा है, "Nagraj case as with the state has to justify the reservation in each case and Ashok Kr. Thakur has affirmed the same." अशोक कुमार ठाकुर वाले केस में "It is, therefore, a constitutional requirement that the reservation to the SCBC can not be given without a complete justification on the basis of verifiable statistics. Who is it do this verifiable statistics?" आपने एस टी तो कर दिया है, इकोनोमिक बैकवर्ड कर दिया, पर आपके पास आंकड़े क्या हैं जिन आंकड़ों के आधार पर आप लोगों के बीच में जाकर यह कहेंगे कि हम इन आंकड़ों के आधार पर यह करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि आपका घंटी पर ध्यान जाएगा। मैं आपका मच समय नहीं लेना चाहता, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कानून कब इनवेलिड होते हैं इस सम्बन्ध में भी 15 में लिखा हुआ है। उसमें एक बात लिखी हुई है, "A legislation infringe an interpretation of a constitutional provision by the Hon'ble Supreme Court, a part of the legislation by a state on a subject in the concurrent list..." ये पांच-सात कंडीशन लिखी हैं उसमें आपका यह जो बिल है, मैंने पहले आपको कहा है, Fundamental rights, Chapter 3 of the Constitution without giving any reference. चैप्टर-4 तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर ओवरलैप नहीं कर रहा है, कहीं आइसोलेशन में आपने फैसला नहीं किया without giving thought to the judgement of the Supreme Court regarding the fundamental rights? Article 15 and 16 of Chapter 3, उसको हमने ध्यान रखा क्या? हमने कहीं मेंशन नहीं कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, हम यह जो काम कर रहे हैं उस काम से मुझे लगता है, मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, कि मैं उन लोगों में हूं, मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपकी यह जो हिम्मत है जनता की याददाश्त कमजोर मानने की, उसको तो मैं धन्यवाद देता हूं।

पर आप यह कह रहे हैं कि यह पहली बार ऐतिहासिक हुआ है तो 2006 का तमिलनाडु का बिल, 2006 के तमिलनाडु के बिल का सुप्रीम कोर्ट में फेट, जिसमें भी उन्होंने आर्टीकल 38 और 46 का रेफरेंस दिया है, क्या जानकारी हमको नहीं है? क्या सदन को यह जानने का अधिकार नहीं है कि

(डा. सी.पी. जोशी)

तमिलनाडु का बिल जिसमें 38 और 46 के अन्तर्गत रिजर्वेशन दिया है उसकी आज तमिलनाडु में क्या स्थिति है? आपने तो, अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे यह भी बार कर दिया है। आंदोलन तो अभी हुआ, लोग अभी मरे, लेकिन आपने यह बार कर दिया कि यह बिल जिनके एडमिशन हो गये उस पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब इस साल जिनके एडमिशन हो गये उन पर तो यह लागू होगा ही नहीं और इस साल आपने नौकरी में जितने एडवरटाइजमेंट कर दिये हैं उस पर भी लागू नहीं होगा और सितम्बर के आसपास कोड आफ कंडक्ट लग जाएगा तो नौकरियों में भी लागू नहीं होगा।

गोली भी लगी, मरे भी और सब काम हमने किये और जो बच्चे हैं, जिनको हम बड़ा आधार बता रहे हैं, उन बच्चों को इस साल इस सारे एक्ट का कोई फायदा नहीं मिलेगा, नौकरी में भी फायदा नहीं मिलेगा। अब मुझे बताएं कि जब नौकरी में फायदा नहीं मिलेगा, एडमिशन में फायदा नहीं मिलेगा और जुडीशियल स्क्रूटनी उसकी होना बाकी है तो हम किस बात की वाह वाही ले रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, क्या हम ऐसा कानून बना कर अपने आपको ऐतिहासिक कहलवाने में गौरवान्वित अनुभव करते हैं? मैं समझता हूं, माननीय कटारिया साहब और तिवाड़ी साहब मैं अन्त में कहना चाहता हूं, यह आपकी भी पोलीटिकल एक्सपीडेंसी हो सकती है कि मैं असेम्बलि में जस्टिफाई करूं, क्योंकि आप दोनों से तो कोई विद्वान आदमी यहां पर है ही नहीं, आप में क्षमता है कि अपनी बात को पूरा कह सकें, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय के घर पर कहा, फिर रिपीट करना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक बिल की पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में राजस्थान की जनता ऐतिहासिक मुख्य मंत्री से जानना चाहती है, क्योंकि कल डिसओन कर दोगे कि हाउस में मुख्यमंत्री थी ही नहीं घनश्यामजी ने कहा, गुलाबजी कटारिया जी ने कहा, मुख्य मंत्री थीं ही नहीं।

राजस्थान की जनता राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री से जानना चाहती है कि जब उन्होंने बिल पायलट किया उस बिल को पायलेट करते समय फण्डामेंटल राइट आर्टिकल 15, 15(4) 16(4) और जो फैसले बताये उन फैसलों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को जानकारी थी या नहीं थी। मैं नहीं मानता कि यहां पार्लियामेंट सैक्रेटरी या लॉ सैक्रेटरी इतने काम्पीटेंट होंगे विधान सभा की प्रक्रिया को बाई पास करके आर्डिनेंस ला सकें। वे इतने काम्पीटेंट होंगे, उनको राय दी हो, मुझे डाउट है। मैं आशा करता हूं कि मेरा

(डा. सी.पी. जोशी)

डाउट सही निकले। राजस्थान की जनता, अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री से इन सब प्रश्नों का जवाब चाहती है जिससे राजस्थान की जनता को हम कह सकें कि यह ऐतिहासिक बिल बनाने का हमें अवसर मिला, मैं मुख्य मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन ऐतिहासिक बिल बनाने के सामने जो ओमिशन और कमीशन रखा है उस ओमिशन कमीशन से राजस्थान के न बैकवर्ड क्लास को फायदा मिलेगा, न इकोनोमिक बैकवर्ड क्लास को फायदा मिलेगा, न अपर कास्ट का जो चौदह परसेंट रिजर्वेशन है उसको कोई फायदा मिलेगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस ओपीनियन में हूं कि इकोनोमिक आधार पर रिजर्वेशन करने का साहनी केस में भी स्कोप है और आक्यूपेशन बेस के आधार पर भी करने का स्कोप है। किसी ने रोका नहीं साहनी केस में। आज गरीब ब्राह्मण लोग गरीब राजपूत लोग, के लोग, अपर कास्ट के गरीब लोग उनको रिजर्वेशन देने का साहस कीजिए, मैं आपका साथ देता हूं पर आप गरीब आदमी को एस सी, एस टी को पापुलेशन के आधार पर नहीं दें, बिल हमसे पास करवाएं, आप एक तरफ ओ बी सी का बैकवर्ड आधार पर कोई क्राइटेरिया नहीं बनाएं, बिल पास कराएं, तो मैं समझता हूं इस ऐतिहासिक भूल में हमें पार्टी नहीं बनाएं।

इसलिए मैंने निवेदन किया अध्यक्ष महोदय, आप लाये बिल, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, खुला समर्थन करती है। लेकिन हेस्ट में नहीं लाएं। यह इस बात का प्रतीक है, इस सैशन में तो कोई फायदा मिलना नहीं है तो हम क्यों नहीं इसमें टाइम डेलीबरेट करें, क्यों इन चीजों पर चर्चा नहीं करें? क्यों नहीं हम सोचें और फंडामेंटल राइट के 15 और 16 की कुछ चीजों को हम इनकारपोरेट करके इस बिल को ऐसा रूप दे सकें जिससे लोगों को हम कह सकें कि राजस्थान की विधान सभा वह विधान सभा थी जिस विधान सभा ने यह कानून बनाया।

माननीय कटारिया साहब, आपको धन्यवाद, आपने कानून बनाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको गृह मंत्री के रूप में राजस्थान के इतिहास में याद रखेंगे। पर यह भी मंत्री के रूप में याद रखा जाएगा कि यह बिल बनाते समय हमने ध्यान नहीं रखा। बिल स्ट्रक हो जाए तब भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है यह हेस्ट

(डा. सी.पी. जोशी)

में लाया गया बिल है। यह पोलिटिकल एक्सपीडेंसी में लाया गया बिल है। इस बिल को डेलीबरेट करने के लिए आपने साहस किया डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के सम्बन्ध उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, कि 38 और 46 को ताकत देने के लिए फण्डामेंटल राइट के 15 और 16 के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, उनको कैसे इनकारपोरेट कर सकें, कैसे क्लासिफिकेशन करने के लिए साइन्टिफिक आधार बना सकें जिससे कोई भी जाकर कोर्ट में स्टे नहीं कर सके, इन सब चीजों पर चर्चा करे बिना यदि हम करते हैं, अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूं, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस इस बिल का समर्थन तो करती है पर साथ साथ सरकार को यह भी आगाह करती है कि आप जल्दी न करें, पोलिटिकल एक्सपीडेंसी नहीं करें, पोलिटिकल फायदा उठाने का काम नहीं करें। यदि लोगों को रिलीफ देना है तो जनमत जानने का मौका दें और पूरा समय निकालकर बिल लाएं तो मैं समझता हूं राजस्थान की जनता की सेवा कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा

(अनुपस्थित) श्री प्रहलाद गुंजल। गुंजल साहब, सारी बात तो कह दी, अब पांच मिनट में आप भी अपनी बात कह दें। सारी बात तो कह दी इन्होंने। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तिवाड़ीजी तो चले गये गुंजल साहब के उठते ही ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, तो वह भी पांच मिनट का दे रही हूं। समय दे तो रही हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): हां, कह दी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008, इस पर आज सदन में चर्चा हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पहले नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते समय सारी संवैधानिक स्थिति का उल्लेख कर रहे थे, लेकिन मैं इस विधेयक के लाने की बुनियाद पर जाना चाहता हूं। सदन में इस विधेयक को लाने की बुनियाद इस राजस्थान के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

68 लोगों की शहादत पर तैयार की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक की बुनियाद का निर्माण इस राजस्थान के 68 लोगों की शहादत के ऊपर तैयार किया गया है, मैं इस सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की शहादत पर इस आरक्षण की बुनियाद, इस विधेयक की बुनियाद तैयार की गयी, अगर उन शहीदों की भावना को इस विधेयक में समाहित नहीं किया गया, इससे बड़ा अपमान राजस्थान के उन शहीदों का कुछ हो नहीं सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा सदन जानता है, पिछले कई वर्षों से राजस्थान की गुर्जर जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रही है। पिछले साल 29 मई को दौसा जिले के पाटोली और बूंदी के अन्दर जब चक्का जाम हुआ आरक्षण की मांग को लेकर, इस राजस्थान की सरकार ने न्याय मांगने वालों की बात सुनने के बजाय गोलियां मार कर 26 लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद चोपड़ा समिति का गठन हुआ और राजस्थान की सरकार ने 4 जून, 2007 को समझौते में इस बात का भरोसा दिया था कि चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद राजस्थान की गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश की जाएगी। मैं आपके माध्यम से आज सरकार से पूछना चाहता हूं, जिस चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर राजस्थान की सरकार राजस्थान को भ्रम में डालना चाहती है कि चोपड़ा समिति ने गुर्जरों की स्थिति के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, चोपड़ा कमेटी का आप अवलोकन करें, आप स्वयं उसको देखें, उन्होंने गुर्जरों के गांवों का दौरा करने के बाद अपनी टिप्पणी में स्पष्ट उल्लेख किया है कि लोकतंत्र के 60 साल बाद जब मैंने गुर्जर के गांव और बस्तियों में जाकर देखा, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति देखने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि उनका जीवन आज के विकास की सामाजिक व्यवस्था पर कलंक है। इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद राजस्थान की सरकार को अनुसूचित जनजाति में सिफारिश करने के लिये चिट्ठी पर कौन से आधार की जरूरत थी? उसके बाद जब 23 मई को आन्दोलन हुआ, राजस्थान की सरकार ने गोलियां मार कर 16 लोगों की हत्या कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों को मारना इस सरकार के लिये कितना आसान काम है। 23 तारीख को 16 लोगों को मार दिया गया और फिर 24 तारीख को पुलिस द्वारा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गोली चलाने की घटना। राजस्थान सरकार माफी मांगे। आम आदमी में जो आक्रोश पैदा हुआ, राजस्थान में जिस तरीके की भयानक घटना हुई, उस पर सरकार चिन्ता व्यक्त करे। लेकिन इसकी परवाह किये बगैर 24 तारीख को सिकन्दरा में 20 लोगों की हत्या कर दी। राज्य की मुख्य मंत्री बयाना में जाकर इस राजस्थान की जनता के साथ जो बर्ताव राज्य की पुलिस ने किया उस पर क्षमा याचना करके राज्य की जनता से वार्ता करने के बजाय वहां जाकर यह कहे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद राजस्थान की मुख्य मंत्री अपने विचारों में सन् 1947 से पहले चली गयीं किसी राज्य के राजघराने की विरासत के कारण। राज्य की मुख्य मंत्री को इस राजस्थान की गरीब जनता ने भरोसा करके राजस्थान की मुख्य मंत्री का दायित्व दिया है, राज्य के मुख्य मंत्री के पद पर बैठाया है। राजस्थान की सरकार और मुख्य मंत्री का जिम्मा अपने साथ सामाजिक न्याय मांगने वाले लोगों की बात सुनना है, उनके अधिकारों का संरक्षण करना है, उनके जीवन की सुरक्षा करना है, लेकिन शायद आपका राजनीतिक जीवन इस देश में लोकतंत्र आने के बहुत पहले प्रारम्भ हो गया था। मुझे देश के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं मोटी-मोटी जितनी जानकारी रखता हूं, शायद उतरी भारत के इतिहास में यह देश की पहली घटना है जिसमें किसी समुदाय ने, किसी जाति ने अपने अधिकारों के लिये लोकतांत्रिक तरीके का आन्दोलन किया हो और पुलिस की गोलियों से 68 लोगों की हत्या कर दी गयी हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौनसा तरीका है? उसके बाद राजस्थान के गृह मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री या फिर एक तबका, एक जाति, एक समुदाय, लोकतंत्र की 60 साल की विकास यात्रा के बाद उसके मन में यह सोच कहां से पैदा हो गयी जिस तबके का आज राजस्थान में एक कलक्टर नहीं, एक एस पी नहीं, एक व्यक्ति आर पी एस सी का मैम्बर जिसका नहीं बना हो, आज आप एहसान कर रहे हो! हाई-कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिल पर तो बोल नहीं रहे हैं, आप तो केवल चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठभूमि बता रहे हैं इस बिल की। आप बिल पर तो बोल नहीं रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं बिल पर ही बोलना चाहता हूं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इस आरक्षण के बिल की बुनियाद को दफनाया नहीं जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी बुनियाद को दफनाया नहीं जा सकता। राजस्थान की जनता को जवाब देना होगा। मैं सवाल करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि क्या मांग थी और क्या समझौता हुआ?

श्री अध्यक्षः हां, सवाल जरूर करो आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): पहले असत्य वादा किया और फिर राजस्थान के गरीब आन्दोलनकारी को तोप, तमंचों का भय दिखाकर उसके गले में मुकदमों की जंजीर डाल दी। उसके साथ असत्य समझौता किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समझौते की और इस विधेयक की उम्र कितनी है? आदरणीय सी.पी. जोशीजी संविधान को उद्‌वत करके बता रहे थे, इन्दिरा साहनी के प्रकरण का हवाला देकर बता रहे थे। इस विधेयक की उम्र इस सरकार की उम्र से ज्यादा नहीं है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस विधेयक को आधार बनाकर, आज चर्चा के समय ईमानदारी से इस विधेयक की गंभीरता पर चर्चा करने के बजाय, ईमानदारी से भाव से राजस्थान के उस पीड़ित वर्ग जिसने अपने साथ सोशल जस्टिस की मांग करते हुए अपने 68 बेटों का बलिदान दे दिया हो, उसके जख्मों पर मरहम लगाने की गम्भीरता के बजाय वोटों की राजनीति के खेल का भावनात्मक रूप से इस सदन में प्रकटीकरण हो रहा हो, संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर बजाय इसकी सच्चाई के इस बिल के पीछे की घिनौनी मंशा को प्रकट करने की कोशिश करें और सत्ता पक्ष के लोग कहें क्या आप विरोध करना चाहते हो ताकि कल अखबारों में छपे कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और सत्ता के लोगों को यह कहने का मौका मिले कि कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े जन कल्याण के बिल का विरोध किया इस अपने माथे पर 68 लोगों की हत्या के पाप से आप बच नहीं सकते हैं। आप कौनसा खेल खेलना चाहते हो, आज राजस्थान सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा। सब जानते हैं इन्दिरा साहनी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें स्पष्ट डायरेक्शन दिये हैं सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय विधि मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इन्दिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में 9 जजों की पीठ ने 8 के बहुमत से जो फैसला दिया है, आल इंडिया रिपोर्टस, सुप्रीम कोर्ट 1993 के पेज नम्बर 477 पर आप पढ़ लें,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हैड नोट डब्ल्यू में स्पष्ट कहा गया है, Constitution of India. Article 16(4). 311 services under state reservation under Article 16(4) should not exceed 50%. और उसी में लिखा है, "Civil Services reservation for Backward Classes, not to exceed 50%. Backward Classes reservation in State not to exceed 50%, reservation 50% is the limit." यह साफ कहा है। अध्यक्ष महोदय, आगे इस हैड के निर्णय के पैरा नम्बर 94 (ए) (121) 554, 555, 610 और 700 में माननीय न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा आरक्षण को दो प्रकार का बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, यहां अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात हो रही है, यहां आर्थिक आधार पर सवर्णों को 14 प्रतिशत की बात हो रही है, इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्टिकल और होरिजेंटल दो प्रकार के रिजर्वेशन हैं। उसमें स्पष्ट कहा है, वर्टिकल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियां हैं और होरिजेंटल आरक्षण में फिजिकली हैंडीकेप्ड लोग आते हैं। अपने निर्णय में साफ कहा है कि होरिजेंटल। वर्टिकल आरक्षण को सुपरसीड करते हुए किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, क्या विधि मंत्रीजी बताएंगे कि इस विधेयक को पारित कराकर किस तरीके से इसको लागू कर पाएंगे? आज तमिलनाडु के जिस विधेयक की उन्होंने परिकल्पना की है, राजस्थान को भ्रमित करना चाहते हैं। इनका मकसद इस विधेयक को लागू कराकर राजस्थान की जनता को न्याय दिलाना नहीं है। ये चाहते हैं कि एक महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाए, राजस्थान के लोगों में भ्रम पैदा हो जाए। इन्होंने 14 प्रतिशत का सवर्ण गरीबों के लिये आरक्षण कर दिया, पांच प्रतिशत गुर्जर और अन्य चार जातियों के आरक्षण कर दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं उस तबक़े से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको 11 मिनट हो गये हैं बोलते, 11 मिनट हो गये बोलते हुए।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें 68 बच्चों का बलिदान किया है, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहूंगा, आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं, तमिलनाडु के जिस विधेयक की इन्होंने चर्चा की, मैं आज विधि मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रोटेक्शन कितना दूं, 11 मिनट तो बोल लिये आप (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): तमिलनाडु की सरकार से ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये सब बातें तो कह चुके, सब बातें सी.पी. जोशीजी कह चुके हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं वही निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रिपीटीशन की क्या जरूरत है?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन लागू हुआ था आपने उसी की नकल कर ली और नकल करके आप राजस्थान में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तमिलनाडु का रिजर्वेशन संविधान की नवीं अनुसूची में रखने के बाद न्यायिक बाध्यताओं से बच पाया है। मैं आज, माननीय विधि मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इस विधेयक में क्या प्रोविजन किया है संविधान की नवीं अनुसूची में इसको डालने के लिए क्या गारंटी है कि यह न्यायिक परव्यू में नहीं आएगा और न्यायिक परव्यू में आने के बाद क्या गारंटी है कि यह लागू हो जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रोविजन हुआ था 1990 में जब वी.पी. सिंह सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था। उसके बाद 25 सितम्बर, 1991 को नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का अलग से प्रोविजन किया था, जो आरक्षण की किसी विद्यमान व्यवस्था में मौजूद नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 16 नवम्बर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6:3 के बहुमत से निर्णय में कहा है कि दो वर्ष पूर्व राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत का जो आरक्षण जारी किया गया था, वह वैध और लागू करने योग्य है, लेकिन इन जातियों के सम्पन्न वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। किन्तु इसके साथ ही नरसिम्हाँ राव शासन द्वारा आर्थिक आधार पर दिये गये 10 प्रतिशत आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि अधिकतम आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत हो सकती है। आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कह दिया, आपकी बात आ गयी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): एक अधिसूचना नरसिंह राव सरकार में आयी थी, अध्यक्ष महोदय, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। मैं आज एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार नहीं जानती है, क्या राजस्थान सरकार के विधि विभाग के अधिकारी नहीं जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच का निर्णय अगर किसी विषय में आ जाता है तो या तो कोई उसको सुपरसीड करे, सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच से अधिक अथवा उन जजों से अधिक बड़ी बैंच हो...

श्री अध्यक्ष: 14 मिनट बोल लिये, अब एक मिनट में कनक्लुड कर दें आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): या फिर संविधान में संशोधन करें। संविधान में संशोधन करके उस निर्णय को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: ये सब बातें तो आ गयी हैं हाउस में।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): क्या इंदिरा साहनी के फुल बैंच के निर्णय के बाद संविधान संशोधन हो गया? क्या उससे अधिक सक्षम जजों ने उस निर्णय को पास कर दिया? जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मैंडेटटरी कानून के रूप में इस देश में लागू होता है...

श्री अध्यक्ष: उसका जवाब देंगे, जब मंत्रीजी बोलेंगे। आपको देंगे सब बातों का जवाब।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): तो किस आधार पर आप उस निर्णय के खिलाफ राजस्थान में भ्रम पैदा कर रहे हैं? अगर आप न्याय देना चाहते थे तो 50 प्रतिशत की सीमा में राजस्थान के गरीब जातियों को, गुर्जर सहित चार जातियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए था। आप वोटों के कारण उनको गुमराह कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट ले लिये आपने, अब तो समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): आप वोटों के कारण उनमें भ्रम पैदा कर रहे हैं। अगर आप में उन 68 लोगों की शहादत के प्रति इंसानियत जिंदा है, उस कौम को सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हो तो फिर आप आज इस सदन में 50 प्रतिशत की सीमा के दायरे में उन लोगों को रिजर्वेशन की बात करें।

श्री अध्यक्ष: कुछ माननीय सदस्य और बाकी रह गये हैं, आप 15 मिनट बोल लिये ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, यह वोटों की राजनीति हो रही है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप 15 मिनट बोल लिये, अब आप बोलते ही चले जाएंगे? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अपने माथे का पाप उठाकर कांग्रेस के पाले में डाल दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलते ही चले जाएंगे? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): हमने तो विधेयक पारित कराकर नवीं अनुसूची में डालने के लिए केन्द्र के पास भेज दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मदन मोहन सिंघल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): यह पाप आपको आने वाले चुनावों में लेकर बैठेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन मोहन सिंघल (अनुपस्थित)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। नैतिकता है तो 50 प्रतिशत के दायरे में आप इस आरक्षण को लाने की बात करें, वर्ना इस विधेयक को लाने का कोई कारण नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें, माननीय सदस्य। श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, आज सदन द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 पर परिचर्चा कर रहा है, मैं भी इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करुंगा कि आज बहुत से वर्ग सरकार की ओर देख रहे हैं कि हमारा भी कभी न कभी उद्धार होगा। हमारे भाइयों के मन में यह मंशा है कि हम किस तरह से जो निम्न तबक़े के लोग हैं उनको आरक्षण मिल पाये और वह अपने अधिकार के साथ समर्थ लोगों के समान अपने आपको स्थापित कर सकें। यह एक बहुत बड़ा पहलू है।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी बात को कहा है, मैं मेरी बात को ज्यादा नहीं बताना चाहता। मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल पिछड़ा वर्ग के लिए, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए लाने की बात चल रही है परंतु एस.सी., एस.टी. के भाइयों को इसके साथ में, घसीट कर क्या वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि आज एस.सी., एस.टी. के भाइयों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को इसके साथ में घसीट कर बहुत बड़ा भ्रम पैदा करने में सरकार की क्या मंशा है, यह समझ में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज दूरदराज के एरिये में, वह राजस्थान के किसी इलाके में हो, कई तरह की जातियां हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता है। आज जिस तरह से बंजारों, गाड़िया लुहारों, गुर्जरों, रायकों, रैबारियों और देवासियों को इसमें लेने की बात हुई, मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा, अच्छा होता कि सरकार पूरे राजस्थान में इसकी कई तरह से छानबीन करती, देखती कि उस इलाके में रहने वाले ये भाई कौन हैं जिनको आज ऊपर उठाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज कालबेलिया, लंगा, दमामी, मांगणियार, गौसी, कसाई, करवर सदाना राजपूत, रायसा, भिश्ती, छीपा, बुनकर आदि कई प्रकार की जातियां हैं जिन पर भी विचार करने की आवश्यकता थी कि उनको किस तरह से किस वर्ग में लिया जाए, किस तरह से उनको स्थान मिल सके और वे उत्थान करें। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह जिस तरह से एक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, एक वर्ग विशेष को प्राथमिकता देने के लिए भ्रांति में लाया गया है, कई भाइयों में, कई वर्गों में एक वैमनस्य पैदा करने का, खाई खोदने का काम यह बिल कर रहा है। उससे बहुत बड़ी तकलीफ कई वर्ग के भाइयों को होगी, मैं यह मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज एस.सी., एस.टी. का बैकलाग है, उसको नहीं भरा गया। कई विभागों में बैकलाग पूर्ण रूप से नहीं भरने से आज समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज जिस तरह से तकलीफ बढ़ रही है, मैं यहां आज ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने सारी बातें बता दी हैं, मैं सारी बातें दोहराना नहीं चाहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल विभिन्न जातियों को गुमराह करने वाला, लोकतंत्र में अराजकता पैदा करने वाला और कई गरीब लोगों के उत्थान में

(श्री मांगीलाल गरासिया)

रोड़ा बनने वाला बिल है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सरकार ने यह जो बिल प्रस्तुत किया है, किन परिस्थितियों में किया है, यह हम सब जान रहे हैं, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। परन्तु मैं इस बिल के बारे में कुछ आपत्तियों को दर्ज कराना चाहता हूं। यह जो बिल ड्राफ्ट हुआ है, इसके पीछे जो एजेण्डा है, वह स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। परन्तु कुछ न कुछ छिपा हुआ एजेण्डा जिसको कहते हैं, है। दूसरा इसको चाहे स्लिप ऑफ पैन कहो, स्लिप आफ टंग कहो, स्लिपिंग ऑफ माइण्ड कहो, कुछ न कुछ है इसमें। पहली लाइन ही आपने गलत कर दी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, सीधा ओ बी सी को खाली पिछड़ा वर्ग कर दिया, वह अन्य पिछड़ा वर्ग है। ...(व्यवधान)नहीं, नहीं, मंत्रीजी कुछ भी कहें, हमेशा कहा यही जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग होता है ओ बी सी का। पिछड़ा वर्ग तो आपने ओ बी सी को हटा कर बी सी रख दिया।

दूसरा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस सदन के चुने हुए दो सौ माननीय सदस्य यहां विराज कर यह समझें कि राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनता मूर्ख है और उसको हम मूर्ख बना दें, वह जब हमको वोट देती है उस समय ऐसा फैसला करती है, जैसे टेलीफोन से एक दूसरे से बात कर रखी हो, एक कोने से शुरूआत होती है और अंत तक पहुंच जाती है वह लहर, और उस लहर का पता आपको चार महीने बाद पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिन परिस्थितियों में यह बिल आया है उन परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा हो गई। और इसका हश्र क्या होगा, इसकी उम्र भी क्या होगी, यह बात भी इस सदन में माननीय सदस्यों ने, वक्ताओं ने अपने-अपने शब्दों में कह दी। मैं सिर्फ इतनी-सी बात कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की मंशा वास्तव में इस वर्गों को फायदा दिलाने की है तो, निश्चित तौर पर हम

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)
प्रतिपक्ष के सदस्य की हैसियत से, इस सदन के सदस्य की हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के सदस्य की हैसियत से हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं परन्तु इसके पीछे जो छिपा हुआ एजेण्डा नजर आ रहा है, वह न तो इनको कोई राहत देने वाला है और न इससे कोई फायदा इनको होने वाला है। परन्तु जैसे तैसे यह गेंद कांग्रेस के पक्ष में डाली गयी, उनको केन्द्र सरकार के पक्ष में डालनी थी। उन लोगों की हत्या का कलंक इस सरकार के माथे पर है, 68 लोगों की हत्या के खून से इस सरकार के हाथ रंगे हुए हैं, ऐसी अफवाहें बाजार में है, यहां कहते हैं, हम स्वयं भी महसूस करते हैं। उस बात को ढकने के लिए इसे लाया गया है, उन लोगों को यह विश्वास देने के लिए कि आपके लिए सरकार लड़ रही है। उसके आगे कितने बेरियर हैं, उसके बारे में रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल की जो ड्राफ्टिंग हुई है उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। 13 नम्बर पहले ही, आपकी प्रस्तावना है उसके तीसरे कॉलम पर, मुझे तो शंका है, उसके बारे में मंत्रीजी से चाहूंगा कि वह जब अपना वक्तव्य दें उस समय निश्चित रूप से बताएं, हमको यह स्पष्ट करें। मैं अधूरा शब्द पढ़ रहा हूं, 'अत: वर्षो से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित राजस्थान की जनसंख्या के एक बहुत बड़े प्रतिशत ने आरक्षण नीति का लाभ लेना प्रारम्भ कर दिया है और वह अपनी दशा में सुधार तथा उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो गई है।' इसका अर्थ भी आप निश्चित तौर पर हमको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बड़ी कमी जो रह गई है, या लापरवाही रह गई है सरकार की, वह, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, क्योंकि आपने इसमें मेंशन कर दिया है 'बंजारा' शब्द। बंजारा को इसमें जोड़ा है, स्वागत है, इसमें आपने गाड़िया लुहार जोड़ा है, स्वागत है, गुर्जर जोड़ा है, स्वागत है, राइकाओं को आपने (रैबारी और देवासी) दर्ज किया है, स्वागत है। परन्तु खाली ओटारामजी के डर से करो, यह नहीं। उधर बंजारों में, माननीय कटारिया साहब जानते हैं कि लबाणा भी बंजारों में आते हैं, नायक भी बंजारों में आते हैं, इसलिए इन शब्दों को भी निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए था, अधूरा रह गया है। आप अब जोड़ दें इनको ताकि अगर वास्तव में इसका फायदा मिल जाता है तो उन लोगों को भी मिलेगा वर्ना वे लोग वंचित रह जाएंगे। एक जगह के लोगों को फायदा मिलेगा, दूसरी जगह

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए निश्चित तौर पर इसमें जोड़ेंगे तो फायदा पहुंचेगा।

एक आपने इसकी परिभाषा में खण्ड 3 और खण्ड 4 के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि एससी और एसटी को कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट में एडमिशन में हो, चाहे रिक्रूटमेंट में हो, चाहे प्रमोशन में, नुकसान नहीं होगा। यह तो मेंशन कर दिया है, परन्तु मैं प्रथम ही इसको डिफैक्टिव इसलिए मानता हूं कि एससी और एसटी का कोई झगड़ा नहीं था, संवैधानिक मामला कोई था नहीं। फिर यह क्रीमी लेयर, क्रीम तो खायी ही नहीं, छाछ ही छाछ पी रहे हैं, क्रीम की बात आपने कर डाली। क्रीम की बात करने की जरूरत कहां थी? जब परिभाषा में आपने पहले लिख दिया उसके बाद आपने यह जो शुरूआत की है उसमें आपने? वापस कंट्रोवर्शियल बात कर दी। स्पष्टीकरण के बाद आपने धारा 3 की उप धारा 1, उप धारा 2 को अंतर्विष्ट किया है- उस बात के होते हुए भी क्रीमी लेयर से सम्बन्धित व्यक्ति राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्था में सीटों के आरक्षण के कोटे के विरुद्ध विचार में लिए जाने के पात्र नहीं होंगे। एक तो आपने यह लिख दिया खण्ड 4 में, आपने फिर यह मेंशन कर दिया स्पष्टीकरण में, उप धारा 1, उप धारा 2 में अंतर्विष्ट की हुई बात के होते हुए भी क्रीमी लेयर से सम्बन्धित व्यक्ति राज्य के अधीन नियुक्तियों और पदों के आरक्षण कोटे के विरुद्ध विचार में लिए जाने के पात्र नहीं होंगे। (व्यवधान) विथड्रा कर दिया। ऐसा है पहले तो जूता मारो, फिर माफी मांग लो।

श्री अध्यक्ष: कनक्लूड करें। मंत्रीजी अपने आप कर देंगे यह तो बाद में। किसी की अक्ल काम कर गई, पर यह ड्राफ्ट करते वक्त आपकी अक्ल कहां मारी गई थी? हम तो यह कह रहे हैं कि या तो आप सो गए, उसके बाद आपके कोई चपरासी ने ड्राफ्ट कर दिया, या आपके पी ए ने ड्राफ्ट कर दिया, या ब्यूरोक्रेट ने कर दिया या किसी ने भी ड्राफ्ट किया। किसी ने तो किया होगा। ये चीजें जानबूझकर मेंशन की गईं या गलती से की गईं या लापरवाही से की गईं, आप जवाब दें उस समय निश्चित तौर पर कहें। और गलत ढंग से हो गया तो आप निश्चित तौर पर सदन से माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष: आप कनक्लूड करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित बात ही कर रहा हूं, इर्रेलेवेंट बात तो कह ही नहीं रहा हूं। मैं इतनी ही बात कर रहा हूं, कोई भूमिका भी बांध कर नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 9 मिनट तो हो गए आपको, 1 मिनट में आप अपनी बात को कम्प्लीट कर दें।

(समय : 18.58 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्रीमी लेयर शब्द का उपयोग आपको करना नहीं चाहिए था। एससी और एसटी के सम्बन्ध में आपको चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यही नहीं, हम तो आपसे इतनी ही उम्मीद कर रहे थे, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब यह कहा गया कि एससी की 12 प्रतिशत से शुरूआत हुई थी अब चूंकि एस सी का 17 प्रतिशत तक हो गया, एसटी की 13 प्रतिशत पापुलेशन हो गई, 50 के ऊपर आप इनको दे नहीं सकते थे तो आधा-आधा प्रतिशत इन दोनों को बांट देते तो यह आपका न्यायिक काम होता। न्यायप्रिय होता, आपकी सहानुभूति इन लोगों के प्रति होती, आपकी मंशा साफ लगती। परन्तु इसके ऊपर तो आपने विचार किया ही नहीं, उल्टा गुड़ चिपका दिया, यहां गुर्जरों पर जिनके घाव ताजे हैं, उन पर और नमक डाल देंगे। ये सब मामले कोर्ट में जाएंगे, यह सब फेल्योर हो जाएगा। उस समय वह अपने आप जलेंगे। जो आप एसिड डाल रहे हो न, उस एसिड का असर उस समय ज्यादा होगा। अभी गोलियां डाली हैं, उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तब इन लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, उस समय ये गोलिया अंदर-अंदर एसिड का काम करेंगी। जैसा गुंजल साहब अभी कह रहे थे, निश्चित तौर पर सत्य कह रहे थे। हम तो आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप प्राइवेट सैक्टर में एस सी और एस टी के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात करिए। चूंकि सरकारी नौकरियों के पद कम होते जा रहे हैं, इसमें सारी बड़ी-बड़ी दिक्कतें आती जा रही हैं।

(समय : 19.00 बजे)

जब तक इन लोगों को मुख्य धारा में लाने का हम सबका प्रयास नहीं होगा, तब तक हमारा उद्देश्य इस लोकतंत्र में पूरा नहीं होगा और जो भावना संविधान बनाने वालों ने व्यक्त की थी, उनकी भावना थी, उस भावना की भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने तो आगे बढ़कर प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन देने की बात की है। इन लोगों का 28 परसेंट से 30 परसेंट रिजर्वेशन आज बनता है, वह देने की बात करनी चाहिए।

अभी माननीय सदस्य जोगेश्वरजी गर्ग सरकार की तारीफ कर रहे थे। अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए। मैं लम्बी-चौड़ी बात तो नहीं कहूंगा,

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

खाली एक विभाग का उदाहरण दूंगा। सारी डीपीसीज् करके इतना कल्याण कर दिया, मैं खाली वित्त विभाग में जो पोस्टें हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। 60 हजार पोस्ट हैं उनमें से 1010 पोस्टों का बैकलाग था जिसमें कनिष्ठ लिपिक हैं, कनिष्ठ लेखाकार हैं। इस तरह से ये जो पद हैं इनका 1010 पदों का बैकलॉग था। 30.6.2008 को आपने इन सारे बैकलाग के पदों को समाप्त कर दिया यह कहकर कि हम कैडर रिव्यू कर रहे हैं। कैडर रिव्यू के नाम से इन सारे बैकलाग के पदों को खतम करके जिन लोगों का हक नहीं बनता था उन लोगों को उसका हक दे दिया। तो आप कहां न्याय कर रहे हैं? रिजर्वेशन की अगर हमारे सही मन से भावना है तो निश्चित तौर पर इस बारे में विचार भी करना चाहिए और इसके लिए आगे होकर इन लोगों को लाभ दिलाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह बिल बहुत ही संदिग्ध भी है और इसके पीछे वाले दरवाजे से कुछ भी हो सकता है। कई एससी, एसटी के लोगों को इसमें जोड़ दिया है। ये कल कोर्ट में जाएंगे तो इनके हितों पर भी कुठाराघात हो सकता है। इसलिए तीन महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री चन्द्रशेखर बैद। (अनुपस्थित) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (अनुपस्थित) श्री पूंजीलाल परमार। (अनुपस्थित) श्री अमराराम (धोद) ।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान) आपकी तो मिलीभगत है, बाकी बोलना तो मुझे ही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 पर विचार हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मण्डल कमीशन का गठन किया गया और उसकी रिकमण्डेशन आयी तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रोविजन किया गया। रिकमंडेशंस थीं और 1980 में मण्डल कमीशन की रिकमण्डेशंस आने के बाद कांग्रेस की सरकार भी रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी केन्द्र में सरकार रही है, हमारी पार्टी तो जबसे मण्डल कमीशन की रिपोर्ट आयी है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने

(श्री अमराराम)

के पक्ष में हमेशा से रही है। लेकिन 1990 में जब वी.पी. सिंहजी ने अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिया जो आज बिल लेकर आये हैं, आगे बढ़कर नौजवान लोगों को, विद्यार्थियों को आत्मदाह के लिए प्रेरित करने और ओबीसी के खिलाफ पूरे देश में जहर पैदा करने का काम किया। निश्चित रूप से मैं और मेरी पार्टी इस बात की समर्थक है, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण देने की मंशा नहीं है, केवल उनके साथ छलावा करने की मंशा है। राजस्थान की सरकार ने जातिवाद के जहर को फैलाने का काम अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए पिछले चुनाव में किया और चुनाव के बाद भी लगातार इस साढ़े चार साल में उन तमाम जातियों में आपस में जहर पैदा करने का काम किसी ने किया है तो मैं समझता हूं वह राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई जाति नहीं छोड़ी। पिछले एक साल का रिकार्ड उठाकर देखें तो तमाम उन चीजों का नाम लेकर हर जाति की रैली करके एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम किया है। अगर वाकई में सच्चे दिल से उनको देना चाहते थे तो मैं समझता हूं 50 प्रतिशत है उसमें देते तब तो बात समझ में आती, लेकिन 50 प्रतिशत से ज्यादा अदर बैकवर्ड क्लास में भी अति पिछड़ा के नाम से 5 प्रतिशत, 14 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का, 50 प्रतिशत से एक्सीड करने का मतलब केवल लोगों में भ्रम पैदा करके जातिवाद को उभारकर राजनैतिक रोटियां सेंककर बहुमत प्राप्त किया था उस बहुमत को कायम रखने के लिए जिस तरीके से जातिवाद के जहर को फैलाने का काम किया है मैं समझता हूं किसी भी रूप में न हम समाज का भला करेंगे, न आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की मदद करेंगे। केवल हम हमारे वोट की राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति कुछ समय के लिए कर सकते हैं।

यह जो बिल लाया गया है न केवल उनकी मदद करने की आवश्यकता है, जिस तरह से राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन में इन्होंने वादा किया, एक परिणाम हमारे सामने है। ये ही गुर्जर अपने आरक्षण के लिए पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन पिछले विधान सभा के चुनाव में जिस तरीके से आश्वासन दिया गया, जिस तरह से चुनाव में बहुमत मिलने के बाद अनशन किया गया था, जिस तरह से मंत्रियों ने जाकर उनको विश्वास दिलाया, जिस तरह से 2006 में आंदोलन हुआ उसके बाद 2008 में आंदोलन हुआ, यह हम समझ सकते हैं। 68 लोगों की जान गयी और एक दिन नहीं,

(श्री अमराराम)

20-20 दिन आधे राजस्थान में कानून की कोई स्थिति नहीं रहे, यह उस जातिवादी जहर को फैलाने के कारण है। आपने राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति का काम किया। उसी का नतीजा है कि राजस्थान जो उत्तर भारत में सबसे शांत प्रदेश था, कहीं जातीय वैमनस्यता नहीं थी, वहां उस वैमनस्यता को पैदा करने का काम किया। मैं समझता हूं कि यह बिल 50 प्रतिशत से ज्यादा का हम लेकर आये हैं, जिस तरह से संविधान में प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनके अनुसार किसी भी रूप में लागू नहीं होगा। अगर सरकार की वाकई में मंशा होती तो 50 प्रतिशत के परव्यू में लेकर आती, तो निश्चित रूप से उनको फायदा होता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि जनता के बीच में प्रचारित करने के लिए इसको तीन महीने के लिए परिचालित किया जाए जिससे वाकई में जो हकदार हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको शैक्षिक, सामाजिक रूप से और नौकरियों में आरक्षण की वाकई आवश्यकता है, समाज में बराबरी की आवश्यकता है, वाकई में उन लोगों तक बात जा सके और सरकार बाध्य हो सके कि उनको उसका फायदा होगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 राजस्थान सरकार लेकर आयी है, मैं इसमें अपने विचार रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की समरसता बनाने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया है। दो समुदाय आमने-सामने खड़े हो गये थे, एसटी और गुर्जर समाज आमने-सामने खड़े हो गये थे उन दोनों समुदायों को मिलाने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया, राजस्थान की सरकार ने किया। दोनों समाजों की समरसता कायम हुई और इससे बड़ी समरसता आगे भी कायम होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। बीच में काहे के लिए .. (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं कहना चाहता हूं, कोई आमने-सामने नहीं हुए। एसटी के लोग आमने-सामने नहीं हुए। सरकार से गुर्जर भाई लड़ रहे थे। इस तरह के गलत कथन करके आप रिकार्ड करवाओगे तो दुश्मनियां पैदा होंगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपनी बात जब कहें तब कहिएगा।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): जब आपका कहने का मौका आए तब आप अपनी बात कहिएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलने का समय दिया जाएगा, उस वक्त कह देना आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह बात गलत है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रामदास अग्रवाल साहब वाली जो कमेटी बनी ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। (व्यवधान) कहेंगे वे तो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): होंगे विशेष पार्टी के आदमी। जातिवाद की बात करके आप कबसे चले गये दूसरी जाति में? (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): रामदास अग्रवाल की जो कमेटी बनी ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इन्होंने इस तरह समाज का ठेका ले रखा है क्या?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो आरक्षण प्रदत्त किया, 6 परसेंट और 4 परसेंट राजस्थान सरकार ने अलग से अपने सोर्स के आधार पर ताकि उनका आर्थिक पिछड़ापन दूर हो।

शैक्षिक लाभ उनको मिले, मैं उस सब के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति संविधान की नवीं अनुसूचीत में आइडेंटिफाइड हैं और उसके आधार पर इनको राजस्थान में 12 परसेंट और 16 परसेंट आरक्षण दिया गया है।

(श्री हेमाराम मीणा)

भारत सरकार में भी एक कमेटी बनी थी डीओपीटी कमेटी, तीन वर्ष पहले, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी भारत सरकार को कि एस.सी. और एस.टी. को जो आरक्षण मिल रहा है यह अधिसूचना के आधार पर और एक अनुसूची के आधार पर मिल रहा है, इसका एक्ट बनाया जाना चाहिए। यह एक्ट बनाने का प्रावधान करने के लिए भारत सरकार को आग्रह किया गया था, निर्देश भी दिया गया था, लेकिन भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक्ट न बना कर उसको पैंडिंग कर दिया। अगर वे पहले एक्ट बनाते तो शायद राजस्थान की सरकार को यह एक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि अनुसूचित जाति, जनजाति विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग का जो एक्ट बना है, इन दोनों समुदायों को भी शामिल किया गया है, देखा जाए तो इन समुदायों को अलग रखा जाना चाहिए था। इसलिए अलग रखा जाना चाहिए था क्योंकि भारत सरकार से संवैधानिक आधार पर अलग से प्रदत्त नवीं अनुसूची में इनको सम्मिलित किया गया है और उसके आधार पर इन्हें आरक्षण मिला हुआ है। हमने विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण प्रदत किया गया है, यह आरक्षण केवल मात्र राजस्थान की सरकार ने अपने आधार पर इनको देने का प्रावधान किया है। दोनों में भिन्नता है। एक भारत सरकार के समर्थन के द्वारा प्रदत्त है, एक राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदत्त है। मैं मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा, सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक्ट अलग से आप लाते तो ज्यादा बेहतर होता। हमारा अलग एक्ट होता तो हमको ज्यादा इसका फायदा मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे विद्वान माननीय सदस्यों ने बात रखी है कि 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण अगर देते हैं तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी गाइडलाइन है कि वह स्टे हो जाएगा। यदि मान लो, यह एक्ट पास होगा, पास होने के बाद में यह एक्ट यदि न्यायालय में चला गया- सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में चला गया और जाने के बाद में यदि इससे किसी भी प्रकार का लिटिगेशन कायम हुआ तो इसमें कहीं ऐसा न हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी कोई न कोई गाइडलाइन ऐसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा पास हो, जिसके कारण से पहले से दिया हुआ नवीं अनुसूची

(श्री हेमाराम मीणा)

में जो आरक्षण था उसमें कोई नुकसान हो जाए। इसलिए मेरा आग्रह था कि अलग से इसका एक्ट बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है मंत्रीजी को कि विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग का अलख रखें और अनुसूचित जाति और जनजाति का अलग से रखा जाना चाहिए।

यहां मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, 2001 के अनुसार अगर हम कैलकुलेशन करें तो एस.सी. का 17 परसेंट का आरक्षण बनता है, अभी तक 16 परसेंट हमको मिल रहा है राजस्थान में। एस.टी. को मिल रहा है 12 परसेंट, अब वह 13 परसेंट के कगार पर है। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी 17 परसेंट को और 13 परसेंट को ध्यान में रखते हुए हुए जवाब देते समय इस बात को इनक्लूड करें ताकि जनसंख्या के आधार पर जो भारत सरकार ने दे रखा है, उसका एस.सी. और एस.टी. के लोगों को लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार बजट भाषण के समय यह घोषणा की थी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कि जितना भी बैकलाग है, 2008 में सारा बैकलाग भरा जाएगा। वैसे तो शिक्षा विभाग में पूरा बैकलाग भरा गया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं सरकार को कि शिक्षा विभाग में तो पूरा बैकलाग भरा गया है। लेकिन शिक्षा विभाग के अलावा इर्रिगेशन, आरएसईबी और कई सारे डिपार्टमेंट हैं- पीडब्ल्यूडी है, इन डिपार्टमेंट्स में हमारा बैकलाग बाकी है, इस बैकलाग को 2008 के अन्तर्गत जो घोषणा की है उसको एक्जीक्यूट करने का भी कार्य प्रारम्भ हो, यह भी मेरा निवेदन है।

यहां, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट क्षेत्र में कई सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 17 परसेंट और 13 परसेंट के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह भी कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दी है बात तो आपने पूरी, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को, इन्होंने क्रीमी लेयर शब्द को इसमें से शिफ्ट कर दिया है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंशा खराब थी न ?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): नहीं, मंशा खराब नहीं थी। मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो विरोध कर रहे हैं, इन्होंने एक्ट को पढ़ा नहीं है, वह क्रीमी लेयर शब्द एस.सी., एस.टी. के लिए लागू नहीं था। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो वह उसमें लागू नहीं था, वह केवल अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक आधार पर जो लोग सम्मिलित होंगे, उनके लिए लागू था। फिर भी सरकार ने सूझबूझ के साथ इसको अलग किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह मक्खन लगाने से कोई टिकट नहीं मिलने वाला है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अब उनको ज्यादा नहीं घुमाया जा सकता था इसलिए सरकार को घुटने टेकने पड़े। (व्यवधान) और इसे करना पड़ा ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आपका नम्बर आए तो बोल दीजिए आप। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): इस सरकार को घुटने टेकने पड़े। अगर एस.सी., एस.टी. के हितों के साथ में अन्याय की स्थिति आती है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और इनको जवाब दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी, बीच में टोका टाकी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। नियम 5 है कि कतिपय मामलों में कोई आरक्षण नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर नियम 5 में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद या वे पद जो किसी भी संवर्ग या ग्रेड में एकल हैं। मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि एडहाक जो प्रमोशन किये जाते हैं, कई बार इस तरह का अधिकारी बैठ जाता है, कि वर्षों तक चलते रहते हैं और डीपीसी नहीं होती है, इसलिए एडहाक प्रमोशन में भी आरक्षण का मामला रखा जाना चाहिए, एडहॉक करते समय भी यह ध्यान रखा जाना

(श्री हेमाराम मीणा)

चाहिए। नियम 5 में यह जोड़ा जाना चाहिए कि एडहाक प्रमोशन यदि होंगे तो उसमें भी आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव को मैं विथड्रा करता हूं, इस बिल का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, माननीय विधि मंत्री जी उनको सम्मिलित करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्षजी, जिस विधेयक पर सदन में चर्चा चल रही है, वह एक अत्यन्त गम्भीर विषय है। इस बिल को ऐतिहासिक बताया गया है और सदन के सभी सदस्य, सभी राजनीति पार्टी इसका समर्थन कर रही हैं। यह बिल न तो ऐतिहासिक है, यह पूर्ण रूप से राजनीति है और इसकी टाइमिंग इससे भद्दी हो नहीं सकती। यह उस समान है कि आदमी बीमार शय्या पर पड़ा है, प्राण निकलने वाले हैं और उससे कोई बोले कि तू गऊ दान कर दे और गाय उसके पास है नहीं, उसको दान किया गया है। जो चीज आप लागू कर नहीं सकते, उसको क्रियान्वित करने के लिए हम यह बिल लाये हैं। हम एक डरपोक कौम के सदस्य हैं, जो अपनी राजनीतिक लालसा के अनुरूप वही बोलते हैं जिससे हमें राजनीतिक लाभ मिले। माननीय उपाध्यक्षजी, 23 सदस्यों ने मांग की है कि इसको जनमत जानने हेतु 6 महीनों के लिए परिचालित किया जाए क्योंकि 4 महीनों में चुनाव होंगे। यह राजस्थान की जनता का अधिकार है, ये 200 सदस्य यह तय नहीं कर लें जिससे इस पांच करोड़ जनता का भविष्य जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो कारण दिये हैं, बहुत महत्वपूर्ण कारण दिये हैं और उसमें अर्द्ध सत्य है। वह यह कि आरक्षण का लाभ जब समाज के बहुत लोगों को मिला, आजादी के 60 साल बाद अनेक जातियां ऐसी हैं जो उस आरक्षण के लाभ से बिलकुल वंचित रह गई हैं। जब आप निगाह दौड़ाकर समाज में घूमते हैं, जब मैं सहरिया के इलाकों में जाता हूं, जब शाहबाद में जाकर देखता हूं तो मालूम पड़ता है कि 60 साल के अन्दर इन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला ऐसे लोगों को जीवित रखने के लिए, ऐसे लागों को आगे बढ़ाने के लिए अगर 100 साल तक भी आरक्षण देना पड़े तो मैं उसका समर्थन करता हूं। मगर मैं उस चिकित्सालय के लिए खिलाफ हूं जिसमें मरीज तो जमीन पर पड़ा रहे और उसका खून पहलवान के चढ़ाया जाए। आज हो यह रहा है। हम उस सही बात को इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमने सही को तो वहां टांग रखा है

(श्री भरत सिंह)

'सत्यमेव जयते', मगर उसकी बात के ऊपर हम खुद ही अमल नहीं करना चाहते। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो इसमें अर्द्ध सत्य है वह अर्द्ध सत्य यह है कि यह गुर्जर आंदोलन था, जिन्होंने एसटी की मांग की, उनकी मांग उचित है या अनुचित है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा मगर यह सत्य है कि अगर इस महत्वपूर्ण बिल, इस ऐतिहासिक बिल को लाना, अगर यह ऐतिहासिक ही था तो यह बिल आता 2004 के अन्दर जब यह सरकार जीतकर सत्ता में आई थी। उस वक्त इसे लोगों के सामने इस रूप में रखा जाता और उसके ऊपर चर्चा कराकर के उसको पारित किया जाता। मगर इसको आखिरी सत्र में लाया गया है जब इसके चुनाव होंगे उसके बाद में इस सदन में लोग-बाग़ बैठेंगे। तो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है, मैं मेरी बात को लम्बा-चौड़ा नहीं करना चाहूंगा, इस पूरे मसले पर, आरक्षण के पूरे विषय के ऊपर जो वंचित रह गया है उसको लाभ मिलना चाहिए, क्या कमी है, इसके ऊपर खुले रूप से चर्चा होनी चाहिए। यह बहुत बड़ी भूल होगी कि हम डरपोक कौम के सदस्य एक ध्वनि के अन्दर इसको पारित कर दें। और इसको ऐतिहासिक बता दें, इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति जो अनावश्यक जोड़ दिया गया है, ऐसे पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग विधेयक, 2008 पर सभी ने अपने विचार रखे हैं उसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए मेरे कुछ सुझाव देना चाहता हूं। संविधान की धारा 38 के तहत इसको लाया गया है, जिस चीज को हम दो वर्ष पहले एक बहुत ही बड़ा और असम्भव सा समझ रहे थे, वो चीज इतनी आसानी से आज कम से कम सदन में पारित तो हो रही है, जिसके लिए न जाने कितनी मांओं ने अपने लाडले को खोया, न जाने कितनी विधवाएं हुई। अगर यही था, इतनी ही आसानी से आने वाला तो आज से चार वर्ष पूर्व ही अगर इस तरह से हमारी मंशा साफ होती, यह लाया जाता तो निश्चित रूप से इन पिछले चार वर्षों में लाभ मिल सकता था। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसका लाभ मिलेगा, बल्कि निश्चित रूप से नहीं मिलेगा।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। आर्थिक पिछड़े वर्ग को 14 प्रतिशत, विशेष पिछड़े वर्ग को 5 प्रतिशत, लोगों ने जान लिया और इतनी जल्दी में, आनन-फानन में हम राजनैतिक लाभ लेने के लिए आज यहां चर्चा कर रहे हैं लेकिन कुछ जातियां फिर भी वंचित रह गई हैं, शायद उनको एक आंदोलन और करना पड़ेगा। सरकार ने प्रेरित किया है। और शायद गोलीकांड होगा, यह लोगों ने मान लिया है। लोगों ने मान लिया है, बिलकुल, निश्चित रूप से होगा। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों की मंशा यही है, सबको पता चल गया कि अगर यह इतनी आसानी से आज आ रहा है जिसको हम पारित करने जा रहे हैं, तो यह पहले भी हो सकता था। लेकिन इतने लोगों को मारने के बाद, मैं आपको कह रहा हूं, विचार हो रहा है, फिर भी कुछ जातियां ऐसी रह गई हैं जो विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित होने योग्य थीं, उसमें पांच की बजाय..... (व्यवधान) हमने नहीं भड़काया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये भड़काने वाले ही आप हो, मारने वाले ही आप हो और आज लॉलीपाप देने वाले भी आप ही हो। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ जातियां जो विशेष पिछड़े वर्ग में आने योग्य थीं, आप 5 के बजाय 6 प्रतिशत उनको करते लेकिन उनको भी सम्मिलित करना आवश्यक था। उन जातियों में से कुछ एक-दो जाति मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उससे सम्बन्धित है, पूर्वी राजस्थान के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक राजपूत जाति में खरवर राजपूत है वो भी इसी वर्ग में आने योग्य हैं, वो भी इतने ही अति पिछड़े हैं। रजपूत है जालौर जिले में, पाली जिले में, जोधपुर में, रावणा राजपूत, वो भी इसी में आने योग्य हैं।

श्री उपाध्यक्षः पहले से ही हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ओबीसी में तो ये भी थे जिनको आप पांच प्रतिशत दे रहे हैं। ये भी ओबीसी में थे। इसी तरह से गृह राज्य मंत्रीजी जहां से आ रहे हैं उस क्षेत्र में कुछ मुस्लिम लोग हैं जैसे मिरासी, ढाढी, लंगा, दमामी, मीर, मांगणियार, ये भी इसी कैटेगीरी में लाने योग्य थे। शायद इस सरकार ने परिपाटी डाल दी है, गोली खाओ। और लोगों ने तो हमारे गृह मंत्रीजी का नाम भी प्रदेश में इस बार बदल दिया, गुलाब चन्द जी की जगह गोलीचन्दजी कटारिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक ही सुझाव है कि 1994 का जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था ओबीसी का, उसमें ग्रुपवाइज, अलग अलग ग्रुप थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने दें। श्री रामनारायण मीणा। कह दिया आपने। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, ये बीच में बोल रहे थे इसलिए मैं बैठा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, ये बीच में नहीं बोल रहे थे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ये बीच में बोल रहे थे। हाउस आर्डर में नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप क्या कह रहे हैं? हो गई बात।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मेरा एक सुझाव है, महत्वपूर्ण सुझाव है। 1994 में जो ओबीसी का गजट नोटिफिकेशन हुआ उसमें आपने इसमें रैबारी, रायका और देवासी तीनों ही शब्द मेंशन किये हैं। लेकिन बंजारा, बालदिया और लबाना। आपने मात्र बंजारा ही लिखा है। इसी तरह से गाड़िया लुहार और गाडोलिया, आपने एक ही मेंशन किया है। वो वंचित रह जाएंगे, मंत्री महोदय। मेरा अनुरोध है कि उनको भी इसमें सम्मिलित करते हुए करें। उसमें गुर्जर, गुज्जर दो शब्द हैं और आपने गूजरों शब्द किया है, तो यह गुर्जर और गुज्जर.....

श्री उपाध्यक्ष: दोनों ही आ गये इसमें, माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): वो भी इसमें सम्मिलित किये जाएं। इसके साथ ही बंजारा, कालबेलिया, लबाना, बालदिया, गाडोलिया लुहार, गाऱडिया, ये शब्द भी इसमें सम्मिलित किये जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, आनन फानन में यह जो बिल लाया जा रहा है एक राजनैतिक लाभ के लिए, निश्चित है कि इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दी आपने बात। श्री रामनारायण मीणा। माननीय सदस्य, वह बात कह दी आपने। अब स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं आपको अनुरोध करता हूं कि यह जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जनता को सही फायदा अगर देना चाहें तो इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी बातें हुईं, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी और मेरा जहां तक ख्याल है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके नेता महोदय के गड़बड़ हो गई, आपके तो गड़बड़ नहीं है न? नहीं, आप हाथ लगा रहे थे ऐसे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, मुख्य सचेतक महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यात्मक बात करूंगा और मुझे उम्मीद है..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि नेता महोदय अब ठीक है। उनका बी.पी., ई.सी.जी. सब एकदम बिलकुल ठीक है और अब वह आराम कर रहे हैं वहां।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो हमारी शुभकामनाएं थीं, आपने तो कोई कमी नहीं रखी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा टाइम ले रहे हैं आप। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम ले रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने तो कोई कमी नहीं रखी, यह तो हमारी शुभकामनाएं हैं जो बिलकुल ठीक हैं वह। (व्यवधान) नहीं, यह आपकी योजना थी...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...वह आपका मुकाबला नहीं कर सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह सी.पी. जोशी ने घायल किया है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ...यह किसी की मेरे खिलाफ साजिश थी, मुझे कम बोलने देना चाहते हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इस तरह से क्यों नहीं की उन्होंने? महावीरजी, मैं एक बात कहूं आपसे कि हमारा मुकाबला कौन कर सकता था?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कोई न कोई गड़बड़ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इनकी बात आपको पहले करनी चाहिए थी। यह आपका मुकाबला कौन कर सकता है बोलने में।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माहिर साहब बहुत माहिर हैं ऐसे मामलों में।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इनको जितना पहले करना चाहिए था, हेमारामजी नहीं कर सकते थे इसलिए वह चुनाव पहले ढंग से नहीं किया होगा। मैं एक बात कहूं कि उनको एक बार तो आपने रूला दिया और एक बार बीमार कर दिया। अब यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं। माननीय सदस्य, आप उनको बोलने दीजिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कहने दीजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मीणा साहब को कहने दीजिये। इनको कहने दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश किया गया है 2008 का विधेयक संख्या 28, मैं इसके बारे में इतना कहना चाहूंगा, सरकार के मन में कहीं न कहीं कुटिल चाल है। माननीय विधि मंत्रीजी, यह जो आंदोलन चला, यह प्रायोजित आन्दोलन था या क्या था, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक को कितनी तकलीफ हुई, अरबों-खरबों रुपयों की हानि हुई, उसके बारे में भी बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूं, जब कांस्टीट्यूशल प्रोविजन है, फिर यह एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. विशेष पिछड़ा वर्ग, इनकी कहां जरूरत थी? आपका आर्टिकल 341-342 दिया हुआ है...

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। कहने दीजिये उनको।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उसके बारे में जब आपका प्रोविजन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इस प्रोविजन को डालने की कहां जरूरत थी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आप देखिये, "और यतः, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को उपलब्ध विद्यमान आरक्षण के अधीन नहीं आने वाले सामान्य प्रवर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान और उनकी आवश्यकताओं की जांच-पड़ताल के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग ने आरक्षण के लाभ को आर्थिक रूप से कमजोर

(श्री रामनारायण मीणा)

वर्गों के लिए भी लागू करने की सिफारिश की है।" मेरा आपसे अनुरोध है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आपने विशेष पिछड़ा वर्ग बनाया। आपको एक्ट में साफ लिखना चाहिए कि विशेष पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो भी आपको लिखना था। आज एक्ट इसलिए बनाया है ताकि एक्ट में आप कभी भी कुछ संशोधन करके किसी भी कास्ट को जो कांस्टीट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह हमारा दुर्भाग्य है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वह पार्टी है जो संविधान बदलने की बात करती है, वह इसलिए करती है कि इसमें स्पेशल प्रोविजन है एस.सी. एस.टी. के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय भीमरावजी अम्बेडकर का यहां पर नाम आया। मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि किन लोगों की वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी मृत्यु के एक साल पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? यह कहीं न कहीं मन में कुंठा लोगों के है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय विधि मंत्रीजी, इस प्रोविजन में जो कहा गया है, आगे आप देख लीजिये, आर्टिकल 38 में किया है, आर्टिकल 38 में स्पेशल ग्रुप को आर्थिक दृष्टि में ला सकते हैं, व्यक्ति को आप नहीं ला सकते हैं। माननीय नरसिंहरावजीजी के समय में 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा क्या? उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिजैक्ट कर दिया? आप तमिलनाडु की बार-बार बात करते हैं, तमिलनाडु में कोर्ट का फैसला आने के पहले 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण था, इसलिए कोर्ट को कहना पड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जिस तरह की बातें होती जा रही हैं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और किसका नहीं है, आपको इसके प्रीएम्बल में उसके बारे में कहना चाहिए था। आपने एक सर्वे करवाया और फिर आप कहते कि हम आदिवासी दलितों के बारे में प्रोटेक्शन देंगे। तो हमने हर आर्डर पढ़ा है। आदिवासी दलितों के बारे में कितना बैकलाग है? आप उस बैकलाग को खतम करने जा रहे हैं। मैंने जैसा पहले कहा, आपने डीवाई.एस.पीज. की डी.पी.सी. में जान-बूझकर दलित वर्ग वाले व्यक्तियों को नहीं लिया। मन में कहीं न कहीं, कोई न कोई खोट है इसलिए आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं। इसी एक्ट में आगे जाकर आपने कहा है कि "राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण" अनुसूचित जातियां-16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियां-12 प्रतिशत, बाकी को आपने क्या दिया है?

(श्री रामनारायण मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की मिनिस्ट्री आफ पर्सनल पब्लिक ग्रिवेन्सेज एण्ड पेंशन डिपार्टमेंट आफ पर्सनल ट्रेनिंग, इसका आफिस मेमोरण्डम नम्बर 36017/ए/2004/एस्टेब्लिशमेंट, पहले 1981 में हुआ, 1991 में हुआ, उसके बाद में अब जो 2001 की सेंसस है, उस सेंसस में भारत सरकार ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति की पापुलेशन 17 प्रतिशत है और आप बिल ला रहे हैं 16 प्रतिशत का। आखिर यह क्या था। 5 जुलाई, 2005 का लैटर है, उसके बाद में अनुसूचित जाति की पापुलेशन उन्होंने 13 प्रतिशत बताई है और इसके आधार पर रिजर्वेशन दिया है। माननीय विधि मंत्रीजी, सरकार की क्या मंशा है, हम नहीं कहना चाहते, वह तो चार महीने बाद पब्लिक को पता चलेगा, लेकिन आपका मन कहीं न कहीं कुचक्र और भ्रांति में है। अभी कहा गया कि इतने गुर्जर मर गये, मैं कह रहा हूं मर नहीं गये, मार दिये गये हैं। यह आखिर इसके बारे में कौन जांच कराएगा? आपको बिल लाना था, राजस्थान में ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गईं तो आप यहां राजस्थान विधान सभा में मांगिये, सी.बी.आई. से जांच करवाइये। आप पीछे की बात छोड़िये कि क्यों हुआ। 15 मई, 2008 को कौन-कौन मिले, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। कर्नल बैंसला ने किससे बात की? ऐसी स्थिति में किसने कहा था कि हम गोली नहीं चलाएंगे और किसने कहा था कि पुलिस फोर्स नहीं करेगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए जनमत जानने के लिए इसको भेजना जरूरी है। जो डाकू आरक्षण आन्दोलन में शामिल होते हैं, उसका जो दुश्मन डाकू है, उसको राजस्थान पुलिस गोली से उड़ाती है। यह क्या चीज होने जा रही है? ऐसी स्थिति में आज राजस्थान में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र परिस्थितियां हैं। संविधान की बात आप करते हैं, संविधान के निर्माताओं ने तो संविधान के प्रीएम्बल में लिखा है, जातिविहीन, वर्गविहीन समाज की परिकल्पना उन्होंने की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में आप आरक्षण की बात करते हो। इन्दिरा आवास में कोई आरक्षण नहीं है। बी.पी.एल. है, अस्पतालों में बी.पी.एल. है, गोलियों में बी.पी.एल. है। आपकी मंशा है, वह कहीं न कहीं पोलिटिकल मंशा है। वोट की खातिर है तो आप कोई योजना लागू करिये और आप शिक्षा का बढ़ावा करिये, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। आप किसी भी जाति को आरक्षण दो। हमारी पार्टी ने कहा, हम किसी जाति को प्रोत्साहन देने में और बढ़ावा देने के लिए कतई पाबन्द नहीं हैं,

(श्री रामनारायण मीणा)

इसमें हमारा कोई अवरोध नहीं है। लेकिन आप देखिये, क्या आपने इस बिल को दे दिया। जैसा कहा गया है, उत्तरप्रदेश हाई कोर्ट का आपने फैसला पढ़ा, मध्यप्रदेश का पढा, उड़ीसा का पढ़ा? आप यह बिल ला रहे हो, आप शुद्ध भावना से बिल लाते। खैर, उसको भी छोड़िये। आप देखिये कि कौन सा राज्य है जिसने पचास प्रतिशत से ज्यादा का दिया। आप तमिलनाडु की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पैण्डिंग पडा हुआ है। जो परिस्थितियां बताई हैं, जो 16(4)(ए) की आप बात करते हैं, उस 16 (4)(ए) में क्या है, प्रमोशन, सीनियरिटी में भी, सर्विसेज में भी रिप्रजेंटेशन दिया जा सकता है। एक इंदिरा साहनी वाली बात करी है, यह तो वैसे ही अमैण्डमेंट हो गया, कांस्टीट्यूशनल अमैण्डमेंट 77 1995 में हो चुका है कि एससी, एसटी के, दलितों के आरक्षण में सीनियरिटी में और इसमें नहीं होगा। उसको यहां कहां आप यह कर रहे हैं? इसलिए मेरा अर्ज करना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साफ है कि आपके मन में जो मंशा है, उसको ठीक करें। इसमें से जो शब्द है, उसको डिलीट करें और क्रीमीलेयर वाला जो आप बिल पेश कर रहे हैं खैर, लेकिन मेरा आपसे अर्ज करना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल में आपने टैंथ सैक्शन इसका दिया है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के और नियुक्तियों में जिस तरह के परिपत्रों और इनका हवाला दिया है, इससे साफ जाहिर है कि भारत सरकार एससी, एसटी के बारे में जो आर्डर्स भेज रही है, उनको राजस्थान की सरकार मान नहीं रही है। आप उनको भी किस परव्यू से देखना चाहते हैं, इसमें भी आपने स्पष्ट नहीं किया है। माननीय उपाध्यक्ष, जो केसेज हैं, क्या आपने उनको पढ़ा? 1963 से 1985 के बीच में इसके बारे में बहुत से केसेज सुप्रीम कोर्ट के थे, विभिन्न हाई कोर्टस के भी हैं। इसलिए जो...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मीणा साहब, समाप्त कीजिये आप। आपके तो इतना ही...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं ज्यादा खुद भी नहीं लेना चाहता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आपके हितों की रक्षा तो बिल में पूरी की गई है। जो शंका थी आपको, उसको दूर किया गया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इसको जनमत जानने के लिए हमने जो अर्ज किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): जो इसमें कन्टेंट्स हैं, वे कन्टेंट्स भारत सरकार के लैटर से भिन्न हैं। इसमें जो कन्टेंट्स हैं वे पहले से ही जो कांस्टीट्यूशनली सेव्ड कास्ट है एससी और एसटी, उसकी इच्छाओं के खिलाफ हैं। इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध करना है कि आप इस बिल में केवल विशेष पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग को सम्बोधित करिये, कनफ्यूज मत करिये और आपको जो करना है वह तो करिये लेकिन पोलिटिकली से राजस्थान में जातिवाद का आपने जहर घोला है, वह जातिवाद का जहर नहीं घोला जाए, जिस तरह से आदमियों की हत्याएं हुई हैं, आप सीबीआई इन्क्वायरी नहीं करवाना चाहें, राजस्थान की जनता जानती है कि कौन इसमें शामिल है, किसने 15 मई को आंदोलन करने वालों से बात की और किसने विधायकों को जेल में डाल दिया। इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह सरकार वास्तविकता को समझे। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजेगी, उसके बाद में इसमें जो भी अमैण्डमेंट करना है या इसको फ्रैश रूप देना है, उसके बारे में तैयार करेगी। मुझे यही कहना है, इसी के साथ आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। श्री बत्तीलाल मीणा।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज बिल लाया गया है यह बिल एक ऐसा बिल है जो साधारण मनुष्यों का काम नहीं, साधारण राजनीतिज्ञों का काम नहीं, इसका मूल्यांकन आने वाली पीढ़ी इस तरह करेगी जैसे ईसामसीह का इस दुनिया से जाने के बाद किया, कृष्ण भगवान का दुनिया से जाने के बाद किया, भगवान राम के जाने के बाद किया। आज सोलह तारीख है, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक महीने पूर्व सोलह तारीख पर क्या हो रहा था, किस तरह प्रदेश आग में जल रहा था? यह कोई साधारण मनुष्यों का काम है? मान्यवर, इस आंदोलन से मेरा प्रत्यक्ष संबंध रहा है, पाटोली मेरा क्षेत्र है और बैंसला जो इसका मुखिया था वह मेरे क्षेत्र का है। मान्यवर, मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा है कि किस तरह लोग लाखों की संख्या में हाथ में तोपें लेकर खड़े हो गये थे, लेकिन यह देवी का अवतार, माननीय वसुंधराजी का काम है जिन्होंने बिगड़े हुए भाईचारे को बना दिया और असम्भव को सम्भव करके दिखा दिया। यह मानव नहीं कर सकता, मानव। मैं यह सोचता था कि कैसे जब...(व्यवधान) श्रवण कुमारजी, सुन लीजिये आप।

(श्री बत्तीलाल)
आप सुन लीजिये, मान्यवर। आप सुन लीजिये, आप जानते तो कुछ हैं नहीं। आप बताइये, आप में ताकत है तो विरोध करके दिखा दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा यह। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): ×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आपकी गति, श्रवण कुमारजी, वह कर दी..

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आपकी गति वह कर दी, सुनना, आपको न तो..(व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): ×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आपकी गति वह कर दी, आपको न इसका विरोध करना सूझता, न इसके पक्ष में कहें। आपकी तो सांप और छछूंदर की गति कर दी। आपकी तो सांप और छछूंदर की गति हो गई। आप इसका विरोध करके दिखाइये। आप में दम है तो इसका विरोध करके दिखाइये। (व्यवधान) यह जो है..(व्यवधान) गरीब के लिए पहली बार बिल लाया गया है, कोई भी आदमी, कोई भी समाज..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): श्रवण कुमारजी, आप सुनिये। आप सुनने का माद्दा रखिये। यह भगवान के द्वारा घनश्याम तिवाड़ीजी को दिया हुआ वह ब्रह्म अस्त्र है जिसकी आपके पास कोई काट नहीं है। यह वह ब्रह्म अस्त्र है जिसने आपकी टांय-टांय फिस्स कर दी। जिस प्रकार 1971 में पाकिस्तान के टैंकों की गति रोक दी गई थी हमारे जवानों द्वारा, ऐसे आपकी सारी गति कांग्रेस की रोक दी गई। आपने क्यों नहीं मांग की कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए? किसी औरत की चेन छिन जाती है जौहरी बाजार के अन्दर, तो आप कहते हैं

(श्री बत्तीलाल)

कि ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था खराब हो गई, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, आपने क्यों नहीं मांग की? आप जानते थे, आप में क्षमता नहीं थी कि आप देश में समरसता पैदा कर सकें। आप इस जली हुई आग को बुझा सकें, आप में पावर नहीं थी। यह तो केवल उन्हीं लोगों का काम है जो सीधा भगवान से संबंध रखते हैं, जो केवल दुनिया के हित में काम करना चाहते हैं। जो गरीब की मदद करना चाहते हैं, उन लोगों का काम है, आपका काम थोड़े ही है। आपने तो आरक्षण के नाम पर चकमा दिया। यह बताइये, कि आरक्षण के नाम पर आपने बैकलाग कैसे रखे? आपने आरक्षण दक्षिणी राजस्थान में दिया है, क्या हालत है वहां लोगों की, आप देख सकते हैं क्या? आपने एक हाथ से आरक्षण दिया और दूसरे हाथ से लिया। आपने राज करने को आरक्षण के नाम पर वोट लिये लेकिन गरीब को गरीब रखा। हम पहली बार ईमानदारी से गरीब को ऊंचा उठाना चाहते हैं, भाई जैसा उठाना चाहते हैं। आपने भवानी सिंह से अंदाजा लगा लिया कि सारे राजपूत अमीर होते हैं, आपने टाटा-बिड़ला से अंदाजा लगा लिया कि सारे बनिये अमीर होते हैं, आपने बड़े-बड़े ब्राह्मण से लगा लिया। आपने उस गरीब को नहीं देखा। आपको यह काम पचास साल पहले कर देना चाहिए था जो आज हम करने जा रहे हैं। आपको यह सौभाग्य मिला ही नहीं इस तरह का करने का। आपको तो केवल चकमा देना और राज करना। अब आपकी पोल खुल गई। मान्यवर, आप क्या लेकर जाओगे? हम केवल यह विधेयक नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते थे, हमें अविकसित राजस्थान को विकसित बनाना था। हमने कितने विकास के काम किये थे, आपके पचास साल के काम की तुलना हम पांच साल से करते जाकर, और करेंगे। लेकिन आपने हमको मजबूर कर दिया था, अब यह ब्रह्म अस्त्र आपके द्वारा हमारे पास ऐसा आ गया। महात्मा गांधी के दो सपने थे। एक सपना था कि भारत गांवों में बसता है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, भारत का उत्थान गांव और गरीब का उत्थान है। और दूसरा सपना था कि इस कांग्रेस पार्टी को समाप्त किया जाए। यह विधेयक दोनों काम करेगा। यह विधेयक दोनों कामों को करेगा। आप अपनी पार्टी...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपकी वाहवाही कर रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): मान्यवर, आपसुनते जाइये। आप अच्छी तरह सुनिये कि आज इस बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा है, किसी जाति को, किसी वर्ग को हमने अहित नहीं पहुंचाया, सबकी रक्षा की। एससी, एसटी की रक्षा की, किसी का नुकसान नहीं किया। यह पहला बिल है कि इस बिल का समर्थन लोक सभा में जो पार्टी करें उनकी चार सौ की संख्या है। उदाहरण स्वरूप बनेगा देश के लिए, अन्य विधान सभाओं के लिए। आने वाले समय में संसद में भी यह पास किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान को देख कर सब लोगों की मांग उठेगी। लेकिन यह हुआ कैसे? मैं मानता था कि हमारी मुख्य मंत्री एक अच्छी कुशल वित्तीय प्रबंधक है, मैं मानता था कि इनका वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है, लेकिन हमको यह पता नहीं था कि यह साक्षात देवी के रूप में हमारे बीच में विरारजमान हैं। जो लोग 18 तारीख को पीलूपुरा की सड़कों पर क्रंदन नाद कर रहे थे, वे ही दूसरे दिन 19 तारीख को डांस कर रहे थे। अब बताइये, दैवीय चमत्कार नहीं है तो और क्या है। मान्यवर, आपको भी यह पूछना चाहता हूं, आप कहें, 68 आदमी मर गये और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आप क्या हमारे सांवरलालजी जाट और लक्ष्मीनारायण दवे के साथ में उनको सहानुभूति देने पहुंचे? जाकर के, एक नहीं गया आपका नेता। आज छोटी सी घटना हो जाय, बाढ़ आए, सोनिया गांधी आ जाती हैं, गुर्जर भाइयों के लिए बचाने के लिए आये क्या? आप लोग उनके गांवों में गये क्या? आप में दम ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते। (व्यवधान) आज हमने सारी जातियों का दिल जीता है- गरीब ब्राह्मण का जीता है, गरीब बनिये का जीता है, एससी, एसटी का जीता है। रामदासजी अग्रवाल, राजेन्द्रसिंहजी राठौड़ जब बात करने गये, आपने खिल्ली उड़ाई थी कि ये लोग क्या समझौता करवा कर आएंगे? वहां आ रहा था कि हम बिलकुल आ नहीं सकते तो फिर किस तरह हमारे नेताओं ने हमारी मुख्य मंत्रीजी के आशीर्वाद से भाई चारे को गले मिला दिया? यह समरसता की भावना इतिहास में आज तक महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी कि देश में पाकिस्तान, हिन्दुस्तान अलग न हों, हिन्दू मुस्लिम भाई-भाई की तरह रहें, लेकिन वह नहीं कर सके। वह जो काम नहीं कर सके, वह हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने अपने नेताओं के द्वारा कर दिखाया। (व्यवधान) आप कहते हो, आप सुनते नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल सीधे एक कंपनी रखकर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप प्रभावित हुए कि नहीं? (व्यवधान). प्रो. बत्तीलाल मीणा के भाषण से आप प्रभावित हुए कि नहीं?

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आप सुनिए मेरी बात को, जब मैंने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आप डिस्टर्बेंस क्यों करते हो? (व्यवधान) ज्यादा बोलने से कोई आदमी विद्वान नहीं बन जाता। आप मेरी बात सुनिए। आप गुर्जरों के बीच में जा नहीं सकते, आप बनिये, ब्राह्मणों के बीच में जा नहीं सकते, आप एससी के बीच जा नहीं सकते। आप एससी, एसटी की बात करते हो, जो लोग एससी, एसटी के लिए ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको बताइए, यह महिमामण्डन बाद में हो जाएगा, यह महिमामण्डन का जवाब तो राजस्थान की जनता देगी। आप इनको बिल पर बताइए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): हमने 28 हजार एसटी, एससी के लोगों को मास्टर बनाया है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप पचास साल में नहीं कर सके, हमने कर दिखाया है। और बताने के लिए चारा ही क्या है आपके पास, आपके पास कोई जवाब नहीं, आपने उन अनपढ़ लोगों को बहकाया है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बसते हैं, हम जैसे विद्वान लोगों से बात नहीं की आपने। हम हमारे अधिकारों के प्रति पूरे सजग हैं, हम जागरूक लोग हैं। हम जागरूक भारत के जागरूक लोग हैं, हम इस बात को जानते हैं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज आखिरी दिन है, यह हीरे जो बचे हुए हैं, इनकी प्रतिमा को पूरा बता दो न। इन हीरों को क्यों छिपा रखा चार साल तक, उन हीरों की क्षमता का उपयोग लो पूरा और जो बाकी हीरे बचे हैं उनको भी लाकर खड़ा कर दो।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): मैं तो इस रामोदर का छोटा-सा सिपाही हूं ...(व्यवधान) हमारे बड़े-बड़े योद्धाओं ने वह काम कर दिखाया है इस मंत्रिमण्डल में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): सड़कों के बारे में देख लीजिए। हम आपसे ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप इस बिल की मजाक उड़ाना चाहते हो, बिल की मजाक उड़वाओगे आप?

श्री उपाध्यक्ष: जोशीजी, बोलने दें उनको।

श्री हीरालाल (निवाई): जो बोल रहे हैं वह सुनिए आप। आप जब बोल रहे थे कोई नहीं व्यवधान डाल रहा था ...(व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आप यह कहोगे, आप यह भ्रम फैला रहे हो कि इस पर हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। मैं आपको वह पढ़कर सुना देता हूं, जब इन्द्रिरा साहनी की तरह साहनी लग रहे थे, आपने इन्द्रिरा साहनी के बारे में सुना है? कहां चल दिए? (व्यवधान) आप सुनते तो जाइए, आप सुनने का माद्दा रखो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजेन्द्रसिंहजी, क्यों बत्तीसी करने के चक्कर में हैं आप? अगर ऐसे ही नगीने छांट लिए हैं तो ये मुख्य मंत्रीजी की और सरकार की बत्ती गुल कर देंगे। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आपको तो जाना ही है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपका ध्यान है क्या? भाषण दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भूल गए कि आसन पर बैठे हैं। (व्यवधान) पहली बात तो यह परम्परा नहीं रही कि जो एब्सेंट एक बार हो गया, दुबारा उसको मौका दिया जाए। (व्यवधान) जो एक बार नाम पुकार लिया वह एब्सेंट हो गया उसको बाद में मौका नहीं दिया जाता है। आपको जानकारी है न? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे थोड़े ही है। किस बात की?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक बार नाम पुकारने के बाद में जो माननीय सदस्य अनुपस्थित है तो उसको दुबारा मौका नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं तो, इनका नाम किसने पुकारा पहले? मैंने इनका नाम नहीं पुकारा है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आप पहले सुनते जाएं। मान्यवर, संसदीय भाषा में बोल रहा हूं। (व्यवधान) पर मैं जो कहता हूं, आप सुनिए मान्यवर, यह कांग्रेस का विदाई समारोह ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, आपको अच्छा लग रहा है यह बोलना? इस बिल के ऊपर इस तरह की अनर्गल बातें अच्छी लग रही हैं क्या?

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): अनर्गल बातें हैं? मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूं, अनर्गल बात करुंगा क्या ...(व्यवधान) लॉ ग्रेजुएट आदमी हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कौनसी बात आपको अनर्गल लग रही हैं ...(व्यवधान) इन्होंने यह कहा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को खतम कर दो, पर यह बिल लाने से खतम हो जाएगी, यह अनर्गल लग रही है आपको? (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): लेकिन आप सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए आप। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे, माननीय सदस्य।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): एक मिनट, साहब। (व्यवधान) आरक्षण में और आने वाली पीढ़ियां इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगी और रामायण, महाभारत, बाइबिल और कुरान को जिस तरह पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाएगा। यह देवी देवता के द्वारा प्रदान किया हुआ विधेयक साक्षात् हमारी मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा राजे हैं। वह बिलकुल देवी का अवतार हैं। मान्यवर, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनको धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं। आज राजस्थान विधान सभा में एक ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रसंग के वे भागीदार हैं, दर्शक हैं और मार्गदर्शक हैं, जो राजस्थान में बहुत बरसों से चले आ रहे आपसी तनाव और कटुता को समाप्त करके एक समरसता पूर्ण जीवन का निर्माण करेगी और विभिन्न जातियों में...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट, पहले बात हुई थी माननीय मुख्य मंत्रीजी से, दो मिनट पहाड़िया साहब बोलें तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले पहाड़िया साहब को बोलने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप तीसरी स्टेज पर बोलें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा सभी सदस्यों का उन्होंने बहस में भाग ही नहीं लिया है लेकिन कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसमें सरकार को सावचेत भी किया है, सरकार सावधानी बरते उसके लिए भी कहा है और उसका समर्थन भी किया है। सदन के कोई-सा भी माननीय सदस्य किसी भी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दल का ऐसा नहीं है जिसने इस विधेयक का विरोध किया है। शंकाएं जरूर की हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब-जब भी आरक्षण की बात देश में चली है, कहीं-न-कहीं उसका विरोध हुआ है, उग्र विरोध हुआ है, आक्रोश हुआ है और कई प्रकार की घटनाएं घटी हैं। यह पहला अवसर है राजस्थान में जब आरक्षण के बारे में सरकार ने फैसला लिया उसकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, वे सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, रोष से भरी प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। एक रास्ता सुझाने वाली दिशा, दर्शक, मार्गदर्शक इस प्रकार का उसको निर्देशित किया गया है। मैं, जोशीजी आपको भी, आपकी पार्टी के लोगों को भी, अमरारामजी को भी, सब लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आपने जो शंकाएं प्रकट की हैं उनके बारे में, मैं ज्यादा लम्बा समय तो इसमें नहीं लूंगा क्योंकि आप सब लोगों ने इन बातों को कहा है, आप लोगों ने स्वयं कहा है कि पहली बार प्रिएम्बल के आधार पर हम यह काम करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो प्रिएम्बल में पहले कहा गया है जस्टिस सोशियली, इकोनोमिकली एण्ड पोलिटिकली। इसके बाद हमने जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लिया, जिस प्रकार उनमें राज्य सरकार को खुश करने के लिए मार्गदर्शन तय किया गया, जिस प्रकार आर्टिकल 46 में सभी वर्गों के संरक्षण (आर्थिक के साथ-साथ) करने की बात कहीं गई है, उनको जोड़कर हमने इसका जो प्रिएम्बल रखा है, उसको पढ़ने से सारी बातें साफ हो जाती हैं।

''और यत:, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को उपलब्ध विद्यमान आरक्षण के अधीन नहीं आने वाले सामान्य प्रवर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान और उनकी आवश्यकताओं की जांच-पड़ताल के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग ने आरक्षण के लाभ को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी लागू करने की सिफारिश की है,

''और यत:, राज्य सरकार की राय में, कतिपय पिछड़े वर्गों यथा बंजारों, गाड़िया लुहारों, गूजरों और राइकाओं (रैबारी/देवासी) के लिए, उनके शैक्षणिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े होने के कारण, विशेष उपाय करने की आवश्यकता है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

"और यत: संविधान के अनुच्छेद 38 के खण्ड (1) के अधीन राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा,

"और यत:, संविधान के अनुच्छेद 38 के खण्ड (2) के अधीन राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा,

"और यत:, संविधान के अनुच्छेद 46 के अधीन राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

(समय : 20.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि संविधान सभा की चर्चा की गई, हमने सब बात की, लेकिन हमको इस बात से बिलकुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । राजनीतिक नेतृत्व को ही समस्या का समाधान करने की पहल करनी पड़ती है और राजनीतिक नेतृत्व ने इसका समाधान करने का प्रयत्न किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, कौन-सा ऐसा आरक्षण का कानून है जिसको किसी कोर्ट ने स्टाकडाउन नहीं किया? भारत के संविधान में पहला संशोधन ही यह किया गया जब कम्यूनल अवार्ड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण को रद्द कर दिया। आर्टिकल 15 और 16 में जितने संशोधन हुए हैं इस कारण से हुए हैं। किसको इस बात का पता नहीं कि अटलबिहारी वाजपेयीजी की जब सरकार थी तब प्रमोशन में जो एससी और एसटी का आरक्षण किया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टाकडाउन किया था और वाजपेयीजी 77वां संविधान संशोधन लेकर आये थे और उसके बाद में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का प्रमोशन में आरक्षण देय हुआ? किसको पता नहीं कि अभी ओबीसी का जो हायर एजुकेशन में हमने रिजर्वेशन किया था उस रिजर्वेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रकडाउन किया, फिर संविधान में संशोधन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसको मान्यता दी? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मैं उन केसों में लिस्ट में नहीं जाना चाहता। चाहे जितने भी आप केस पढ़ना चाहें, आप पढ़ लें, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उनमें बहुत साफ है कि पहल तो हमको ही करनी पड़ती है। आज से पहल नहीं हो रही है । ये जब आरक्षण की चर्चा कर रहे थे तो हमारे जोगेश्वर गर्गजी ने शंभू महाराज की बात की, उसके पहले भी महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1882 में महाराष्ट्र में आरक्षण की बात की शुरूआत की थी। बहुत बड़े सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे वो। 1821 में तमिलनाडु में आरक्षण की व्यवस्था हुई उस आरक्षण की व्यवस्था में 44 प्रतिशत जो नॉन ब्राह्मण थे उनके लिए हुआ, 16 प्रतिशत ब्राह्मणों के लिए हुआ, 8 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट -शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए हुआ। इसलिए जो आरक्षण किसी न किसी वर्ग का हो रहा है वो इस देश में नया नहीं है। इसके बाद में 1935 का अपन सबको पता है जो पैक्ट हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में इसका प्रावधान किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ, जो ऐतिहासिक समझौता है देश के लिए वो हुआ उसके बाद में भारत की संसद जब बनी उसमें हमने संविधान में यह तय किया आरक्षण को लागू करने का, उस आरक्षण को भी स्टकडाउन किया गया। उसके बाद में ये सब बातें आज तक आयीं। केशवानन्द भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिएम्बल के बारे में हमको कहा कि हम जन-प्रतिनिधि हैं उपाध्यक्ष महोदय, जनता के अन्दर जो कठिनाइयां हैं उनका निराकरण हम करते हैं। राज्य में, हिन्दुस्तान भर में जितने भी इस प्रकार के कानून बने उन कानूनों को एक एक बार करके किसी न किसी कोर्ट ने रोका है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट कोई हमारा अवरोध नहीं करती है। कोर्ट के सामने जो कानून उस समय है उस कानून की व्याख्या करने की आवश्यकता है लेकिन जनता के सामने जो कठिनाई पैदा होती है उसके निराकरण की पहल राजनीतिक नेतृत्व को करनी होती है। और राजस्थान की मुख्य मंत्री ने राजनीतिक नेतृत्व की परिपक्वता का परिचय देकर यह पहल की है, यह राजस्थान में सुख-समृद्धि की बयार लेकर आएगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है, मैं यह कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर यहां पर एक प्रश्न यह उठाया गया था कि किसी प्रकार से इसको कानून बनाने की क्या आवश्यकता है शिड्यूल्ड कास्ट के लिए? अपन सबको पता है शिड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण है, अपन सबको पता है कि शिड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण है और राजस्थान में भी था। मैं इसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह कहना चाहता हूं कि जब सारी चर्चा होने के बाद राजस्थान सरकार ने एक पत्र लिखा था भारत सरकार को कि ये गुर्जर हैं, रैबारी, गाड़िया लुहार हैं, इनके लिए हमको आरक्षण की आवश्यकता है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को पी.आर. किन्डिया जो जनजाति विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा वो पत्र मेरे पास है। उन्होंने कहा कि बहुत से स्टेट्स में लैजिस्लेशन बनाया है और आप स्पेशल बैकवर्ड के लिए, घुमंतू जातियों के लिए इस प्रकार का लैजिस्लेशन लाएं जब लेजिस्लेशन एक विशेष वर्ग के लिए लाना था, विशेष वर्ग के लिए एक बार लैजिस्लेशन आ गया तो वो आर्टिकल जिसमें कार्यपालिका को शक्तियां दी गई हैं, 162 या 166, मुझे थोड़ा कन्फर्म नहीं है, 162 ही होगा, जिसके अन्तर्गत हम वो सारे अधिकार कानून बनाकर करते हैं, उसी प्रकार के आदेश से, नोटिफिकेशन से, ऑर्डर से हम उस प्रकार का रिजर्वेशन कर सकते हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का है, उस प्रकार का हमारा आशय था। इसलिए जब एक बार कानून बना रहे हैं और हमने तय किया कि हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे सदन की भावनाओं से अवगत कराएंगे कि इसको नाइंथ शिड्यूल में डाला जाए ताकि उसके बाद में कोई सा भी वर्ग इससे वंचित नहीं रहेगा। इसलिए हमने इसमें शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, विशेष पिछड़ा वर्ग और इकोनोमिकली बैकवर्ड को इसमें जोड़ने का तय किया है।

फिर दूसरी सबसे बड़ी बात आयी कि इंदिरा साहनी के मुकदमे के कारण से हो सकता है कि हमको इसका नुकसान उठाना पड़े। मैं कहना चाहता हूं कि इंदिरा साहनी का जजमेंट, उसको अगर परिपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखें, उसके नौ जजों के जो अलग-अलग निर्णय हैं, अलग-अलग बिन्दु पर उनकी अलग अलग बातें अपन पढ़ें तो पढ़ने से लगेगा कि वो जजमेंट बहुत अधिक विभिन्नताओं को लिए हुए है उसमें समग्रता नहीं है। लेकिन उसमें कुछ बातों की समग्रता है और उस जजमेंट का एक पैरा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं उससे ही हमारा रास्ता निकला है। उसमें उन्होंने कहा है – "While 50% shall be the rule, it is necessary not to put out of consideration certain extraordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far-flung and remote areas, the population inhabiting those areas might on account of their being out of the mainstream of the national life and in view of conditions peculiar and characteristic to them need to be treated in a different way. Some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and special case made out."

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहता है कि एक महान देश बहुत अधिक विभिन्नताओं को लिए हुए है, लेकिन बहुत अधिक विभिन्नताओं में भी एकता को समाहित किये हुए यह देश है। जब गुर्जर आंदोलन चल रहा था हम जाकर एक बार देवनारायण भगवान की जय बोलते थे, उसमें हम किसी भी जाति के जाते थे तो हमारी जय का उत्तर वो जय से ही देते थे, मना नहीं करते थे। वहां जाकर अगर हम कोई गिरिराज महाराज की जय बोलते थे तो उसका उत्तर वो उसी से देते थे। तो विभिन्नताओं में भरा हुआ यह देश जो है उसमें एकता भी है। बहुत दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने कोई इतना-सा काम नहीं किया, मैं उन बातों की ओर नहीं जाना चाहता। मैं उस समस्या पर, मैं उन बातों पर विचार इसलिए नहीं करूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दे दी थी कि बंसल कमीशन बना हुआ है आयोग बना हुआ है, वो सारी घटनाओं की जांच कर रहा है। उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन राज्य सरकार ने उन सारी घटनाओं के बाद में उन सब लोगों से बैठकर बातचीत की। राज्य सरकार का मानना है, हमारे मंत्री लोग गये हैं। मृतकों को जो कुछ सहायता हम कर सकते थे, वो की। आदमी जो मरे हैं उनको कोई वापस नहीं ला सकता लेकिन जो चले गये हैं, उनके जो पीछे रह गये हैं, उन लोगों की पूरी सेवा करना, उनके दुःख को कम करने का कर्तव्य राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने उस कर्तव्य में कोई कोताही नहीं की है। चाहे उनको अनुदान सहायता देने का हो, चाहे नौकरी देने का हो, और चाहे उसके लिए एक विशेष कमेटी बनायी है रामदास जी अग्रवाल की अध्यक्षता में, गृह मंत्रीजी भी जिसके मैंबर हैं और भी मैंबर हैं। देवनारायण बोर्ड का गठन किया है। 287 करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज उसके लिए तैयार किया है 14 पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके लिए तैयार किया है।

यह गुर्जर आंदोलन कोई मुख्य मंत्रीजी के आने से या मुख्य मंत्रीजी के समधिन बनने से पैदा नहीं हुआ है। समधी तो सब बनते हैं, मैं भी बना हूं किसी का समधी। आप भी किसी के समधिन-समधी बनते ही हैं। अब ये गुर्जरों के बन गये। इनके लड़के की वहां शादी हुई तो उन्हीं के बनेंगे। तो इसके कारण से कोई गुर्जर आंदोलन शुरू नहीं हो गया। गुर्जर आंदोलन की अगर पृष्ठभूमि देखें, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कहना चाहता हूं कि इनकी राजस्थान में जनसंख्या तीस लाख है और इनमें से 9.46 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं जो बीपीएल परिवारों की सूची में राजस्थान में दर्ज हैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

24 लाख बीपीएल परिवारों में से। गुर्जर समुदाय बहुत वर्षों से संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत मांगता रहा है, लेकिन 1 जून, 1965 को बी.एन. लोकुर जो सचिव थे भारत सरकार के उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और उन्होंने कहा कि इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया तथापि ये विशिष्ट सहायता के हकदार हैं । इन्हें केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में ही समझना उपयुक्त नहीं होगा, ये अन्य पिछड़ा वर्ग को उपलब्ध सहायता से अधिक की अपेक्षा रखते हैं। समिति द्वारा गुर्जर और बंजारा समुदाय को विशिष्ट सहायता का हकदार माना। लोकुर ने कहा कि ओबीसी में आप इनको ले रहे हो, लेकिन ओबीसी से इनका काम नहीं चलेगा, ओबीसी से इनको विशिष्ट चाहिए। इसलिए हमने विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में इनको स्थानांतरित किया। इसके बाद में हम यहीं नहीं रुके, इसके बाद हमने जसराज चौपड़ा समिति बनाई। उस समिति ने जाकर इसका पूरा अध्ययन किया तीस लाख लोग जो तेरह तहसीलों में रहते हैं, उनकी दयनीय स्थिति थी। उस दयनीय स्थिति से उनको निकालना था। निकालने के लिए आवश्यक था कि तुरंत जो कुछ कर सकते हो तो करें। अब लोग कहते हैं कि इतनी देर क्यों कर दी? चुनाव आने तक की देर क्यों कर दी? देर नहीं की। पहले जसराज कमेटी की रिपोर्ट आयी, रिपोर्ट के बाद में रामदासजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी उसका मैं भी मैंबर था, डा. दिगम्बर सिंहजी भी मैंबर थे उसने पूरा एक पैकेज तैयार किया और इस बीच में ही ये घटनाएं घटित हो गईं। उसके बाद में इस सबका रास्ता निकाल कर यह काम किया। यह आंदोलन 1961 से शुरू हुआ इसको दोष नहीं दे सकते। हमारे देश में आंदोलन बहुत लंबे समय से चलते हैं। लेकिन यह आंदोलन प्रबल हुआ 25 मई, 1976 में, धौलपुर में। धौलपुर की मीटिंग में कौन-कौन थे? ए सी शुक्ला पहले जो मुख्य मंत्री थे मध्यप्रदेश के, पी सी सेठी मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री, शिवचरण माथुर साहब जो राज्यपाल बन गये हैं, जो हमारे विधायक थे, जगन्नाथजी पहाड़िया और आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री श्री ब्रह्मानंदजी रेड्डी को भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। उन्होंने अपनी सारी बातें उनको कहीं और उसके बाद में शिवचरण माथुरजी ने एक कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद दो जातियों-गाड़िया लुहार और बंजारो को तो शामिल करने के लिए उन्होंने चिट्ठी भेज दी और गुर्जरों की चिट्ठी को रोका। इस प्रकार दोनों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जातियों को भी जिनको एसटी में भेजा गया, उनका भी अधिकार मिल गया कि ओबीसी से बाहर आकर उनको विशिष्ट मिलना चाहिये, इसलिए हमने गाड़िया लुहार, बंजारों को शामिल कर लिया। फिर रायका और रैबारी जो बाहर जाते हैं, घूमते हैं, उनके पशु चरने जाते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, इसका बोर्ड भी हमने बनाया, उसका अध्ययन भी किया। उसके बाद हमने तय किया कि एक, दो, तीन, चार जातियां तो इसी में आ जाएं और बाकी आगे जो कुछ भी उसमें करना होगा राज्य सरकार इस काम को करेगी इसलिए इन चार जातियों का विशिष्ट वर्ग बनाया गया। यह इसकी पृष्ठभूमि है। जो आंदोलन उसके बाद चला कालेसकरजी का आयोग बना था उन्होंने केवल अजमेर के गुर्जरों को ओबीसी में शामिल करने की बात की लेकिन श्री भैरोंसिंह शेखावत की जब आई तो 1994 में सम्पूर्ण राजस्थान के गुर्जरों को भी इसमें शामिल करने का तय किया और उससे आगे बढ़कर किया। वह फैसला भी हमने किया था और यह फैसला भी हम कर रहे हैं। यह समधन के कारण से नहीं कर रहे। भैरोंसिंहजी समधी नहीं थे तो उन्होंने भी किया, हमने भी किया। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर जोड़ने की आवश्यकता हमने किया। गहलोत साहब के टाइम में भी आंदोलन चला, मंत्री थे, चार-चार मंत्री, गुर्जर मंत्री जो उस समय थे उनका स्टेटमेंट भी है, मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता। 18 अगस्त को भी आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन की पृष्ठभूमि चलते चलते आज हम यहां तक आये। चौपड़ा कमेटी बनी। सारा किया, पृष्ठभूमि इसलिए बताई कि गुर्जर आंदोलन के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बहुत लंबे अर्से तक इसमें लोगों की मांग रही है । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में जो 5 प्रतिशत आरक्षण मिला इस आरक्षण के बाद इनकी दशा सुधरेगी। 287 करोड़ का जो पैकेज दिया गया वह उसमें साथ है। और इस प्रकार से हमने समाज की एकजुटता के लिए काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया, शिड्यूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब को लेकर एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग, जो नया वर्ग हम बनाने जा रहे हैं, सब जानते हैं पी वी नरसिंहरावजी ने दस प्रतिशत के लिए बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। लेकिन इस पर असहमत कौन है, और यह फैसला इसका सफल क्यों नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही, समर्थन कर रही है। सिन्हा की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्षता में आयोग बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहती है, बातचीत में कहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधान मंत्री थे तो उन्होने लालकृष्ण आडवाणीजी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। जो उनके बाद हम सिफारिश करें, हम खुद जाकर अटल बिहारी, कल्ला साहब, आपको भी ध्यान होगा, शर्माजी नहीं हैं भंवरलालजी, पहले गये थे और जाकर कहा था, दस तारीख को अटलजी की रैली थी, उन्होंने आयोग के गठन की घोषणा की तो उन्होंने ...(व्यवधान) वाई सिंह चेयरमैन, गठित की और उन्होंने कहा कि हम इसका रास्ता निकालेंगे, उन्होंने किया।

इसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है। अभी अमरारामजी कह रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी इस बात को कहती है। लोक जनशक्ति पार्टी भी कहती है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी कहती है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी भी कहती है। आज लोक सभा में 400 मैम्बर्स हैं, सब पार्टियों के मिलाकर, वे कहते हैं, इकोनोमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं जो इकोनोमिकली गरीब हो गये हैं उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिये। इस बात से सिद्वाततः सब राजनीतिक दल सहमत है लेकिन पहल नहीं हुई। पहल राजस्थान में हुई, राजस्थान ने पहल की। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की यह पहल और इसके साथ हम नाइंथ शिड्यूल में डालने का प्रस्ताव जो पास करेंगे, वह भारत सरकार के पास भी जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जाएगा कि सारे के सारे लोग एक मत हैं, यह चाहते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई लड़ाने के लिए थोड़े ही है? सुप्रीम कोर्ट हमारी भावना की कद्र करके उसको समाहित करने के लिए है इसलिए इकोनोमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी का जो प्रश्न है, वह भी हल हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अगर तथ्य बताऊंगा तो आपको होगा, नेशनल सेम्पल सर्वे आफ इंडिया है, मैं ये तथ्य विधान सभा की प्रोसिडिंग में आना जरूरी है इसलिए ला रहा हूं, अनारक्षित जातियों में लगभग 93.6 प्रतिशत जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय 950 रुपये से कम है। इसमें भी 17 प्रतिशत आबादी की मासिक आय 300 रुपये प्रति व्यक्ति से भी कम है। वार्षिक आय है 23222 रुपये हैं इस प्रकार से इकोनोमिकली बैकवर्ड, जो वंचित अनारक्षित वर्ग जिसको कहा है राजस्थान में उनके परिवार 2 लाख 16 हजार हैं और बीपीएल में शामिल हैं 6 प्रतिशत इसलिए आज हम केवल इसलिए कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, इसने राजपूत के घर में जन्म ले लिया, इसने बनिये के घर में जन्म ले लिया, इसने कायस्थ के घर में जन्म ले लिया, मुसलमान के घर में, सिक्ख के घर पैदा हो गया , मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, 6 प्रतिशत लोगों में मुसलमान भी हैं, कोई ब्राह्मण, बनिये, राजपूत और कायस्थ ही नहीं है। यह जो अनारक्षित वर्ग को जो हमारा सिद्धान्त है, अनारक्षित वर्ग में केवल वही नहीं आएंगे, जिनका शिड्यूल्ड कास्ट में आरक्षण हो गया, जिनको शिडयूल्ड ट्राइब में आरक्षण हो गया, जिनका ओबीसी में आरक्षण हो गया है, जिनका विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हो गया है, उनसे वंचित जितने भी गरीब लोग हैं, जिनके एक आय की सीमा है उन गरीबों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण है। जब हमारा प्रिएम्बल कहता है सोशियली, इकोनोमिकली, पोलिटिकली, तो क्लास की परिभाषा केवल यह कैसे कर सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास का मतलब केवल कास्ट ही है? कास्ट को कब से यहां शामिल कर दिया गया? इसलिए हम चाहते हैं कि यह सामाजिक समरसता का कानून है? उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर हमको यह कहना चाहिये और इसलिए हमने इस बात को किया।

कर्नाटक में मांग उठी, कर्नाटक के मंत्री, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जो कर्नाटक विधान सभा में कहा उसको आपको बताता हूं। बताया कि ब्राह्मणों की प्रति व्यक्ति आय कर्नाटक में अनूसूचित जाति से भी अत्यधिक कम है। अनारक्षित वर्ग की आर्थिक स्थिति दयनीय है, यह कर्नाटक की विधान सभा में कहा था। हम राजस्थान में वो स्थिति पैदा करने दें? क्या हम राजस्थान में उसका इंतजार करें ? इसी प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से भी करेंगे तो राजस्थान में केवल 8 प्रतिशत लोग इन अनारक्षित जातियों में ग्रेगुएट हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि ब्राह्मण के घर में, बनिये के घर में या किसी मुसलमान, सिक्ख, ईसाई के घर में पैदा हो गया। वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की।

आज मैं एक उदाहरण और देता हूं, तमिलनाडु में 1921 से आरक्षण की व्यवस्था है। आंकडा जो वहां की विधान सभा में दिया, सुनेंगे तो आपकोआश्चर्य होगा। वहां के मेडिकल कालेजों में इन सब जातियों के लोग जो अनारक्षित हैं, केवल 1.9 प्रतिशत हैं, जबकि उनकी जनसंख्या 13 प्रतिशत है वहां पर। क्या हम इंतजार करें इस बात का कि ह म आरक्षण का लाभ दे पिछड़े तबको को, गरीब को, अनारक्षित को लेकिन क्या इंतजार करे इस बात

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का जो दूसरे वंचित लोग हैं वे ह इस स्टेज में पहुंच जाएं उसके बाद हम कदम उठाएं? उसके पहुचने से पहले ही हमने यह कदम उठाया है। और जातियों में ऐसी बात नहीं है कोई जाति कहां है, अलग-अलग जातियां अलग-अलग भाग में, दो जातियां ऐसी हैं जो यहां पिछडी मानी जाती हैं और वहां अगड़ी मानी जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सभा में कहा था कि हम जो लोग हैं, हमारे जो जजमान हैं, वे तो पिछड़े में चले गये हम अगडे कहां से हो गये। अगड़े हैं फिर तगड़े नहीं हैं। पहले तो चार वर्ण दूसरे रहे- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वह जमाना तो गया, अब नई वर्ण व्यवस्था हो गई है, अजा, जजा, पिछड़ा और अगडा और अगड़े में पिछड़ा और पिछड़े में अगडा यह एक नया। अगड़े में भी तगड़ा कौन है। फिर लंगड़ा कौन है, विकलांग, इसका भी अलग से है। तो यह सारा रगड़ा, इसको मिटाने के लिए हम इस स्टेज पर जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र का उदाहरण दूं, महाराष्ट्र में विश्वकर्मा, जांगिड़ जाति जिसे हम राजस्थान की कहते हैं, वह अग्रणी जाति में है लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत में पिछड़ी मानी गई। मैं आपको यह कहता हूं, यह बनिया जाति जो है जिसके हमारे कालीचरणजी सर्राफ हैं, ये भी फतेहपुर के रहने वाले हैं और सुशील मोदीजी जो बिहार के उप मुख्य मंत्री हैं, वह भी वहां के रहने वाले हैं। हमारे रामदासजी हैं, उनके भी भाई-बन्धु फतेहपुर के रहने वाले हैं। सर्राफ परिवार ये यहां तो अग्रणी जाति बन बैठे हैं और वहां जब सुशील मोदी को उप मुख्य मंत्री बनाया तो लिखा, एक पिछड़ा वर्ग का आदमी उप मुख्य मंत्री बना। तो यह तो अगड़े और वहां पर पिछड़े। तो यहां तो अलग -अलग स्थानों पर सब अलग-अलग हैं। इसी प्रकार से गौड़ जाति जो है वह केन्द्रीय सूची में तो ओ.बी.सी. में है लेकिन दक्षिणी राज्यों में सामान्य है। दांगड़ है, धाकड़ नहीं, दांगड़, महाराष्ट्र में ओ.बी.सी. में और कर्नाटक में सामान्य है। जब जाटों की चर्चा हुई थी, जुबेर खानजी को आपत्ति हो गई थी कि जाटों को...। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपत्ति नहीं हुई थी। मैं यह कह रहा था कि जितने परसेंटज हैं उतना करो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तो चलो, नहीं हुई तो बहुत बढ़िया बात है। (व्यवधान) बैठो, बैठो, कभी-कभी मजाक भी कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिया करो। एकदम से खड़े हो जाते हो। चमका मत करो, मैं तो बार-बार नाम ले रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, आपने कहा विरोध, मैं विरोध नहीं कर रहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विरोध किया तो मजबूती दिखाओ न, विरोध किया मैंने। अब क्यों डरते हो? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): लेकिन जाट जो हैं, पंजाब में और हरियाणा में सामान्य हैं, राजस्थान में और दिल्ली में ओ.बी.सी. में हैं। अब हैं। कायस्थ जिसे कहते हैं अपन, वे तमिलनाडु में ओ.बी.सी. में हैं और उत्तर भारत में सामान्य हैं। राजपूत, ओ.बी.सी. में हैं और कर्नाटक में हैं। केवल एक ही बात बाकी है जो सबसे मजबूत मानता हूं, सबसे तगड़ी मानता हूं, जो कहीं भी हिन्दुस्तान भर में पिछड़ी जाति में नहीं है, वह बेचारा गरीब ब्राह्मण है। इसलिये उसको ई.बी.सी. में शामिल कर लिया गया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बांगड़ा ब्राह्मण और जांगिड़ ब्राह्मण, वह तो हैं। प्योर ब्राह्मण नहीं हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, प्योर ब्राह्मण भी हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हिन्दुस्तान में राज तो आप ही करते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अपने स्वार्थ की बात हो रही है यहां पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मैं दूसरी बात यह कहता हूं कि...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कहां नहीं हो? सब जगह हो ब्राह्मण। हम तो सब जगह आपको मानकर चलते हैं, जन्म में, शादी में, मरने में हम तो अग्रणी रखते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उस जगह हमारा आरक्षण है। हम तो पहले ही आरक्षित वर्ग में हैं। जीमने में आरक्षण है, पिण्ड दान कराने में आरक्षण है, वह तो है ही। शादी-ब्याह कराने में आरक्षण है। इसलिये मैं कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह महावीरजी कौनसी उसमें हैं? इनका तो बताओ, ये कहां हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): महावीर हैं ये तो, अगड़े भी हैं और तगड़े भी हैं, दोनों ही हैं।

दूसरा, एक प्रश्न जो उठाया गया है आरक्षण की भूमिका बताऊं, आरक्षण की कोई सीमा 50 प्रतिशत हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वह सारे राष्ट्रीय कानून के रूप में देखा जाता है। लेकिन और बहुत से आरक्षण हैं, जैसे मूल निवास के आधार पर हम राज्यों में आरक्षण करते हैं, 100 प्रतिशत आरक्षण। अपने राजस्थान में भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से होने वाली परीक्षाओं को छोड़कर, जितनी भी हैं, उनमें 100 प्रतिशत आरक्षण है। इसी प्रकार से हमने लिंग के आधार पर महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण किया है, अब 50 प्रतिशत कर दिया। स्वतंत्रता सेनानियों के लिये कर दिया, विकलांगों के लिये किया, खिलाड़ियों के लिये किया, अनिवासी भारतीयों के लिये किया, भूतपूर्व सैनिकों के लिये किया, मृत सैनिकों की विधवाओं के लिये किया, शरणार्थियों के लिये किया, विधवा परित्यक्ताओं के लिये किया। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण का जो हमारा कानून है, यह कानून राजनीतिक इच्छा-शक्ति के साथ में सम्पूर्ण राज्य की अपनी विधान सभा के साथ, और सम्पूर्ण राज्य की जनता की इच्छाओं के अनुरूप जब जाएगा, इसका प्रस्ताव जाएगा और जब किसी कोर्ट में मान लीजिए चैलेंज भी होगा तो मैं कह रहा हूं चैलेंज में डरने की क्या आवश्यकता है। आज 50 प्रतिशत की समा आवश्यकत। है तो वह तमिलनाडु में लागू क्यों नहीं है? 69 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में 52 प्रतिशत, झारखण्ड में 73 प्रतिशत, उड़ीसा में 70 प्रतिशत है। जब हिन्दुस्तान में कानून ही है और एक्सीड कर सकते हैं और जब राज्यों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के हिसाब से कहा गया है तो हम भी इसमें एक्सीड कर सकते हैं। एक्सीड करने का हमारा अधिकार है। राज्य की जनता के हित में है। इसका फार्मूला आएगा, उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत साफ है। इसमें किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है। इसको अगर नाम दिया जाए तो यह आरक्षण है, सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय। यह बहुमत हिताय नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कैसे। जैसे शिड्यूल्ड कास्ट का 16 प्रतिशत है।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): अब उसे 17 करें, साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बताऊंगा मैं, उस पर आ रहा हूं। सारे पाइण्ट टच कर लूंगा मैं ताकि उसको अपन स्पष्ट कर लें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

16 प्रतिशत है और 32 प्रतिशत खुला हुआ है तो 16, 32, 48 में इनकी भागीदारी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दो प्रकार के रिजर्वेशन हैं। एक रिजर्वेशन है सीटों का, विधान सभा और लोक सभा की सीटों का। वह प्रपोर्शनल रिप्रजंटेशन से है। और एक रिजर्वेशन है नौकरियों में, उसके लिये एडिक्वेट शब्द का प्रयोग किया गया है। अपनी जो जनसंख्या है एस.सी. की, वह मैंने बताया, 17 प्रतिशत है और भारत में भी मैंने बताया 16.98 प्रतिशत है। इस पर कोई एक बहुत बड़ा राइडर है कि शिड्यूल्ड कास्ट में किसी को इनक्लूजन और एक्सक्लूजन का, और ट्राइब में भी, वह रिपोर्ट जब आएगी दोनों आयोगों की, भारत सरकार ने आयोग को भेज दी है। हमने इस पर विचार किया था बनाते समय, जो रिपोर्ट आएगी, राज्य सरकार जिस प्रकार की रिपोर्ट आएगी राज्य सरकार उस प्रकार का उस पर निर्णय निश्चित रूप से करेगी, मैं यह आपको इसमें बताना चाहता हूं। किसी को छिपाने की या बात करने की बात नहीं है। भारत सरकार ने अभी नहीं किया है। भारत सरकार में 17 प्रतिशत है और 15 प्रतिशत आरक्षण है। उनके यहां भी आयोग की रिपोर्ट चली गई है और उस पर मंत्रिमण्डलीय समिति का अध्ययन हो रहा है। ज्योंही मंत्रिमण्डलीय समिति में इस बारे में रिपोर्ट आयेगी, सब राज्यों में जिस प्रकार होगा, राजस्थान सरकार भी निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

तो आन्दोलन में तय हुआ- 1921 के आन्दोलन में तय हुआ तमिलनाडु में, 1932 के पूना पैक्ट में तय हुआ, 1935 के डिप्रैस्ड क्लास का जो वर्ग हुआ, उसके लिये हुआ। 1950 में संविधान में हुआ। फिर 1953 में काका कालेलकर पिछड़ा आयोग बना, उसमें हुआ। फिर मण्डल कमीशन आया उसका हमने देखा। पिछड़ी जातियों की संख्या 2006 में जो 2297 थी, मण्डल आयोग से यह सूची अब 60 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है, तो लोग उसमें जाते रहते हैं। इसकी एक प्रक्रिया है कि जो जातियां बच गई हैं वे भी उस प्रक्रिया में उसमें जब आएंगी तो इसमें देखा जाएगा। इसलिये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह जो सारा काम किया है उसमें दो बातें स्पष्ट हैं। एक बात तो यह स्पष्ट है कि निश्चित रूप से यह पूर्ण रूप से सही विधान है। और एक जो सम्भावना व्यक्त कर रहे थे, हमने इसी में, सैक्शन 9 में और सैक्शन 10 में इस प्रकार की व्यवस्था की है। सैक्शन 9 में है कि यह कोई अल्प करने वाला नहीं है, एडिशन करने वाला है। जिन वर्गों को जो सुविधा मिल रही है उसमें इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कानून से कोई कमी नहीं होगी, बल्कि एड होगा। और तीसरा जो सैक्शन 10 है, उसमें तीन क्लाज हैं। एक क्लाज में साफ-साफइस सम्बन्ध में आज तक राज्य में जितने आर्डर, आदेश निकले हैं उन सारों को संरक्षित कर दिया गया है। एक जो प्रक्रिया शुरू हो गई एडमिशन की, उस प्रक्रिया को हम रोकना नहीं चाहते थे, अब प्रक्रिया शुरू हो गई है उसमें रिजर्व इस प्रकार से। और उसी प्रकार से सैक्शन 10 के सब सैक्शन 3 में जो अपना जनजाति क्षेत्र है, उसमें जो अलग प्रकार का आरक्षण बना हुआ है, उस आरक्षण को भी इसमें प्रोटैक्ट किया गया है। इसलिये किसी भी प्रकार से किसी भी उसके लिये इसमें कमी नहीं रखी गई है। बैकवर्ड की परिभाषा में, अच्छा एक प्रश्न आया, कि आपने इसको पिछड़ा वर्ग क्यों लिखा। वह इसलिये लिखा कि संविधान में बैकवर्ड क्लास शब्द लिखा हुआ है, ओ.बी.सी. नहीं लिखा हुआ है। ओ.बी.सी. कब से होने लग गया? जब देखा कि बैकवर्ड क्लास में ही एस.सी. है और बैकवर्ड क्लास में एस.टी. है, तो फिर उनसे अलग। हमारा जो आयोग है वह भी पिछड़ा वर्ग आयोग है, बैकवर्ड क्लास ही है। और भारत सरकार का भी जो आयोग है वह भी पिछड़ा वर्ग ही है। अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है। अन्य प्रचलन का शब्द है, एस.सी. और एस.टी. को छोड़कर जो पिछड़ा वर्ग है, इसलिये उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिये इस एक्ट में पिछड़ा वर्ग, यह लिखा गया है। यह मैं इसको आपको स्पष्ट करना आवश्यक समझता था।

इसी प्रकार से यह भी कहा गया कि संविधान की नवीं अनुसूची में एस.सी. और एस.टी. का हमारा तो कोई एक्ट ही नहीं था। संविधान की नवीं सूची में कोई भी एक्ट या किसी स्टेट का नहीं है। केवल तमिलनाडु जो एक्ट है, वह प्रविष्ट संख्या 257-ए पर आरक्षण अधिनियम तमिलनाडु का सम्मिलित है। इसलिये इसमें किसी भी प्रकार की एस.सी. और एस.टी. को, जोशीजी, जो आपने बात बताई थी 38, 46 और 16, 4, 4-ए, मैं समझता हूं उसका सार करीब-करीब इसमें आ गया है। मैं इसमें ज्यादा लम्बा आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। और माहिर साहब, आपने जो बात कही थी वह भी आ गई है, जोशीजी साहब की बात भी इसमें आई, चौधरी हेमारामजी की, संयम लोढ़ा साहब ने जो बात कही, वह भी आई है। सबका करीब-करीब, जितने भी। जुबेर खान साहब और बी.डी. कल्ला साहब ने बैकलॉग की और सारी बातें कीं, मैं बता दूं कि बैकलॉग के बारे में राज्य सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दे दिये हैं। पहली सरकार है' मैं कह रहा हूं, आज इसमें कालीचरणजी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को धन्यवाद दो, चाहे मुझे दो, किसी को भी दे दो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी नौकरियां लगी हैं उसमें पूरा-पूरा एस.टी, ओ.बी.सी., शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण पूरा कर दिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी-अभी 237 नये टीचर्स की मंजूरी के लिए हमने कहा है यूनिवर्सिटी के लिए ... (व्यवधान) दे दी, वह जो जब एक्ट आया, उसके अन्तर्गत जिन लोगों का हो रहा है, उसके कारण से जिन लोगों का बैक-लॉग है, उसके लिए नयी निकालने की मंजूरी दी है। इसलिए किसी भी कीमत पर सरकार की मंशा नहीं है। लेकिन जितना बैकलाग, जितना समय है, ज्यों-ज्यों नया-नया इसमें आएगा, उसमें पूरा होता जाएगा। इसी प्रकार पुलिस की भर्ती में करीब-करीब हो गया। पुलिस में भी जितनी भर्तियां हुई हैं, उसमें बैकलाग पूरा हुआ है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के सभी माननीय सदस्यों को मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल यह उनकी ही चिन्ता नहीं है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब, हमारी सबकी चिन्ता है और हम सब लोग उसमें मदद करना चाहते हैं। उसमें भी पूरा हुआ है, इसलिए मैं इस संबंध में और कोई ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता। (व्यवधान) वह करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे सदन की यह राय है, मैं चाहूंगा, यह तो आपसे आग्रह करूंगा कि जनमत जानने का जो प्रस्ताव था उसको निरस्त किया जाए और इसको विचारार्थ लिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय : 20.29 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

बोल दिया क्या इन्होंने विचारार्थ का?

प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक

(श्री अध्यक्ष)

संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2, श्री मदन राठौड़ और श्री दाताराम गुर्जर, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे क्या आप?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय विधि मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद कुछ शेष रह नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष: कुछ नहीं रहा शेष अब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि संवैधानिक उपबंध है उसमें भी अन्य पिछड़ा वर्ग का उल्लेख है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कह दिया न, नहीं है। बी.सी. है ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, है मेरे पास।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं बोल रहे लेकिन, वह तो बोल रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यही नहीं, 28 फरवरी, 2001 को आयोग का जो गठन हुआ वह भी राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग है। बी.सी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका कहां है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यदि ऐसा है तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: आपका कहां है? मेरे सामने तो नहीं आया। खण्ड-2 में आपका कहां है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात कहूंगा। देखो, एक तो आखिरी सत्र है, आखिरी दिन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका तो खण्ड-4 में है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कौन जीतकर आए, कौन जीतकर नहीं आए इसलिए बात तो कह लेने दो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कल और है।

श्री अध्यक्ष: आपका खण्ड-4 में है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हरिमोहनजी, कल और है, कल बताना प्रतिभा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं बात करूंगा, यहां विधान सभा की लाइब्रेरी से लेकर आया हूं। मैं लाइब्रेरी से लेकर लाया हूं। विधान सभा की लाइब्रेरी से लाया हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका खण्ड-2 में नहीं है। आपका प्रस्तावना में है, वह लास्ट में आएगा। तो आप, राठौड़ साहब, अपना वापस ले रहे हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, वापस ले रहा हूं?

श्री अध्यक्ष: आप भी वापस ले रहे हैं।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): हां।

श्री अध्यक्ष: हां।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, प्रभारी मंत्री, आप संशोधन करेंगे प्रस्तुत? हां, करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड-3 में निम्नलिखित संशोधन करना चाहता हूं। राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008, के खण्ड-3 में निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोड़ी जाए अर्थात् :-

'तथापि शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रीमी लेयर का उपबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर लागू नहीं होगा।'

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मंत्री महोदय के संशोधन के बाद वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, तो आप नहीं पेश कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

बात एक ही है। अब ठीक है। अब संशोधित है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-4, प्रभारी मंत्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-4 में उप खण्ड-3 के अन्त में निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोड़ी जा :-

'तथापि शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रीमी लेयर का उपबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर लागू नहीं होगा।'

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा। नहीं, खण्ड-4 में है इनका। नहीं, खण्ड -4 में भी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक के खण्ड-4 के (2) (1) में प्रयुक्त शब्द 'सोलह' के स्थान पर शब्द 'सत्रह' एवं प्रयुक्त शब्द 'बारह' के स्थान पर शब्द 'तेरह' प्रतिस्थापित किया जाए। मैं संक्षेप में, पांच मिनट में मेरी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपके संक्षेप का भी मालूम नहीं है कि कितना बड़ा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): साहब, एक तो आपकी अध्यक्षता में यह आखिरी सत्र है। कौन इनमें जीतकर आएंगे और कौन नहीं आएंगे, तो बोल तो लेने दो, साहब। जिन्दगी भर याद रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, डैमोक्रेसी में कोई कह सकता है क्या?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं विधि मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावनाओं के अनुरूप राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजस्थान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो आपने अपनी बात रखी, आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन मुझे इस बात का दु:ख रहा कि जो संवैधानिक मुद्दे, माननीय विधि मंत्रीजी, आपके सामने सदन में प्रस्तुत किये गये, आप उनका जवाब नहीं दे पाएं। आप उनका अगर जवाब देते, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपका भाषण बहुत अच्छा है, अख़बार के हिसाब से, जनता के हिसाब से, मुख्य मंत्रीजी को खुश करने के हिसाब से अति महत्वपूर्ण। लेकिन जो वैधानिक आपत्तियां आपके सामने की गयी थीं उन वैधानिक आपत्तियों का, एक आपत्ति का भी आप जवाब नहीं दे पाये। मैं संक्षेप में आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि पचास प्रतिशत का जो मुद्दा उठा था ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह इस पर चर्चा नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर जो खण्डश: विचार होता है, इसमें जो वह संशोधन देते हैं, उसके अलावा यह थर्ड स्टेज पर कह सकते हैं, यह जनमत पर कह सकते थे। इस पर तो आप इतना ही कह सकेंगे, इस पर नहीं कह सकते। यह संविधान की सीमाएं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस पर जो है ... (व्यवधान) आप सुन लो न। आप सुन लो, सुनने में कहां, हमने तो बत्तीलालजी का सारगर्भित भाषण भी सुना था।

श्री अध्यक्ष: हां, थर्ड स्टेज पर कह सकते हैं। माननीय सदस्य, आप तीसरी स्टेज पर जब पारित का कहें तब कह सकते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं थर्ड स्टेज पर बोल लूंगा। हां-हां, मैं थर्ड स्टेज पर बोल लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब पारित होने का प्रस्ताव रखेंगे जब आप कह सकते हैं, अभी नहीं कह सकते। अभी नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ठीक है, ठीक है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं थर्ड स्टेज पर बोल लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस पर तो बोल लूं? मैं इस पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि आपके सामने केन्द्र सरकार ने ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कागज मिस हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं हुआ। केन्द्र सरकार ने आपके सामने प्रस्ताव भेजा था सन् 2005 कि एस.सी. और एस.टी. का 12 से 13 किया जाए और 16 का 17 किया जाए। वह आपके पास सन् 2005 में आ चुका था। आज जब हम बैकलाग की बात करते हैं, उधर से एस.सी, एस.टी. के हों चाहे इधर से हों, हम सब लोग इस बात के लिये खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि एस.सी; एस.टी. वर्ग के जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वे इस मुद्दे पर अपनी आवाज भी नहीं उठा पाये और आपके सामने अपने तर्क नहीं रख पाये। मैं कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली की सरकार, भारत सरकार ने यह निर्देश दे दिया और यह कहा आपसे सन् 2005 में, कि इसको 16 से 17 करो और उसको 12 से 13 करो, तो क्या कारण थे कि राजस्थान सरकार ने उस वर्ग को, उस क्लास को उनका जो प्रतिशत है, वह नहीं बढ़ाया? अन्तर नहीं पड़ता। 68 तो आप गैर-कानूनी ढंग से कर ही रहे हो, 68 का 70 हो जाता, कोई आसमान नहीं टूट जाता। लेकिन आप जो अनुसूचित जाति और जनजाति की वकालत करने के लिये बड़ी-बड़ी डींगें हांक रहे हो कि हमने बैकलाग भर दिया, हमने अनुसूचित जाति का यह कर दिया, आपने उस चीज को देखा तक नहीं और पूरे 3-4 साल तक आप उस कागज को दबाकर बैठ गये। मेरा विनम्र अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा है वह राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में है कि यह अत्यन्त पिछड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्ग, इनका राजस्थान में एक प्रतिशत और बढ़ाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये बहुत बड़े-बड़े काम करने का जो ढिंढ़ोरा पीट रहे हैं, वह इसमें भी पीछे नहीं रहेगा और 12 का 13 और 16 का 17 कर देंगे, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बहुत अच्छे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विचारार्थ पर यह बात आई थी, जिसका मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं कि संविधान ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इन तीनों के और सुन लें, फिर दे देना साथ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यही बात है क्या तीनों में?

श्री अध्यक्ष: क्या पता, क्या बात है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): चलो, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती

(अनुपस्थित), डा. सी. पी. जोशी

(अनुपस्थित), नहीं बोलना चाहते। श्री मदन राठौड़, वापस ले रहे हैं। अब आप बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि राज्य सरकार की इस पर नाइत्तफाकी नहीं है, लेकिन बात सुन लीजिये आप। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये संसद और विधान सभा में जो आरक्षण है, वह आरक्षण तो प्रपोर्शनल है। उसके हिसाब से हमारे एस.सी. और एस.टी. की सीटें डिलिमिटेशन के आधार पर बढ़ गयीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमश: 16.98 है और 8.8 है, जबकि भारत सरकार में अभी 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार इनके लिये एक आयोग बना हुआ है अनुच्छेद 338(9), 383 ए(9) के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित किसी भी नीति में परिवर्तन से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से विचार-विमर्श करना बाध्यकारी है। इसलिए इन जातियों के आरक्षण की सीमा के लिये उसी प्रकार आयोग की रिपोर्ट के बाद में भारत सरकार ने तीन वर्ष पहले ही, ढाई वर्ष हो गये करीब, मंत्रिमण्डल समिति बना दी। उस समिति की जब रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर जो भी कार्यवाही होगी, राज्य सरकार निश्चित रूप से इन जातियों की भलाई के लिये वह काम करेगी। अत: माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें, क्योंकि उनकी और हमारी मंशा एक ही है और इस मंशा में हम सब सहभागी हैं। इसलिए आप वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष: आपने वापस ले लिया?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने जो प्रिएम्बल दिया है उसमें पापुलेशन आफ द स्टेट लिखा है। पापुलेशन आफ द स्टेट लिखा है तो जो मान्यवर हरिमोहनजी ने प्रस्ताव रखा है उसको इनक्लूड करना पड़ेगा You cannot take the shelter of Government of India. Change your Preamble. आप

(डा. सी.पी. जोशी)

आर्टिकल 38 में आ रहे हैं, प्रिएम्बल में लिख रहे हैं कि, उसकी पापुलेशन का जो रिप्रजेन्टेशन है उसके आधार पर हम कर रहे हैं। नौकरी में तो यहां पापुलेशन में एस.सी; एस.टी. का इतना है तो उसको कैसे रोक सकते हैं? Don't take the shelter of Government of India. आपके प्रिएम्बल के अनुसार एस.सी; एस.टी. की जो यहां पर पापुलेशन है, उस पापुलेशन के आधार पर निश्चित तौर पर आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। बाकी जो आप ला रहे हो, वह आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जब आपका नाम पुकारा तब आप कहां पर थे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे थे यहीं पर, बोले नहीं थे। यहीं थे।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ऐसा आदेश भी है इसमें। 2005 का आदेश है कार्मिक विभाग का।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है ..(व्यवधान) हरिमोहनजी ने विथड्रा कर लिया ना? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं किया। मैंने कहां विथड्रा किया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने नहीं किया? आपने कहा ठीक है, तो समझ गयी ले लिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, साहब, मैंने विथड्रा नहीं किया। (व्यवधान) नहीं, क्यों ले लेंगे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन श्री हरिमोहन शर्मा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप भाषण दे रहे थे न वहां बैठकर । अनुसूचित जाति और जनजाति के यहां भाषण दे रहे थे, अब सलाह दे रहे हो कि वापस ले लो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस पर डिवीजन कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन श्री हरिमोहन शर्मा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम डिवीजन चाहते हैं इस पर। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम डिवीजन चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं पुन: पुकारती हूं। मैं आपको पुन: कहती हूं। (व्यवधान) मैं आपको पुन: निवेदन कर रही हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन श्री हरिमोहन शर्मा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, हां पक्ष जीता है, हां पक्ष जीता है। आप डिवीजन करवाइये। (व्यवधान) हां पक्ष जीता है, आप डिवीजन करवाइये। (व्यवधान) हां पक्ष जीता है, आप डिवीजन कराओ।

श्री अध्यक्ष: गलत बात है, असत्य बात है, टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको काउंट कर लिया। इधर भी काउंट कर लिया, उधर भी काउंट कर लिया। अब वेस्ट आफ टाइम होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पोल खुल जायेगी। संख्या गिन लो आप। (व्यवधान) संख्या गिन लो आपकी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन जो मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया था, स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-5 से 9 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 से 9 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 से 9 स्वीकार किये गये।

खण्ड-10 मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं बोलना।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): खण्ड-10 में संशोधन कहां है? संशोधन है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-10 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-10 स्वीकार किया गया।

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि, कोई किसी को संशोधन प्रस्तुत करना है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पारित पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पारित पर बोलना।

श्री अध्यक्ष: इनका संशोधन है, संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, आल राइट। संशोधन पर बोल रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, संशोधन पर ही बोल रहा हूं दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप पारित पर बोल लेना। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): संशोधन पर तो बोलूं। यह विधेयक के प्रस्तावना पृष्ठ 2 के चतुर्थ पैरा की छठी पंक्ति प्रयुक्त शब्द राइकाओं (रैबारी/देवासी) के पश्चात् एवं शब्द को 'एक' के मध्य शब्द मिरासी, ढाढ़ी, लंगा, दमामी, मीर, मांगणियार एवं कचन प्रस्थापित किया जाए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): भील कहां से आ गये? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भील बोला ही नहीं मैं। आपके कान में मैल आ गया।

यह इसलिए रखना पड़ा कि आपने इस अन्य पिछड़ी जाति के विशेष वर्ग में अपनी पसन्द के, जिनको आप चाहते थे, उन वर्गों को रख लिया और जो वर्ग अगर आप इस प्रकार से कमीशन बिठाकर फैसला करते कि राजस्थान में इस प्रकार अन्य विशेष वर्ग में आने वाली कौन-कौन-सी जातियां, कौन-कौन से वर्ग, कौन-कौनसे व्यक्ति, कौन-कौनसे समूह हैं, अगर आप कमीशन के आधार पर यह फैसला करते तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि चाहे आपको इनके लिये 5 प्रतिशत करने के बजाय 10 प्रतिशत करना पड़ता, लेकिन इन वर्गों को आप छोड़ नहीं सकते थे। (व्यवधान) लेकिन राजनीतिक कम्पलशन के हिसाब से, राजनीतिक सोच के हिसाब से जिन-जिन समूह से आपने वादा किया है और राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनाव के हिसाब से जिन-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जिन जातियों आप अपने ढंग से, अलग-अलग ढंग से उनको जोड़ना चाहते हो, आपने राजनीतिक भेदभाव के आधार पर उन जातियों को जोड़ा है और उनको छोड़ा है जो वाकई पात्र हैं इसमें आने के। इसलिए मेरा सुझाव है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए और इन जातियों को भी उसमें जोड़ा जाए।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप विरोध कर रहे हैं क्या, हरिमोहनजी?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने 'आदि' शब्द काटा है, वो याद दिला रहे हैं। हमने काटा नहीं है। जो समझौता आपने किया है उस समझौते में सरकार ने राइका और उसके साथ आदि शब्द लिखा और समझौते में आपने 'आदि' शब्द काटा है, इसका मतलब यह सरकार इन चार के अलावा किसी भी जाति को नहीं जोड़ना चाहती। हम यह सदन में लाना चाहते हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप गुर्जरों के विरोधी हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा भी है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक ही बोलेगा। एक ही बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, मेरा भी है उसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक ही है, बैठो, बैठो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक ही नहीं है। ऐसे कैसे है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अच्छा बोलो, बोलो।

श्री अध्यक्ष: आपको भी बोलना है?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): तीन बार बोल चुके आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उससे क्या मतलब हुआ।

श्री अध्यक्ष: हां, माननीय सदस्य, आजादजी, बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय विधि मंत्रीजी, आप सीकर से आते हैं, सीकर में आप घुमन्तू जातियों को आरक्षण दे रहे हैं विशेष तौर पर, क्या बिसायती इसमें नहीं आते?

श्री अध्यक्ष: सीकर से कहां आते हैं? वो तो सांगानेर से आते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिसायती भी अपनी गठरी लेकर गांव-गांव घूमता है। कई ऐसी बिरादियां हैं। जल्दबाजी में या किसी भी राजनीतिक दबाव में आपने इन जातियों को ले लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी भी मौका है, आप जिनको और उचित समझते हैं ...(व्यवधान)

'आदि' काट दिया, मुझे मालूम है, इन्होंने समझौता किया है। उनकी भावना है, उनके क्षेत्र में ही ज्यादातर लोग हैं ...(व्यवधान) क्या हो गया?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनको तो बीमार कर दिया आपने। सी.पी. जोशी साहब के कारण उनका ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बीमार मत होना, राज डूब जाएगा, आप स्वस्थ रहना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, इन दिनों में आप स्वस्थ लगते हो, इस बात की हमको प्रसन्नता है। इन दिनों में आप, घनश्यामजी, कई लोग स्वस्थ लगने लगे हैं, हमको बहुत प्रसन्नता है इस बात की। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): केसर वाली लेकर आये हैं न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम बीमार कब थे?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप विधेयक की प्रस्तावना- पृष्ठ दो के चतुर्थ पैरे की छठी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'राइकाओं (रैबारी/देवासी)' के पश्चात् एवं शब्द 'को एक' के मध्य शब्द 'मिरासी, बिसायती, ढाढी, लंगा, दमामी, मीर, मांगणियार एवं कचन' को शामिल करें। (व्यवधान) पटेल साहब, एक मिनट।

मेरा एक निवेदन है कि आपने इनमें जिन जातियों को शामिल किया है उसमें बंजारा शामिल है, बराय मेहरबानी यह भी क्लीयर कर दें, बंजारा हिन्दुओं में भी होते हैं और मुसलमानों में भी होते हैं, इसमें जो दोनों काम करते हैं वो दोनों शामिल होंगे या एक ही शामिल होगा? यह भी क्लीयर कर दीजिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब इसका विश्लेषण कर रहा था उस समय इन चार जातियों को शामिल करने के बारे में जो इनकी पृष्ठभूमि थी वो मैंने बतायी थी। किसी को भी हम बिना किसी पृष्ठभूमि के शामिल करेंगे तो कानूनी अड़चन उसमें आ सकती है। इसलिए पांच और छः में कानून बनाने का अधिकार और प्रत्यायोजित विधान बनाने सम्बन्धी अधिकार है नियम बनाने का, उसके बाद में जो बात होगी, उसमें किया जाएगा। बहुत से लोग जो आएंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा घोषित वर्ग है- बंजारा वर्ग में बालदिया, लवाणा शामिल हैं, गाड़िया लुहारों में गाडोलिया शामिल हैं, गूजर में गूजर शामिल हैं, जैसे नाथू सिंहजी डा. एन.एस. गुर्जर लिखते हैं, वो गूजर नहीं लिखते, दातारामजी गूजर लिखते हैं तो गूजर भी शामिल हैं और गुर्जर भी शामिल हैं। तो राइका में रैबारी, देवासी हैं जो इन वर्गों के पर्यायवाची हैं। अत: विशेष पिछड़ा वर्ग में ये सभी शामिल होंगे। आपने जो सुझाव दिया है, वो सुझाव ठीक ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, आपने नाथू सिंहजी को शामिल कर लिया ...(व्यवधान) क्रीमी लेयर में आउट हैं, क्यों बुला रहे हो इनको? आपने हाउस में यह कह दिया कल ही, आउट हैं, क्यों इनको आप कर रहे हो? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): चार इसके आधार पर किया है कि 1981 में तीन जातियों को एस.टी. में रिकमण्ड करके भेजा ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पहले बता दिया।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): और लोकुर कमेटी ने और इन्होंने गुर्जरों के बारे में कहा इसलिए इन चार ही जातियों को जोड़ा। बाकी के बारे में कोई रैफरेंस ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कर्नल बैंसला के सामने घुटने टेके ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनका जो संशोधन है वो अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नाथू सिंहजी को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का ...(व्यवधान) बहुत-बहुत स्वागत है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी, आपने नाथू सिंहजी गुर्जर और कालूलाल गुर्जर को तो शामिल कर दिया, प्रहलाद गुंजल को कर रहे हो कि नहीं कर रहे?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): धाभाई हैं क्या? धाभाई को किया है क्या?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-1 में जो संशोधन श्री हरिमोहन शर्मा और श्री मोहम्मद माहिर आजाद ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

अब करो पारित के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, अभी तो मैं गलत पढ़ जाता, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे लिख कर दिया है, प्रस्ताव करती हूं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुख्य मंत्रीजी के लिये दिया है, आप अतिक्रमण कर रहे हैं। यह लिख कर दिया है मुख्य मंत्रीजी को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हसरत में हर चीज उलटी नजर आती है, लैला नजर आता है और मजनूं नजर आती है। यह हो रही है। चलिये।

विधेयक का पारण

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहते हैं? वाह साहब। Any more. (व्यवधान)... अब आप शांत रहें। प्लीज, शांत रहें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): अध्यक्षजी, काफी समय से राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 पर चर्चा हो रही

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

है। प्रथम और द्वितीय वाचन पर हम पक्ष और विपक्ष के विचार सुन चुके हैं। माननीय विधि मंत्रीजी के भाषण के बाद और उसके पूर्व पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद कहने को बहुत कम बचता है, इसलिए मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि यह विधेयक ही ऐसा है जिसको हमने बहुत गम्भीरता से सुना है और हम आशा करके चलते हैं कि जिस गम्भीरता के साथ विपक्ष ने इस विधेयक को लिया है, सत्ता पक्ष के लोग भी अगर उसी गम्भीरता के साथ लें तो हमारी ऐसी मान्यता है, आज तो नहीं लेकिन भविष्य में चल कर इसके कुछ अच्छे नतीजे निकल सकते हैं।

अध्यक्षजी, इस विधेयक को एक लम्बा नाम दिया गया है। जिन वर्गों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी उनका भी इसमें नाम जोड़ा गया है। यह बिल है पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने का। अनावश्यक रूप से जनजाति और अनुसूचित जाति भी जोड़ दिये गये। हमारे कई साथियों ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बहुत आवश्यकता थी क्योंकि अगर अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं जोड़ा जाता तो अनुसूचित जाति, जनजाति के मिलने वाले लाभ से वंचित करने की जो मंशा थी इस सरकार की, वो पूरी नहीं होती। इनकी मंशा थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति को जो लाभ मिल रहा है शैक्षिक संस्था में और सरकारी पदों में, उसको छीन लिया जाए इस बहाने से।

(समय : 21.00 बजे)

और इसीलिए तो जो संशोधन आप लाये, जिसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, उसके लिए तो आपको धन्यवाद ही देना चाहता हूं। देर से आए चाहे दुरुस्त आए, एक संशोधन के जरिये से उसको आपने दुरूस्त कर लिया। अन्यथा तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यह कह कर के कि क्रिमीलेयर के लोग हैं, वंचित करना चाहते थे। मैं धन्यवाद दूं सरकार को, सरकार के बैठे उन सदस्यों को जिन्होंने चाहे हमारे कहने पर ही सही होने वाले लाभ से जो उनको हो रहा था, अनुसूचित जाति, जनजाति को वंचित होने से बचा लिया। सरकार उसका श्रेय ले हमें कोई एतराज नहीं। हम तो यही चाहते थे। हम तो यही चाहते थे कि अनुसूचित जाति-जनजाति को मिलने वाला लाभ मिलता रहे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैंने पहले कह दिया कि जो भी हुआ, कुल मिलाकर उस वंचित लाभ से वे बच गये। चूंकि यह पिछड़ा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विधेयक है, इसलिए मैं एक नहीं अनेक तरह के नामों से जो इसमें इंगित हैं, उनका समर्थन करता हूं। मैं आर्थिक पिछड़ा वर्ग का समर्थन करता हूं। गुजर भाइयों को, बनजारों को, गाड़िया लुहारों को, रैबारियों आदि को जो विशेष व्यवस्था की गयी है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। विशेष पिछड़ा वर्ग के नाम पर जो अलग वर्ग बनाया गया है, उसका हम विशेष तौर पर समर्थन करते हैं। खास तौर से आर्थिक पिछड़ा वर्ग जिसकी परिभाषा हालांकि इसमें उल्लेखित नहीं है, लेकिन माननीय विधि मंत्रीजी ने जो कहा उसका भी हम हृदय से समर्थन करते हैं।

हम मानते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य वर्गो में भी ऐसी कुछ जातियां हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से काफी कमजोर हैं। हम ऐसा भी मानते हैं, हो सकता है शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब में पिछड़े वर्ग में चंद परिवार या व्यक्ति आगे निकल गये हों। लगता तो ऐसा है कि सरकार की मंशा अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ-साथ उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को भी वंचित करने की थी। अन्यथा, मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत ज्यादा राजनीति में और संसदीय क्षेत्र में आये हुए नहीं हुए, सन् 1957 में पार्लियामेंट का मैम्बर बना था लगभग पचास साल ही हुए हैं तब से अब तक हमने लोक सभा में, राज्य सभा में, विधान सभा में और गवर्नर के तौर पर बिहार के अन्दर न केवल विधान सभा में बल्कि विधान परिषद में हुए बिलों को, विधेयकों को, देखा और पढ़ा है। प्रिएम्बल के अन्दर कोई बात लिख दी जाती है लेकिन यहां तो एक-एक शब्द को चुन-चुन कर प्रिएम्बल के साथ आब्जेक्ट्स एण्ड एम्स में भी उसका दुबारा उल्लेख किया गया है।

मैं केवल दो लाइन प्रिएम्बल की और प्रिएम्बल के साथ स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स की पढ़कर आपको सुनाता हूं – "A large percentage of population of Rajasthan suffering from social and educational backwardness for many years have started enjoying the fruits of the reservation policy ..." I repeat, " ... for many years have started enjoying the fruits of the reservation policy and have been able to improve their lot and attain a higher standard of living; .." माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपको फिर तीसरी बार याद दिला रहा हूं- – "A large percentage of population of Rajasthan..." अगर एक लार्ज नम्बर आफ पापुलेशन परसेण्टेज आफ राजस्थान जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई थी, अगर उनको रिजर्वेशन का इतना लाभ

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मिल गया है तो वह लार्ज नम्बर कितना है? कुल मिलाकर पापुलेशन ही शिड्यूल्ड कास्ट की आपने सोलह परसेंट, शिड्यूल्ड ट्राइब की बारह परसेंट मानी है। हमारे साथियों ने अमैंडमेंट दिया कि जनसंख्या के हिसाब से अनुपात को बढ़ा दिया जाए, सोलह से सत्रह कर दिया जाए, बारह से तेरह कर दिया जाए, उसको आपने बिना डिवीजन कराये पास कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। जनमत जानने की आवश्यकता भी नहीं समझी गयी, हम भी नहीं समझते। क्योंकि जनमत जानने के लिए हम प्रैस करते तो निश्चित रूप से यह सरकार और सरकार की पार्टी कहती कि इस विधेयक को पास करने से हम रोकना चाहते हैं। हम तो रोकना नहीं चाहते । हम तो चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, विशेष पिछड़े वर्ग का हो और अगड़ों में भी अगड़े, अगड़ों में भी पिछड़े, सबके आरक्षण के समर्थक हैं।

माननीय विधि मंत्रीजी ने मेरे काम को बहुत हल्का कर दिया, वर्ना मैं काफी लम्बा बोलने का विचार करके आया था। मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं छोड़ी, क्योंकि जो हमें कहना था उन्हीं की पार्टी के निष्कासित भाई गुंजल ने कह दिया कि इस विधेयक की उम्र तो केवल इतनी है जितनी कि इस सरकार की। और सरकार की कितनी उम्र है, उसका अन्दाजा तो आप स्वयं लगा सकती हैं। लेकिन आपने एक बात माननीय विधि मंत्रीजी, याद दिलाकर हमारी याद ताजा कर दी कि गुर्जर इत्यादि को आरक्षण देने का काम या विचार या प्रयास कांग्रेस पार्टी ने आज नहीं, आज के बहुत दिन पहले ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलने दें, बीच में बाधा नहीं पहुंचाएं। बोलने दें ...(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): ये +++ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये क्या कह रहे हैं +++ आप, यह +++ शब्द निकाल देना ...(व्यवधान) एक्सपंज कर दिया। ...(व्यवधान) बैठे बैठे नहीं बोलें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह संस्कारी पार्टी के लोग हैं, बोलेंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप भी बीच में बोलोगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): मैं याद दिला रहा था, मैं माननीय विधि मंत्रीजी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने धौलपुर में गुर्जर भाइयों के सम्मलेन की याद दिलाई। मैं उनका और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन व्यक्तियों के नाम गिनाये उनमें से शायद मैं ही जिंदा हूं ...(व्यवधान) महावीर जी, अब आपका नम्बर मंत्री पद में नहीं आएगा, बैठिये, मैं जानता हूं।

श्री अध्यक्ष: बीच में मत टोको, रोको।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राजनीतिक दृष्टि से पहाड़िया साहब ही जिंदा हैं, यह कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): और इस बात को भी मैंने नहीं विधि मंत्रीजी ने कह दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप शांतिपूर्वक सुनें तो सही उन्हें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): कि कांग्रेस आज से नहीं बहुत पहले से इन सभी जातियों के आरक्षण का समर्थन करती आयी है, प्रयास करती आयी है।

श्री अध्यक्ष: वो अकेले ही जिंदा हैं, कह रहे हैं कि मैं अकेला ही जिंदा हूं आप खामख्वाह में ही उनको रोक टोक रहे हो। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): बस एक ही बात विधि मंत्रीजी भूल गये, वह अपनी सरकार को और अच्छा तो रहता खुद को भी इस बात की पहल करने वालों में शामिल करते कि आर्थिक आधार पर वो ही पहली सरकार है, वो ही पहले मंत्री हैं, पहली विधान सभा है जिसमें कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करने लगे। अध्यक्षजी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर देश के अन्दर बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ, कई बच्चों ने आत्मदाह किया, देश के अन्दर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गयी थी। उस समय हम लोग नहीं, इसी पार्टी के लोग उस सरकार में शामिल थे। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी थे जिन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूशन के चौराहे पर जाकर जलती हुई आग को शांत किया था। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि उस समय कांग्रेस पार्टी की जो वर्किंग कमेटी थी मैं उसका सदस्य था, उसमें प्रस्ताव पास किया था कि आर्थिक आधार पर सवर्ण पिछड़ों को भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए।

मैं आशा करके चलता हूं कि विधि मंत्रीजी बहुत विद्वान हैं, उनकी याददाश्त भी तेज है, अब यह अलग बात है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

धीमा कर रखा है थोड़ा, उसको और तेज करेंगे और इस बात को याद करेंगे कि इसकी पहल भी कांग्रेस ने की थी। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज जो विधेयक हम पारित करने जा रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरी पार्टी के प्रेसीडेंट भी कह चुके हैं, माननीय सदस्य भी कह चुके हैं, हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन इसलिये नहीं कर रहे हैं कि कोई आपका विचार है। यह तो हमारा मूल विचार है और आज से नहीं, देश की आजादी के पहले से हम इसके हामी रहे हैं। माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये बहुत-बहुत बधाई दी, तारीफ की ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किस बात की ताली बजा रहे हैं आप?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदत है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): आपकी खुशी के लिये मैं भी मुख्य मंत्री जी को दाद देता हूं। इस बात के लिये दाद देता हूं कि आपको, हमको और सबको ही नहीं, राजस्थान की जनता को ही नहीं, अपने हाई कमान को भी भ्रमित किया। वह भ्रम बहुत जल्दी ही टूटने वाला है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा विधेयक आया है जिसका कि कोई विरोध ही नहीं कर सकता ... (व्यवधान) हम तो कर ही नहीं सकते हैं...

श्री अध्यक्ष: आप कैसे करोगे, आपका तो मूल विचार है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): क्योंकि यह विचार भी हमारा है। इतने दिन के बाद आप उसको क्रियान्वित कर रहे हैं तो हमारे विरोध करने का सवाल ही कहां पैदा होता है? हम तो आपको और आपकी मुख्य मंत्रीजी, हमारी मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी आज की, कल का तो भगवान मालिक है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका तो मूल विचार है, आप कैसे करते विरोध ? आपका तो मूल विचार है, आप विरोध कैसे करते?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): हम उनको बधाई देते हैं, दाद देते हैं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। आखिर हमारे विचार की क्रियान्विति आप कर रहे हैं। इसीलिये हमारे एक माननीय सदस्य कल्लाजी ने जब कहा कि यह लॉलीपाप है तो मैं भी भ्रमित हो गया था, लेकिन माननीय तिवाड़ीजी ने मेरे भ्रम को मिटा दिया। उन्होंने कहा कि एक नहीं अनेकों कानून कोर्ट में चैलेंज किये जाते रहे हैं, रोके जाते रहे हैं, खारिज किये जाते रहे हैं, जो हमारी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

आशंकाएं थीं उन्होंने पूरी कर दीं। यह तो होने ही वाला है। अगर नहीं होने वाला है, तो माननीय अध्यक्षजी, सबको मालूम है ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): महादेवी वर्मा बीच में आ गयी थीं उस टाइम, नहीं क्रियान्विति तो उस टाइम पर हो जाती।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): अब डा. साहब, यह चिकित्सा का मामला नहीं है, जरा आप विराजिये। यह सबको मालूम है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): डा. साहब, अगर समय पर सलाह देते रहते तो राजनीतिक सलाहकार की जरूरत थोड़े ही पड़ती आज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): यह तो सबको मालूम है कि राजस्थान के पहले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र और राज्यों की जानकारी मुझे नहीं है, वहां पर भी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बिहार में भी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): बिहार में पहले हो गया। जो कानून इस तरह के बनाने की कोशिश की गयी, वे सब मामले सुप्रीम कोर्ट में लम्बित हैं। उनका क्या फेट होगा, मैं नहीं जानता। कोर्ट का दखल विधान सभा द्वारा पारित किये गये कानूनों में नहीं होना चाहिये, कम से कम होना चाहिये, मैं तो इस बात का हामी हूं और मैं चाहता हूं, राजस्थान विधान सभा में पारित होने के बाद इस कानून को कानून का रूप मिल जाए। मिल नहीं जाए, मैं यह चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो, इसकी क्रियान्विति भी होनी चाहिये लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने जो पहले कहा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं अपने ही माननीय अध्यक्षजी की बात को थोड़ा काट रहा हूं ... (व्यवधान) सुनेंगे तब न। तो उन्होंने कहा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, सुनें तो सही उन्हें वह क्या काट रहे हैं बात। सुनो तो सही आराम से।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): उन्होंने कहा, यह बिल हेस्ट में पास किया जा रहा है। यह बिल है कहां? यह तो इल विल है। विल कहते हैं भावना को। माफ करना, मैं अंग्रेजी ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन विल मायने भावना से होता है। यहां भावना कहां है? यहां तो दुर्भावना है। लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। कागजी तौर पर उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। जो विल रखते हैं, गुंजल और भड़ाना को तो निकाल कर बाहर कर

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

दिया। काफी दिन तक आपने जेल में रखा। आज अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे, पूरी तरह से भावना भी व्यक्त नहीं कर पाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यहां कहां आ गये? आप तो बिल पर बोलते-बोलते कहां आ गये ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मूलत: भरतपुर और धौलपुर में ऐसा ही होता है जैसा पहाड़ियाजी कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको यही सब करना था, साढ़े चार साल हो गये, आप क्यों इसको लेकर बैठे रहे? हमको मालूम नहीं, उस समय बी जे पी के अध्यक्ष के तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्या वादा किया था। अगर वादा किया था तो उसकी पूर्ति होनी चाहिये थी। नहीं किया था तो आन्दोलन के पहले से ही इस बात का स्पष्टीकरण जाना चाहिये था कि उन्होंने कोई वादा नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वादों को पूरा करने की पांच साल की अवधि होती है, दूसरे चुनाव में जाते हैं तब तक।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्षजी, आप एग्री कर रहे हैं, वादा तो किया था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं नहीं कहती। मैंने तो पहले कहा कि यदा मुझे मालूम नहीं किया है कि नहीं किया, लेकिन वादे को पूरा करने की पांच साल की अवधि होती है। वादा किया था तो पूरा करने की अवधि पांच साल होती है।

श्री अमराराम (धोद): पांच साल से पहले ही कर दिया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): अध्यक्षजी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि पांच साल विधान सभा के अन्दर तो अब कल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद तो आपको और हमको इस तरह से शायद ही बैठने का मौका मिले इसलिये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हम तो चाहते हैं आपको मौका मिले, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो चाहती हूं, आपको मौका मिले।

श्री अमराराम (धोद): बारहवीं विधान सभा में।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): आपकी शुभकामनाओं के साथ अपनी भावना जोड़ता हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा सरकार की मंशा साफ नजर नहीं आती। अगर ऐसा ही था तो इतना बड़ा आन्दोलन कराने की आवश्यकता क्या थी? आंदोलन भी एक बार नहीं, दो-दो बार हुआ। अगर यही सब देना था तो बिना आंदोलन के भी दिया जा सकता था। अगर उसमें और कोई अड़चन थी तो पहले आंदोलन पर दिया जा सकता था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रिपीटीशन हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद): सब नयी बातें हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): लेकिन ऐसा लगता है, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि शायद यह सारा का सारा सुनियोजित पूर्व निश्चित प्रोग्राम था, हो सकता है हमारा भ्रम हो।

श्री अमराराम (धोद): मैच फिक्सिंग थी यह।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): हमारे साथियों ने कह दिया, अच्छा होगा कि इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए।

श्री अध्यक्ष: काहे की जांच करायी जाए, कोई जांच नहीं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): तो जांच के बाद में असलियत सामने आ जाएगी। अगर हमारा भ्रम भ्रम है तो भ्रम का निवारण हो जाएगा और हमारा भ्रम सच है तो असलियत जनता के सामने आ जाएगी। हम आशा करके चलते हैं कि सरकार हमारी बात पर विचार करेगी और सीबीआई से जांच में नहीं कतराएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा, आंदोलन एक बार नहीं, दो-दो बार हुआ। इतना बड़ा आंदोलन ऐसे मुद्दे को लेकर शायद ही कभी हुआ हो। मंडल आयोग पर होने वाला आंदोलन भी इतने दिन नहीं चला था जो ऑल इंडिया का आंदोलन था, जिसमें लगभग 70 लोगों की जानें गयीं। उन 70 लोगों में शामिल शायद वे पुलिसकर्मी भी हैं जिनका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: क्यों? उनको क्यों नहीं, उनका भी करें। ...(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): हमारे गुर्जर भाइयों की जानें तो गयीं ही, हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): कोई नयी बात कुछ बतानी हो तो बताएं, ये सारी बातें सुबह से हो रही हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो जोशीजी को काट रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): उनके परिवारों को सांत्वना देने का काम उनके घर-घर जाकर हम कर चुके हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को जिनके परिवार के लोग बिछुड़ गये, उनको इस दारूण दु:ख को सहन करने की शक्ति दे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यही दे रहे हैं खड़े-खड़े, शांति। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): मैंने कहा कि उनको हम श्रद्वांजलि अर्पित करते हैं। खास तौर से दु:ख उन लोगों का है जो बेकसूर और आंदोलन से बेखबर चलते रास्ते मारे गये। हमें ऐसी आशा है कि उससे संबंधित कुछ और लोग भी पीड़ित हुए हैं, उनको भी सरकार सहायता देगी। माननीय मंत्रीजी, अगर आप बात करते रहेंगे तो फिर मैं बैठ जाता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हां, बैठ जाएं। तो क्या बोल रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई बात तो कहें ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह गलत बात है आपकी। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, लैट हिम से ...(व्यवधान) वरिष्ठ सदस्य हैं, वह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, आप यूं क्या करते हैं, बोलने दें उन्हें। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): इसलिए मैं आशा करके चलता हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शोर नहीं मचाएं, सुनें शांतिपूर्वक ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शांति तो इनके पास ही है, शांति को कब्जे कर रखा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शोर नहीं मचाएं आप, यह क्या तरीका है? यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): इस आंदोलन में उन मृतक परिवारों को जो सहायता देने की घोषणा सरकार ने की है, वह शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उनके परिवारों को नौकरी मिलनी चाहिए और जो-जो और कार्यवाही करनी है, वह की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: काहे को बोलते हो बीच में? (व्यवधान) आप मत बोलिये

(श्री अध्यक्ष)
बीच में। जितना आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा बोलेंगे वह। (व्यवधान) कृपया करके विराजिये। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): आज तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको और आपके साथियों को इस बात पर कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांतिपूर्वक सुनिये उन्हें।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शांति तो इनके पास ही है ...(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): क्योंकि जो आंदोलन के अगुवा थे ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): जमानत नहीं होगी, शोर किया तो 11 बजे तक जमानत नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): जिनके साथ बातचीत सरकार ने की, हालांकि उनके बारे में सरकार ने क्या कमेंटस किये अगर मैं याद कराऊं तो शायद नाथूसिंहजी को बहुत बुरा लग जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप तो करा ही दो।

श्री जगन्नाथ पहाडिया (बैर): अध्यक्ष महोदय, आपने ही पढ़ा होगा अख़बार में, माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कहकर गयी थीं यहां से कि हम मौके पर जाएंगे। बड़ा भारी इंतजाम हुआ था। उस दिन हम लोग भी जाने वाले थे, प्रशासन ने हमको कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। हमको बहुत खुशी हुई कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी और अन्य अफसरान वहां जा रहे हैं, समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन उनके बारे में जिनसे बात करनी थी, बात क्या कहकर टाल दी गयी, मैं आशा करके चलता हूं कि आपको, सदन को और सदन के बाहर सबको याद है। फिर भी उन्हीं लोगों से बात की गयी। उन्हीं लोगों के साथ समझौता किया गया। किसी के साथ हुआ, किसी तरह से मामला शांत हुआ, हम आशा करके चलते हैं कि अब जो बातें उनके और आपके बीच में हुई। अगर वे गुप्त हैं तो आपकी मर्जी...

श्री अध्यक्ष: वर्ना बताओ सदन में।

श्री जगन्नाथ पहाडिया (बैर): वर्ना तो पब्लिक में आनी चाहिए। हम ही भ्रमित नहीं हैं, खुद वे व्यक्ति जिन्होंने आंदोलन किया। वे भ्रमित हैं, कि क्या कारण हुआ, इतने लोग मारे गये, जान-माल की हानि हुई, पब्लिक का नुकसान

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

हुआ, बहुत सारे बीमार अपना इलाज नहीं करा सके, कई बहन-बेटियों की शादियों का मुहूर्त निकल गया, ट्रैफिक जाम हो गया, हाइएस्ट कोर्ट ने कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को तय किया जाना चाहिए, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटें, सरकार इतने दिनों तक तमाशबीन बनकर न बैठी रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम आशा करके चलते हैं अब वे बातें सामने आ जाएंगी। उस समय कई लोगों ने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहाड़ियाजी को हाथ जोड़ लिये, पीछे भी ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या बात है कि बार-बार खड़े हो रहे हैं आप, बैठिये, बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पीछे से तो हाथ जोड़ रहे हो आप ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महावीरजी, यह राजेन्द्रजी और सांवरलाल जी की तो समस्या हमको पता है, लेकिन आपको आज क्या समस्या हो रही है? (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि कई व्यक्तियों ने, कई पार्टियों ने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की, खास तौर से बीएसपी के बारे में कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): बीएसपी और उसकी सुप्रीमो मायावती ने आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलनकारियों ने स्वयं याद दिलाया कि जिन आंदोलनकारियों को समर्थन बीएसपी और उनकी सुप्रीमो भी कर रही है, यू.पी. के अन्दर उसी मायावती ने गुर्जर भाइयों को उस लिस्ट में से निकाल दिया। अगर उनको राजनीति ही करनी थी राजस्थान के अन्दर तो राजस्थान में आज तो, माफ करें, और दूसरी पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस का ही कुछ है अगर है तो। दोनों आपस में बात कर सकते थे, दोनों ही चाहते थे कि आंदोलन समाप्त होना चाहिए। उनको कुछ लाभ मिलना चाहिए। यहां आकर भ्रम पैदा करने की कोशिश करने वाली वह पार्टी जो इस मुद्दे के आधार पर राजस्थान में घुसना चाहती है, कामयाब नहीं हो पाएगी। लोगों ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। हम आशा करके चलते हैं कि अब भविष्य में इस तरह का भ्रम वे भी पैदा नहीं करेंगे। लेकिन इस बिल के बारे में हमारी आशंकाएं हैं,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि विधेयक न केवल आंदोलनकारियों को, न केवल हमको और आपको बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद खुद सरकार भी धोखे में है। मैं इसलिए कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप समर्थन क्यों कर रहे हो? धोखे में हो तो आप समर्थन क्यों कर रहे हो?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): आपके भले के लिए।

श्री अध्यक्ष: इसलिए कर रहे हो कि आप धोखे में हो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): क्योंकि अगर ऐसा ही है तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी इल विल नहीं थी, विल थी, तो क्या आपने विधि विशेषज्ञों की राय ले ली थी, नम्बर एक?

श्री अध्यक्ष: गुडविल, गुडविल। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): यह जानते हुए भी कि 50 प्रतिशत से अधिक कोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह जानते हुए भी कि महाराष्ट्र, आंध्रा और तमिलनाडु के केस सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग हैं, क्या इसकी वैधानिकता पर विचार करने के लिए आपने एटॉर्नी जनरल की राय ले ली?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आजादी के 51 साल बाद आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि...।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): महावीरजी, मैं आपकी बात को नहीं समझ पाऊंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पार्लियामेंट और असेम्बली क्या कर सकती है, कोर्ट के ऊपर है, आजादी के 51 साल में यह आपके बात समझ में नहीं आई?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): वह विधि मंत्रीजी जवाब देंगे। अभी तो आप चीफ व्हिप हैं। आपकी योग्यता पर विश्वास होता तो मुख्य मंत्रीजी आपको ही मंत्री बना देतीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कर सकते हैं, यह जो हमने किया वह पार्लियामेंट में पास होगा। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): हमें यह जानना था कि क्या विधि विशेषज्ञों की राय ले ली? मैं जानना चाहता हूं कि एटॉर्नी जनरल की राय ले ली?

श्री अध्यक्ष: यदि मंत्रीजी भी ऐसे ही जवाब देने लग जाएंगे, जैसे आप बोल रहे हो, टाइम ले रहे हो तो फिर तो बजेंगे 12 ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): देखिए, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने का बहुत कम समय है, बड़ा ही सौभाग्य है, बौद्धिक ज्ञान है, प्राप्त कर लो। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): मैंने कहा कि क्या विधि विशेषज्ञों की राय ले ली? क्या एटॉर्नी जनरल की राय ले ली? यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस विधेयक के बाद में ये जातियां जिनको कि आप विशेष दर्जा दे रहे हैं, वे ओ बी सी की लिस्ट में रहेंगी कि नहीं रहेंगी। उस एक्बीयूटी को भी आपने साफ नहीं किया। इसीलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कहा कि इस विधेयक में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जोड़ना कोई अनभिज्ञता तो नहीं थी, आपकी जानी पहचानी साजिश थी, जिससे कि मामला कहीं न कहीं अटक जाए। आपने इसको स्पष्ट कर दिया, बाद में संशोधन ले आये, उसके लिए मैंने आपको बधाई दे दी।

श्री अध्यक्ष: साजिश के बावजूद भी आप सपोर्ट कर रहे हो? (व्यवधान) साजिश के बावजूद भी आप सपोर्ट तो कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इनकी महानता है, शांतिवाद, शांति के पुजारी हैं ये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): मैं आपका बहुत समय नहीं लेकर एक ही बात कहना चाहूंगा। (व्यवधान) आगे से इसकी पुनरावृत्ति न हो, राज्य के अन्दर कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति कायम रहे और हम सब मिलकर राजस्थान का विकास करते रहें, ऐसी सद्‌भावना के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करके चलता हूं कि जो इसका भाग्य होने वाला है उसको दुर्भाग्य नहीं बनने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: साजिशपूर्ण विधेयक का भी समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इन सब बातों का जो माननीय पहाड़िया साहब ने उठाई हैं ...(व्यवधान) अब रहने दें, हरिमोहनजी, हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहाड़ियाजी के भाषण के बाद अब कुछ भी शेष नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सब प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं, अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित किया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि थर्ड स्टेज पर इनको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: पहाड़ियाजी के भाषण के बाद अब कुछ भी शेष नहीं बचा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने खुद कहा था कि थर्ड स्टेज पर बोलने देंगे, यह क्या बात हुई? आप बोलेंगे थर्ड स्टेज पर, इनको बोलने के लिए आपने आसन से व्यवस्था दी थी कि थर्ड स्टेज पर बोल लेना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, पारित करवाओ, पारित। (व्यवधान) कल्लाजी अब बहुत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट बोलना चाहते हो?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, इनको बोलने के लिए कहा था। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): बहुत है, बहुत है, अब पारित करवाओ, पारित।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पांच मिनट, पांच मिनट। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): आसन की कोई व्यवस्था नहीं थी, आसन की व्यवस्था थी कि अगर खण्ड वाइज नहीं बोलेंगे तो बोलने का मौका दिया जाएगा, और भी बहुत से माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अब माफ करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, ... (व्यवधान) मेरी बात सुनो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले तय हो गया था कि पहाड़ियाजी अंतिम वक्ता होंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): जोशीजी का यह वादा किया हुआ था कि अगर बोलेंगे तो पहाड़ियाजी बोलेंगे, इनको पूरे ध्यान से हमने सुना है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं संक्षेप में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वैसे भी पहाड़ियाजी के बाद आपका बोलना अच्छा नहीं लगेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसलिए भी मैं बोलना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप इनसे सीनियर हो क्या? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड स्टेज पर कोई भी बोल सकता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पहाड़ियाजी को आप सुपरसीड मत करो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या बात कर रहे हो, हमने पहले तय कर दिया था कि पहाड़ियाजी बोलेंगे, फिर यह बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह परम्परा गलत है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको जल्दी है तो आप घर पधार जाओ। जिन-जिन मंत्रियों को, और आपको जल्दी है, आप चले जाइए, आपके बिना ही पारित हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हरिमोहनजी, पहाड़ियाजी को सुपरसीड मत करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहाड़ियाजी को आपकी टीम ही सुपरसीड नहीं कर सकती। बॉलर के हिसाब से जो छक्के लगवाए हैं, याद है आपको? संक्षेप में बात खतम करता हूं। आपकी भावना है ज्यादा नहीं बोलना। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में, उन बातों को भी रिपीट नहीं करूंगा जो अब तक आई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, शांत रहें। (व्यवधान) आप क्या बोलेंगे?

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इसके बाद मुझे बोलने का समय दे दीजिए। मुझे समय मिला ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: रहने दो आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): तगारामजी का भाषण तो होना चाहिए। आप तगारामजी को जरूर सुनें, तगारामजी का भाषण जरूर होना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, जो अभी तक सभी ने की हैं। लेकिन राजस्थान के तीन हाई कोर्ट जजेज ने जो रिटायर हो चुके हैं, चाहे वह जस्टिस पानाचन्दजी जैन हों, चाहे वह जस्टिस विनोद शंकरजी हों, चाहे जस्टिस इसरानी जी हो, इन तीनों हाई कोर्ट जजेज ने जो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की हैं, वह पैरा में आपको पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरत नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह पैरा इसलिए भी पढ़ कर सुना देता हूं, आपने जिस नवीं अनुसूची में डालने की बात की है, वह नवीं सूची के मामले में भी उनकी क्या ओपिनियन है, वह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह ओपिनियन क्या करेगी? भारत सरकार की ओपिनियन, आपकी और हमारी ओपिनियन काम आएगी, उनकी नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): विधि मंत्रीजी, आपने इस बात का जवाब एक जगह भी नहीं दिया कि जो 50 प्रतिशत का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय के मामले में आप क्या करेंगे, कैसे होगा। एक बात आपने नहीं बोली। आपने जो 10 प्रतिशत का आरक्षण का मामला था, इकोनोमिक बेसिस पर और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको रिजैक्ट किया आपने एक बात भी उस पर कुछ नहीं की। आपने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि जो 14 प्रतिशत राजस्थान सरकार ने किया था, उसका क्या हश्र हुआ। सोली सोराबजी की अध्यक्षता में माननीय तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने एक कमीशन बैठाया था, उस कमीशन ने भी कहा है, ...(व्यवधान)... हां, बैठाया था, मैं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है इस बात का। वह रिकार्ड देखो तो उसमें भी यह है कि जब तक कांस्टीट्यूशनल आप अमैंडमेंट नहीं कर लेंगे तब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप इसको मानो या नहीं मानो। आपने मान लिया कि जो कुछ है अदालतों में जाएंगे, जो होना है वह हो जाएगा, इस हिसाब से भाग्य के भरोसे मत छोड़िए। आपको उन बातों को भी समझना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 1993 का, उसको न पार्लियामेंट बदल सकती है और न कोई दूसरी संस्था बदल सकती है। नवीं सूची में भी अगर आपने इसको डलवाया, वह आपके हाथ की बात नहीं है, नवीं अनुसूची में इसको पार्लियामेंट डालेगी। नवीं सूची में डलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ...(व्यवधान)... आपको इस ज्ञान से लेना देना क्या है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पार्लियामेंट को सोचना पड़ेगा अपन पास करेंगे तो, 400 मैम्बर हमारे पक्ष में हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 1993 का फैसला है, 1993 के बाद 15 साल हो गये, जो मुद्दे उसमें उठाये, पार्लियामेंट ने आज तक उस पर एक भी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

बात नहीं की। नवीं सूची वाली बात की, न संशोधन वाली बात की, न 50 प्रतिशत से अधिक वाली बात की। इस बात को आपको गम्भीरता से लेना चाहिए। आप जल्दबाजी में जो काम कर रहे हैं, आपने कह दिया, युग बदल गया, जमाना बदल गया, यह आर्थिक है, यह कमीशन आ गया, और जो होना है होगा, वह हो जाएगा, यह भाग्य भरोसे पर आप मत छोड़िए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो संवैधानिक बातें हैं, उन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। कांस्टीट्यूशन की भावना के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप जो काम करेंगे। इसका वही हश्र होगा जो आज तक हुआ। यह विधान लाने से पहले जिस प्रकार से हम अपना एक तरफा, हमारी पार्टी और हम इसका समर्थन कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा होता, विधि मंत्रीजी, कि आप कांग्रेस पार्टी को भी बनाने से पहले आमंत्रित करते। बिठाते, चर्चा करते तो राजस्थान का वातावरण ऐसा दूषित नहीं होता। जिस समय गुर्जरों का आंदोलन चला उस आंदोलन के समय में भी वर्तमान सरकार ने कभी भी कांग्रेस पार्टी को कांफिडेंस में लेने की बात नहीं की, कभी भी कोई चर्चा नहीं की। (व्यवधान) आपने जो चर्चाएं की हैं, आपने उनसे जो समझौता किया है वह कौनसी चिट्ठी आप लिखने वाली हो, उसके मामले में भी यदि विधान सभा को बता दें तो ज्यादा बैटर होगा। आपने समझौता किया, आप चिट्ठी भेजेंगे, हम केन्द्र को चिट्ठी भेजेंगे, उस चिट्ठी के मामले में भी आप हमको बता देते। उसको देखें कि कौनसी चिट्ठी का आपका वादा था और क्या होने वाला था वह भी आप बता देतीं तो ज्यादा बढ़िया होता।

मेरा आपसे अंतिम निवेदन है कि आप और हम जिस भावना से राजस्थान को बिलकुल शांत और शांति से रखना चाहते हैं, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आपने और इस सरकार ने कभी इस बात का प्रयास ही नहीं किया कि हम विपक्षी दल के लोगों को भी बिठाएं, इस मामले में चर्चा करें और चर्चा करके राजस्थान जो अशांत बना, अशांत वातावरण को शांतिपूर्वक ढंग से लाने की बात करें।

मेरा विनम्र अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के आधार पर मैं इस बिल का समर्थन करने के बावजूद भी जो शंकाएं हैं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से आपका यह बिल स्ट्रक डाउन होगा और आप यह कहकर बचेंगे कि हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, इसको डिलिट कर दिया, इसको अमान्य कर दिया। केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से आप लोक-लुभावनी बात करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, वर्गों को भ्रमित करना चाहते हैं। इस कारण से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार

(श्री हरिमोहन शर्मा)

की जो कार्यवाहियां हैं, जो भ्रमित करने की कार्यवाहियां हैं, जो गैर कानूनी काम हम कर रहे हैं और उसको ओवरलुक कर रहे हैं, यह गलत परम्परा है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): गैर-कानूनी काम का समर्थन क्यों कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: विधान सभा में कोई बात गैर-कानूनी थोड़े ही होती है। यह गैर-कानूनी है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पहाड़िया साहब ने और माननीय हरिमोहनजी ने जो बातें कही, मैं दो बात साफ कहना चाहता हूं। न तो यह सरकार सदन को और न राज्य की जनता को किसी प्रकार भ्रमित करना चाहती है। हम संकल्पबद्ध हैं कि राजस्थान का जो विशेष पिछड़ा वर्ग हमने बनाया है, जो इकोनोमिक पिछड़ा वर्ग बनाया है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो शिड्यूल्ड कास्ट है, शिड्यूल्ट ट्राइब है, उनका जो बिल लेकर आये हैं इसको नाइन्थ शिड्यूल में भी ले जाएंगे, इसकी ज्यूडीशियल जितनी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं को भी हटाएंगे और राज्य की जनता निश्चित रूप से इस बिल को लेकर रहेगी। किसी प्रकार से भ्रम की स्थिति नहीं है। उन सारे मुद्दों का मैं नहीं आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी ने ही जवाब दे दिया, सारे मुद्दों का जवाब दिया है। हमने भी जवाब दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा, एक-एक कारण, पहले संविधान संशोधन से लेकर 99वें संविधान संशोधन तक जाओ, शाहबानो प्रकरण पर जाओ, प्रिविपर्स पर जाओ, बैंक राष्ट्रीयकरण पर जाओ, कौन-कौन से मुद्दे स्ट्रक डाउन नहीं हुए और कौन-कौन से मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट में आये, पार्लियामेंट ने संशोधन किये और इसी कोर्ट ने अपहोल्ड किया। इसलिए राज्य की ..(व्यवधान) अभी हाथ में है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप नहीं बदल सकते। पार्लियामेंट के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन करना आपके हाथ में नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमारे हाथ में इसलिए है ..(व्यवधान).. हमारे हाथ में है। भारत की राजनैतिक पार्टियां, कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, लालू यादव समर्थन कर रहे हैं, मुलायम सिंहजी समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयीजी ने आयोग बनाया, मनमोहन सिंहजी ने आयोग बनाया, वह आयोग की रिपोर्ट है, एटार्नी जनरल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की रिपोर्ट है। निश्चित रूप से अगर कोई बाधा आयी तो भारत की पार्लियामेंट इन 400 मैम्बर्स के साथ इसको पास करेगी और यह अपहोल्ड होगा निश्चित रूप से, मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसको पारित कराया जाए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यहां भट्ठा बिठा दिया, लोगों को मार दिया, डकैतों का सहयोग ले लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 संशोधित रूप में पारित किया गया।

शासकीय संकल्प

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। यह सदन सर्वसम्मति से राजस्थान प्रदेश की विशेष सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह संकल्प करता है कि राजस्थान सरकार राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को संविधान के पद 31 (ख) के अन्तर्गत संविधान की नौवीं सूची में सम्मिलित करवाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करें।

श्री अध्यक्ष: क्या संकल्प ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम सैद्धांतिक रूप से ..(व्यवधान) यहां दिन भर डिबेट चली, किसी भी स्टेज पर, न आपने पहले, न बाद में, मैं समझता हूं, यह परम्परा ठीक नहीं है। आप सर्वसम्मति से पास कराना चाहते हैं। दिन भर आपसे बात करते रहे, दिन भर आपने नहीं बताया, कम से कम प्रारम्भिक रूप में आप हमें मौका तो दें। किस बात में करें? आपने पोलिटिकली बात की ..(व्यवधान) आपने किसी स्टेज पर हमें इंफार्म नहीं किया। मत करिए, हमें क्या तकलीफ है? आप करें, सर्वसम्मति से पास करिए। (व्यवधान) यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष: जब आप सहमत हैं ..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तरीका गलत है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, कम से कम इस सदन में जब हम ऐतिहासिक प्रस्ताव पास कर रहे हैं, इतनी तो हम आपसे एक्सपैक्टेशन करते हैं, प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे नेता हैं, किसी को आप चर्चा करते। तीन दिन से हाउस चल रहा है, किसी भी स्टेज पर आपने चर्चा नहीं की। मैं समझता हूं यह आपकी जो स्पिरिट है, है वह प्रतिपक्ष की नहीं है। फिर भी, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप चाहते हैं तो हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन हमें मन में तकलीफ इस बात की है कि आपने बिलिटिल समझा कि अपोजिशन की कोई औकात ही नहीं है। मैं समझता हूं, यह परम्परा ठीक परम्परा नहीं है इस ऐतिहासिक परम्परा को भी हम इस ढंग से रखेंगे तो मैं समझता हूं, न राजस्थान का भला होगा, न हम जो मैसेज देना चाहते हैं उसका भला होगा। मैं आपसे सानुरोध प्रार्थना करता हूं कि आपने रख दिया, कल आप पास कर दें, हम सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैंने भाषण में तो कहा था, मैं रिक्वैस्ट नहीं कर सका, लेकिन आप लोग इसको ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने आपका एक-एक शब्द सुना है। मैंने एक-एक शब्द सुना है, आपने किसी स्टेज पर नहीं कहा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कल हमारे नेताओं से बात करके ले आओ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं, हमें कोई इसमें नहीं है। आपने रख दिया है, कल पास कर दें तो क्या फर्क पड़ता है? कोई तकलीफ नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कल करा लीजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कल पास करा देंगे, क्या तकलीफ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोई जिद की बात नहीं है। अगर प्रतिपक्ष का यह आग्रह है तो कल भी लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारा अनुरोध है, चूंकि जिस तरह का बिल बना और बिल अभी पास हुआ है और अगर अध्यक्ष महोदय, यह बिल नाइन्थ शिड्यूल में चला जाएगा ..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं यह कह रहा हूं, 15 मिनट स्थगित कर लें, अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.48 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुई)

(समय : 22.03 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय संकल्प

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलन

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री घनश्याम तिवाड़ी, विधि मंत्रीजी ने जो शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

सर्वसम्मति से शासकीय संकल्प स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.04 बजे गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा संभाग के अभ्यारण्यों में वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्द्ध हेतु कार्य योजना

22. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में कोटा संभाग के वन्य जीव अभ्यारण्यों में करवाई गई गणना के अनुसार जंगलों में नाममात्र के ही बघेरे (पैन्थर) बचे हैं? यदि हां, तो विभिन्न अभ्यारण्यों में करवाई गई वन्य जीव गणना की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में हाड़ौती के जंगलों में टाईगर संभाग के सभी जिलों में दिखाई देते थे मगर पर्याप्त देखरेख के अभाव में अब वह लुप्त हो गये हैं व अब बघेरों का भी अस्तित्व देखरेख के अभाव में लुप्त हो गया है? यदि नहीं, तो इनकी संख्या में लगातार हो रही कमी के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि किसी भी वन्य जीव के किसी भी क्षेत्र में लुप्त हो जाने के बाद उसे पुन: स्थापित करना अत्यन्त खर्चीला व कठिन कार्य है? यदि हां, तो फिर सरकार द्वारा किसी वन्य जीव के लुप्त होने से पूर्व ही कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि सरिस्का में टाईगरों के अस्तित्व के समाप्त होने के बाद उसे पुन: बसाने पर सरकार को करोडों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार हाड़ौती के जंगलों में लुप्त हो रही बघेरों के संरक्षण का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा संभाग के वन्य जीव अभ्यारण्यों में वर्ष 2008 में करवाई गई वन्यजीव गणना के अनुसार 13 बघेरे पाये गये हैं।

कोटा संभाग के अभ्यारण्यों में करवाई गई वन्यजीव गणना की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि पूर्व में हाड़ौती के जंगलों में टाईगर कोटा संभाग

(वन राज्य मंत्री)

के सभी जिलों में दिखाई देते थे परन्तु वन क्षेत्रों पर बढ़ती आबादी के दबाव एवं परिणामस्वरूप उपन्न होने वाली मनुष्य व टाईगर के बीच व्याप्त संघर्षपूर्ण स्थिति के कारण वे लिप्त हो गये। हाड़ौती संभाग के जंगलों में बघेरों का अस्तित्व लुप्त नहीं हुआ है।

बघेरों की संख्या में कमी के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं :-

1. बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बघेरों के आश्रय स्थलों पर निरन्तर अत्यधिक जैविक दबाव है, जिसके कारण इनके हैबिटाट का ह्रास हुआ है। जलाऊ लकड़ी की मांग, पशुधन की जंगलों में चराई एवं वर्षा की कमी के कारण बघेरे के आश्रय स्थलों को क्षति हुई है।

2. जंगलों में प्रे-बेस (Prey Bare) में कमी होना।

3. स्थानीय लोगों की मवेशियों को बघेरे द्वारा मारे जाने पर बदले की भावना से लोगों द्वारा बघेरे को मारना।

4. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बघेरे की खाल एवं अंगों की बढ़ती हुई मांग के कारण शिकार होना।

5. बघेरों के आबादी क्षेत्रों में आने एवं मनुष्यों को घायल करने/ मारने पर आत्मरक्षा में बघेरों को मारना।

(3) जी हां। किसी भी वन्यजीव को किसी भी क्षेत्र में पुन:स्थापन करना अत्यन्त खर्चीला, कठिन एवं जोखिम पूर्ण कार्य है।

सरकार द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समय-समय पर पर्याप्त कदम उठाये जाते हैं।

(4) जी हां। सरिस्का में टाईगरों के पुन:स्थापन में विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यय किया जा रहा है।

हाडौती के जंगलों में बघेरों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :-

1. बघेरों के आश्रय-स्थल (हैबिटेट) के संरक्षण व संवर्धन हेतु विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

2. भूतपूर्व सैनिकों की संविदा पर भर्ती कर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

3. रात्रि गश्त एवं पैदल गश्त पर विशेष बल दिया जा रहा है।

(वन राज्य मंत्री)

4. गुप्त सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है।

5. वन्यजीवों के संरक्षण हेतु सूचनाओं के त्वरिक आदान-प्रदान के उद्देश्य से वायरलैस तंत्र विकसित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राजपत्रित अधिकारियों हेतु चयनित वेतनमान

23. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त प्रकार का परिलाभ राजपत्रित अधिकारियों को भी प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि समयबद्ध पदोन्नति व चयनित वेतनमान का परिलाभ नहीं मिलने के कारण अनेक राजपत्रित अधिकारियों को उनके संवर्ग में पन्द्रह, बीस वर्ष तक पदोन्नति प्राप्त नहीं होती? यदि हां, तो सरकार ऐसे अधिकारियों को राहत देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 25.01.1992 से राज्य सरकार द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति के एवज में क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान दिये जा रहे हैं तथा शिक्षकों को दिनांक 01.07.1998 से 9, 18, 27 वर्ष पर देय चयनित वेतनमान के स्थान पर वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देय है, जो अध्यापक को क्रमश: 10-10 एवं वरिष्ठ अध्यापक एवं स्कूल व्याख्याता को क्रमश: 10-8 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर देय हैं।

(2) अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के जिन पदों को राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित किया हुआ है, उनको चयनित वेतनमान देय है। राज्य सेवाओं के अन्य राजपत्रित अधिकारियों को चयनित वेतनमान दिये जाने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि उन्हें उच्च वेतनमान एवं पदौन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध हैं।

(वित्त मंत्री)

(3) राज्य सेवा के पदों के वेतनमान एवं उनके पदोन्नति के पद, इन पदों की कार्य के लिये आवश्यकता (functional requirement), कर्तव्यों एवं दायित्वों को ध्यान में रख कर निर्धारित किये जाते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को सामान्यतः संवर्ग/सेवा में पदौन्नति के पर्याप्त अवसर एवं उच्च वेतनमान उपलब्ध हैं।

कठूमर विधान सभा क्षेत्र में निजी आय से क्रय सामग्री

24. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक व 2004-05 से अब तक सांसद कोष एवं विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से कितने व कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? कार्यों का विवरण मय स्वीकृत राशि, उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र व बचत राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति कठूमर व पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई व कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? वर्ष 1998-99 से अब तक ग्राम पंचायतवार, मदवार स्वीकृत कार्यों सहित आबंटित राशि, व्यय राशि व उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कठूमर में वर्ष 2007-08 में शिक्षा उपकर व निजी आय की राशि से दरी पट्टियां क्रय की गई हैं? यदि हां, तो शिक्षा उपकर व निजी आय कितनी-कितनी है एवं दरियां कितने की क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दरियां क्रय करने से पूर्व साधारण सभा की बैठक में अनुमोदन कराया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सांसद/विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से स्वीकृत कार्यों अवधिपार विवरण निम्न प्रकार है :-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

योजना	अवधि	स्वीकृत कार्य
सांसद कोष	वर्ष 1998-99 से 2003-04	139
सांसद कोष	वर्ष 2004-05 से अब तक	33
विधायक क्षेत्रीय विकास	1998-99 से 2003-04 (योजना प्रारम्भ 1-4-1999 से)	262
विधायक क्षेत्रीय विकास	2004-05 से अब तक	277

सांसद कोष के कार्यों का विवरण मय स्वीकृत राशि एवं प्राप्त उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों एवं बचत राशि के परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है तथा विधायक क्षेत्रीय विकास कोष के कार्यों का विवरण परिशिष्ट-3 व 4 पर उपलब्ध है।

(2) पंचायत समिति कठूमर व पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में योजनावार आबंटित राशि, मदवार व्यय राशि एवं 1998-99 से अब तक ग्राम पंचायतवार, मदवार स्वीकृत कार्यों सहित आवंटित राशि व्यय राशि व उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र का पृथक-पृथक विवरण निम्नानुसार परिशिष्टों पर संलग्न है :-

क्र. सं.	विवरण	पं.स. कठूमर से संबंधित परिशिष्टों का विवरण	पं.स. लक्ष्मणगढ़ से संबंधित उपलब्ध परिशिष्टों का विवरण
1	योजनावार आबंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण	परि. 5 पर उपलब्ध है।	परि. 8 पर उपलब्ध है।
2	योजनावार आबंटित राशि एवं उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों का विवरण वर्ष 1998-99 से तब तक	परि. 6 पर उपलब्ध है।	परि. 9 पर उपलब्ध है।
3	ग्राम पंचायतवार/मदवार स्वीकृत कार्यों सहित आबंटित राशि, व्यय राशि व उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों का विवरण	परि. 7 पर उपलब्ध है।	परि. 10 पर उपलब्ध है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) पंचयत समिति कठूमर में वर्ष 2007-08 में शिक्षा उपकर निजी आय की राशि से दरी पट्टी क्रय की गई है। अवशेष-

दिनांक	शिक्षा उपकर	अन्य आय	कुल आय
1.4.2007	49150	1271524	1320674
31.3.2008	851	168473	169324

वर्ष 2007-08 में पं.समिति समिति कठूमर द्वारा निजी आय से 5500 नग दरी-पट्टियां क्रय की गई थी, जिन पर कुल 585200/- रु. व्यय किये गये।

(4) दरियों की मांग ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कठूमर की उनके पत्र क्रमांक 513 दिनांक 9.10.2007 द्वारा की जाने पर दिनांक 15.10.2007 की साधारण सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रय की साधारण सभा में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति दूदू एवं फागी में प्रस्तावित नवीन विद्यालय

25. **श्री बाबूलाल नागर** (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राथमिक विद्यालय खोलने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति दूदू एवं फागी में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थान पर?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दूदू एवं फागी में जन प्रतिनिधियों एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया गया है? यदि हां, तो गत साढ़े चार वर्षों में कौन-कौन से गांव व ढाणियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया गया तथा कौन-कौन सी ढाणी एवं गांवों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये तथा शेष स्थानों पर कब तक नवीन प्राथमिक विद्यालय खोल दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु विभाग में कोई नियम नहीं हैं,

(शिक्षा मंत्री)

अपितु प्राथमिक विद्यालय खोलने के मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं। सत्र 2008-09 में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं हैं।

(3) जी हां। गत साढ़े चार वर्षों में पंचायत समिति दूदू एवं फागी के गांव व ढाणियों में जनप्रतिनिधियों एवं विभाग के अधिकारियों से नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर एवं खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है। शेष प्रश्न का उत्तर भाग संख्या-02 के अनुसार है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

गंगानगर विकास न्यास में हुई अनियमितताओं की जांच

26. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गंगानगर विकास न्यास में हुई अनियमितताओं की संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट सरकार को कब तक प्राप्त हुई एवं उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर विकास न्यास, गंगानगर में हुई अनियमितताओं के संबंध में संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 5.8.2006 को राज्य सरकार को भिजवाई गई। राज्य स्तर पर परीक्षणोपरान्त संभागीय आयुक्त बीकानेर से संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्रादि चाहे गये हैं, जो संभागीय आयुक्त, बीकानेर से अपेक्षित है।

संभागीय आयुक्त, बीकानेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 5.8.2006 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी जिले के निर्माणाधीन एनीकटों हेतु राशि का हस्तान्तरण

27. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में निर्मित किये जाने वाले कालानला, रामझर तथा गुलखेड़ी एनीकटों के निर्माण की अनुमति विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त एनीकटों के निर्माण हेतु अनुमति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, बूंदी द्वारा मण्डल वन अधिकारी, बूंदी को पत्र क्रमांक 9552-53 दिनांक 03 नवम्बर, 2007 लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त एनीकटों की राशि वन विभाग को स्थानान्तरित किये जाने पर एनीकटों का निर्माण करवाया जा सकेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा भू-संरक्षण एवं भूमिगत जलस्त्रोत की बढ़ोतरी के लिये वर्षों पूर्व प्रारम्भ किया गया बारीका खाल, ग्राम सीसोला, तहसील नैनवां का एनीकट का कार्य धनाभाव के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा एनीकट को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बूंदी में कालानला, रामझर तथा गुलखेडी एनीकटों के निर्माण की अनुमति अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग, बूंदी द्वारा मण्डल वन अधिकारी, बूंदी से मांगी गई थी। उपरोक्त प्रस्तावित एनीकट अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी की सीमा में है। वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्दर वन विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी भी विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। अतः जल संसाधन विभाग को उक्त, एनीकटों के निर्माण की अनुमति दी जानी सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है कि अधिशासी अभियंता जल संसाधन खण्ड, बूंदी द्वारा मण्डल वन अधिकारी बूंदी को पत्र क्रमांक 9552 दिनांक 03.11.2007 लिखा गया। अधिशाषी अभियंता ने अपने उपरोक्त पत्र में कालानला व रामझर एनीकट निर्माण कराने की अनुमति चाही गई।

वन संरक्षक, पूर्वीवृत, कोटा के पत्रांक 4690 दिनांक 02.05.2006 के द्वारा कालानला एनीकट की अनुमति प्रदान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या 14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/10233 दिनांक 01.11.2002 में अंकित शर्तों के अधीन दी गई।

(वन राज्य मंत्री)

परन्तु इसी दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 14(जी)2002/वसु/प्रमुवसं/3696 दिनांक 06.05.2006 के अनुसार वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्दर वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जाने के निर्देश जारी होने के कारण उपरोक्त एनीकटों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकी।

(3) वन विभाग द्वारा अभ्यारण्य की प्रबंध योजना तैयार की जा रही है। उक्त प्रबंध योजना में इन एनीकटों के प्रस्तावों पर विचार किया जाकर उपयुक्त पाये जाने पर प्रबंध योजना में शामिल किया जावेगा। मण्डल वन अधिकारी स्तर पर प्रबंध योजना तैयार होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी। अनुमोदन उपरांत प्रबंध योजना अनुसार राशि उपलब्ध होने पर कार्य किया जा सकेगा।

(4) जी हां। बारी का खाल एनीकट को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला परिषद बूंदी से अनुरोध किया गया था। जिला परिषद बूंदी द्वारा राशि उपलब्ध करावाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने से कार्य अब तक पूर्ण नहीं करवाया जा सका है। अन्य मदों में से राशि उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि एनीकट के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया जा सके।

निवाई शहर के आवासीय क्षेत्र से उच्च क्षमता विद्युत लाइनों का स्थलान्तरण

28. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में अनेक आवासीय कालोनियों के ऊपर से हाइटेंशन लाइन के कारण आम लोगों के जान-माल को खतरा हो रहा है? यदि हां, तो सरकार इन हाइटेंशन लाइनों को कब तक हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है उक्त शहर की शिवाजी कालोनी में हाइटेंशन लाइन को हटाने के लिये जिला परिषद्, टोंक द्वारा राशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि हां, तो कितनी राशि विद्युत निगम को प्राप्त हो चुकी है? राशि प्राप्त होने के बाद भी हाईटेंशन लाइन को नहीं हटाये जाने के क्या कारण हैं

(श्री हीरालाल)

और अब कब तक उक्त हाइटेंशन लाइन को हटा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निवाई शहर की शिवाजी कॉलोनी, भगतसिंह कालोनी, जनता कालोनी एवं सिन्धी कालोनी के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 03.3.2003 को निर्णय दिया गया है कि आंकलन राशि 57,43,020/- रुपये समान रूप से नगर पालिका निवाई, जयपुर डिस्कॉम एवं चारों कॉलोनियों के प्रभावित 32 व्यक्ति वहन करेंगे। दिनांक 01.10.2003 को सहायक अभियन्ता, निवाई द्वारा नगरपालिका, निवाई तथा प्रभावित 32 व्यक्तियों को मांग पत्र की राशि जमा कराने हेतु लिखा गया किन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। जैसे ही राशि जमा कराई जाएगी, लाइन हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी हां। जिला परिषद टोंक द्वारा 14.02.2006 को 96,903/- रुपये का भुगतान सहायक अभियन्ता, निवाई के कार्यालय में किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में एक वाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण यह कार्य करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

बीकानेर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के श्रमिकों हेतु आवश्यक सुविधाएं

29. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत जिला बीकानेर में कार्य स्थल पर आवश्यक सुविधाएं छाया हेतु टैंट, पेयजल हेतु मटकियां छोटे बच्चों हेतु पालनागृह, दवाई, कार्यस्थल पर सूचना पट्ट आदि उपलब्ध न होने बैंक, डाकघर में खाता न खोले जाने, कार्य की पैमाइश समय पर न करवाए जाने, पैमाइश में कार्य कम दर्ज किए जाने, समय पर भुगतान न किए जाने के कारण समय-समय पर धरने एवं प्रदर्शन किए गए? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब-कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कोई

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कार्य योजना बनाकर किन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है? यदि हां, तो किन-किन की व क्या?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला बीकानेर में ऐसी अनेकों ग्राम पंचायतें हैं जहां बैंक अथवा पोस्ट आफिस की सुविधाएं न होने के कारण खाता खुलवाने/जमा राशि को निकलवाने के लिए श्रमिकों को न सिर्फ पूरा दिन व्यतीत करना पड़ता है बल्कि 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी का सफर तय करना पड़ता है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम के श्रमिकों को? ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार/तहसीलदवार सूची मय खाताधारियों की संख्या के सदन की मेज पर रखें तथा यह बताएं कि क्या सरकार श्रमिकों को ग्राम स्तर पर भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर धरने एवं प्रदर्शन किये गये हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार है-

1. दिनांक 13.5.2008 को श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, माननीय विधायक के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर
2. दिनांक 25.6.2008 एवं दिनांक 30.6.2008 को धीरदेसर पुरोहितान के श्रमिकों द्वारा पैमाइश में कार्य कम दर्ज किये जाने पर

(2) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान अन्तर्गत जिला बीकानेर में कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कार्यक्रम अधिकारियों को आवश्यक धनराशि टॉस्क बोर्ड, डिस्पले बोर्ड, पालने एवं पीने के पानी की व्यवस्था हेतु उपलब्ध करवाई गई है। रु. 50/- से कम टॉस्क होने वाले कार्यों की साप्ताहिक पैमाईश करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1412-38 दिनांक 3.6.2008 द्वारा क्षेत्रवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। साथ ही आदेश क्रमांक 1594-1603 दिनांक 16.6.2008 द्वारा जिला परिषद में कार्यरत अधिकारियों का कार्य विभाजन कर नरेगा योजना के सभी कार्यों की अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है, ताकि कार्यस्थल पर छाया हेतु टैन्ट, पेयजन हेतु मटकियां, पालना मेडिकल किट, सूचना पट्ट, बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलने, भुगतान

(ग्रामीण विकास मंत्री)

आदि कार्यों पर गहन व सतत् निगरानी रखी जा सके। जारी पत्रों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि बीकानेर जिले में ऐसी कई पंचायतें हैं, जहां बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की सुविधायें नहीं होने के कारण 10 कि.मी. से अधिक दूरी वाले ग्रामों के श्रमिकों को भुगतान में परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिये इन गांवों में श्रमिकों को वर्तमान में नगद भुगतान किया जा रहा है। जिले के लगभग 195 गांव, जो 10 कि.मी. से अधिक दूरी पर हैं, के गांवों की पंचायतवार/तहसीलवार सूची मय खाताधारियों की संख्या की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है तथा जब तक इन गांवों के श्रमिकों द्वारा बैंक/पोस्ट आफिस में खाते नहीं खुलवाये जाते हैं, तब तक श्रमिकों को उनके गांव में ही नकद भुगतान करने की व्यवस्था कर दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नगरपालिका क्षेत्र जालौर में उद्योग स्थापन हेतु विचाराधीन प्रकरण

30. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका जालौर की परिसीमा में उद्योग स्थापित करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन अथवा भूमि रूपान्तरण की पत्रावलियां विचारार्थ प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में कुल कितनी पत्रावलियां प्राप्त हुई तथा उनमें से कितनी पत्रावलियों का निस्तारण कर दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से अब कितनी पत्रावलियां किस-किस स्तर पर तथा क्यों लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत दो वर्षों में कुल 82 पत्रावलियां प्राप्त हुई, जिनमें से 29 का निस्तारण कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त में से लम्बित पत्रावलियों का विवरण मय कारण के परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलॉग पूर्ति हेतु जारी आदेश/परिपत्र

25. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पदों को भरने हेतु आशार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कब तक रिक्त रखने/बैकलॉग से भरने का प्रावधान है? इस संबंध में जारी नियमों/दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/क-2/2002 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को वर्तमान में संशोधित कर दिया गया है? यदि हां, तो संशोधन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस संबंध में अधिसूचित नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-26

(स्थगित)

प्रताप नगर, सांगानेर क्षेत्र (जयपुर) की सफाई व्यवस्था

27. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रताप नगर, सांगानेर में सफाई का ठेका वर्तमान में किस ठेकेदार को किस दर पर दिया हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के सैक्टर नम्बर 62 में सफाई कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा, कब-कब किया गया? जनवरी, 2007 से जून, 2008 तक की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रताप नगर के सैक्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 सांगानेर में सफाई ठेका वर्तमान में प्रहरी सिक्योरिटी एण्ड सिक्योरिटी डिटेक्टीव प्रा. लि. नामक फर्म को वार्ड की सम्पूर्ण सफाई यथा : सड़क पर झाडू बुहार, छोटी नाली, गन्दी गलियों की सफाई, बड़े नाले एवं कचरा परिवहन आदि 750/- प्रति मैट्रिक टन से मासिक भुगतान किया जाता है।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक एवं जमादार के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

हवामहल (जयपुर) विधान सभा क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण भवन

28. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या स्वायत शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम जयपुर के हवामहल (पूर्व) तथा हवामहल (पश्चिमी) जोन में कितने मकान जीर्ण-शीर्ण व गिराऊ हालात में हैं? मय नाम पते के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सूची में से कितने मकानों में जयपुर नगर निगम, भवन मालिक व किरायेदारों के मध्य माननीय न्यायालय में वाद लम्बित है तथा किन-किन किरायेदारों ने जीर्ण-शीर्ण अथवा गिराऊ भवनों को नहीं गिराने बाबत जयपुर नगर निगम के विरुद्ध यथा स्थिति बनाये रखने के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर रखे हैं। मय नाम पते के सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सूची में से कितने भवन ऐसे हैं जिनमें भवन मालिक तथा किरायेदार विगत कुछ समय से निवास नहीं करते हैं? सूची मय नाम पते के सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन भवनों के गिराऊ व जीर्ण-शीर्ण भाग में कोई भी नहीं रहता है तथा भवन मालिक व किरायेदार के मध्य न्यायालय में कोई वाद भी विचाराधीन नहीं है, क्या सरकार ऐसे क्षतिग्रस्त भवनों से राहगीरों तथा आस-पास रहने वाले आमजन को जान-माल की क्षति न हो, इस बाबत कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर के हवामहल जोन पूर्व व पश्चिम में जितने मकान जीर्ण शीर्ण व गिराऊ हालत में हैं, का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न सूची के कालम संख्या 2 में दिया गया है।

(2) उक्त सूची में से जितने मकानों में जयपुर नगर निगम, भवन मालिक व किरायेदारों के मध्य माननीय न्यायालय में वाद लम्बित है का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 3 में अंकित है तथा जिन किरायेदारों ने जीर्ण-शीर्ण व गिराऊ भवनों को नहीं गिराने बाबत नगर निगम के विरुद्ध यथा स्थिति बनाये रखने के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर रखे हैं, का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 4 में अंकित है।

(3) उक्त सूची में से जितने भवन मालिक व किरायेदार विगत कुछ समय से निवास नहीं कर रहे हैं, का विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 5 में अंकित है।

(4) जिन भवनों के गिराऊ व जीर्ण-शीर्ण भाग में कोई भी नहीं रहता है तथा मकान मालिक व किरायेदार के मध्य न्यायालय में कोई वाद भी नहीं है का विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम सख्या 6 में अंकित है। जी हां, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 200 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका (सांगोद) के अध्यक्ष का रिक्त पद

29. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सांगोद के अध्यक्ष का पद अन्य पिछडा वर्ग की महिला के लिए सुरक्षित है व निर्वाचित प्रतिनिधि के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण यह पद अभी भी रिक्त है, व अस्थाई रूप से अध्यक्ष कार्यरत है? यदि हां, तो पद कब से रिक्त है तथा अविश्वास के तहत हटाये गये अध्यक्ष व कार्यवाहक अध्यक्ष के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार एक निर्धारित समय सीमा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष का चुनाव करवाना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्या निर्धारित समय में चुनाव करवा लिये गये व नहीं, तो चुनाव नहीं करवाने के क्या कारण रहे व अब कब तब चुनाव करवा लिये जावेंगे?

(श्री भरत सिंह)

(3) क्या यह सही है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त महिला अध्यक्ष के पद पर पुरुष को कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार संभला दिया गया था?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की जिला कलक्टर से जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट व दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती बंसती बाई सुमन तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध दिनांक 17.09.2007 को अविश्वास प्रस्ताव पर हुई मतगणना में अविश्वास प्रस्ताव हो जाने से अध्यक्ष का उक्त पद रिक्त हो गया था। तत्पश्चात उप खण्ड अधिकारी सांगोद के पत्र दिनांक 17.09.2007 के द्वारा पालिका के उपाध्यक्ष श्री देवकीनन्द राठौड़ को अध्यक्ष के पद पर कार्यभार लेने के निर्देश दिये गये उक्त निर्देश नियमों के विपरीत होने के कारण राजकीय आदेश दिनांक 26.02.2008 के द्वारा श्रीमती सावित्री देवी प्रजापत को अध्यक्ष के पद का कार्यभार एक माह के लिए संभालने के लिए अधिकृत किया गया।

(2) जी नहीं। समय सीमा निर्धारत नहीं है नगरपालिका के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर में निहित है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

मोती गृह निर्माण सहकारी समिति, माचेड़ा (जयपुर) की आवासीय योजना का नियमन

30. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम माचेड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर के पुराना खसरा नम्बर 405 व नया खसरा नम्बर 925/1245, 986/1250 जो 200 फीट बाईपास के पश्चिम की ओर स्थित है, का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक नियमन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) ग्राम माचेड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित मोती गृह

(श्री भंवरू खान)

निर्माण सहकारी समिति की योजना 4-सी में भूखण्डधारियों के नामों की सूची एवं मानचित्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुराना खसरा नम्बर 405 की भूमि में से केवल 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही कृषि उपज मण्डी समिति हेतु अधिग्रहित की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त खसरा की अन्य शेष भूमि की अवाप्ति के संबंध में कोई कार्यवाही सरकार के विचाराधीन नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की 90-बी की कार्यवाही कर उसका नियमन कर पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम माचेड़ा तहसील आमेर, जिला जयपुर के हाल खसरा नं. 925/1245 व 986/1250 पुराने खसरा नं. 405 से बने हैं और ये 200 फिट से जोन बाईपास के पश्चिम दिशा में स्थित है का नियमन नहीं किया गया है। धारा 90-बी के नोटिस प्रकाशन के विरुद्ध खातेदार काश्तकारों ने आपत्ति की, जिसके कारण भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी की कार्यवाही नहीं होने के कारण इसका नियमन नहीं किया गया है। अनुमोदित मानचित्र में इस हिस्से को कृषि मण्डी अवाप्ति से प्रभावित भी बताया गया है।

(2) सूची व अनुमोदित मानचित्र संलग्न है। क्रमशः परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि पुराने खसरा नम्बर 405 की भूमि में से केवल 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही कृषि उपज मण्डी समिति हेतु अधिग्रहित की गई है इस खसरा नम्बर की शेष भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की अवाप्त में नहीं है।

(4) काश्तकारों की आपत्ति होने एवं क्रेता सहकारी समिति का (वैध) स्वामित्व होने के अभाव में धारा 90-बी की कार्यवाही नहीं की गई। धारा 90-बी की कार्यवाही नहीं होने से नियमन कर पट्टे जारी करना सम्भव नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वैशाली नगर (जयपुर) क्षेत्र का सौन्दर्यकरण

31. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसरदेव बाबर)

(1) जयपुर शहर स्थित वैशाली नगर क्षेत्र में कहां-कहां, किस-किस मार्ग पर सौन्दर्यकरण की क्या-क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वैशाली नगर स्थित गांधी पथ मुख्य सड़क के मध्य डिवाइडर बनाने, रोड-लाइट्स लगाने, नाली बनाने इत्यादि के कार्य प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो ये कार्य कब तक शुरू किया जाकर कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांधी पथ मुख्य सड़क के बीच में बिजली के पिलर-बाक्स लगे हुए हैं और अव्यवस्थित रूप से खुले रूप में केबल डालकर घरों में विद्युत सप्लाई की जा रही है? यदि हां, तो उक्त बिजली के पिलर-बाक्स को दो मकानों के सेंटर में सड़क किनारे कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? साथ ही विद्युत लाइन को भी कब तक अण्डरग्राउण्ड कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वैशाली नगर क्षेत्र में प्रमुख मार्गों के सौन्दर्यकरण की योजना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वैशाली नगर स्थित गांधी पथ मुख्य सड़क के मध्य डिवाइडर बनाने का कार्य प्रस्तावित नहीं है। सौन्दर्यकरण के अन्तर्गत सड़क की चौड़ाई चार लेन तक बढ़ाने, नाला ढकने एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। सड़क की चौड़ाई बढाने का कार्य दिनांक 26.12.2006 को एवं फुटपाथ व नाली ढकने का कार्य दिनांक 23.7.2007 को प्रारम्भ किया गया है एवं जितने क्षेत्र में कार्य सम्पादन हेतु भूमि उपलब्ध हो पाई है उस क्षेत्र में कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सड़क पर रोड लाइट लगाने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी कर निविदाएं प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा।

(3) वैशाली नगर क्षेत्र में गांधी पथ मुख्य सड़क पर स्थित ओवर हैड एल.टी. लाइन को अण्डरग्राउण्ड केबल डालकर व सडक के किनारे पिलर-बाक्स लगाकर हटाया गया था, परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रोड चौड़ी करने का कार्य सम्पादित किया गया जिससे कुछ पिलर-बाक्स रोड क्षेत्र में आ गये।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)
इन पिलर बाक्सों को स्थानान्तरित करने का तकमीना रु. 26,97,294/- के भुगतान हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 20.2.2008 को पत्र लिखा गया है, परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त तकमीने की राशि अभी तक जमा नहीं करायी गयी है, राशि जमा होते ही प्राथमिकता से उक्त कार्य को सम्पादित कर दिया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्लाक ''ई'' पंचवटी (सांगानेर) की आवासीय योजना में आबंटित भू-खण्ड

32. **श्री बन्ने सिंह राठौड़** (औसियां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा तहसील सांगानेर क्षेत्र में पंचवटी ब्लॉक ''ई'' के नाम से आवासीय योजना में भूखण्ड काटे गये हैं? यदि हां, तो उक्त योजना हेतु भूमि कब एवं किस-किस आधार पर किससे कितनी ली गई एवं कितने व्यक्तियों को भूखण्ड के पट्टे दिये गये?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना का रेकार्ड समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवा दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? उक्त योजना के मानचित्र की प्रति सहित भूखण्डधारियों के नाम एवं पतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जन सहयोगी विकास समिति, सांगानेर द्वारा दिनांक 4.7.2008 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा पंचवटी ब्लॉक ''ई'' के नाम से भूखण्ड काटे गये हैं। सहकारी समिति द्वारा पंचवटी ब्लाक ''ई'' का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके अभाव में अप्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा पंचवटी ब्लॉक ''ई'' का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके अभाव में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है।

सिरोही जिले में जलाऊ लकड़ी की उपलब्धता

33. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) सिरोही जिले के सरूपगंज डिपो में कब से लकड़ी उपलब्ध नहीं है तथा अब उक्त स्थान पर कब तक लकड़ी उपलब्ध करा दी जाएगी?

(2) वर्ष 2008 में जिले में कितनी लकड़ी पकड़ी गई एवं उसका क्या उपयोग किया गया?

(3) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में मृतकों को जलाने के लिए लकड़ी की भारी कमी है? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

(4) सरकार द्वारा शिवगंज (सिरोही) के श्मशान पर लकड़ी कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सिरोही जिले में लकड़ी का दूसरा और डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के सरूपगंज डिपो में माह अप्रैल, 2008 से लकड़ी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न स्त्रोतों से लकड़ी प्राप्त होने पर उक्त डिपो पर उपलब्ध हो सकेगी।

(2) जिला सिरोही में वर्ष 2008 में कुल 94.50 क्विंटल लकड़ी पकडी गई, जिसका बेचान किया जा चुका है।

(3) जिलों में विभिन्न कार्यों हेतु लकड़ी की उपलब्धता का आंकलन विभागीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(4) श्मशान स्थल पर लकड़ी उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व वन विभाग का नहीं है। विभागीय डिपो पर लकड़ी उपलब्ध होने पर जन साधारण को बिक्री की जाती है।

(5) सिरोही जिले में स्थित वन क्षेत्रों में लकड़ी का विधिवत विदोहन बंद होने के कारण वन क्षेत्रों से लकड़ी की कम उपलब्धता को देखते हुए दूसरा डिपो खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

34. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कथित घोटाले

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

की जांच आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद के उपाध्यक्ष को सौंपी गई है? यदि हां, तो उक्त जांच कब सौंपी गई तथा जांच की रिपोर्ट देने हेतु कितनी अवधि निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कथित घोटाले उपरान्त सरकार द्वारा कीटनाशक दवाइयों की खरीद व वितरण में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त जांच उपाध्यक्ष आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद को 2.05.2008 को शीघ्र सम्पन्न करने हेतु सौंपी गई।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जांच प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। अनुदान वितरण में पारदर्शिता रखने के लिये दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में उपलब्ध करायी जाने वाली सहायता/अनुदान हेतु कृषक की पहचान के लिये जमाबन्दी की नकल/पासबुक की फोटो प्रति आवेदन के साथ लिया जाना आवश्यक कर दिया गया है, जिससे वास्तविक कृषक को ही लाभ मिल सके।

नियोजन कार्यालयों में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु दर्ज अभ्यर्थी

35. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व भत्ता प्राप्त करने वाले बेरोजगारों की क्या-क्या योग्यतायें निर्धारित की गई हैं? यह भत्ता कितना और कब तक दे दिया जावेगा?

(2) राज्य में जिला नियोजन कार्यालयों में ऐसे कितने व्यक्तियों द्वारा

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पंजीयन करा रखा है, जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला नियोजन कार्यालयों में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले योग्य व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को अब तक यह भत्ता कब से दिया गया व कितने व्यक्तियों के भत्ता प्राप्त करने के आवेदन विचाराधीन हैं? नियोजन कार्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्नातक बेरोजगारी भत्ता योजना, 2007 के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता एक जुलाई, 2007 से लगातार दिया जा रहा है। योजना की पात्रता परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। उक्त योजनान्तर्गत पुरुष प्रार्थी 400/- रु., महिला प्रार्थी 500/- रु. एवं नि:शक्तजन प्रार्थी को 600/- रु. प्रतिमाह देय हैं। बेरोजगारी भत्ता पात्र व्यक्ति के आवेदन करने पर दिया जाता है।

(2) राज्य में जिला नियोजन कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 2007 तक कुल 2,80,681 स्नातक एवं उच्च योग्यताधारी बेरोजगार आशार्थियों ने पंजीयन करा रखा है जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) राज्य के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 01 जुलाई, 2007 से 30 जून, 2008 तक 37886 बेरोजगारों को भत्ता दिया गया है एवं 30 जून, 2008 को 2571 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। नियोजन कार्यालयवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

धोद एवं लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के विद्यालयों में रिक्त पद

36. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति धोद एवं लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कौन-कौन से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति धोद एवं लक्ष्मणगढ़ में अवस्थित उपरोक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से व कितने पद स्वीकृत हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसरदेव बाबर)

(3) उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध 15 जून, 2008 को किस-किस प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कौन-कौन से व कितने पद रिक्त थे? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति धोद एवं लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति धोद एवं लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में श्रेणीवार स्वीकृत पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

(3) उक्त संचालित विद्यालयों में श्रेणीवार स्वीकृत पदों के विरुद्ध 15 जून, 2008 को रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में शैक्षणिक प्रकोष्ठ प्रभारी के पदों पर नियम विरुद्ध पदस्थापन

37. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1990 में भरतपुर एवं कोटा जोन में अध्यापक ग्रेड द्वितीय (वाणिज्य) की पदोन्नति अध्यापक ग्रेड प्रथम (स्कूल व्याख्याता वाणिज्य) के पद पर तदर्थ/अस्थाई रूप से कर विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में शैक्षणिक प्रकोष्ठ प्रभारी (प्रथम श्रेणी) के पद पर पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो कब-कब किन-किन को व कहां-कहां?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद पर दी गई तदर्थ/अस्थाई पदोन्नति को सरकार के आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 1991 द्वारा निरस्त कर उक्त पदोन्नत व्याख्याताओं को सहायक ग्रेड द्वितीय पर पदावनत किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार के वर्ष 1991 के आदेश के विरुद्ध

(श्री रमेश खींची)

पदोन्नत कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है? यदि हां, तो उक्त में न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के विरुद्ध अध्यापकों द्वारा डबल बैंच में भी अपील दायर की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त अपील पर भी डबल बैंच द्वारा सरकार को अपने स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्णय दिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या अब सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22 जनवरी, 1992 के तहत विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में वर्तमान में पद स्थापित शैक्षणिक प्रकोष्ठ प्रभारी (प्रथम श्रेणी) के पद पर नियम विरुद्ध पद स्थापित अध्यापकों को वापस विद्यालयों में भेजकर न्यायालय के आदेशों की पालना कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) अब तक उक्त ऐसे अध्यापकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से विद्यालयों में वापस पदस्थापन नहीं करने के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पदोन्नति आदेश की छाया प्रतियों का परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट ''ख'' में संलग्न है।

(3) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा निर्णय प्रदान किया गया कि विभाग 82-83 से बकाया विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने तथा जब तक डी.पी.सी. सम्पन्न नहीं हो, तब तक इन्हें पदावनत नहीं किया जावे।

वर्ष 1997 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने निर्णय दिया कि विभाग द्वारा डी.पी.सी. सम्पन्न करायी जा चुकी है, अत: इनका कोई हक नहीं बनता है, के आधार पर सभी याचिकायें खारिज कर दी गई।

(4) जी हां। डबल बैंच में दायर याचिका माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में खारिज कर दी गई। जिसके

(शिक्षा मंत्री)

परिणामस्वरूप पदोन्नत लोक सेवकों को अध्यापक द्वितीय श्रेणी के पद पर पदावनत कर दिया गया।

(5) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.1992 में ऐसे आदेश नहीं दिये हैं।

(6) जिन अध्यापकों को पदोन्नत किया गया था उन्हें पदावनत कर उनके मूल पद पर पदस्थापित कर दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र ग्रामों/ढाणियों का विद्युतीकरण

38. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में वर्ष 2004 से आज तक किस-किस स्थान पर नए 132 के.वी.ए. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में वर्ष 2004 से अब तक कितने नये ग्रामों व ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया? वर्षवार विद्युतीकृत ग्रामों व ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में वर्ष 2004 से आज तक केवल एक नया 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन काछवा में स्थापित किया गया है।

(2) लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों व 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों को सन् 2004 से पहले ही विद्युतीकृत कर दिया गया था। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 100 से कम आबादी वाली कुल 12 ढाणियों को चिन्हित किया गया है जिनको ''मुख्यमुत्री सबके लिए विद्युत योजना'' के अन्तर्गत विद्युतीकृत किया जाना है। इन 12 ढाणियों में से कुल 7 ढाणियों के आवेदन पत्र प्राप्त हो गये हैं तथा उन ढाणियों को विद्युतीकृत करने की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजनान्तर्गत जिला चूरू में व्यय राशि

39. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(1) "राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना" के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक जिला चूरू में किन-किन ग्रामों/ढाणियों का विद्युतीकरण किया गया? वर्षवार व ग्राम/ढाणिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कितने ग्रामों/ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत प्रारम्भ से अब तक जिला चूरू में कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत चूरू जिले में स्वीकृत कार्य का विवरण एवं अब तक (जून-2008) तक किये गये कार्य का विवरण निम्न है :-

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का विवरण	संख्या	अब तक किये गये विद्युतीकरण कार्य का वर्षवार विवरण (जून-2008)			
			06-07	07-08	08-09	कुल
1	अविद्युतीकृत/डी-इलेक्ट्रीफाइड गांवों का विद्युतीकरण	11	5	1	0	06
2	ढाणियों का विद्युतीकरण	87	16	57	0	73
3	गांवों का इन्टेन्सिव इलेक्ट्रीफिकेशन	843	0	260	55	315

जिनकी नामवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्य में से अब शेष रहे कार्य को मार्च, 2009 तक सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है, तथा इस योजना में स्वीकृत गांवों में से 5 गांव गैर आबाद होने से जिला कमेटी द्वारा स्वीकृत कार्य में से हटा दिया गया है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत माह जून, 2008 तक कुल 681.17 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि लाख रुपये में
1	2006-07	149.08
2	2007-08	191.53
3	2008-09	340.56
	कुल	681.17

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फीडर सुधार योजनान्तर्गत तहसील हिण्डौली व नैनवां के लाभान्वित ग्राम

40. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हिण्डौली और नैनवां तहसील में किन-किन गांवों में फीडर सुधार योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर दिया गया और किन-किन गांवों में इस योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण होना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गांवों में इस योजनान्तर्गत कार्य सम्पन्न कर दिया गया उन प्रत्येक गांवों में ऐसे कितने व्यक्तियों को जिन्होंने इस योजना से पूर्व विधिवत रूप से घरेलू कनेक्शन ले रखे थे, को इस योजना के लागू होने के बाद से भी अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फीडर सुधार योजना के अन्तर्गत तहसील हिण्डौली व नैनवां के फीडरों से जुड़े सभी ग्रामों का सुधार कार्य पूर्ण कर दिया गया है जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) फीडर सुधार योजना के अन्तर्गत सुधार कार्य पूर्ण हो जाने पर हिण्डौली में कुल 34 एवं नैनवां में 36 ऐसे विधिवत घरेलू कनेक्शन, जो कार्य प्रारम्भ होने से पहले चालू थे, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी विद्युत बिल बकाया होने के कारण चालू नहीं हो सके हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति गिर्वा (सलूम्बर) में सांसद/विधायक विकास कोष से स्वीकृत कार्य

41. श्री अर्जुन लाल मीणा (दानपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति गिर्वा में वर्ष 2003-04 से अब तक विधायक मद, सांसद मद तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से क्या-क्या कार्य स्वीकृत किए गए एवं स्वीकृत कार्य कब-कब पूर्ण हुए तथा कितने कार्य किस कारण अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति गिर्वा में वर्ष 2003-04 से अब तक विधायक मद, सांसद मद तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से जो कार्य स्वीकृत किए गए उनके पूर्णता का माह तथा अपूर्ण कार्यों का विवरण संलग्न परि. क्रमशः 1, 2 व 3 पर अवलोकनीय है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम मोहनपुरा पंचायत समिति बस्सी की पेयजल व्यवस्था

42. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम मोहनपुरा पंचायत समिति बस्सी (जयपुर) में गत वर्ष पीने के पानी की व्यवस्था हेतु दो बोरिंग करवाये गये हैं तथा पुरानी बनी हुई टंकियों में पानी सप्लाई हेतु पाइप लाइनें डाली गई हैं? यदि हां, तो बोरिंग, पाइप लाइन व विद्युत कनेक्शन में किस मद की कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि पाइप लाइन में सीमेंट के घटिया स्तर के पाइप डाले गये हैं, जो कई स्थानों पर लीकेज हो गये हैं तथा टूट गये हैं और पानी की टंकिया भी लीकेज करती हैं, जिसके कारण उक्त ग्राम में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम में पीने के पानी की व्यवस्था को चालू करने के लिये अन्य पाइप लाइन डाल कर व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मोहनपुरा पंचायत समिति बस्सी में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप, पाइप लाइन एवं विद्युत सम्बन्ध पर रुपये 10.63 लाख का व्यय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य मद से किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम मोहनपुरा में पीने के पानी की व्यवस्था को चालू कर टेस्टिंग के पश्चात, संचालन एवं संधारण हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जावेगी।

ग्राम मोहनपुरा (बस्सी) के पट्टों हेतु लम्बित आवेदन

43. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम मोहनपुरा के वार्ड संख्या 3 में स्थित अनुसूचित जाति की रैगर बस्ती में निर्वासित लोगों द्वारा पंचायती खातेदारी भूमि तलाई के समीप पर कच्चे मकान तथा पुख्ता नीवें भरी हुई हैं? जिन पर निर्माण के लिये ग्राम पंचायत मोहनपुरा में पट्टे जारी करने के लिये आवेदन किए गए हैं? यदि हां, तो ऐसे लोगों को पट्टे कब तक जारी करवा दिये जायेंगे व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। ग्राम मोहनपुरा के वार्ड संख्या 3 में स्थित अनुसूचित जाति की रैगर बस्ती में निर्वासित लोगों के द्वारा पंचायत की खातेदारी भूमि में तलाई के समीप अतिक्रमण की नियत से पत्थर आदि डालकर नींव खोदने का काम प्रारम्भ किया था लेकिन पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिये जाने पर अतिक्रमणियों द्वारा नींव खुदाई इत्यादि का कार्य बन्द कर दिया गया है। उक्त स्थान पर किसी प्रकार के कच्चे मकान व पुख्ता नीवें भरी हुई नहीं हैं।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति द्वारा पट्टे के लिए पंचायत में आवेदन नहीं किया गया है। उक्त भूमि आबादी भूमि न होकर खातेदारी भूमि है जिसमें पट्टे दिया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायत आनन्दसिंहपुरा (चूरू) में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजनान्तर्गत व्यय राशि

44. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत आनन्दसिंहपुरा, तहसील तारानगर, जिला चूरू में ''निर्मल ग्राम पुरस्कार योजनान्तर्गत'' जनवरी, 2007 से अब तक क्या-क्या कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण कर लिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में सम्पादित नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) उक्त कार्य सम्पादन हेतु जारी मस्टररोल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दो कार्य प्रारम्भ नहीं हुये हैं। व्यय विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। क्षतिग्रस्त पुराने खुर्रे को उखाड़ने के विवाद के कारण व स्वीकृत रास्ते पर विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके।

(3) मस्टररोल की छाया प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बेणेश्वर एवं मानगढ़ धाम के विकास पर व्यय राशि

45. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जनजातियों के बेणेश्वर धाम तथा आदिवासी बलिदान भूमि मानगढ़ धाम के विकास पर निवर्तमान सरकार तथा वर्तमान सरकार द्वारा अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पर्यटन विभाग के द्वारा मेवाड-वागड धार्मिक पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत 2005-06 से स्वीकृत बेणेश्वर धाम के घाटों के विकास, रिटेनिंग वाल, पार्किंग, टॉयलेट निर्माण हेतु अब तक रु. 26.54 लाख व्यय किए गए हैं। उक्त विकास कार्य पर कुल राशि रु. 51.00 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2007-08 में बेणेश्वर धाम एवं उससे सम्बन्धित सुविधाओं के जीर्णोद्धार एवं सुधार पर अब तक राशि रु. 9.56 लाख व्यय की जा चुकी है एवं उक्त विकास कार्यों पर कुल राशि रु. 0.2.00 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

पर्यटन विभाग में वर्तमान में आदिवासी बलिदान भूमि मानगढ़ धाम के विकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदूषित उच्छिष्ठ का परिशोधन

46. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में 'जीरो-डिस्चार्ज' पर भी टैक्सटाइल फैक्ट्रियां कार्यरत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कारखानों से प्रदूषित उच्छिष्ठ का परिशोधन, स्वयं इकाई द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो किन-किन का व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्नक 'अ' में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राज्य मण्डल द्वारा चिन्हित वृहद/माध्यम लाल श्रेणी के टैक्सटाइल प्रतिष्ठानों के द्वारा उनके औद्योगिक प्रदूषित उच्छिष्ठ का उपचार (परिशोधन) संबंधित उद्योग के स्तर पर ही किया जाता है। विवरण संलग्नक 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

स्टोन क्रेशर स्थापना हेतु नीति निर्धारण

47. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा क्या नीति निर्धारित है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नीति सरकार द्वारा अनुमोदित है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

उत्तर

(1) प्रदेश में स्टोन क्रेशर इकाई स्थापित करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की नीति/नियम निम्न है -

(क) स्टोन क्रेशर की स्थापना से पूर्व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत राज्य मण्डल से स्थापना हेतु सम्मति लेनी आवश्यक है।

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

(ख) इकाई को प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त नियंत्रण व्यवस्था का विवरण देना आवश्यक है ताकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्टोन क्रेशर हेतु निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित हो सके। निर्धारित मानकों की प्रति संलग्नक 'अ' है।

(ग) इकाई के स्थान का चयन राज्य मण्डल द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 19/10/2002 के अनुरूप वांछनीय है। दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्नक 'ब' है।

(2) जी नहीं। स्टोन क्रेशर हेतु प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानक केन्द्रीय कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये हैं।

राज्य मण्डल राज्य सरकार द्वारा गठित स्वायत्तशासी स्टेच्यूटरी निकाय है, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की धारा 17(1) (जे) के तहत इकाई के स्थान चयन हेतु समुचित दिशा-निर्देश जारी करने में सक्षम है। तद्नुसार राज्य मण्डल द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना के लिए स्थान चयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं (संलग्नक 'ब') ।

राज्य सरकार उक्त नीति में फिलहाल कोई हस्तक्षेप करने का विचार नहीं रखती है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र

48. **श्री प्रमोद जैन ''भाया'** (बारां) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में विधान सभा क्षेत्रा वार कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्र किस-किस दिनांक से किस-किस ग्राम व शहर के किस-किस स्थान पर चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों पर कौन-कौन महिलाएं किस-किस पद पर किस-किस दिनांक से कार्य कर रही हैं? नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संचालित किस-किस केन्द्र पर कितनी-कितनी महिलाएं, बच्चे एवं बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं? केन्द्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में विधान सभा क्षेत्रवार चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बारां जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्र की ग्रामवार व दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्य कर रही महिलाओं के नाम पते व दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर ही संलग्न है।

(4) उक्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वित बच्चे/ महिलाएं एवं बालिकाओं का मदवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भुगतान

49. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रोजगार गारण्टी योजना में श्रमिकों को कार्य करने के लिए 15 दिवस में मजदूरी के भुगतान का प्रावधान है?

(2) सिरोही जिले में वर्ष 2008-09 में किन-किन कार्यों पर उक्त योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी का 15 दिन के बाद कितने-कितने दिन विलम्ब से भुगतान किया गया? ग्राम पंचायत वार, विभागवार, ब्लाकवार व वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विलम्ब के लिए किस अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत श्रमिकों को कार्य करने के 15 दिवस में मजदूरी के भुगतान का प्रावधान है।

(2) सिरोही जिले में वर्ष 2008-09 में श्रमिकों को मजदूरी का 15 दिन के विलम्ब से भुगतान किया गया, का ग्राम पंचायतवार, विभागवार, ब्लॉकवार व वार्डवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) विलम्ब के निम्न कारणों से किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

1- पोस्ट ऑफिस में श्रमिकों की सूची प्रस्तुत करने के बाद भी राशि श्रमिकों के खाते में जमा नहीं होना तथा पोस्ट ऑफिस द्वारा सूचियां वापिस लौटाने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ।

2- पं.सं. सिरोही में समस्त व शिवगंज में तीन में से दो तकनीकी सहायकों के पद रिक्त होने से एवं बार-बार विज्ञापन देने के बावजूद भी किसी तकनीकी सहायक की नियुक्ति नहीं हुई।

3- कुछ स्थानों पर श्रमिकों के द्वारा पुर्नमूल्यांकन की मांग किये जाने पर पुर्नमूल्यांकन के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

50. **श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध किन-किन व्यक्तियों द्वारा जनवरी, 2006 से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त शिकायतों की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई है? आदेश/जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी, 2006 से अब तक निदेशालय को राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध तीन व्यक्तियों से क्रमश: संतोष मीणा, च.श्रे.क., राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय., जयपुर, श्री महेश चन्द्र, मु.पो. महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर तथा बलवीर सिंह राठौड़, मीणाबाड़ी, लाल डिग्गी, घोडाफेर का चौराहा, अलवर से शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों की छाया प्रति संलग्न है।

(2) संतोष मीणा, च.श्रे.क. राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

जयपुर से प्राप्त शिकायत की जांच डा. मण्डन शर्मा, तत्कालीन प्राचार्य, राजकीय धूलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, मनोहरपुरा द्वारा की गई। श्री महेश चन्द्र एवं श्री बलवीर सिंह राठौड़ से प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु वर्तमान में श्री सत्यानारायण शर्मा, प्रोफेसर, राजकीय धूलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, मनोहरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट अप्राप्त है। आदेश एवं प्राप्त जांच रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है।

(3) जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, प्रोफेसर न्याय दर्शन एवं श्री झब्बुराम बैरवा, कार्यालय अधीक्षक, राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर को तत्काल आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय, संस्कृत शिक्षा विभाग में रखा गया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केसरपुरा-काम्बेश्वर महादेव (सिरोही) सड़क मार्ग का नवीनीकरण

51. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में वर्ष 2008-09 के लिए केसरपुरा से काम्बेश्वर महादेव सड़क नवीनीकरण/मरम्मत का प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है एवं इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर नवीनीकरण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क पर वर्ष 2008-09 में कितनी राशि व्यय की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केसरपुरा से कामेश्वर महादेव सड़क की विशेष मरम्मत की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति उपरान्त सड़क की विशेष मरम्मत कराई जा सकेगी।

(2) उक्त सड़क की विशेष मरम्मत हेतु अनुमानित 43.50 लाख रुपये की लागत प्रस्तावित की है। स्वीकृति उपरान्त ही वर्ष 2008-09 में व्यय होने वाली राशि निर्धारित हो सकेगी।

मुख्य मंत्री सर्वजन सम्बल महाअभियान पर व्यय राशि

52. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 में आई.ई.सी. मद में कितनी राशि का प्रावधान था एवं इसमें में से उक्त अवधि में विभिन्न जिलों में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान रखा गया? अब तक उक्त मद में से प्रावधान के अनुरूप कितनी राशि व्यय की गई? ब्लाकवार विवरण मय राशि सदन की मेज पर रखें साथ ही उक्त मद के उपयोग की भारत सरकार व राज्य सरकार की गाइड लाइन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मद में राज्य में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के फोटो सहित होर्डिंग व समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की क्या नीति तय की गई है तथा सरकार की ओर से क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मुख्यमंत्री सर्वजन सम्बल महाअभियान, 2008 में उक्त मद में कितनी धनराशि राज्य में व्यय की गई? व्यय की गई राशि का ब्लाकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत आई.ई.सी. में वर्षवार, जिलावार एवं ब्लॉकवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न पर प्रस्तुत है। भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु प्रावधित 4 प्रतिशत राशि में से ही आई.ए.सी. गतिविधियों पर व्यय किया जाता है। तृतीय चरण के 20 जिलों को रुपये 7.00 लाख प्रति जिले की दर से राशि का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसी संदर्भ में राज्य में जारी निर्देश दिनांक 17.11.2007 की प्रति अवलोकन हेतु परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान की मार्गदर्शिका के अनुसार होर्डिंग्स, समाचार पृष्ठों में विज्ञापन प्रकाशित किये एवं समय समय पर प्रसार हेतु पेम्पलेट वितरित किये गये व नारे लेखन व सभाओं का आयोजन कर प्रचार-प्रसार किया गया। होर्डिंग्स लगाने हेतु राज्य में एकरुपता की दृष्टि से विभागीय पत्र दिनांक 11.1.2008 जारी किये गये। जारी किये गये पत्र की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) मुख्यमंत्री सर्वजन सम्बल महाअभियान, 2008 में व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट–अ पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा जिले में रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत स्वीकृत कुएं

53. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में रोजगार गारंटी (केशव बाड़ी) योजना के तहत कुंए स्वीकृत किए गए हैं? यदि हां, तो स्वीकृत कुएं एवं कार्य शुरू किए गए कुओं की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत कुओं को पक्के बांधने के लिए मेटेरियल हेतु बांसवाड़ा जिले को राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कितनी एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत कुएं खोदे जाकर बांधना शुरू कर दिया गया है, परन्तु सरकार द्वारा सामग्री की राशि नहीं मिलने से बरसात के मौसम में कुएं ढह जाएंगे? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मदेार हैं?

(4) क्या सरकार केशव बाड़ी योजना के अन्तर्गत निजी कुओं को बांधने के लिए निर्माण सामग्री के लिए राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत केशवबाड़ी योजना के तहत कूंएं स्वीकृत किए गए हैं। पंचायत समितिवार स्वीकृत एवं प्रारम्भ कुओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। यह सही है कि स्वीकृत कुओं को पक्का बांधने के लिये नियमानुसार मेटेरियल हेतु बांसवाड़ा जिले को राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत कुएं खोदे जाकर बांधना शुरू किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले हेतु आवंटित राशि में से स्वीकृत कार्यों के अनुपात में 8 पंचायत समितियों में कार्यक्रम अधिकारियों को नियमानुसार राशि आवंटित की जाती है। इस राशि में कूप निर्माण सहित सभी कार्यों की राशि सम्मिलित है। कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति द्वारा कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायतों की मांग के अनुसार सभी कार्यों, जिनमें कूप निर्माण भी शामिल है, हेतु राशि जारी की जाती है।

(4) जी हां। समय समय पर राशि उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट-अ

पंचायत समितिवार स्वीकृत एवं प्रारम्भ कार्यों की सूची 01.02.08 से 30.06.08

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	स्वी. कुओं की संख्या	प्रारम्भ किये गये कुओं की संख्या
1	आनन्दपुरी	563	134
2	बागीदौरा	629	530
3	गढ़ी	227	22
4	घाटोल	469	220
5	कुशलगढ़	689	492
6	पीपलखुंट	773	693
7	सज्जनगढ़	763	533
8	तलवाड़ा	547	411
	योग	4660	3035

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बांसवाड़ा

परिशिष्ट-ब

पंचायत समितिवार स्वीकृत एवं प्रारम्भ कार्यों की सूची 01.02.08 से 30.06.08

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्वी. कुओं की संख्या	स्वीकृत राशि लाखों में		
			श्रम	सामग्री	योग
1	आनन्दपुरी	563	805.09	574.26	1379.35
2	बागीदौरा	629	899.47	641.58	1541.05
3	गढ़ी	227	324.61	231.54	556.15
4	घाटोल	469	670.67	478.38	1149.05
5	कुशलगढ़	689	985.27	702.78	1688.05
6	पीपलखुंट	773	1105.4	788.46	1893.85
7	सज्जनगढ़	763	1091.1	778.26	1869.35
8	तलवाड़ा	547	782.21	557.94	1340.15
	योग	4660	6663.8	4753.2	11417.0

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बांसवाड़ा

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

सीकर की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के ग्राम जसवन्तपुरा के खसरा नं. 536/1 की चरागाह भूमि का अतिक्रमण

मान्यवर,

ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में ढाणी ठाकुर सिंह वाली पर पटवार सर्किल जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर में खसरा नं. 536/1 खाता संख्या नया 191 की भूमि के राजस्व रिकार्ड के अनुसार गोचर भूमि माना है जिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बावंन्डरी बॉल का निर्माण कर रखा है। जिसके लिए ग्रामवासियों द्वारा समय-समय पर जिला कलक्टर एवं तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया है जिसमें तहसीलदार द्वारा भूमि का अतिक्रमण माना है। इसके उपरान्त भी आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अत: उक्त प्रकरण की नियमानुसार जांच करवाकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

जुबेर खान
(रामगढ़)

बी.पी.एल. चयनित विद्युत कनेक्शन व राजीव गांधी विद्युतीकृत योजना में स्वीकृत गांवों में अनियमितता

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान बी.पी.एल. चयनित विद्युत कनेक्शन व राजीव गांधी विद्युतीकृत योजना में स्वीकृत गांव/मजरे एवं ढाणियों के संबंध में अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

भीलवाड़ा जिले में बी.पी.एल. चयनित विद्युत कनेक्शन में गांवों में लोगों के घरों पर मीटर लगाये लगभग 1-2 साल हो गया लेकिन आज तक उन्हें बिजली कनेक्शन कर विद्युत उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कई गांवों में

पोल लगा दिये लेकिन तार नहीं लगा रहे हैं कुछ स्थानों पर पोल डाल रखे हैं और कुछ गांवों में तो विद्युत पोल ही नहीं लगाये गये हैं जिससे यहां के निवासियों को अन्धेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस अन्धेरे के कारण कई लोगों को तो इस बरसात के मौसम में जहरीले जानवरों ने काट लिया है जिसके कारण वे अकाल मोत के शिकार हो रहे हैं और कई स्थानों पर चोरी, डकैती लूट की घटनायें हो रही हैं।

इतना ही नहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने केवल मात्र मीटर लगाकर भोली-भाली ग्रामीण जनता के हस्ताक्षर तक करवा लिये हैं किन्तु उनके घरों में विद्युत प्रकाश की एक किरण भी नहीं फैली है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे अविलम्ब बीपीएल व राजीव गांधी विद्युतीकृत योजना में स्वीकृत गांव/मजरे एवं ढाणियों में विद्युत कनेक्शन लगाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करें एवं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करावें।

कैलाश त्रिवेदी

(सहाड़ा)

जोधपुर शहर की कच्ची बस्ती में कब्जों का नियमन

सर्वप्रथम तो मैं माननीया मुख्यमंत्री महोदया एवं स्वायत शासन राज्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने प्रदेश की हजारों परिवार जो कि अपना जीवन कच्ची बस्तियों में गुजार रहे हैं, उनको छत मुहैया कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कब्जों को नियमित करने का निर्णय लिया है। जिससे इन कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिला है।

अध्यक्ष महोदया मैं आपके मार्फत माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर की अधिकतम कच्ची बस्तियां सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में विकसित हुई हैं। इनमें निवास करने वाले परिवारों को वर्तमान नियमन व्यवस्था का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण कुछ न कुछ तकनीकी खामियों का होना है। सूरसागर क्षेत्र में स्थित अधिकतम कच्ची बस्तियों का नियमन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इनमें वन विभाग की आपत्ति है। माननीय मंत्री महोदय को यह आगाह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जयपुर के आमेर की तलहटी में बसी

बस्तियों को वन सीमा से बाहर कर नियमित किया गया है। उसी प्रकार जोधपुर शहर की कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले हजारों परिवारों को वन सीमा से बाहर कराकर नियमित करने की दिशा में ठोस कार्य करावें ताकि हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिल सके। आशा करता हूं कि सरकार इस दिशा में गम्भीरता से विचार कर हजारों परिवारों को नियमित करने का निर्णय लेकर राहत प्रदान करेगी।

सादर!

मोहन मेघवाल

(सूरसागर)

हनुमानगढ़ के 124 गांवों में वन भूमि पर काबिज आवासों का नियमन

आपके माध्यम से जिला हनुमानगढ़ के 124 गांवों में वन भूमि पर 20 से 30 वर्षों से गरीब, लघु कृषक, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आवासीय मकान बनाकर निवास करते आ रहे हैं। जहां पर बिजली, पानी, सड़कें, नालियां, देवस्थान, मन्दिर, गुरुद्वारा, मस्जिद इत्यादि विद्यमान हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त वन विभाग की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन कर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को सौंपी जावे। जिससे लम्बे समय से आवासीय मकान एवं मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध हैं। उक्त भूमि से पंचायतों को आय में इजाफा होगा। एवं गरीब, लघु कृषक, अनुसूचित जाति वर्ग को लाभ मिल सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा विधान सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के लिखित उत्तर में 124 गांवों में वन भूमि पर आवासीय मकान बनाये जाकर निवास करने की सूचना प्राप्त हुई।

रिकार्ड में वन भूमि होने के कारण से इनके ना तो पट्टे बनाये जा सकते हैं और ना ही बी.पी.एल. एवं अन्य गरीब, लघु कृषक, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा लाभान्वित योजनाओं का (जैसे कि इन्दिरा आवास योजना) लाभ मिल सके।

धर्मेन्द्र कुमार मोची

(टिब्बी)

जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के कार्मिकों को नियमित वेतन श्रृंखला

मान्यवर,

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987-1990 के मध्य नियमित वेतन श्रृंखला में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1992 में सरकार द्वारा पदों में कटौती के नाम पर अभिकरणों में पदों को समाप्त कर कई कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई तथा लगभग 75 कर्मचारियों को राज्य की विभिन्न जिला परिषदों के अधीन रिक्त पदों पर वर्ष 2002 से कनिष्ठ लिपिक एवं अन्य पदों पर प्रतिमाह समेकित वेतन पर स्थाई कर दिया गया।

चूंकि उक्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गत 18-20 वर्षों से राज्य सरकार की सेवार्थ निरन्तर कार्य कर रहे हैं तथा इन्हें राजकीय सेवा से पृथक भी नहीं किया गया है एवं अन्यत्र राजकीय सेवा में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा भी पार कर चुके हैं ऐसे में इनके पास इसी पद पर बने रहने के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय से निवेदन है कि लम्बे समय से राजकीय सेवा में कार्यरत उक्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें नियमित वेतन श्रृंखला दिलवाने हेतु आदेश फरमावें।

धन्यवाद

डा. समरजीत सिंह

(भीनमाल)

राजगढ़ (चूरू) में अवैध वाहनों के संचालन पर लगाम

महोदय जी,

राजगढ़ जिला चूरू में राजगढ़ से बाय वाया बिरभी एवं साडुलपुर से बहल मार्ग पर प्राईवेट ओपरेटर को स्थाई अनुज्ञा पर जारी कर रखे हैं। जिन पर वे लोग अपनी बसों का संचालन करते हैं। लेकिन वर्तमान में उन स्थाई अनुज्ञा पर धारकों से अपने बसों का संचालन बन्द करना पड़ेगा ऐसी नौबत उनके सामने उत्पन्न हो गई है। बसों के आगे पीछे कमांडर जीप फोर व्हीलर

यूटीलीटी आदि धड़ल्ले से अनाधिकृत चल रहे है। वे जबरदस्ती बसों में से सवारी उतारकर अपनी जीपों में बैठाकर लाते ले जाते है। बसें सवारियों के अभाव में खाली चलती हैं जिससे उनके डीजल खर्चा भी नहीं निकलता इसलिए मजबूर होकर स्थाई अनुज्ञा पर धारकों को संचालन बन्द करना पड़ेगा।

उक्त मार्गों पर जो जीप आदि चलती हैं। वे प्राईवेट नम्बरों की हैं तथा काफी हरियाणा राज्य की पंजीकृत है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। अवैध वाहनों के चलते प्राईवेट ऑपरेटर को पथकर एवं विशेष पथकर जमा कराने के लाले पड़े गये हैं।

अवैध वाहनों के संचालन को रोकने के लिए काफी बार परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को अनुज्ञा पर धारियों ने शिकायत भी की लेकिन अवैध वाहनों का संचालन नहीं रुका। उन्होंने जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक उपखण्ड अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक परिवहन अधिकारी चेक पोस्ट परिवहन अधिकारी से भी अवैध वाहनों के संचालन रोकने बाबत शिकायत की लेकिन हल कुछ नहीं निकला। उक्त मार्गों के अनुज्ञा पर धारक सामूहिक रूप से परमीट जमा कराने के बारे में भी सोच रहे हैं। यदि अवैध वहनों का संचालन नहीं रुका तो सामूहिक रूप से परमीट जमा कराने पर मजबूर होना पड़ेगा।

महोदय, राजगढ़, बाय-भादरा, वाया बिरमी मार्गों पर जीपों में 15 से 20 तक सवारियां बैठकर जाती हैं। जिनसे दुर्घटना का अन्देशा बना रहता है। इसी प्रकार सादुलपुरा बहल मार्ग पर तो सभी अवैध वाहन हरियाणा क्षेत्र के चलते हैं। जो सभी हरियाणा से पंजीकृत हैं जिससे राजस्व का भी नुकसान होता है।

अत: मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उक्त अनाधिकृत वाहनों का संचालन तुरन्त रोका जावे।

धन्यवाद।

नन्दलाल पूनिया

(सादुलपुर)

सोजत सिटी में एस.पी. कार्यालय की स्थापना

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि पूर्व में रियासत काल में जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह के (कार्यकाल) शासन तक सोजत सिटी में सुपरिन्डेन्डेंट ऑफ पुलिस बैठा करता था जो पाली, जोधपुर व नागौर तक के क्षेत्रों को देखता था साथ ही यह न्यायालय का भी ये ही

क्षेत्राधिकार था अब वर्तमान में यह उप पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है जब कि वर्तमान में सोजत डीवाई एस.पी के अधीनस्थ 7 थाने आते हैं, जिसमें सोजत सिटी मारवाड़ जंक्शन व मारवाड़ जी.आर.पी. इसके साथ बगडी सोजत रोड सिरियारी व शिवपुरा थाना आता है जबकि वर्तमान में बाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अधीनस्थ भी 7 थाने ही आते हैं, अतः सोजत की भौगोलिक स्थिति व इसकी जनसंख्या व क्षेत्राधिकार को देखते हुए यहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय नितान्त आवश्यक है ताकि सोजत की जनता को इसका फायदा मिल सके और अपराधों पर भी अतिशीघ्र अंकुश लगाया जा सकता है।

अतः मेरा सरकार से यह आग्रह है कि सोजत सिटी में एडिसनल एसपी (ADC SP) का कार्यालय खोला जावे।

सधन्यवाद।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल
(देसूरी)

करौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत आपूरित बजरी व खण्डे का भुगतान

महोदय जी,

वन संरक्षक भू-संरक्षण करौली ने फर्म हरीप्रसाद गुप्ता, छीतरमल गुप्ता, एवं अरविन्द गुप्ता आदि निवासी कैलादेवी (करौली) को बजरी एवं खंडा सप्लाई करने वर्क के आर्डर एवं आदेश दिनांक 20*04-2006, 07-06-2006 एवं 22-06-2006 को दिये थे।

ये आदेश काम के बदले अनाज योजना में एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत दिये गये थे।

उपरोक्त फर्मों ने मैटेरियल नियमानुसार सप्लाई कर दिया पर उप-वन संरक्षक, भू-संरक्षक, करौली ने उक्त फर्मों को बार-बार निवेदन करने के पश्चात आज तक कोई भुगतान दो साल बीतने के उपरान्त भी नहीं किया।

जबकि मजदूरों को नियमानुसार भुगतान कर दिया गया केवल उपरोक्त फर्मों को परेशान कर भुगतान नहीं किया जा रहा है। आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह यह रुकावट पैदा की जा रही है।

अतः मेरा वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकरण में पूरी जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कदम उठाते हुए शीघ्र कार्यवाही

करने का कष्ट करें ताकि लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके। और जनता को राह मिल सके।

दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(गंगापुर)

डग की पेयजल योजनाएं

माननीय अध्यक्ष महोदया,

निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की अति उत्तम व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की गई उसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं बारम्बार धन्यवाद देती हूं मेरा डग विधान सभा क्षेत्र वर्षों से पानी की किल्लत से जूझ रहा है हमारी माननीय मुख्यमंत्रीजी ने बड़ी-बड़ी करोड़ों की योजना स्वीकृत कर डग क्षेत्र की जनता की हमेशा के लिए प्यास बुझाई है। इसके लिये पहली योजना 149 करोड़ की स्वीकृत की गई जो चम्बल से भवानी मंडी होती हुई हिलेगढ़ तक पहुंचनी है। इसका कार्य करीब-करीब पूर्ण होने वाला है और इसी वर्ष 2008 के अन्त तक वाटर सप्लाई कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया दूसरी योजना 6 करोड़ वाली प्रोपर चोमेला के लिये स्वीकृत की थी वही 2007 में ही कार्य पूर्ण होकर वाटर सप्लाई प्रारम्भ कर दिया गया था जो पूरे चौमेला को भरपूर पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार तीसरी योजना छोटी कालीसिंध से लेकर डग गंधार के लिये थी, इस योजना पर नौ करोड़ खर्च कर कार्य पूर्ण हो चुका है और 2007 में ही वाटर सप्लाई कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, इसके अलावा 1500 से अधिक आबादी वाली गांव के लिये 21 जनता जल योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिनका कार्य प्रगति पर है इसी वर्ष सितम्बर माह तक पानी दे दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदया मेरे डग विधान सभा क्षेत्र की जनता पानी की किल्लत से जूझ रही था। हमारी सरकार ने हमारी माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय ने हमेशा-हमेशा के लिये पानी की किल्लत को समाप्त कर स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया है इसके लिये मैं तहदिल से माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं जल संसाधन मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं, बारम्बार धन्यवाद देती हूं।

स्नेहलता
(डग)

चिकित्सा विभाग में एड-पोस्ट खतम करने से उत्पन्न स्थिति

महोदय,

चिकित्सा सुविधा ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह सुविधा बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती है। मेडिकल एड पोस्ट अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं। राजस्थान की सरकार द्वारा राजस्थान में लगभग 700 एड पोस्ट बंद किये जा रहे हैं। जिससे गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा।

महोदय, एक एडपोस्ट पर प्रथम श्रेणी का या द्वितीय श्रेणी के कम्पाउंडर पद स्थापित होता है। दक्षिणी राजस्थान के अन्तर्गत जनजाति उप योजना के आदिवासी लोगों को इस निर्णय से भारी नुकसान होगा। जिन क्षेत्रों में पी.एच.सी. डिस्पेन्सरी या अन्य कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां एडपोस्ट के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

केन्द्र सरकार की सहायता से उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन होता था उसमें 70 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार की ओर से सहायता एवं 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की सहायता से संचालित थी। चूंकि अब केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है। अत: राज्य सरकार को एड-पोस्टों को नहीं तोड़ कर यथावथ चालू रखना चाहिये। अत: मैं, सरकार से यह जानकारी चाहता हूं कि भविष्य में राज्य सरकार क्या करना चाहती है।

धन्यवाद।

रघुवीर सिंह मीणा

(सराड़ा)

निवाई एवं पीपलू तहसीलों को जोड़ने के लिए पुलिया का निर्माण

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत डागरथल पंचायत की ग्राम रम्भा पीपलू उप खण्ड की सीमा पर स्थित है लेकिन दोनों तहसीलों को जोड़ने के लिये पुलिया निर्माण की अति आवश्यकता है तथा बरसात के दिनों में बीच में नदी के कारण आवागमन अवरूद्ध हो जाता है तथा ग्रामीणों को तहसील से जोड़ने में काफी परेशानी है।

अत: अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पीपलू एवं

निवाई तहसील को जोड़ने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से पुल निर्माण करवाया जावे ताकि जनता को राहत मिल सके।

हीरालाल

(निवाई)

खारची में कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत बनी पक्की सड़कों का खस्ता हाल

महोदय,

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खारची में कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित 1. रामाजी गुडा केरली 3 किलो. व 2. देसूरी फुलाद मुख्य मार्ग से माडपुर 4 किलो सड़कों की पिछले 16 वर्षों से आज दिन तक मरम्मत नहीं हुई जिससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है बार-बार विभग को लिखित रूप से देने के पश्चात भी उक्त सड़कों का नवीनीकरण कार्य स्वीकृत नहीं हो सका। पिछले वर्ष 2007 के जुलाई माह में अतिवृष्टि के तहत सी.आर.एफ. द्वारा प्रशासन माडपुर में टूटी डामर सड़क पर ग्रेवल डलवा दिया जिससे उक्त सड़क का स्वरूप ही बदल दिया गया है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त सड़कों का नवीनीकरण तुरन्त करवाया जाए।

धन्यवाद।

खुशवीर सिंह

(खारची)